एकादश माला, खंड 4, अंक 14

मंगलवार, 30 जुलाई, 1996
8 श्रावण, 1918 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

दूसरा सत्र

(ग्यारहवीं लोक सभा)

(खण्ड 4 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्यः पचास रूपये

लोक सभा के मंगलवार 30 जुलाई, 1996 के
वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण) का शुद्धि-पत्र

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
विषय सूची (i)	21	नयनाड	वायनाड
-वही- (ii)	29	लामौरा	लाभांश
-वही- (ii)	30	की	के
-वही- (ii)	34	"पेश किए जाने वाला प्रस्ताव"	शब्दों का लोप करें ।
-वही- (iii)	11 और 15	हेतु	करने के लिए
6	10	श्री नीतिश कुमार	श्री नीतीश कुमार
14	3	प्रस्ताव के बाद "द्वारा" - जोड़िए ।	
22	नीचे से 14	श्री चन्देश पटेल	श्री चन्द्रेश पटेल
36	1	कुरिद्याकुट्टी	कुरियाकुट्टी
62	14	जानेवार ब्यौरा	जौनवार ब्यौरा
65	15	गुराज	गुजरात
65	18	राजपिपता	राजपिपला
76	4	श्री बच्ची सिंह रावत "बचदा"	श्री बची सिंह रावत बचदा"
176	नीचे से 1	एल0टी0सख्या 200/96	एल0टी0 संख्या 199/96
176	नीचे से 9	(खण्ड)	खण्ड ।
177	ऊपर से 6	एल॰टी॰ 201/96	एल॰टी॰ 200/96
180	नीचे से 6	का	की
180	नीचे से 6	विद्धतीय	वित्तीय
186	नीचे से 8	सदन	सभा
238	नीचे से 2	160 के बाद	
238	नीचे से 9	61 से 74 के बाद	
239	ऊपर से 9	242 से 247 के बाद	
239	18	548 से 560 के बाद	"सभा में" जोड़िए ।
240	नीचे से 3	412 से 429 के बाद	
240	नीचे से 15	388 से 393 के बाद	
240	नीचे से 22	337 से 366 के बाद	
241	ऊपर से 9	448 से 546 के बाद	
241	ऊपर से 13	"प्रस्ताव" के बाद	
242	नीचे से 3	खण्ड ।।	खण्ड ।
248	ऊपर से 14	विधाय विभाग	विधायी विभाग

सम्पादक मण्डल

श्री एस. गोपालन
महासचिव
लोक सभा

श्रीमती रेवा नैयर
संयुक्त सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक
लोक सभा सचिवालय

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्रीमती वन्दना त्रिवेदी
सम्पादक

श्री देवेन्द्र कुमार
सम्पादक

श्री बलराम सूरी
सहायक सम्पादक

श्रीमती सरिता नागपाल
सहायक सम्पादक

श्री मुन्नी लाल
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

एकादश माला, खंड 4, दूसरा सत्र, 1996/1918 (शक)
अंक 14, मंगलवार, 30 जुलाई, 1996/8 श्रावण, 1918 (शक)

विषय		कालम
निधन संबंधी उल्लेख		1
लोकसभा की बैठक के बारे में घोषणा		1
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	261 -से- 280	2—20
अतारांकित प्रश्न संख्या	2058 -से- 2250	20—174
अल्प सूचना प्रश्न		174
रेलवे पुलों के बारे में दिनांक 22 अगस्त 1995, में अतारांकित प्रश्न संख्या 2795 के संबंध में दिए गए उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण		175—176
सभा पटल पर रखे गए पत्र		176—180
नियम 377 के अधीन मामले		180—183
(एक) कानपुर की सूती कपड़ा मिलों को अर्थक्षम बनाने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता। श्री जगत वीर सिंह द्रोण		180—181
(दो) उड़ीसा में बीरमित्रपुर और बेनारपाल के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग के रखरखाव के लिए पर्याप्त धनराशि स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता। कुमारी फ्रिडा तोपनो		181
(तीन) केरल के नयनाड जिले में मनानकोडी में कम शक्ति वाला टी.वी. ट्रांसमीटर स्थापित किये जाने की आवश्यकता श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन		182
(चार) रोजगार के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में सुनिश्चित करने के लिए संविधान में संशोधन किये जाने की आवश्यकता श्री सुनील खान		182
(पांच) आन्ध्र प्रदेश के दुनी में रेल फाटक पर उपरि पुल के निर्माण की आवश्यकता श्री टी. गोपाल कृष्ण		182—183
संकल्प : रेल उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व को देय लाभांश की दर की पुनरीक्षा करने हेतु संसदीय समिति की मनोनयन के बारे में संकल्प—**स्वीकृत**		183—184
बजट (रेल) 1996-97 सामान्य चर्चा तथा अनुदानों की मांगे (रेल)		186—241
पेश किए जाने वाला प्रस्ताव श्री राम विलास पासवान		188—193, 215—226
श्री संतोष कुमार गंगवार		194—195

विषय	कालम
श्री जगत वीर सिंह द्रोण	195—198
श्री अमर पाल सिंह	198
श्री राधा मोहन सिंह	198—199
श्री गिरधारी लाल भार्गव	199—202
डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय	202—206
श्री द्वारका नाथ दास	206
वैद्य दाऊ दयाल जोशी	206—208
प्रो. रासा सिंह रावत	209—214
विनियोग (रेल) संख्यांक 3 विधेयक, 1996 – पारित	
विचार हेतु प्रस्ताव	
श्री राम विलास पासवान	241—243
खंड 2,3 और 1	242
लोक प्रतिनिधित्व (दूसरा संशोधन) विधेयक—पारित	244—268
विचार हेतु प्रस्ताव	
जस्टिस गुमान मल लोढा	244—245
श्री शिवराज वी. पाटिल	245—247
श्री मधुकर सर्पोतदार	247—251
श्री रमाकान्त डी. खलप	251—257
खंड 2 से 17 तथा 1	261—268

लोक सभा

मंगलवार, 30 जुलाई, 1996/8 श्रावण, 1918 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ।। बजे समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

निधन सम्बन्धी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मुझे बड़े दुःख के साथ सदन को सूचित करना पड़ रहा है कि महान स्वतंत्रता सेनानी श्रीमती अरूणा आसफ अली का 87 वर्ष की आयु में 29 जुलाई, 1996 को शाम 4.00 बजे राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में निधन हो गया।

अरूणा आसफ अली ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की क्रांतिकारी विचारधारा का प्रतिनिधित्व किया। वह एक दृढ़निष्ठ समाजवादी थीं जो एक समान अर्थव्यवस्था की स्थापना और श्रमिक वर्ग के साथ न्याय किये जाने में विश्वास रखती थीं। वह एक-निगम पार्षद थीं। जिन्होंने यह प्रदर्शित किया कि सर्वोत्तम रूप से संचालित शासन प्रणाली ही सर्वोत्तम है। वह पूर्णतः निष्पक्ष पत्रकार थीं। उन्होंने महिलाओं को और अधिक अधिकार दिलाने के लिये आन्दोलन चलाया। वह सिद्धान्ततः तथा व्यवहार से पंथनिरपेक्ष थीं। वह भारत की मिली जिली संस्कृति की ज्वलंत प्रतीक थी। उनके निधन से देश को शताब्दी की एक महान भारतीय महिला की क्षति हुई है। अपनी स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के समारोह में उनका अभाव हमारे लिए संवेदना का विषय रहेगा।

मुझे विश्वास है कि उस महान दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि देने में यह सभा मेरे साथ है।

अब सभा के सदस्य दिवंगत आत्मा के सम्मान में कुछ देर के लिये मौन खड़े होंगे

तत्पश्चात् सदस्यगण कुछ क्षण मौन खड़े रहें

पूर्वाह्न 11.02 बजे

लोक सभा की बैठक के बारे में घोषणा

अध्यक्ष महोदय : सभी राजनैतिक दलों के नेताओं के साथ हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि सभा दिन भर के लिए स्थगित रहेगी। परन्तु क्योंकि रेल बजट और निर्वाचन सुधार विधेयक पारित किया जाना है इसलिये यह निर्णय किया गया है कि सदन की बैठक पुनः 6 बजे समवेत होगी।

अतः सभा अपराह्न 6.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

दूध उत्पादन

***261. डा. महादीपक सिंह शाक्य :**
श्री दत्ता मेघे :

क्या **पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष दूध की कुल आवश्यकता और उत्पादन का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस समय दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता राज्यवार कितनी है;

(ग) क्या देश में दूध का उत्पादन समुचित मात्रा में है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में दूध के उत्पादन को बढ़ाने और दूध की बढ़ती हुई कीमतों को रोकने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय के पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) और (ख). दुग्ध उत्पादन, दूध की आवश्यकता तथा दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता के बारे में राज्यवार जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) इस समय दूध का उत्पादन 220 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति दिन की अनुशंसित पोषणिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

(घ) इसके प्रमुख कारण इस प्रकार हैं:-

(1) स्वदेशी नस्लों की कम उत्पादकता।

(2) जनसंख्या में वृद्धि।

(3) पशु स्वास्थ्य देख-रेख की अपर्याप्त सुविधाएं।

(4) हरे चारे तथा सांद्रण की अपर्याप्त उपलब्धता।

(ङ) देश में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सघन प्रयास किए गए हैं। इस संबंध में विभिन्न कार्यक्रम इस प्रकार हैं:

1. उनके घरेलू इलाकों में चयनित प्रजनन द्वारा राष्ट्रीय महत्व के गोपशु नस्लों का आनुवंशिक सुधार तथा अन्य चुनिन्दा क्षेत्रों में उन्नयन।
2. गैर-प्रजातिय गोपशुओं का विदेशी डेयरी नस्लों के साथ वर्ण-संकरण।
3. चयनित प्रजनन द्वारा भैंसों के महत्वपूर्ण नस्लों का आनुवांशिक सुधार तथा अन्य क्षेत्रों में गैर प्रजातीय भैंसों का उन्नयन।

4. आहार तथा चारा संसाधनों का विकास।

5. उत्पादन कार्यक्रम को समर्थ बनाने के लिए प्रभावशाली पशु स्वास्थ्य सेवा संगठन।

6. ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का क्रियान्वयन।

7. गैर-ऑपरेशन फ्लड, पर्वतीय तथा पिछड़े क्षेत्रों में एकीकृत डेयरी विकास।

8. डेयरी विकास प्रौद्योगिकी मिशन।

दूध की कीमत मांग तथा पूर्ति की स्थिति पर निर्भर करती है। भारत सरकार ने आम जनता को इच्छित गुणवत्ता के तरल दूध की बढ़ी हुई आपूर्ति को बनाये रखने के लिए दिनांक 9 जून, 1992 को दुग्ध तथा दुग्ध उत्पाद आदेश जारी किया। इस आदेश का अभिप्राय पूरे देश में दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों के उत्पादन, आपूर्ति तथा वितरण को विनियमित करना है।

विवरण

राज्यवार दुग्ध उत्पादन, आवश्यकता तथा प्रति व्यक्ति उपलब्धता को दर्शाने वाला विवरण अनुबंध

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	दुग्ध उत्पादन ('000 मी.टन/वर्ष)			दुग्ध आवश्यकता ('000 मी.टन/वर्ष)			प्रति व्यक्ति (ग्राम/दिन) उपलब्धता
	93-94 (अ)	94-95 (अ)	95-96 (प्र)	93-94 (अ)	94-95 (अ)	95-96 (प्र)	95-96 (प्र)
1	2	3	4	5	6	7	8
आंध्र प्रदेश	3766	4211	4250	5592	5687	5782	162
अरूणाचल प्रदेश	21	22	23	74	76	78	65
असम	675	699	855	1905	1946	1986	95
बिहार	3215	3250	3500	7343	7502	7660	101
गोवा	33	33	34	99	101	103	73
गुजरात	3935	3650	3750	3476	3537	3598	229
हरियाणा	3850	4062	4100	1400	1429	1458	618
हिमाचल प्रदेश	654	655	676	436	444	453	329
जम्मू तथा कश्मीर	780	780	810	657	672	687	259
कर्नाटक	2736	3003	3260	3761	3817	3872	185
केरल	2001	2118	2246	2423	2457	2490	198
मध्य प्रदेश	4975	5160	5270	5601	5711	5820	199
महाराष्ट्र	4250	4811	5150	6668	6799	6931	163
मणिपुर	84	111	125	157	160	164	168
मेघालय	53	54	60	151	155	158	83
मिजोरम	9	14	16	60	62	64	55
नागालैण्ड	45		45	105	109	112	88
उड़ीसा	565	585	620	2667	2715	2764	49
पंजाब	5970	6215	6700	1693	1716	1741	847
राजस्थान	4958	4850	5200	3736	3813	3890	294
सिक्किम	30	32	35	35	37	38	204
तमिलनाडु	3524	3694	3831	4603	4648	4691	180
त्रिपुरा	35	38	39	235	240	246	35

1	2	3	4	5	6	7	8
उत्तर प्रदेश	10991	11321	11900	11699	11903	12105	216
पश्चिम बंगाल	3095	3240	3500	5715	5812	5907	130
अंडमान एवं निकोबार दीप समूह	25	25	26	25	26	27	215
चण्डीगढ़	38	39	41	58	60	63	143
दादरा व नगर हवेली	7	4	4	12	12	13	70
दमन और दीव	1	1	1	9	9	9	25
दिल्ली	251	257	277	828	858	888	69
लक्षद्वीप	1	1	1	4	4	5	54
पाण्डिचेरी	32	31	29	68	70	71	90
कुल	60605	62976	66374	71295	72588	73874	197

अः अनन्तिम।

प्रः प्रत्याशित।

[अनुवाद]

नीम आधारित कीटनाशक

***262. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामान्य कीटनाशकों के विरुद्ध प्रतिरोधी क्षमता रखने वाले विनाशकारी तथा रोगवाही कीटों पर नीम आधारित कीटनाशक प्रभावी ढंग से नियंत्रण कर लेते हैं; और

(ख) यदि हां, तो नीम आधारित कीटनाशकों को बढ़ावा देने और "आर्गेनिक फार्मिंग' को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) नीम पर आधारित कीटनाशी कृषि के लिए महत्वपूर्ण कुछ कीटों, नाशक जीवों और रोगवाहकों के प्रति प्रभावी पाए गए हैं। इनमें वे कीट व नाशक जीव भी शामिल हैं जिनमें सामान्यतः इस्तेमाल होने वाले नाशक जीव नाशी के प्रति रोधिता उत्पन्न हो गई है।

(ख) इस संबंध में उठाए गए कदम इस प्रकार हैं:

1. नीम पर आधारित कीटनाशी संरूपो (फार्मूलेशन) को बढ़ावा देने के लिए पंजीकरण प्रक्रियाओं को सरल बनाना।
2. अस्थाई पंजीकरण की अवधि के दौरान नीम पर आधारित नाशक जीव नाशी संरूपों का व्यावसायीकरण। नीम पर आधारित नाशकजीव नाशियों के 35 व्यावसायिक संरूपों को देश में इस्तेमाल करने के लिए पंजीकृत किया गया है।
3. नीम पर आधारित नाशकजीव नाशियों को समेकित नाशकजीवनाशी प्रबंध (आई.पी.एम.) के अन्तर्गत लाना।
4. जैविक नाशक जीव नाशियों, जैविक उर्वरकों और नीम की खली सहित कार्बनिक खादों के उपयोग को बढ़ावा देना।

[हिन्दी]

दुग्ध क्रान्ति के अन्तर्गत अनुसंधान एवं विकास

***263. प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :**

श्री नीतिश कुमार :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कई दशकों से देश में दुग्ध क्रान्ति के अन्तर्गत अनुसंधान एवं विकास कार्य पर बल दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अनुसंधान एवं विकास कार्य में लगी संस्थाओं के क्या नाम हैं;

(ग) इन सभी संस्थाओं पर प्रतिवर्ष औसतन कुल कितनी राशि खर्च की जा रही है;

(घ) क्या इन संस्थाओं को देश में दुधारू पशुओं की प्रजातियों के विकास में सफलता हासिल हुई है;

(ङ) यदि, हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में भावी कार्य योजना क्या है; और

(च) देश के कुल पशुधन में इस समय विकसित प्रजाति के पशुओ का प्रतिशत कितना है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग को छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले दशकों के दौरान देश में डेरी के विकास के लिए अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में पर्याप्त प्रयास किए गए हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, पशु पालन और डेरी विभाग, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (एन.डी.डी.बी.) राज्य पशुपालन विभागों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, गैर सरकारी संगठनों और कृषक संगठनों के साथ मिलकर अनुसंधान और विकास से संबंधित कार्यों में लगे हुए हैं। इन अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत दूध उत्पादन बढ़ाने से संबंधित समस्याओं के निराकरण के प्रयास किए जा रहे हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अपने चार प्रमुख संस्थानों- नामतः राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान (एन.डी.आर.आई.), करनाल, केन्द्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान (सी.आई.आर.बी.), हिसार, मवेशी प्रायोजना निदेशालय (पी. डी.सी.), मेरठ और भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आई. वी.आर.आई.), इज्जतनगर के माध्यम से डेरी विकास के विभिन्न अनुसंधान पहलुओं पर अपना कार्यक्रम चला रही है। डेरी विकास के क्षेत्र में विकास का प्रमुख कार्यक्रम "आपरेशन फ्लड (श्वेत क्रांति)- I, II और III और टेक्नोलाजी मिशन के माध्यम से कार्यान्वित किया गया था।

(ग) वर्ष 1995-96 के दौरान कृषि मंत्रालय द्वारा दुग्ध उद्योग के लिए पूरे वर्ष में 362.91 करोड़ रु. खर्च किए गए।

(घ) जी, हां।

(ङ) इन संस्थानों ने मवेशियों की अनेक नई/उन्नत नस्लें जैसे- करन फ्रीज, करन स्विस, फ्रीजवाल और सुनन्दनी के विकास में सफलता प्राप्त की है। विभिन्न विदेशी नस्लों से संकर-प्रजनित जीन प्ररूप तैयार किए गए हैं और उनकी दुग्ध उत्पादन क्षमता एवं नस्लों की शारीरिक बनावट की जांच की जा रही है। इसके अतिरिक्त, मुरा, नीली-रावी, सूरती और अन्य डेरी वाली भैंसों की नस्लों के साथ ऐसी भैंसों की नस्लों का सुधार किया जा रहा है जिन पर अभी तक विशेष ध्यान नहीं दिया गया था। भविष्य में चलाई जाने वाली योजनाओं में विशुद्ध प्रजनित और संकर प्रजनित मवेशियों के अधिक क्षमता वाले जनन द्रव्यों का इस्तेमाल, चारे का विकास, पोषण-सुधार तथा उत्पादन एवं पुनरोत्पादन हेतु आधुनिक जैव-प्रौद्योगिकियों का उपयोग शामिल है।

(च) देश के करीब 10 प्रतिशत पशु (करीब 18 मिलियन) संकर नस्ल के हैं।

[अनुवाद]

वन भूमि का विनियमन

***264. श्री अमर पाल सिंह :**

श्री विजय गोयल :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खेती आदि के लिए अवैध रूप से कब्जे वाले कितने वन-क्षेत्र का अब तक राज्यवार विनियमन किया जा चुका है;

(ख) क्या सरकार का विचार वन क्षेत्र में कमी को रोकने के लिए भविष्य में वन क्षेत्र पर अवैध कब्जों को विनियमित नहीं करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के (राज्य मंत्री कैप्टन जय नारायण प्रसाद निष्पाद) : (क) अवैध कब्जों के नियमितीकरण के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत उपयोग में लाया गया राज्यवार वन क्षेत्र को दर्शाने वाला एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

(ख) और (ग). मंत्रालय के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार 24.10.1980 के पश्चात् वाले अवैध कब्जे वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत नियमितीकरण के योग्य नहीं हैं।

विवरण

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत अवैध कब्जों के नियमितीकरण के लिए उपयोग में लाए गए राज्यवार वन क्षेत्र को दर्शाने वाला विवरण।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	अंतरित वन क्षेत्र
1.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	1,367 है.
2.	गुजरात	10,900.47 है.
3.	कर्नाटक	14,848.83 है.
4.	केरल	28,588.159 है.
5.	मध्य प्रदेश	1.03 लाख है.

मत्स्यन पत्तन

***265. श्री एन. डेनिस :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मत्स्यन पोतों के लिए पोत-घाटों की कमी के कारण मछुआरों को हो रही गम्भीर कठिनाइयों को देखते हुए अरब सागर के पश्चिमी तट के साथ-साथ और अधिक मत्स्यन पत्तन स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने तमिलनाडु के पश्चिमी तट पर तेंकापट्टनम और कोलाचेल में मत्स्यन पत्तन खोलने पर विचार किया है अथवा विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग को छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) भारत के पश्चिमी तट पर भारत सरकार की सहायता से एक प्रमुख मत्स्यन बन्दरगाह, तेरह छोटे मत्स्यन बन्दरगाह तथा 77 मत्स्य अवतरण केन्द्रों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। मत्स्यन नौकाओं के अवतरण तथा ठहराव की सुविधायें देने के लिये भारत के पश्चिमी तट पर एक और प्रमुख मत्स्यन बन्दरगाह, 9 छोटे मत्स्यन बन्दरगाह तथा 10 मत्स्य अवतरण केन्द्रों का निर्माण किये जाने को मंजूरी दी गई है।

(ख) तथा (ग). तमिलनाडु के सुझाव पर कोलाचेल मत्स्यन बन्दरगाह के लिये एक पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन पूरा करा लिया गया है और जनवरी-फरवरी, 1997 में विस्तृत तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता अन्वेषण कराने का निर्णय लिया गया है। तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में प्रस्ताव किया है कि तेंकापट्टनम में एक मत्स्य अवतरण केन्द्र का निर्माण किया जाये।

कोंकण रेल निगम

***266. श्री चर्चिल अलेमाओ** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोवा स्थित कोंकण रेल निगम द्वारा गोवा में कोंकण रेल मार्ग पर रेलपुलों, उपरिपुलों, पुलियाओं इत्यादि के निर्माण में ओझा समिति ही सिफारिशों का कड़ाई से पालन किया गया है;

(ख) क्या इस निगम ने रेल लाइन बिछाने से पहले विशेषज्ञों और स्थानीय स्वशासी निकायों के मुखिया, सरपंच आदि से परामर्श करने के मानदण्ड का अनुपालन किया है;

(ग) यदि हां, तो गोवा के मारमुगांव में कोरटालिंम गांव में रेल लाइन के साथ-साथ मिट्टी के तटबंधों के धंसने के क्या कारण हैं; और

(घ) तटबन्धों की मिट्टी के धंसने और उसमें दरारें पड़ने को रोकने के लिए प्रस्तावित ढांचे के संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी हां,

(ख) जी हां,

(ग) तटबंध के धंसने का कारण यह था कि वहां 9 से 11 मीटर तक की गहराई में नरम मिट्टी की तह थी।

(घ) धसकन की रोकथाम के लिए तटबंधों के नीचे भली प्रकार अभिकल्पित बालू की नालियों तथा समुचित रूप से अभिकल्पित टेकयुक्त तटों की व्यवस्था की जा रही है, इसके अलावा, जहां तटबंध के धस जाने और फलस्वरूप दोनों ओर उत्क्षेपण के कारण क्षेत्र के प्राकृतिक जल निकास पर प्रभाव पड़ना हो, वहां कोंकण रेलवे ने लगभग 320 मीटर की लंबाई में तटों के स्थान पर वाया-डक्ट रेल पुल, पुलियाएं आदि बनाने का प्रस्ताव किया है।

घुसपैठ

***267. श्री पी.एस.गढ़वी** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के कच्छ के क्षेत्र में पाकिस्तान से विदेशियों की घुसपैठ जारी है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान गिरफ्तार किए गए और वापस भेजे गए व्यक्तियों की संख्या सहित घुसपैठ की ऐसी घटनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) घुसपैठ की इन घटनाओं को पूरी तरह से रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) और (ख) : ब्यौरा निम्नलिखित है:

वर्ष	कुल विदेशियों की संख्या		
	सी.सु.बल द्वारा पकड़े गए	वापस भेजे गए	कानून के अधीन कार्रवाई के लिए पुलिस को सौंपे गए
1994	39	6	33
1995	45	1	44
1996 (जून तक)	165	2	163

(ग) निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(1) ऊंट और ट्रैक्टर उपलब्ध करवाकर सीमा पर गश्त बढ़ा दी गई है और नाकाओं की संख्या बढ़ा दी गई है।

(2) प्रेक्षण चौकी टावर बनाए गए हैं।

(3) दूरबीनें, चश्मे, टिवन टेलिस्कोप, नाइज विजन डिवाइसिज और हाथ से पकड़ने वाली सर्चलाइटें उपलब्ध कराई गई हैं जिससे कि सीमा पर सतर्कता बढ़ सके।

(4) नदी तटीय क्षेत्रों में गश्त के लिए नावें/मोटर बोटे उपलब्ध कराई गई हैं।

(5) सीमा सुरक्षा बल के आसूचना तंत्र को सुचारू बनाया गया है ताकि सीमा पर कड़ी निगरानी रखी जा सके।

मानवाधिकार आयोग की सिफारिशें

*268. **श्री हरिन पाठक** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सरकार को सचेत किया है कि मानवाधिकर उल्लंघन के मामलों को निपटाने में विलम्ब के कारण पंजाब और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और उग्रवाद के फिर से उभरने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या आयोग ने मानवाधिकार मुद्दों के संबंध में अपनी सिफारिशें दी हैं :

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने इन सिफारिशों की जांच की है; और

(च) यदि हां, तो इन्हें लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) और (ख). राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन.एच.आर.सी.) ने अप्रैल, 1994 में पंजाब के अपने दौरे की रिपोर्ट में, अन्य बातें के साथ-साथ, इस बात का भी उल्लेख किया है कि उससे मिलने वाले अधिकांश शिष्टमण्डलों का विचार था कि आतंकवाद केवल नियंत्रित किया गया है न कि उसको पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है। उनके अनुसार, सुरक्षा बलों अथवा पुलिस द्वारा किए गए कार्यों के अलावा, आतंकवादियों द्वारा आन्दोलन के शुरू के वर्षों में उठाए गए मुद्दों को बिना समय गंवाए सुलझाने की आवश्यकता है। इसके आधार पर आयोग ने अपना मत व्यक्त करते हुए कहा कि इन मुद्दों को सुलझाए जाने में किसी प्रकार का विलम्ब, राज्य में उग्रवाद और आतंकवाद को पुनर्जीवित करने की संभावना में एक घटक हो सकता है। एन.एच.आर.सी. की यह रिपोर्ट समुचित अनुवर्ती कार्रवाई हेतु राज्य सरकार को भेज दी गई है। आयोग ने जम्मू कश्मीर के संबंध में इस तरह की कोई टिप्पणी नहीं की है।

(ग) से (च). एन.एच.आर.सी. ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट के माध्यम से मानवाधिकारों के मुद्दों पर अनेक सिफारिशें की हैं। आयोग की वर्ष 1993-94 अरैर 1994-95 की पहली दो वार्षिक रिपोर्टों को सरकार द्वारा जांच की गई तथा प्रत्येक सिफारिश पर की गई कार्रवाई के ज्ञापन सहित उन्हें संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखा गया था। आयोग द्वारा वर्ष 1995-95 की वार्षिक रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर दी गई है। इस रिपोर्ट में अन्तर्विष्ट आयोग की सिफारिशों की जांच की जा रही है। प्रत्येक सिफारिश पर की गई कार्रवाई के ज्ञापन सहित इस वार्षिक रिपोर्ट को इस चालू सत्र के दौरान दोनों सदनों के पटल पर रख दिया जाएगा।

औषधि मूल्य नियंत्रण

*269. **श्री रामचन्द्र डोम** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अद्यतन "औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश" में किन-किन प्रमुख औषधियों को मूल्य नियंत्रण से मुक्त रखा गया है;

(ख) क्या मूल्य नियंत्रित औषधियों की सूची में दर्ज औषधियों की संख्या में कमी किए जाने के कारण अनेक दवाइयों के मूल्यों में भारी वृद्धि हुई है; और

(ग) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में इस सूची पर पुनर्विचार करने का है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) मूल्य नियंत्रण के लिए औषधों का चयन "औषध नीति, 1986 में संशोधनों" मे दिए गए मानदण्ड के आधार पर किया गया है। अतः वर्ष 1989-90 के आंकड़ों के आधार पर, वे औषधें, जिनका कारोबार 400 लाख रु. या अधिक का है, जिनकी बाजार प्रतियोगिता है और वे औषधें, जिनका कारोबार 100 लाख रु. या अधिक किन्तु 400 लाख रु. से कम है, एकाधिकार स्थिति वाली है, मूल्य नियंत्रण के अधीन नहीं आती है।

(ख) डीपीसीओ, 1987 के अधीन मूल्य नियंत्रण में 142 औषधों के मुकाबले, वर्तमान में डी पी सी ओ, 1995 के अधीन मूल्य नियंत्रण में 76 औषधें हैं, तथापि इन 76 औषधों में 21 ऐसी औषधें हैं जिनका बहुत अधिक कारोबार होता था किन्तु वे पहले मूल्य नियंत्रण से बाहर थी। डी पी सी ओ, 1995 के लागू होने के पश्चात् समय-समय पर आयोजित अध्ययन बताते हैं कि दवाइयों के मूल्यों की वृद्धि सामान्य रूप से बहुत ज्यादा और असामान्य नहीं है। कुछ मामलों में मूल्यों में भी कमी हुई है।

(ग) पुनर्विचार, अद्यतन आंकड़ों, जैसा कि "औषध नीति, 1986 में संशोधनों" के पैरा 22.7.2 (5) में दिया गया है, की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

दिल्ली में पुलिस हिरासत में हुई मौतें

*270. **श्री माधवराव सिंधिया:**
श्री पिनाकी मिश्र :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सस्कार का ध्यान दिनांक 13 मई, 1996 के 'दि इंडियन एक्सप्रैस' में 'कस्टोडियल डैथ्स शूट अप इन दिल्ली' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां तो वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 में आज की तारीख तक पुलिस हिरासत में हुई मौतों की संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या कितनी है; और

(ग) दिल्ली में पुलिस हिरासत में मौत की संख्या में हो रही वृद्धि के क्या कारण हैं?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है।

क्र.सं.	संघ शासित क्षेत्र	पुलिस हिरासत में हुई मौतें			
		1993-94	1994-95	1995-96	1996-97 (30.6.96 तक)
1.	दिल्ली	2	2	5	
2.	पांडिचेरी	1			
3.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह				
4.	चंडीगढ़				
5.	दादरा और नागर हवेली				
6.	दमन और दीव				
7.	लक्षद्वीप	...	...	...	...

नोट: जैसा दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है।

(ग) पुलिस हिरासत में मौतें हमेशा दुर्भाग्यपूर्ण होती हैं। तथापि, यह आशाप्रद बात है कि चालू वर्ष के दौरान किसी भी संघ शासित क्षेत्र में ऐसी कोई भी मौतें नहीं हुई।

[हिन्दी]

भारत पाक सीमा पर गोलीबारी की घटनाएं

***271. श्री राधा मोहन सिंह :**

श्री देवी बक्स सिंह :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन माह के दौरान भारत पाक सीमा पर गोलीबारी की घटनाओं में कितने भारतीय सैनिक/नागरिक मारे गए;

(ख) भारत पाक सीमा पर गोलीबारी की कितनी घटनाएं हुई; और

(ग) गोलीबारी के मृतकों के आश्रितों को मुआवजा/वित्तीय सहायता के रूप में कितनी धनराशि उपलब्ध करायी गई?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) से (ग). पिछले तीन महीनों के दौरान राजस्थान, गुजरात और पंजाब राज्यों के साथ लगी भारत पाक सीमा पर कोई गोलीबारी नहीं हुई लेकिन जम्मू और कश्मीर की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा/नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी सेना ने 1017 बार गोलियां चलायी, जिसमें आठ सेना कार्मिक और पांच सिविलियन मारे गए। सेना के कार्मिकों को, रक्षा मंत्रालय/सेना प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित दरों पर मुआवजा/वित्तीय सहायता दी जा रही है। सिविलियनों के नजदीकी रिश्तेदारों को 1.00 लाख रुपये की अनुग्रहपूर्वक राहत दी गयी/दी जा रही है।

[अनुवाद]

अतिरिक्त रेल भूमि पर व्यावसायिक उपयोग

***272. श्रीमती वसुन्धरा राजे :**

श्री ए.सी. जोस :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा रेलवे की अतिरिक्त भूमि का व्यावसायिक उपयोग करने के संबंध में कोई कदम उठाए गए थे;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में रेलवे के पास कुल कितनी अतिरिक्त भूमि है; और

(ग) विशेषकर राजस्थान में व्यावसायीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) रेलवे के पास कोई सरप्लस भूमि नहीं है जो भूमि खाली पड़ी है उसकी आवश्यकता उन्हें अपने विकास और विस्तार तथा कार्यालयों और रेल कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों के निर्माण के लिए है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

सामाजिक वानिकी परियोजनाएं

***273. श्री रामेश्वर पाटीदार :**

श्रीमती शीला गौतम :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पिछले तीन वर्षों के दौरान कुछ राज्य सरकारों से सामाजिक वानिकी परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक की सहायता प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक मामले में कितनी-कितनी सहायता मांगी गई है;

(ग) उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें विश्व बैंक ने स्वीकृत/अस्वीकृत कर दिया है; और

(घ) शेष परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति प्रदान किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) से (घ). पिछले तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और केरल सरकार से प्राप्त व्यापक वानिकी परियोजनाएं वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए विश्व बैंक के सामने रख दी गई हैं। आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश की वानिकी परियोजनाएं क्रमशः वर्ष 1994-95 और 1995-96 से विश्व बैंक की सहायता से चलाई जा रही है। परियोजना लागत का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा विश्व बैंक की सहायता से वहन किया जा सकता है। इस वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश और केरल की वानिकी परियोजनाओं का विश्व बैंक की एम टीम द्वारा पूर्व-मूल्यांकन किया जा चुका है और इन परियोजनाओं की वर्ष 1997-98 के दौरान चलाए जाने की संभावना है। परियोजनाओं का विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	परियोजना लागत (करोड़ रु.)	परियोजना अवधि	संचालन वर्ष
1.	आंध्र प्रदेश	353.92	6 वर्ष	1994-95
2.	मध्य प्रदेश	245.94	4 वर्ष	1995-96
3.	उत्तर प्रदेश	204.00	4 वर्ष	1997-98 (प्रस्तावित)
4.	केरल	179.68	4 वर्ष	1997-98 (प्रस्तावित)

कृषि का विकास

***274. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995-96 और 1996-97 के दौरान कृषि विकास हेतु उत्तर प्रदेश में लागू की जा रही या लागू की जाने वाली केन्द्र द्वारा प्रायोजित नई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन योजनाओं पर अभी तक कितनी धनराशि आवंटित और खर्च की गई है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग को छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) से (ग). वर्ष 1995-96 के दौरान उत्तर प्रदेश मे निम्नलिखित नई योजनाएं क्रियान्वित की गई :

क्र.सं.	योजना का नाम	वर्ष 1995-96 के दौरान दी गई धनराशि (रुपये लाख में)
1.	गन्ना आधारित फसल प्रणाली का सतत विकास	810.29
2.	सुदूर/दुर्गम क्षेत्रों के लिए समेकित बीज विकास	13.02
3.	अभिज्ञात मुख्य सब्जी फसलों के प्रमाणित बीजों के उत्पादन को सरल और कारगर बनाना	8.64
	कुल	831.95

उपर्युक्त प्रस्ताव को वर्ष 1996-97 के दौरान भी जारी रखने की आशा है तथा इसके लिए राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त करने के बाद निधियां दी जाएंगी।

वर्ष 1996-97 के दौरान अन्य कोई नई योजना शुरू करने के लिए फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

उपर्युक्त योजनाएं वर्ष 1995-96 में ही शुरू की गई हैं, इसलिए अभी उनकी उपलब्धि का मूल्यांकन करना समयपूर्व बात होगी।

[अनुवाद]

तिलहन उत्पादन

***275. डॉ. टी. सुब्बारामी रेड्डी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक शोध परिषद् (एन.सी.ए.ई.आर.) ने सचेत किया है कि तिलहन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम नहीं चलाये जाने की स्थिति में तिलहन संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन के अन्तर्गत हासिल की गई आत्मनिर्भरता खतरे में पड़ सकती है;

(ख) यदि हां, तो इस परिषद् द्वारा इस संबंध में क्या मुख्य कारण बताए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने परिषद् की अध्ययन रिपोर्ट की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग को छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) से (घ). तिलहन और दलहन प्रौद्योगिकी मिशन ने राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एन.सी.ए.ई.

आर.) को न तो तिलहनों पर अध्ययन का कार्य सौंपा है और न ही राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद ने तिलहनों पर कोई विशिष्ट परियोजना पर कार्य किया है। तथापि, पालिटिकल एण्ड इकोनामिक वीकली के 30 मार्च, 1996 के अंक में प्रकाशित एक लेख सरकार की जानकारी में आया है, जिसे एन.सी.ए.ई.आर. में कार्यरत लेखकों द्वारा लिखा गया है। इसमें लेखकों ने अन्य बातों के साथ-साथ तिलहनों की पैदावार को बढ़ाने तथा प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी को सुधारने के लिए अनुसंधान और विकास का सुझाव दिया है जिसमें ऐसी नई तिलहन फसलों को आरम्भ करने की संभावना का पता लगाना भी शामिल है, जिसमें जमीन की प्रत्येक इकाई से अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में तेल तैयार किया जा सके, जैसे, उदाहरण के तौर पर 'आयल पाम'। लेखकों ने यह उल्लेख किया है कि तिलहन उत्पादन में वृद्धि मुख्यतया क्षेत्र में वृद्धि होने तथा तिलहनों में अपेक्षाकृत अधिक मूल्यों के कारण हुई है।

सरकार लेखकों की राय से पूर्णतः सहमत नहीं है, क्योंकि तिलहनों की उत्पादकता 1985-86 में 570 कि.ग्रा. प्रति हैक्टेयर से बढ़कर 1994-95 में 848 कि.ग्राम प्रति हैक्टेयर हो गई है और इस प्रकार तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि, क्षेत्र में वृद्धि के कारण तथा अनुसंधान और विकास के प्रयासों के फलस्वरूप हुई उच्च उत्पादकता और किसानों को मिले लाभप्रद मूल्यों के कारण हुई है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने इस अनुसंधान और विकास कार्यक्रम के अंग के रूप में, तिलहनों और अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना पहले ही आरंभ कर दी है और बीजों की बेहतर किस्में और बेहतर उत्पादन प्रौद्योगिकी विकसित की है। सरकार ने वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के माध्यम से कटाई पश्चात अनुसंधान और विकास तथा प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया है। सरकार देश में 'आयल पाम' की खेती को भी बढ़ावा दे रही है।

टाडा के मामलों की समीक्षा

***276. श्री जी.एम.बनातवाला :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तथा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने अपनी-अपनी रिपोर्टों में "टाडा" के मामलों की समीक्षा करने की सिफारिश की है:

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है : और

(ग) सरकार द्वारा इन पर क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) और (ख). मानवाधिकार आयोग ने, टाडा मामलों की पुनरीक्षा करने के संबंध में केन्द्र सरकार से कोई विशिष्ट सिफारिश नहीं की है। तथापि यह आयोग, गृह मंत्रालय और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ, 1995-96 से टाडा मामलों के बारे में स्थिति की पुनरीक्षा करता रहा है। वर्ष 1995-96 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में आयोग ने आग्रह किया है कि हर राज्य में गठित पुनरीक्षा समितियों की नियमित रूप से बैठकें होनी चाहिए जैसा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देश दिया गया है। तथापि, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने टाडा मामलों की पुनरीक्षा करने के बारे में कोई सिफारिश नहीं की है, हालांकि, जून 1994 में इसने टाडा अधिनियम को निरस्त करने की सिफारिश की थी।

(ग) केन्द्रीय पुनरीक्षा समिति और राज्य पुनरीक्षा समितियों द्वारा टाडा के मामलों की सावधिक पुनरीक्षा करने के अलावा केन्द्र सरकार ने, राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को समय-समय पर निर्देश जारी किए हैं कि टाडा मामलों की त्वरित जांच और अभियोजन के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए और उन्हें अपनी अभियोजन शाखाओं को सख्त निर्देश देने चाहिए कि इस प्रकार के मामलों में स्थगन आदेश प्राप्त न करे। विचारण के स्तर पर पड़े मामलों के बारे में उन्हें सलाह दी गयी है कि इनके त्वरित विचारण के लिए उपाय किए जाए। केन्द्र सरकार इस संबंध में प्रगति का गहन प्रबोधन कर रही है।

कोंकण रेल परियोजना

***277. डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :**

श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोंकण रेल परियोजना की मूलरूप से प्राक्कलित/अनुमोदित समय-सीमा क्या है और उसकी अनुमानित लागत कितनी है;

(ख) क्या इस परियोजना के पूर्ण होने में बहुत अधिक विलंब के परिणामस्वरूप इसकी लागत में भारी वृद्धि हुई है;

(ग) क्या इस रेल लाइन की अनेक सुरंगों और भागों के धंसने के परिणामस्वरूप जान-माल की भारी क्षति हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) प्रारंभ में लगाए गए अनुमान के अनुसार, कोंकण रेल परियोजना को पांच वर्ष की अवधि में, अर्थात् अक्तूबर 1995 तक पूरा किया जाना था। 1989-90 के मूल्य स्तर पर परियोजना की यथा-स्वीकृत लागत 1043 करोड़ रु. थी।

(ख) गोवा में आंदोलन, अप्रत्याशित भौगोलिक तथा अन्य तकनीकी समस्या तथा वित्तीय तंगी के कारण परियोजना में मामूली विलंब हुआ तथा इसके माल यातायात के लिए अक्तूबर 1996 तक और यात्री यातायात के लिए दिसंबर 96 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

(ग) और (घ). टनलों के ढह जाने और कटाव ढालों/तटबंधों की विफलता के कुछ मामले हुए थे। बहरहाल जिस जमीन पर इन टनलों तथा कटावों/तटबंधों का निर्माण किया गया था, वहां की

मिट्टी की प्रतिकूल स्थितियों और उस क्षेत्र में पड़ने वाली भारी वर्षा को देखते हुए ऐसी विफलताओं को रोका न जा सका। टनलों के ढह जाने के कारण कुल 19 व्यक्ति मरे ये सभी मृतक व्यक्ति टनल ठेकेदारों के लिए काम करते थे। सभी मामलों में आवश्यक अनुग्रह राशि तथा मुआवजे की व्यवस्था की गई है और कोंकण रेल निगम लि. द्वारा हर मृतक के एक आश्रित को नौकरी की पेशकश की गई है।

(ङ) परियोजना का निर्माण कार्य पूरा होने वाला है। और आशा है कि इसे माल यातायात के लिए अक्तूबर 1996 तक और यात्री यातायात के लिए दिसंबर 1996 तक खोल दिया जाएगा।

राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजनाएं

***278. श्री शरत पटनायक :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजनाओं के कार्य-निष्पादन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में उक्त परियोजनाएं संतोषजनक ढंग से नहीं चल रही हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग को छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी, हां। राष्ट्रीय, राज्य, जिला तथा ब्लाक स्तरों पर इस परियोजना के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए एक चार स्तरीय मानिटरिंग एवं समीक्षा तंत्र का प्रावधान किया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय पनधारा विकास नीति एवं कार्यान्वयन समिति, जो शीर्षस्थ निकाय है, की 18 जुलाई, 1996 को हुई बैठक तथा 18 एवं 19 जुलाई, 1996 को आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला में इस परियोजना की विस्तृत समीक्षा की गई।

(ख) और (ग). इन समीक्षाओं में यह पाया गया कि असम, बिहार, गोआ, अरूणाचल प्रदेश तथा दादरा तथा नगर हवेली में परियोजना का कार्य निष्पादन समग्र कार्यनिष्पादन की तुलना में सन्तोषजनक स्तर से कम है।

उक्त राज्यों के कार्यनिष्पादन की आवधिक गहन समीक्षाओं के आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा संबंधित राज्यों की चिन्ता व्यक्त की गई है एवं उनसे उपचारात्मक उपाय करने के लिए कहा गया है। ऐसी पहल के परिणामस्वरूप, अनेक राज्यों ने, जिनमें पहले कार्यनिष्पादन की गति धीमी थी, उल्लेखनीय सुधार किया है।

वनरोपण कार्यक्रमों में निजी क्षेत्र की भागीदारी

***279. श्री के. प्रधानी :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वनरोपण कार्यक्रमों को बढ़ावा देने हेतु निजी क्षेत्र को वन भूमि का आवंटन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) वनीकरण कार्यक्रमों के संवर्धन के लिए निजी क्षेत्र को वनभूमि आवंटित किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण

***280. श्री के.डी. सुल्तानपुरी :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे की कुल कितनी भूमि पर लोगों का अवैध कब्जा है;

(ख) क्या रेलवे ने अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध मामले दर्ज किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) रेलवे की लगभग 2500 हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण है।

(ख) जी हां।

(ग) सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के तहत 35963 मामले दायर किए गए हैं।

[अनुवाद]

दार्जिलिंग क्षेत्र

2058. श्री आर.बी. राई : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट (जी.एन.एल.एफ) ने हाल ही में दार्जिलिंग क्षेत्र के लिए संवैधानिक प्रावधान करने का मुद्दा उठाया है;

(ख) यदि हां, तो इस मुद्दे पर केन्द्र सरकार का क्या दृष्टिकोण है;

(ग) क्या सरकार ने अपने विचार से जी.एन.एल.एफ. को अवगत करा दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) श्री सुभाष घीसिंग ने गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट के अध्यक्ष के रूप में उच्चतम न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की थी जिसमें

कालिमपोंग, असम डोआर्स और बंगला डोआर्स सहित दार्जिलिंग के क्षेत्रों को एक संसदीय विधायन द्वारा भारतीय संघ में शामिल करने संबंधी निर्देश भारत सरकार को जारी करने की मांग की गई थी। उच्चतम न्यायालय ने इस याचिका को खारिज कर दिया था।

(ख) ये भारत के अभिन्न अंग हैं।

(ग) से (ङ). दिनांक 5.3.1992 को हुई एक बैठक में गृह मंत्री ने गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट के अध्यक्ष श्री सुभाष घोशिंग को इस मुद्दे की सही स्थिति से अवगत करा दिया था।

[हिन्दी]

लम्बी दूरी की रेलगाड़ियों में अनारक्षित डिब्बे

2059. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बिहार के पूर्णिया डिविजन से दिल्ली, पंजाब तथा देश के अनेक भागों में काफी संख्या में श्रमिक रेल द्वारा यात्रा करते हैं;

(ख) क्या सरकार को लम्बी दूरी की गाड़ियों में कई अनारक्षित डिब्बों की अनदेखी के फलस्वरूप इन श्रमिकों द्वारा उठाई जा रही परेशानियों की भी जानकारी है;

(ग) क्या सरकार का इन लम्बी दूरी की गाड़ियों में अनारक्षित डिब्बों की संख्या में वृद्धि करके इन गरीब श्रमिकों को कुछ राहत देने हेतु कुछ कदम उठाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां, उत्तरी बिहार से काफी संख्या में श्रमिक दिल्ली, पंजाब तथा देश के अन्य भागों में यात्रा करते हैं।

(ख) इस समय लंबी दूरी की इन गाड़ियों में दूसरे दर्जे के 2 पैसेंजर एवं सामान्य यानों के अतिरिक्त दूसरे दर्जे के 3-5 अनारक्षित सवारी डिब्बे उपलब्ध हैं।

(ग) से (ङ). छुट्टियों/शादियां/त्यौहारों/बुआई/कटाई जैसी व्यस्त अवधि के दौरान रेलें यातायात औचित्य, परिचालनिक व्यवहार्यता तथा संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए विशेष गाड़ियों की व्यवस्था करती हैं तथा गाड़ी सुविधाओं में वृद्धि करती हैं; जो कि एक सतत् प्रक्रिया है, तदनुसार इस गर्मी के दौरान जम्मू और बरौनी के बीच 21, अमृतसर और बरौनी के बीच 15 तथा दिल्ली-मुजफ्फरपुर/बरौनी के बीच 16 विशेष गाड़ियां चलाई गई थीं।

1995-96 के दौरान, पूर्णतया अनारक्षित 5209/5210 अमृतसर-बरौनी जनसेवा एक्सप्रेस चलाई गई थी तथा 1996-97 के दौरान इसके फेरे बढ़ाकर इसे सप्ताह में 2 बार के बजाय 3 बार चलाये जाने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

लाटरी व्यापार

2060. श्री माणिकराव होडल्या गावीत :
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :
श्री चन्देश पटेल :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्यों से लाटरी व्यापार पर उनके द्वारा लगाए जा रहे प्रतिबंध के संबंध में कोई सूचना मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या न्यायालयों ने कुछ राज्यों में लाटरी व्यापार को पुनः चालू करने के संबंध में कोई आदेश दिए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में प्रचलित स्थिति का एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ). दिल्ली और राजस्थान के उच्च न्यायालयों ने हाल ही में आदेश पारित किए हैं कि राज्य सरकारें उन लाटरियों की बिक्री पर प्रतिबन्ध नहीं लगा सकती है जिन्हें अन्य राज्य चलाते हों। इस संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई संबंधित राज्यों/संघ शासित क्षेत्र सरकारों द्वारा की जाती है।

विवरण

30.06.1996 की स्थिति के अनुसार, गृह मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	लाटरियों पर प्रतिबंध के बारे में स्थिति
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	सभी लाटरियों के प्रचालन पर प्रतिबंध।
2.	अरूणाचल प्रदेश	सूचना प्राप्त नहीं हुई।

1	2	3
3.	असम	अन्य राज्यों द्वारा चलायी जा रही लाटरियों पर कोई प्रतिबंध नहीं।
4.	बिहार	सूचना प्राप्त नहीं हुई।
5.	गोवा	अन्य राज्यों की लाटरियों की बिक्री पर प्रतिबंध नहीं।
6.	गुजरात	अन्य राज्यों द्वारा चलायी जा रही लाटरियों पर प्रतिबंध नहीं।
7.	हरियाणा	निजी लाटरियों पर प्रतिबंध।
8.	हिमाचल प्रदेश	अन्य राज्यों द्वारा चलायी जा रही लाटरियों पर प्रतिबंध नहीं।
9.	जम्मू और कश्मीर	लाटरी की बिक्री पर कोई प्रतिबंध नहीं।
10.	कर्नाटक	सिंगल डिजिट और इन्स्टेंट लाटरियों पर प्रतिबंध।
11.	केरल	अन्य राज्यों की लाटरियों पर प्रतिबंध नहीं।
12.	मध्य प्रदेश	सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
13.	महाराष्ट्र	तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल और कर्नाटक को छोड़कर अन्य राज्यों द्वारा चलायी जा रही लाटरियों पर प्रतिबंध।
14.	मणिपुर	सूचना प्राप्त नहीं हुई।
15.	मेघालय	लाटरी की बिक्री पर प्रतिबंध नहीं।
16.	मिजोरम	लाटरियों की बिक्री पर प्रतिबंध नहीं।
17.	नागालैंड	सूचना प्राप्त नहीं हुई।
18.	उड़ीसा	अन्य राज्यों द्वारा चलायी जा रही लाटरी पर कोई प्रतिबंध नहीं।
19.	पंजाब	सूचना प्राप्त नहीं हुई।
20.	राजस्थान	राज्य सरकार ने, अन्य राज्यों द्वारा चलायी जा रही उन लाटरियों पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिन्हें सीधे राज्य सरकार द्वारा नहीं चलाया जाता है।
21.	सिक्किम	राज्य ने सिंगिल डिजिट और प्राइवेट लाटरियों पर प्रतिबंध लगा दिया है।
22.	तमिलनाडु	अन्य राज्यों द्वारा चलायी जा रही लाटरियों पर कोई प्रतिबंध नहीं हैं।
23.	त्रिपुरा	सूचना प्राप्त नहीं हुई हैं।
24.	उत्तर प्रदेश	अन्य राज्यों द्वारा चलायी जा रही लाटरियों पर कोई प्रतिबंध नहीं।
25.	पश्चिम बंगाल	सूचना प्राप्त नहीं हुई।
26.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	प्राईवेट लाटरियों पर प्रतिबंध।
27.	चंडीगढ़	सूचना प्राप्त नहीं हुई।
28.	दादरा एवं नगर हवेली	सूचना प्राप्त नहीं हुई।
29.	दमन और द्वीव	सूचना प्राप्त नहीं हुई।
30.	दिल्ली	अन्य राज्यों द्वारा चलायी जा रही लाटरियों पर कोई प्रतिबंध नहीं।
31.	लक्षद्वीप	सूचना प्राप्त नहीं हुई।
32.	पाण्डिचेरी	लाटरी की बिक्री पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।

पटसन के लाभकारी मूल्य

2061. श्री पी.आर. दासमुंशी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में पटसन कृषकों को पटसन के लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहे हैं;

(ख) क्या पटसन कृषक इसकी खेती करने में रुचि नहीं ले रहे हैं;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप परंपरागत पटसन उद्योग नष्ट हो रहा है;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई और अध्ययन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग को छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी, हां। भारत के पटसन आयुक्त ने सूचित किया है कि असम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, बिहार तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों को कच्चे पटसन के लिए तकरीबन अच्छा मूल्य मिल रहा है।

(ख) जी, नहीं। पटसन उत्पादकों की रुचि पटसन की खेती से नहीं हट रही है। वर्ष 1992-93 से वर्ष 1995-96 के मौसमों के दौरान पटसन के अधीन क्षेत्र में कमी के कारण अधिकांशतया प्रतिकूल मौसम का प्रभाव था, न कि अलाभकारी मूल्य।

(ग) जी, नहीं। देश में पटसन की समग्र उपलब्धता, इस तथ्य को छोड़कर कि 1995-96 के मौसम में कम फसल होने के कारण मांग और आपूर्ति के बीच असामनता होने के कारण अप्रैल-जुलाई, 1996 के दौरान सामान्य कार्य प्रणाली में कुछ सीमा तक बाधा आई है, हाल ही के वर्षों में कमोवेश पटसन उद्योग को आवश्यकता के अनुरूप है।

(घ) और (ङ). सरकार द्वारा जुलाई, 1992 में सचिव (कपड़ा) की अध्यक्षता में पटसन क्षेत्र से सम्बद्ध एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया था। समिति ने नवम्बर, 1992 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। संयुक्त सचिव, कपड़ा मंत्रालय की अध्यक्षता में एक दूसरी उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया। इस समिति ने भारतीय पटसन निगम के कार्य की समीक्षा की तथा अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की। कृषि अनुसंधान व शिक्षा विभाग ने "भारत में पटसन का भविष्य" पर एक अध्ययन किया है। कृषि मंत्रालय द्वारा गठित पटसन विषयक कृतक बल द्वारा जून, 1995 में भी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। उपरोक्त के अलावा, सचिव (कपड़ा) की अध्यक्षता में एक व्यापक कार्य क्षेत्र वाली समिति ने जूट क्षेत्र से सम्बन्धित कई मामलों की जांच की तथा नवम्बर, 1995 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक

2062. श्री सनत मेहता : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "नाबार्ड" ने गुजरात सरकार को खरीफ फसल के लिए 225 के 250 करोड़ रुपये का नया ऋण देने में असमर्थता प्रकट की है क्योंकि गुजरात सरकार चूक गारंटी देने के लिए सहमत नहीं है; और

(ख) राज्य के किसानों को सहायता देने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जाने का विचार है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग को छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख). नाबार्ड ने सूचित किया है कि गुजरात राज्य सहकारी बैंक ने, सम्बद्ध जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों की ओर से, जो क्रेडिट लिमिट पाने के हकदार हैं, 1996-97 के लिए लघु अवधि (मौसमी कृषि संकाय) लिमिट की मंजूरी के लिए क्रेडिट लिमिट का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। चूंकि ये सभी आवेदन नाबार्ड अधिनियम, 1981 की धारा 21(1)1/21/3 बी के अन्तर्गत किये गये हैं, (जिसके लिए सरकार को गारन्टी की आवश्यकता नहीं होती है) इसलिए खरीफ, 1996 के दौरान ऋणों के संवितरण के लिए क्रेडिट फ्लो में सरकार की गारन्टी की समस्या आने का प्रश्न नहीं उठता। गुजरात में जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों को मंजूर की जाने वाली संभावित धनराशि 257.00 करोड़ रुपये है।

वर्ली-बान्द्रा मुक्तमार्ग (फ्री वे)

2063. श्री राम नाईक : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में वर्ली-बान्द्रा मुक्तमार्ग (फ्री वे) संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मुम्बई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण से प्राप्त पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट मांगी गई है।

राजधानी एक्सप्रेस की आवृत्ति

2064. श्री मुरलीधर जेना : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली-भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस को सप्ताह में एक दिन के बदले तीन दिन चलाने की भारी मांग है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) इस संबंध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) 2421/2422 नई दिल्ली-भुवनेश्वर (बरास्ता हावड़ा) राजधानी एक्सप्रेस की बारम्बारता में वृद्धि करने की जांच की जा रही है और इसे व्यावहारिक एवं औचित्यपूर्ण पाए जाने पर इस संबंध में कार्रवाई की जाएगी।

पर्यावरणीय क्लब

2065. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने विद्यालयों और महाविद्यालयों में पर्यावरण क्लबों और जिला एवं राज्य स्तर पर पर्यावरण संरक्षण समिति की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव दिया है।

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत क्या है और राज्य सरकार ने कितनी केन्द्रीय सहायता की मांग की है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है अथवा किए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जयनारायण प्रसाद निषाद) : (क) और (ख). केरल राज्य सरकार ने प्रथम वर्ष के लिए 1.61 करोड़ रुपये की कुल लागत तथा 61.50 लाख रुपये की आवर्ती वार्षिक अनुदान से पर्यावरणीय क्लबों, जिला पर्यावरण सुरक्षा समितियों, संचारण सामग्रियों, श्रृव्य दृश्य वाहनों, चलती फिरती प्रयोगशालाओं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी संग्रहालयों में, पर्यावरण पर स्थायी स्टाल की स्थापना, राज्य तथा जिला-स्तरीय संकट ग्रुपों का निर्माण और राज्य पर्यावरण सुरक्षा समिति सम्बन्धी "केरल में पर्यावरणीय जन जागरूकता और सहभागिता का संवर्धन" शीर्षक से एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। उन्होंने सम्पूर्ण धनराशि के लिए केन्द्रीय सहायता मांगी है। सुरक्षा समितियों के लिए प्रथम वर्ष में 58.84 लाख रुपये और बाद के वर्षों के लिए 48.84 लाख रुपये की आवर्ती वार्षिक अनुदान है।

(ग) राज्य सरकार को इस मंत्रालय के पारि-क्लबों और पर्यावरण वाहिनी स्कीमों के लिए दिशा-निर्देश दिए गए हैं और उसके अनुरूप अपने प्रस्तावों को संशोधित करने का प्रस्ताव दिया गया है। राज्य स्तरीय पर्यावरणीय सुरक्षा समिति के संबंध में उन्हें सूचित किया गया है कि ऐसी समितियों के लिए सहायता देने का कोई प्रावधान नहीं है।

डेरी उद्योग को लाइसेंस मुक्त करना

2066. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या **पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा कड़े विरोध किए जाने के बावजूद डेयरी उद्योग को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रेल फाटक

2067. श्री सौम्य रंजन : क्या **रेल मंत्री** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चौकीदार रहित और चौकीदार युक्त रेल फाटकों की जोन-वार और राज्य-वार संख्या कितनी-कितनी है, और

(ख) वर्ष 1996-97 के दौरान कितने चौकीदार रहित रेल फाटकों को चौकीदार युक्त फाटकों में बदला जायेगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) देश में समपारी (चौकीदार युक्त और बिना चौकीदार वाले) की संख्या 40848 है। राज्यवार और जोन-वार ब्यौरा इस प्रकार है :

जोन वार :

क्र.सं.	रेलवे	चौकीदार युक्त	बिना चौकीदार वाले	योग
1.	मध्य	1788	1688	3476
2.	पूर्वी	1275	1026	2301
3.	उत्तर	3218	4483	7701
4.	उत्तर पूर्व	1515	3267	4782
5.	पूर्वोत्तर सीमान्त	656	1699	2355
6.	दक्षिण	2194	2570	4764
7.	दक्षिण मध्य	1469	2108	3577
8.	दक्षिण पूर्व	1029	3720	4749
9.	पश्चिम	3012	4131	7143
	कुल योग	16156	24692	40848

राज्यवार

क्र.सं.	राज्य	चौकीदार युक्त	बिना चौकीदार वाले	योग
1.	असम	380	1045	1425
2.	आंध प्रदेश	1152	1610	2762
3.	बिहार	1337	2062	3399
4.	दिल्ली	62	7	69
5.	गुजरात	1477	2948	4425
6.	हरियाणा	550	520	1070
7.	हिमाचल प्रदेश	42	293	335
8.	जम्मू-कश्मीर	16	36	52
9.	कर्नाटक	670	1859	1729
10.	केरल	414	231	645
11.	मध्य प्रदेश	1229	1810	3039
12.	महाराष्ट्र	1139	1650	2789
13.	मणिपुर	1	1	2
14.	मिजोरम	1	1	2
15.	उड़ीसा	262	1137	1399
16.	पंजाब	769	1056	1825
17.	राजस्थान	1435	2268	3703
18.	तमिल नाडु	1257	1572	2829
19.	त्रिपुरा	1	37	38
20.	उत्तर प्रदेश	2842	3727	6569
21.	पश्चिम बंगाल	1089	1608	2697
22.	चण्डीगढ़	6	2	8
23.	पॉडिचेरी	9	9	18
24.	गोआ	14	2	16
25.	नागालैण्ड	2	1	3
	कुल योग	16156	24692	40848

(ख) राज्य सरकारों की सहायता से, जो कि मूल पूंजी निवेश करेंगी, संवेदनशील बिना चौकीदार वाले समपारों को उनकी वरीयता निर्धारित करके योजनाबद्ध तरीके से चौकीदार युक्त समपारों में परिवर्तित कर दिया जायेगा।

[हिन्दी]

रतलाम मंडल में रेल लाइन का दोहरीकरण

2068. डा. सत्य नारायण जटिया : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान मार्च, 1996 तक रतलाम रेल मंडल में बड़ी लाइन के दोहरीकरण के संबंध में क्या प्रगति हुई है तथा इन पर कितना खर्च हुआ है; और

(ख) आमान परिवर्तन के संबंध में स्थिति क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) पिछले पांच वर्षों मे रतलाम मंडल पर दोहरीकरण के कार्य पर किए गए खर्च और दोहरीकरण किए गए खंडों की स्थिति निम्नानुसार है :-

वर्ष	खंड	कि.मी.	खर्च (करोड़ रु. में)
91-92	कोई नहीं	--	17.53
92-93	माही पुल	1.50	7.70
93-94	शुजालपुर-कालापीपल	11.59	
	एवं बोलाई-अकोडिया	11.79	10.63
94-95	कोई नहीं	-	4.01
95-96	बैराहगढ़-बकानियन		
	भौरी-फांदा	16.12	
	अनास पुल	1.50	6.75
	कुल	52.50	46.62

(ख) नीमच से रतलाम तक (135.35 कि.मी.) का आमान परिवर्तन कार्य प्रगति पर है तथा इसके 9वीं योजना में पूरा हो जाने की संभावना है।

रतलाम से खंडवा तक आमान परिवर्तन हेतु सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा, अजमेर से चितौड़गढ़ तक आमान परिवर्तन की सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है तथा यह इस मंत्रालय के विचाराधीन है।

भूसंरक्षण के लिए कोष

2069. श्री विश्म्भर प्रसाद निषाद : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले को भूसंरक्षण विभाग द्वारा कुल कितनी राशि प्रदान की गई;

(ख) इस उद्देश्य हेतु किए गए कार्य का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या श्रमिकों को भुगतान किया जा चुका है; और

(घ) यदि नहीं, तो भुगतान कब तक कर दिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग को छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) मृदा संरक्षण कार्यकलापों के लिये राज्य सरकारों द्वारा दी गयी कुल धनराशि का जिलावार ब्यौरा विवरण में दर्शाया गया है।

(ख) विभिन्न मृदा संरक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत अपनायी जाने वाली प्रमुख गतिविधियां इस प्रकार हैं : समोच्च वानस्पतिक तटबन्ध बनाना, समोच्च तटबन्ध बनाना, चारागाहों का विकास करना, बागवानी विकास, वनरोपण करना, जलीय कृषि संरचनाओं का निर्माण करना, जलनिकासी नालियों का उपचार करना। इन कार्यकलापों का उद्देश्य अपरदित और कमजोर पर्यावरण व्यवस्था में पारिस्थितिकी संतुलन को बहाल करना है तथा कृषकों और ग्रामीण समुदायों के आर्थिक स्तर में सतत् वृद्धि करने के लिये कृषि पद्धतियों का विविधीकरण करना है।

(ग) श्रमिकों को भुगतान न किये जाने के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) उपर्युक्त (ग). को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

(रु. लाख में)

क्र.सं.	जिले का नाम	आवंटित धनराशि
1	2	3
1.	मेरठ	–
2.	बुलन्दशहर	22.12
3.	गाजियाबाद	16.97
4.	मुजफ्फरनगर	–
5.	सहारनपुर	7.70
6.	हरिद्वार	–
7.	बरेली	3.00
8.	बदायूं	30.70
9.	शाहजानपुर	13.00
10.	रामपुर	–
11.	पीलीभीत	–
12.	मुरादाबाद	–
13.	बिजनौर	–
14.	आगरा	92.12
15.	फिरोजाबाद	13.24
16.	अलीगढ़	10.80
17.	मथुरा	–
18.	मैनपुरी	13.02
19.	एटा	3.00
20.	फर्रूखाबाद	14.68
21.	इटावा	51.09
22.	कानपुर (नगर)	–
23.	कानपुर (देहात)	86.65
24.	झांसी	134.50
25.	जालौन	147.84
26.	ललितपुर	188.25
27.	बांदा	117.31
28.	हमीरपुर	58.84
29.	महोबा	35.20
30.	इलाहाबाद	56.37
31.	प्रतापगढ़	179.24
32.	फतेहपुर	77.04
33.	सोनभद्र	426.22
34.	मिर्जापुर	25.17
35.	लखनऊ	121.67
36.	उन्नाव	121.31
37.	सितापुर	286.28
38.	लखीमपुर	233.14
39.	रायबरेली	89.76
40.	हरदोई	43.00
41.	सुल्तानपुर	272.99
42.	फैजाबाद	16.75
43.	गोण्डा	192.99
44.	बहराईच	234.80
45.	बाराबंकी	315.50
46.	भदोई	105.54
47.	वाराणसी	16.75
48.	गाजीपुर	3.00
49.	जौनपुर	425.93
50.	गोरखपुर	–
51.	महाराजगंज	117.66
52.	मऊ	13.81
53.	बस्ती	–

1	2	3
54.	बलियां	107.26
55.	सिद्धार्थनगर	111.01
56.	देवरिया	109.70
57.	आजमगढ़	112.55
58.	उत्तरकाशी	42.28
59.	टिहरी	137.05
60.	देहरादून	38.36
61.	अल्मोड़ा	121.68
62.	नैनीताल	78.91
63.	पिथौरागढ़	99.81
64.	पौढ़ी	153.66
65.	चमोली	110.66
	कुल योग	5657.86

[अनुवाद]

क्वीलोन-मद्रास छोटी लाइन पर माल परिवहन

2070. श्री सुरेश कोडीकुनील : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने क्वीलोन-मद्रास छोटी लाइन पर माल-परिवहन की सुविधा समाप्त करने संबंधी कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या रेल अधिकारियों को इस क्षेत्र के व्यापारियों की ओर से इस निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता।

रेल उपरि पुल

2071. श्री एस. अजय कुमार : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार कितने रेल उपरि पुलों के निर्माण हेतु स्वीकृति दी गई है;

(ख) उनमें से कितने पुलों का निर्माण पूरा हो गया है;

(ग) राज्य-वार कितने रेल पुल निर्माणाधीन हैं; और

(घ) इन सभी रेल उपरिपुलों की कुल अनुमति लागत कितनी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) 32.

राज्य	पिछले तीन वर्षों में स्वीकृत ऊपरी पुलों की संख्या
मध्य प्रदेश	2
हरियाणा	2
तमिलनाडु	1
महाराष्ट्र	8
बिहार	1
उत्तर प्रदेश	5
आंध्र प्रदेश	5
पंजाब	1
नागालैंड	1
कर्नाटक	3
पश्चिम बंगाल	1
गुजरात	2
कुल	32

(ख) कोई नहीं।

(ग) और (घ). 89

राज्यवार ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

आंध्र प्रदेश	17
बिहार	3
गुजरात	5
हरियाणा	6
कर्नाटक	5
केरला	1
मध्य प्रदेश	16
महाराष्ट्र	12
नागालैंड	1
उड़ीसा	3
पंजाब	2
राजस्थान	2
तमिलनाडु	3
उत्तर प्रदेश	8
पश्चिम बंगाल	5
जोड़	89.

89 उपरी/निचले सड़क पुलों के निर्माण की स्वीकृत लागत 375. करोड़ रुपये है।

वन भूमि का आवंटन

2072. श्री राम सागर : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की वन भूमि निजी व्यक्तियों/औद्योगिक घरानों को विगत में वनरोपण के लिए पट्टे पर/समझौते पर दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन व्यक्तियों/औद्योगिक घरानों ने इस भूमि के चारों ओर चारदीवारी का निर्माण कर लिया है;

(घ) क्या नियमों के अधीन इसकी अनुमति है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा चारदीवारी को शीघ्र हटाने या पट्टे/समझौते को समाप्त करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है/ किए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

बरवाडीह से चिरमिरी तक रेल लाइन बिछाना

2073. श्री ब्रजमोहन राम : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के बरवाडीह से मध्य प्रदेश के चिरमिरी तक रेल लाइन बिछाने का कार्य ब्रिटिश शासन काल में ही शुरू हो गया था।

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की है।

(ग) क्या बरवाडीह से विश्रामपुर तक रेल लाइन बिछाने की आवश्यकता है क्योंकि विश्रामपुर से चिरमिरी तक रेल लाइन पहले ही बिछायी जा चुकी है।

(घ) क्या सरकार का विचार इस लाइन पर स्थगित कार्य को पुनः शुरू करने का है।

(ङ) यदि हां, तो यह कार्य कब तक शुरू कर दिया जाएगा और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख). जी हां ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

(ग) से (ङ). इस लाइन के पुनः स्थापना के लिए यातायात सर्वेक्षण को स्वीकृति दे दी गई है। सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही परियोजना पर आगे विचार किया जाएगा।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कुरिदयाकुट्टी करप्पाड़ा परियोजना

2074. श्री एन.एन. कृष्णादास : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल सरकार की कुरियाकुट्टी करप्पाड़ा परियोजना को पर्यावरणीय और वन संबंधी स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). केरल सरकार ने पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना को शामिल किए बिना अक्तूबर, 1990 में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु कुरियाकुट्टी करप्पाड़ा बहु-उद्देशीय परियोजना के लिए संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। आंशिक सूचना नवम्बर, 1992 में प्रस्तुत की गई। जनवरी, 1993 में राज्य सरकार से मांगी गई अतिरिक्त सूचना अभी प्राप्त होनी है।

इसी प्रकार वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के अन्तरण के संबंध में परियोजना के कमांड क्षेत्र और परियोजना में सम्मिलित वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र से संबंधित कतिपय स्पष्टीकरण अप्रैल, 1996 में मांगे गए हैं। राज्य सरकार का उत्तर अभी प्राप्त होना है।

[हिन्दी]

शिरडी की यात्रा करने वाले पर्यटकों को सुविधाएं

2075. श्री भीमराव विष्णुजी बडाडे : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोपरगांव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आने वाले अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्थल "शिरडी" की यात्रा करने वाले पर्यटकों को मंत्रालय ने कुछ सुविधाएं प्रदान की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस सुविधा में कोपरगांव से गुजरने वाली कर्नाटक एक्सपेस तथा झेलम एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में आरक्षण का कोटा शामिल है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इस कोटा को कितना बढ़ाया जा सकता है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) अनारक्षित तथा आरक्षित टिकटें जारी करने की सुविधा सहित शिरडी में रेलवे से इतर एजेन्सी कार्य पर रही है।

(ग) जी हां।

(घ) शिरडी में बाह्य एजेन्सी को आवंटित कोटा

(1) 2627 डाउन बैंगलूरू-नई दिल्ली कर्नाटक एक्सप्रेस 4 शयनयान शायिकाएं (11.8.96 से)

(2) 2628 अप नई दिल्ली-बैंगलूरू कर्नाटक एक्सप्रेस 6 शयनयान शायिकाएं

(3) 1077 डाउन पुणे- जम्मू तवी झेलम झक्सप्रेस 4 शयनयान शायिकाएं

कोपारगांव स्टेशन पर आवंटित कोटा

(1) 2627 बैंगलूरू-नई दिल्ली कर्नाटक एक्सप्रेस 4 शयनयान शायिकाएं (11.8.96 से)

(2) 2628 नई दिल्ली-बेंगलूरू कर्नाटक एक्सप्रेस 2 शयनयान शायिकाएं तथा 2 वातानुकूल 2 टियर शायिकाएं

(3) 1077 पुणे-जम्मू तवी झेलम एक्सप्रेस 4 शयनयान शायिकाएं।

शिरडी बाह्य एजेन्सी तथा कोपारगांव स्टेशन पर 2627 डाउन बैंगलूरू सिटी-नई दिल्ली कर्नाटक एक्सप्रेस से संबंधित कोटा हाल ही में आवंटित किया गया है।

[अनुवाद]

प्रतिबंधित औषधियों का आयात

2076. श्री रमेश चेन्नित्तला : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रतिबंधित औषधियों का भारत में विनिर्माण और प्रयोग किया जा रहा है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) भारत में इस प्रकार की औषधियों के प्रयोग पर प्रतिबंध न लगाने के क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) से (ग). 22-12-1995 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठन के कुछ देशों में अब तक 44 औषधों को वापस लेने की सूचना दी है। इन 44 औषधों में से 26 औषधों को भारत में बेचने की कभी मंजूरी नहीं दी गई थी। शेष औषधों में से 11 औषधों को विशेषज्ञों और आई सी एम आर जैसे विशेषज्ञीनिकायों के परामर्श से औषध नियंत्रक भारत द्वारा "चेतावनी" के साथ देश में बेचना जारी रखने की अनुमति थी।

लम्बडिंग से डिब्रूगढ़ के बीच बड़ी लाइन

2077. श्री केशव महन्त : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लम्बडिंग से डिब्रूगढ़ के बीच बड़ी लाइन के कार्य को पूरा करने के कार्य में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) इस परियोजना के कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख). लमडिंग से डिब्रगढ़ तक आमान परिवर्तन का कार्य तेजी से किया जा रहा है। संशोधित लक्ष्य अनुसूची के अनुसार कार्य को निम्नलिखित चरणों में पूरा किए जाने की योजना है।

खंड	कि.मी.	लक्ष्य
लमडिंग-दीमापुर	69	पूरा हो गया है
दीमापुर-फरकटिंग	70	पूरा हो गया है
फरकटिंग-मरियानी	38	95-96
फरकटिंग-मरियानी (लूप)	86	97-98
मरियानी-तिनसुकिया-लेखापानी	155	96-97
तिनसुकिया-डिब्रूगढ़	48	96-97

चावल अनुसंधान केन्द्र

2078. श्री उधव बर्मन : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम के बरपेटा जिले में चावल अनुसंधान केन्द्र का शिलान्यास किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके निर्माण कार्य में क्या प्रगति हुई है;

(ग) क्या अनुसंधान केन्द्र के निर्माण के कारण उस क्षेत्र से भारी संख्या में किसानों को विस्थापित करना पड़ा था; और

(घ) यदि हां, तो उनके पुनर्वास हेतु क्या कदम उठाये गये हैं/ उठाये जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग को छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) निर्माण कार्य अभी शुरू किया जाना है क्योंकि राज्य सरकार द्वारा केन्द्र के लिए भूमि अभी तक हस्तानांतरित नहीं की गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

नान्देड़-काजीगुडा के बीच बड़ी रेल लाइन

2079. श्री नारायण अठावले : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नान्देड़-काजीगुडा लाइन को बड़ी रेल-लाइन में परिवर्तित करने संबंधी सभी तथ्यों की पुनरीक्षा कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो आमान परिवर्तन का काम कब तक शुरू हो जाएगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख). कार्य को एक आमान परियोजना के अंतर्गत कार्य योजना के पहले चरण में शामिल किया गया है और इसे नौवीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया जाएगा।

[अनुवाद]

सफाई कर्मचारियों की रिक्तियां

2080. श्री सोमजी भाई डामोर : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल में सफाई कर्मचारियों की विभागवार कितनी रिक्तियां हैं; और

(ख) ये रिक्तियां कब तक भर दी जाएंगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सिहोर रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ियों का ठहराव

2081. श्री सुशील चन्द्र : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिहोर जो मध्य प्रदेश का एक जिला है, पर इंदौर तथा भोपाल के मध्य चलने वाली कुछ गाड़ियों का ठहराव नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सिहोर स्टेशन पर कम से कम ऐसी गाड़ियों को रोकने का है जो शुजालपुर पर रुकती है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां

(ख) जी नहीं

[हिन्दी]

जाखिम से गढ़वा के बीच रेल लाइन

2082. श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी रेलवे ने जाखिम से गढ़वा के बीच औरंगाबाद से होकर नई रेल लाइन बिछाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है; और

(ख) यदि हां, तो इस रेल बजट में उक्त रेलवे और लाइन के लिए कोई प्रावधान नहीं करने के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी नहीं।

(ख) संसाधनों की तंगी।

[अनुवाद]

दहेज के कारण हुई मौतें

2083. श्री बी.धर्मभिक्षम : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्ष के दौरान दहेज के कारण हुई मृत्यु तथा उत्पीड़न के राज्यवार कितने मामले दर्ज किए गए;

(ख) इस संबंध में कितने दोषी लोगों को गिरफ्तार किया गया तथा कितनों को सजा दी गयी; और

(ग) इस प्रकार की सामाजिक बुराइयों पर अंकुश लगाने हेतु क्या सुधारात्मक कदम उठाये गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) अपेक्षित सूचना सहित एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग). "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" राज्य के विषय हैं। अतः दहेज के कारण हुई मौतों इत्यादि सहित अपराध को दर्ज करना उसकी जांच करना उसका पता लगाना तथा उसकी रोकथाम करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। तथापि, केन्द्र सरकार समय-समय पर महिलाओं पर अत्याचारों के संबंध में निवारात्मक, दण्डात्मक और पुनर्वासात्मक उपाय करने के बारे में राज्य सरकारों को लिखती आ रही है।

विवरण

वर्ष 1994 और 1995 के दौरान दहेज के कारण हुई मौतों और यातनाओं (पति और उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता) की घटनाएं (राज्य व संघ शासित क्षेत्र वार)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	दहेज के कारण हुई मौतें		यातनाएं	
		1994	1995	1994	1995
1	2	3	4	5	6
राज्य					
1.	आन्ध्र प्रदेश	396	452	2295	2365
2.	अरूणाचल प्रदेश	0	1	3	1
3.	असम	13	5	293	100
4.	बिहार	296	103	483	178
5.	गोवा	0	5	16	13
6.	गुजरात	105	61	1563	1926
7.	हरियाणा	191	191	351	391
8.	हिमाचल प्रदेश	4	4	140	200
9.	जम्मू एवं कश्मीर	1	0	11	11
10.	कर्नाटक	170	273	1159	1499
11.	केरल	9	17	550	681
12.	मध्य प्रदेश	354	446	1815	2060
13.	महाराष्ट्र	519	502	7105	8208
14.	मणिपुर	0	0	1	0
15.	मेघालय	0	0	0	0
16.	मिजोरम	0	0	1	1
17.	नागालैंड	2	0	0	0
18.	उड़ीसा	169	140	361	346
19.	पंजाब	117	134	87	119
20.	राजस्थान	298	262	2277	2673
21.	सिक्किम	0	0	0	0
22.	तमिलनाडु	83	75	247	294
23.	त्रिपुरा	6	4	45	57
24.	उत्तर प्रदेश	1977	1889	3943	3227
25.	पश्चिम बंगाल	85	95	3037	3319
कुल राज्य		4795	4659	25783	27669
संघ शासित क्षेत्र					
26.	अ.एवं नि. द्वीप	1	0	3	2
27.	चण्डीगढ़	3	1	14	17

1	2	3	4	5	6
28.	दा. एवं न. हवेली	0	0	7	4
29.	दमण एवं दीव	0	0	0	0
30.	दिल्ली	132	148	136	101
31.	लक्षद्वीप	0	0	0	0
32.	पांडिचेरी	4	3	3	1
	कुल (संघ शासित क्षेत्र)	140	152	163	125
	कुल (समस्त भारत)	4935	4811	25946	27794

1995-आंकड़े अन्तिम हैं।

ठाणे में टिकट खिड़कियां

2084. श्री प्रकाश विश्वनाथ परांजपे : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ठाणे रेलवे स्टेशन की पूर्व दिशा में अतिरिक्त टिकट खिड़कियां खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हां।

(ख) थाणे स्टेशन के ढांचे में परिवर्तन से संबंधित कार्य को वर्ष 1995-96 के निर्माण कार्यक्रम में स्वीकृत किया गया है जिसके अन्तर्गत स्टेशन की पूर्वी और अतिरिक्त बुकिंग खिड़की की व्यवस्था करने का प्रावधान किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

रेल लाइन का विद्युतीकरण

2085. श्री येल्लैया नंदी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में अब तक कितनी लंबाई की रेल लाइन का विद्युतीकरण किया गया है;

(ख) कितनी लंबाई की रेल लाइन का विद्युतीकरण किया जाना शेष है तथा इसका तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) परियोजनावार रेल लाइन के लंबित विद्युतीकरण कार्य को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) 31.3.1996 तक आंध्र प्रदेश में बड़ी लाइन रेलपथ के 3952 मार्ग किलोमीटर में से 1570 मार्ग किलोमीटर (मा.कि.मी.) का विद्युतीकरण कर दिया गया है।

(ख) और (ग). शेष बड़ी लाइन रेलपथ के संबंध में स्थिति इस प्रकार है :

1. भीमाडोलु-राजामुंडी (72 मार्ग कि.मी.) और सामलकोट-अनकापल्ली (107 मार्ग कि.मी.) खंड जो कि विजयवाड़ा-विशाखापत्तनम खंड (विद्युतीकरण के लिए स्वीकृत) का भाग है, के विद्युतीकरण को 31.3.1997 तक पूरा किए जाने की योजना है, तथा खंड के शेष भाग का विद्युतीकरण 31.3.1996 से पहले कर दिया गया है।
2. रेणिगुंटा-साकीबांधा (328 मार्ग कि.मी.) खंड जो कि मद्रास-बम्बई मार्ग का भाग है, का विद्युतीकरण कार्य अनुमोदित कर दिया गया है लेकिन कार्य लंबित कर दिया गया है।

3.1 विशाखापत्तनम (कोटाकलसा) से इच्छापुरम (228 मार्ग कि.मी) खंड जो कि विशाखापत्तनम-भुवनेश्वर खंड का भाग है, के विद्युतीकरण के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

3.2 गुंतकल-इरानागल्लु खंड (85 मार्ग कि.मी.) के लिए लागत एवं व्यवहार्यता सर्वेक्षण स्वीकृत कर दिया गया है।

4. फिलहाल आंध्र प्रदेश में किसी अन्य बड़ी लाइन के विद्युतीकरण पर विचार नहीं किया जा रहा है।

बंगलादेश से आए शरणार्थी

2086. श्री दादा बाबूराव परांजपे : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बंगलादेश से मार्च 1991 से पूर्व आए चकमा तथा हाजोंग शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान करने के प्रश्न पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने शरणार्थी भारत में आए हैं; और

(ग) इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग). भारत के उच्चतम न्यायालय ने एक जनहित याचिका में अपने दिनांक 9.1.1996 के निर्णय में अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्देश दिया है कि चकमाओं द्वारा नागरिकता अधिनियम की धारा 5 के तहत भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकरण हेतु दिए गए आवेदनों को इस प्रयोजन हेतु बनाए गए रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा और इन्हें पूछताछ अथवा बगैर पूछताछ किए जैसा भी मामला हो कलैक्टर अथवा उपायुक्त द्वारा केन्द्र सरकार को विधि अनुसार विचार करने के लिए भेजा जाएगा। केन्द्र सरकार को अभी तक ऐसा कोई आवेदन/सिफारिश प्राप्त नहीं हुई है। राज्य सरकार ने उच्चतम न्यायालय के दिनांक 9.1.1996 के फैसले की पुनरीक्षा करने हेतु उच्चतम न्यायालय में आवेदन दिया है।

पूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगलादेश) में बड़े पैमाने पर हुई साम्प्रदायिक हिंसा के बाद 1964 और 1969 के बीच 14,888 चकमा/हाजोंग शरणार्थी अरूणाचल प्रदेश में बसाए गए।

भारतीय दण्ड संहिता पर मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन

2087. श्री आर.एल.पी. वर्मा :
श्री राम सागर :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 13 नवम्बर, 1992 को हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में न्यायालयों में मुकदमों के शीघ्र निपटान, जेलों का विकल्प खोजने तथा जमानत संबंधी प्रावधानों आदि को सरल बनाकर जेलों में भीड़-भाड़ को कम करने के लिए अपराध दण्ड संहिता, भारतीय दण्ड संहिता और साक्ष्य अधिनियम में संशोधन करने की सिफारिश की गई थी;

(ख) यदि हां, तो उन सिफारिशों पर क्या कार्रवाई की गई या किए जाने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसे सम्मेलन आयोजित करने का क्या फायदा है जबकि उनकी सिफारिशें लागू नहीं की जाती हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक 1994, 9 मई, 1994 को राज्यसभा में पेश किया गया था।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सीमा सुरक्षा बल के विमानों की उड़ानें

2088. श्री महेन्द्र सिंह भाटी : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994, 1995, 1996 के दौरान राजस्थान में सीमा सुरक्षा बल के विमानों द्वारा कितनी उड़ाने भरी गई; और

(ख) इन विमानों में यात्रा करने वाले व्यक्तियों उनकी यात्रा की तारीखों और यात्रा संबंधी उद्देश्यों आदि के बारे में ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) अपेक्षित सूचना इस प्रकार है।

1994	-	44
1995	-	39
1996	-	11 (जून, 1996 तक)

(ख) सीमा सुरक्षा बल के पास उपलब्ध विमानों का प्रयोग, केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों की आपरेशनल आवश्यकताओं के लिए किया जाता है। इन विमानों का प्रयोग गृह मंत्रालय के मंत्रियों तथा अधिकारियों की शासकीय प्रतिबद्धताओं के लिए भी किया जाता है। कभी-कभी ये विमान शासकीय उद्धेश्यों के लिए अन्य मंत्रियों/अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों को भी उपलब्ध कराये जाते हैं। वर्ष 1994, 1995 तथा 1996 (जून, 1996 तक) के दौरान ऐसे मंत्रियों, अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों जिन्होंने राजस्थान का दौरा करने के लिए इन विमानों का उपयोग किया, उनकी एक सूची संलग्न विवरण दी गई है।

विवरण

क्र.सं.	यात्रा की तारीख	विमान में सवार व्यक्ति
1	2	3
	1994	
1.	13.1.1994	बंगलादेश राइफल्स के महानिदेशक, मोहम्मद अनवर हुसैन के नेतृत्व में बंगलादेशी शिष्ट मंडल।
2.	4.3.1994	राज्य मंत्री (राजस्व) के साथ संसदीय शिष्ट मंडल।
3.	30.8.1994	श्री बलराम सिंह यादव राज्य मंत्री (खान)
4.	21.9.1994	हाऊस आफ कामंस के अध्यक्ष, रे हैन बेली बुतरायड के नेतृत्व में एक ब्रिटिश शिष्टमण्डल।
5.	24.9.1994	निदेशक (आसूचना ब्यूरो)

1	2	3
6.	3.12.1994	तंजानिया के उप-राष्ट्रपति श्री ए.एल. मारिमा
	1995	
1.	14.2.1995	वेतन आयोग के अध्यक्ष के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल
2.	5.4.1995	कर्नल जनरल ए.एस.निकिलेव के नेतृत्व में एक रूसी शिष्टमंडल
3.	29.6.1995	बंगलादेश राइफल्स के महानिदेशक, मेजर जनरल, ई.ए. चौधरी के नेतृत्व में बंगलादेशी शिष्टमंडल
4.	24.9.1995	नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री बूटा सिंह
5.	28.9.1995	बुल्गारिया के उप प्रधानमंत्री श्री राउमेन गेचेव
6.	30.10.1995	भारत-जर्मन परामर्शदात्री ग्रुप।
	1996	
1.	9.2.1996	दिल्ली में खराब मौसम के कारण विमान को जयपुर की तरफ मोड़ दिया गया (मरम्मत के बाद विमान को हैदराबाद से वापस लाया जा रहा है)

उत्तर प्रदेश में चुनाव

2089. प्रो. रासा सिंह रावत :
डा. मुरली मनोहर जोशी :
डा. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चुनाव आयोग से, उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव करवाने के संबंध में विचार विमर्श किया है;

(ख) यदि हां, तो चुनाव आयोग ने क्या मत व्यक्त किया है तथा चुनाव कब तक होने की संभावना है;

(ग) इन चुनावों पर सरकार का कितने धन के खर्च होने की संभावना है;

(घ) यदि चुनाव आम चुनावों के साथ-साथ करवाये जाते तो कितना धन खर्च होता; और

(ङ) आम चुनावों के साथ ये चुनाव नहीं करवाकर सरकारी कोष पर अतिरिक्त भार डालने के क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क), (ख) और (ङ). उत्तर प्रदेश में विधान सभा चुनाव करवाने के संबंध में सरकार ने भारत के निर्वाचन आयोग के साथ विचार-विमर्श किया था। केन्द्रीय बलों की उपलब्धता जैसी सुसंगत बातों पर विचार करने के पश्चात इस मामले में यथा समय निर्णय लिया जाएगा। इन्हीं बातों की जांच करने पर उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनावों को, इस वर्ष पहले हुए आम चुनावों के साथ न कराने की आवश्यकता समझी गई।

(ग) तथा (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

युद्ध विराम रेखा का अतिक्रमण

2090. श्री गुलाम रसूल कार : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बारामूला और कुपवाड़ा जिलों के उरी और वरन के ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो युद्ध विराम रेखा का अतिक्रमण करके तथाकथित आजाद कश्मीर के शरणार्थी शिविर में रह रहे हैं;

(ख) क्या सरकार इन व्यक्तियों को अपने देश वापिस आने की अनुमति प्रदान करेगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग). जम्मू एवं कश्मीर में बड़े पैमाने पर अलगाववादी एवं आतंकवादी हिंसा को बढ़ावा देने तथा उसे लगातार सहायता प्रदान करने एवं इस हिंसा को प्रायोजित करने के एक हिस्से के रूप में पाकिस्तान ने बड़ी संख्या में कश्मीरी युवकों को सीमा/नियंत्रण रेखा के पास जाने के लिए लालच देने और यहां तक कि जबरदस्ती करने की कोशिश की है और वहां खास कार्य की शिक्षा, प्रशिक्षण देकर एवं अत्याधुनिक हथियार प्रदान करके पुनः घुसपैठ कराने के प्रयास पाकिस्तान ने किए थे। तथापि, उल्लिखित क्षेत्रों से संबद्ध ऐसे लोगों जो नियंत्रण रेखा के उस पार गए हो सकते हैं और जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में शिविरों में रह रहे हैं, की ठीक-ठीक संख्या बता पाना संभव नहीं है। देश के ऐसे नागरिकों से, जब कभी भी वे लौटते हैं, विधि सम्मत प्रक्रिया के अनुरूप निपटा जाता है।

केन्द्र राज्य संबंधों पर एजेंडा-पेपर

2091. श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यों की उचित मांगों को पूरा करने के लिए केन्द्र राज्य संबंधों पर "एजेंडा-पेपर" तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस पर विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ चर्चा करने का है; और

(ग) क्या सरकार उक्त "एजेंडा-पेपर" पर लोगों की राय जानने पर भी विचार करेगी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग). इस तरह का कोई भी एजेंडा पेपर तैयार नहीं किया गया है। तथापि, यह उल्लेख किया जाता है कि इस समय अन्तर्राज्यीय परिषद, केन्द्र-राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग की सिफारशिों पर विचार कर रही है। अन्तर्राज्यीय परिषद द्वारा गठित उप-समिति ने सरकारिया आयोग द्वारा की गई 247 सिफारिशों में से अभी तक 190 सिफारिशों पर ही विचार किया है। सरकारिया आयोग की सिफारिशों की पुनरीक्षा करने तथा इन्हें अद्यतन करने हेतु सरकार का एक उच्चस्तरीय समिति नियुक्त करने का प्रस्ताव है।

रसोई गैस दिलाने वाले गिरोह का भंडाफोड़

2092. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रसोई गैस कनेक्शन और इसकी डीलरशिप दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपए ठगने वाले किसी गिरोह का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) भविष्य में ऐसी गैर-कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग). भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" राज्य के विषय हैं और इसलिए, एल.पी.जी. गैस से संबंधित गैर-कानूनी गतिविधियों संबंधी अपराधी सहित, अपराध को दर्ज करना, उसकी जांच-पड़ताल करना, पता लगाना तथा निवारण करना मुख्यतः राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है।

वन्य उत्पादों का जब्त किया जाना

2093. श्री सोहन वीर : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में किशनगंज रेलवे स्टेशन पर हाल ही में कुछ वन्य जीवों की खालों और अन्य वन्य जीव उत्पादों को जब्त किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को गत एक वर्ष के दौरान अन्य राज्यों से भी इस प्रकार की जानकारी प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध तथा भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने हेतु क्या कार्यवाही की गयी है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) और (ख). जी, हां। मुख्य वन्य जीव वार्डन, दिल्ली के कर्मचारियों ने 3 अप्रैल, 1996 को किशन गंज रेलवे स्टेशन पर तेंदुए की 11 खालों का एक पारेषण पकड़ा। यह पारेषण बहरामपुर, उड़ीसा से आया था परन्तु इस पर पारेषक अथवा परेषिती का पता लिखा हुआ नहीं था। मामले को रेलवे प्राधिकारियों और उड़ीसा में वन्य जीव प्राधिकारियों के साथ उठाया गया है।

(ग) और (घ). यह मंत्रालय सभी राज्यों द्वारा निर्मित वन्यजीव के अंगों और उत्पादों की जब्ती के ब्यौरों का मिलान और संकलन नहीं करता है। तथापि, गत एक वर्ष में कुछ राज्यों की रिपोर्ट के अनुसार महत्वपूर्ण जब्ती तथा दिल्ली, कलकत्ता, मुम्बई और मद्रास में स्थित इस मंत्रालय के क्षेत्रीय वन्य-जीव उप-निदेशकों के जरिए की गई जब्ती के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। इन मामलों के अपराधियों के खिलाफ वन्य-जीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 और अन्य संबंधित कानूनों के तहत कार्रवाई की जाती है।

(ङ) वन्यजीव उत्पादों की तस्करी को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:

1. वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूची 1 से 4 तक में सम्मिलित वन्यजीव जन्तुओं के शिकार किए जाने पर कानून द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है।
2. बाघ, हाथियों और गैंडों तथा उनके वास-स्थल की सुरक्षा और संरक्षण के विशेष उपायों को क्रियान्वित किया जा रहा है।
3. वन्य वनस्पतिजात और प्राणिजात के संरक्षण के लिए 1,48,000 वर्ग कि.मी. क्षेत्र को शामिल करके 441 वन्य जीव अभयारण्यों और 80 राष्ट्रीय उद्यानों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है। राज्य सरकारों के अनुरोध पर राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है।
4. इस मंत्रालय ने वन्य जीवन और वन्य जीव उत्पादों के अवैध व्यापार की समस्या से निपटने के लिए प्रभावी अन्तरविभागीय सहयोग और समन्वय स्थापित करने हेतु सीमा शुल्क, राजस्व आसूचना, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, पुलिस, सीमा सुरक्षा बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, रेलवे सुरक्षा बल और वैदेशिक डाकघर, ट्रैफिक इंडिया तथा वन्य जीव प्राधिकरण जैसे सभी प्रमुख प्रवर्तन संगठनों के प्रतिनिधियों को शामिल करके राष्ट्रीय समन्वय समिति का गठन किया है।

5. फरवरी और नवम्बर, 1995 में सभी प्रवर्तन अधिकरणों के लिए प्रवर्तन और वन्यजीव तथा अन्य संबंधित कानूनों तथा अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेंशनों के क्रियान्वयन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

6. वन्य जीवों के अवैध व्यापार की जब कभी सूचना मिलती है तो आवश्यक होने पर अन्य प्रवर्तन एजेंसियों के सहयोग से वन्यजीव प्राधिकारियों द्वारा छापे मारे जाते हैं।

7. भारत ने संकटापन्न वन्य वनस्पतिजात और प्राणिजा प्रजाति व्यापार के अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेंशन में हस्ताक्षर किए हैं जिसके तहत संकटापन्न प्रजातियों, उनके अंगों और उनसे निर्मित वस्तुओं के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को सख्ती से विनियमित किया जाता है।

8. वन्यजोव उत्पादों के अवैध व्यापार और तस्करी के बारे में गुप्त सूचना प्राप्त करने के लिए मुखबिरों को पुरस्कार दिए जाते हैं।

9. इस मंत्रालय द्वारा वन्यजीव और वन्यजीव उत्पादों के अवैध व्यापार से संबंधित मुद्दों की जांच करने के लिए स्थापित समिति ने इस समस्या से निपटने के लिए विशिष्ट उपायों की सिफारिश की है और इन्हें क्रियान्वयन हेतु राज्यों द्वारा अपनाया जा रहा है।

10. वन्यजीव उत्पादों के अवैध व्यापार और तस्करी को रोकने के लिए देश के प्रमुख निर्यात केन्द्रों पर वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय कार्यालय खोले गए हैं।

विवरण

1. (i) 4.5.95 को उत्तर प्रदेश वन प्राधिकारियों ने हरिद्वार रेंज से तेंदुए की तीन खालें पकड़ी थी और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था।

(ii) 28.6.95 को राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के महन्द वन रेंज में 2 व्यक्तियों से तेंदुए की दो खालें और तेंदुए की पांच किलो हड्डियां पकड़ी गई।

(iii) 6.7.95 को हरिद्वार के समीप शामपुर वन रेंज में 2 व्यक्तियों से तेंदुए की एक खाल पकड़ी गई।

2. 12.6.95 को सिलिगुड़ी (पश्चिम बंगाल) से एक मारूति वैन और दो थैलों के साथ पुलिस ने क्रमशः 432 ग्राम और 225 ग्राम वजन वाले गैंडे के दो सींग पकड़े। इस संबंध में पांच व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। इस मंत्रालय ने इस मामले को कतिपय अन्तर्राष्ट्रीय बातें शामिल होने के कारण आगे जांच करने के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरों के पास भेज दिया है।

3. 22.8.95 को प्रभागीय निदेशक वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी की मदद से उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली द्वारा संयुक्त रूप से छापा मारा गया और निम्नलिखित मदें पकड़ी गई बाघ की एक खाल, तेंदुए की एक खाल, काले हिरण की 21 खालें और काले हिरण के 2 जोड़े सींग। इस प्रतिष्ठान के मालिक को गिरफ्तार किया गया।

4. 9.10.95 को उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली और निदेशक वर्ल्ड वाइड फंड / ट्रैफिक इंडिया ने संयुक्त रूप से आगरा (उत्तर प्रदेश) में संयुक्त रूप से कार्रवाई की और बाघ की एक खाल, तेंदुए की एक खाल तथा बाघ के दस किलोग्राम और तेंदुए की पांच कि.ग्रा. हड्डियां पकड़ी। इस संबंध में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। 10.10.95 को उपर्युक्त दल ने सवाई माधोपुर (राजस्थान) में एक आपरेशन कार्यान्वित किया और तेंदुए की चार ताजी खालें, तेंदुए की 9.5 कि.ग्रा. हड्डियां और बाघ के लगभग 30-40 पंजे जब्त करने में सफल हुए। इस संबंध में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।

5. 7.11.95 को जम्मू में निटको ट्रांसपार्ट कम्पनी के ट्रक नं. एच ए-38-7457 से ढोए जा रहे बाघ की दो खालों के एक पारेषण को पकड़ा गया। इस मामले में अनुवर्ती जांच से पता चला कि पारेषक और पारेषिती के पते गलत लिखे हुए हैं।

6. 13.11.95 को लेह एयरपोर्ट में जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा तेंदुए की दस खालें पकड़ी गई। इस पारेक्षण को मजनूं का टीला के नूर मोहम्मद व्यक्ति द्वारा निटको एयर एक्सप्रेस की कुरियर एजेंसी के माध्यम से दिल्ली में बुक किया गया था। इस मामले में भी पारेषक और पारेषिती के पते गलत पाए गए।

7. उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली के अधिकारियों द्वारा दक्षिणी दिल्ली के लाजपत नगर क्षेत्र के आवासीय परिसर में 23.12.95 को छापा मारा गया और लगभग एक करोड़ रुपये मूल्य के शहतूष की 172 शालें पकड़ी गई। इस संबंध में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है।

8. 20.1.96 को पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय मुम्बई के अधिकारियों ने वादसा में छापा मारा और पेंथर की एक खाल पकड़ी। इस संबंध में तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। उसी दिन चन्द्रपुर जिले के ब्रहमपुरी कस्बे में एक और छापा मारा गया और बाघ की एक खाल पकड़ी गई। इस संबंध में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। 21.1.96 को उपर्युक्त दल ने नागपुर रेलवे स्टेशन और वर्द्धमान नगर नागपुर के एक निजी भवन में छापा मारा और रेलवे स्टेशन पर पैंथर की तीन खालें और वर्द्धमान नगर, नागपुर में पैंथर की दो खालें पकड़ी गई और इस संबंध में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

9. 14.3.96 को दिल्ली के वन्यजीव विभाग के अधिकारियों ने पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर वन्यजीव जन्तुओं की काफी

संख्या में खालें पकड़ीं। पकड़ी गई जीव-जन्तुओं से निर्मित वस्तुओं का ब्यौरा निम्नलिखित है:

सीवेट की खाल	703 अदद
गीदड़ की खाल	230 अदद
सामान्य लोमड़ी खाल	87 अदद
मरूस्थली बिल्ली की खाल	1 अदद
जंगली बिल्ली की खाल	84 अदद

मामले की जांच से पता चला कि यह पारेषण मध्य प्रदेश के डाबरा नामक स्थान से बुक किया गया था। इस पारेषण पर न तो पारेषक का और न ही पारेषती का पता था। इस मामले को रेलवे प्राधिकारियों तथा वन्यजीव प्राधिकरण मध्य प्रदेश के साथ उठाया गया है।

[अनुवाद]

सघन कपास विकास कार्यक्रम

2094. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सघन कपास विकास कार्यक्रम किन-किन राज्यों में चलाए गए हैं;

(ख) आठवीं योजना के दौरान उन राज्यों में इस कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक राज्यवार लाए गए क्षेत्र का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्यवार और वर्षवार अब तक इस कार्यक्रम के अंतर्गत क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए उन राज्यों को कितनी केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई;

(घ) उक्त कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राज्यवार कितनी वित्तीय सहायता दिए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग को छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) गहन कपास विकास कार्यक्रम संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना का क्रियान्वयन करने वाले राज्यों के नाम हैं: आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश।

(ख) और (ग). आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उपर्युक्त राज्यों के ऐसे 43 (तैंतालीस) अभिज्ञात जिलों में गहन कपास विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिनका चयन उनकी कपास के उत्पादन और उत्पादकता की क्षमता के आधार पर किया गया है। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण I में दिया गया है। कपास के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से आठवीं पंचवर्षीय योजना के पिछले चार वर्षों (1992-93 से 1995-96) के दौरान गहन कपास विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों को जारी की गई धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) चालू वर्ष अर्थात् 1996-97 के दौरान योजना के अधीन प्रस्तावित ब्यौरा इस प्रकार है:-

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	परिव्यय (भारत सरकार का हिस्सा)
1.	आन्ध्र प्रदेश	177.75
2.	गुजरात	84.36
3.	हरियाणा	97.45
4.	कर्नाटक	58.99
5.	मध्य प्रदेश	69.11
6.	महाराष्ट्र	325.54
7.	उड़ीसा	15.79
8.	पंजाब	304.57
9.	राजस्थान	128.21
10.	तमिलनाडु	187.61
11.	उत्तर प्रदेश	10.62

विवरण-I

गहन कपास विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण और प्रदर्शन के लिए अभिज्ञात किये गये जिले

राज्य	जिले
1	2
1. पंजाब	1. भटिण्डा
	2. फरीदकोट
	3. फिरोजपुर
	4. संगरूर
2. हरियाणा	1. हिसार
	2. सिरसा
3. राजस्थान	1. श्रीगंगानगर
4. मध्य प्रदेश	1. खण्डवा
	2. खारगोन (खारगोना)
	3. धार
5. गुजरात	1. बड़ौदा
	2. सुरेन्द्रनगर
	3. ब्रोच (भरूच)
	4. साबरकांठा
	5. अहमदाबाद

1	2
	6. राजकोट
	7. मेहसाना
6. महाराष्ट्र	1. अकोला
	2. धुले
	3. यवतमाल
	4. अमरावती
	5. परभणी
	6. नान्देड
	7. जलगांव
	8. जालना
	9. औरंगाबाद
	10. बुलढाणा
	11. वर्धा
	12. नागपुर
7. आन्ध्र प्रदेश	1. गुण्टूर
	2. प्रकाशम
	3. कुरनुल
	4. आदिलाबाद
8. कर्नाटक	1. धारवाड़
	2. रायचूड
	3. वेल्लारी
	4. बीजापुर
	5. बेलगाम
9. तमिल नाडु	1. मदुरई
	2. तिरूनावेल्ली
	3. रामानाथपुरम
10. उड़ीसा	1. कोरापुट
11. उत्तर प्रदेश	1. अलीगढ़
	योग : 43 जिले

विवरण – II

1992–93 से 1995–96 तक गहन कपास विकास कार्यक्रम को केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत जारी की गई धनराशि (केन्द्रीय हिस्सा) का राज्यवार व वर्षवार ब्यौरा

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	1992–93 जारी धनराशि	1993–94 जारी धनराशि	1994–95 जारी धनराशि	1995–96 जारी धनराशि
1.	आन्ध्र प्रदेश	196.55	जारी नहीं	जारी नहीं	जारी नहीं
2.	गुजरात	102.555	45.65	11.65	59.50
3.	हरियाणा	102.39	58.71	31.919	79.50
4.	कर्नाटक	45.348	24.86	59.4275	46.90
5.	मध्य प्रदेश	55.725	20.33	जारी नहीं	29.90
6.	महाराष्ट्र	174.47	71.58	81.96	313.93
7.	उड़ीसा	2.95	3.48	3.1405	11.0
8.	पंजाब	109.80	151.15	227.775	163.0
9.	राजस्थान	90.535	88.35	69.4125	108.40
10.	तमिल नाडु	73.652	200.06	300.94	176.60
11.	उत्तर प्रदेश	7.71	1.73	1.7735	8.00
योग :		961.685	665.90	1088.00	996.73

सरकारिया आयोग

2095. श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता :
श्री ई. अहमद :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारिया आयोग की सिफारिश के अनुसार राज्यों को अधिक वित्तीय अधिकार और स्वायत्ता प्रदान कर नया संघीय ढांचा तैयार करने का है;

(ख) क्या सरकार ने सरकारिया आयोग की 247 सिफारिशों को 10 अक्तूबर, 1990 को अन्तर-राज्यीय परिषद के समक्ष रखा था;

(ग) सरकार द्वारा अब तक कितनी सिफारिशों को स्वीकार और लागू किया गया है और शेष सिफारिशों के कार्यान्वयन में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(घ) आयोग और अन्तर-राज्यीय परिषद पर अब तक कुल कितना व्यय हुआ है; और

(ङ) आयोग के गठन की क्या आवश्यकता थी जबकि इसकी सिफारिशों को उचित रूप से क्रियान्वित ही नहीं किया जाता है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ङ). 10 अक्तूबर, 1990 को हुई अन्तर्राज्य परिषद की पहली बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि सरकारिया आयोग की सिफारिशों की जांच के लिए एक उप समिति बनाई जाए और इसकी रिपोर्ट, विचारार्थ परिषद के समक्ष रखी जाए। उप समिति ने अभी तक 6 बार अपनी बैठकें की हैं और सरकारिया आयोग द्वारा की गई 247 सिफारिशों में से 190 पर विचार किया। इस बारे में ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है:-

सिफारिशों की संख्या जिन पर उप समिति द्वारा विचार किया गया।

(1) संशोधन सहित/संशोधन के बिना स्वीकृत	155
(2) अस्वीकृत	24
(3) जिन पर कोई आम सहमति नहीं बनी	11
(4) आंशिक रूप से विचार किया गया	1
(5) जिन्हें अभी अंतिम रूप दिया जाना है	56
	247

जिन सिफारिशों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है वे आयोग की रिपोर्ट के अध्याय-vi (आपातकालीन उपबंध) एवं अध्याय x(वित्तीय संबंध) में निहित है।

सरकार की मंशा एक द्विमार्गी नीति का अनुसरण करने की है पहले रास्ते से, यशोचित कानून बनाकर तथा प्रशासनिक कार्रवाई के द्वारा, सरकारिया आयोग की उन सिफारिशों को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है, जिन पर पहले से ही आम सहमति है। दूसरे रास्ते से, सरकार का प्रस्ताव, सरकारिया आयोग की सिफारिशों की समीक्षा करने और उन्हें अद्यतन बनाने तथा केन्द्र सरकार से राज्य सरकारों को वित्तीय शक्तियों के हस्तांतरण के महत्वपूर्ण सवाल की जांच करने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का है।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

रबड़ की लकड़ी का उत्पादन

2096. श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कम हो रहे वन क्षेत्र के कारण लकड़ी का अभाव हो गया है;

(ख) क्या इससे रबड़ के पेड़ लगाने पर ध्यान केन्द्रित हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा देश में रबड़ की लकड़ी के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) जी, नहीं। स्टेट आफ फारेस्ट रिपोर्ट 1993 के अनुसार, देश के कुल वन क्षेत्र में 1991 के मूल्यांकन की तुलना में 1993 के मूल्यांकन के अनुसार 925 वर्ग कि. मी. तक की वृद्धि हुई है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

गो-मांस का व्यापार

2097. डा. रमेशचन्द तोमर :
श्री राधा मोहन सिंह :
श्री देवी बक्स सिंह :

क्या **पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के देहरादून में गो-मांस का अवैध व्यापार चल रहा है;

(ख) क्या राज्य के होटलों में गो-मांस भी अवैध रूप से बेचा जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त होटलों के मालिकों के खिलाफ तथा अवैध रूप से गो-मांस के व्यापार को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है।

कृषि मंत्रालय में पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) (क) से (ग). उत्तर प्रदेश सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

नए यात्री डिब्बे

2098. श्री उदयसिंह राव गायकवाड़ : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 96 में सांगली, कोल्हापुर तथा मिराज से पुणे तथा हावड़ा के बीच हाल में ही शुरू की गयी रेलगाड़ी तथा पुणे तथा अहमदाबाद के बीच की रेलगाड़ी में चिभिन्न दर्जों के कुछ यात्री डिब्बों को जोड़ने के संबंध में कोई अनुराध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस अनुरोध पर अब तक कोई कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख). मिराज, सांगली और सतारा क्षेत्रों की जनता की सेवा के लिए कोल्हापुर से कलकत्ता, वाराणसी और अहमदाबाद आदि तक थ्रू सवारी डिब्बे/सीधी गाड़ी की सेवाओं की व्यवस्था करने हेतु कुछ अभ्यावेदन फरवरी/मार्च, 96 के दौरान प्राप्त हुए हैं।

(ग) और (घ). उनकी जांच की गई लेकिन परिचालनिक और संसाधनों की तंगी के कारण इसे फिलहाल व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

बंगलादेशी शरणार्थी

2099. श्री आनन्द रत्न मौर्य : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेगें कि :

(क) क्या कनाट प्लेस क्षेत्र के आस-पास के इलाके में बंगलादेशी शरणार्थियों की संख्या बढ़ रही है;

(ख) क्या इनमें से कुछ नशीले पदार्थों की तस्करी और अन्य अपराध में संलिप्त हैं :

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन्हें निर्वासित किए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो इस कार्य को कब तक कार्यान्वित कर दिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबुल डार) : (क) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

सवारी डिब्बे में कुत्ता

2100. श्री गिरधारी लाल भार्गव :
श्री सनत कुमार मंडल:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 जुलाई, 1996 के " द टाइम्स ऑफ इंडिया" में " डाग इन पैसेंजर कोच होल्डस अप ट्रेन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ग) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है; और

(घ) सरकार द्वारा भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हां।

(ख) रेल सुरक्षा बल के "जूली" नामक एक खोजी कुत्ते को प्रजनन एवं प्रशिक्षण केंद्र दिल्ली में रिफ्रेशर कोर्स में शामिल होने के लिए दो हैंडलरों के साथ लखनऊ से दिल्ली तक की यात्रा करनी थी रेल सेवक (पास), नियम, 1986, अनुसूची I/II (विशेष पास) के उपबंधों के अनुसार, रेल सुरक्षा बल के कुत्ते हैंडलरों सहित प्रथम श्रेणी के पास के हकदार होते हैं। इसलिए रक्षकों सहित इस कुत्ते के लिए प्रथम श्रेणी का एक विशेष डयूटी पास जारी किया गया था। आरक्षण हेतु संपर्क किए जाने पर प्रधान आरक्षण एवं पूछताछ लिपिक ने दो हैंडलरों सहित इस कुत्ते के लिए 6.7.96 को गाड़ी नं. 4229 (लखनऊ मेल) की वातानुकूल द्वितीय श्रेणी का एक पुष्टि शुदा यात्रा एवं आरक्षण टिकट जारी कर दिया। कुत्ते और हैंडलरों के सवारी डिब्बे में प्रवेश करने पर यात्रियों ने रेल सुरक्षा बल के हैंडलरों से सवारी डिब्बे में कुत्ता ले जाने पर आपत्ति प्रकट की। अपर मंडल रेल प्रबंधक/लखनऊ, जो उसी गाड़ी में यात्रा कर रहे थे, ने मामले में हस्तक्षेप किया और उनके आग्रह पर श्वान हैंडलर कुत्ते को लेकर गाड़ी से उतर गए। इस घटना के परिणामस्वरूप गाड़ी को 15 मिनट अतिरिक्त रूकना पड़ा था।

(ग) मंडल सुरक्षा आयुक्त और मंडल वाणिज्य प्रबंधक/लखनऊ द्वारा एक संयुक्त जांच की गई थी। जांच के दौरान यह पाया गया कि वातानुकूल 2 टियर में कुत्ते को ले जाना निषिद्ध है और प्रधान आरक्षण एवं पूछताछ लिपिक ने कुत्ते और दो हैंडलरों के नाम पर शायिकाएं बुक करके नियमों का उल्लंघन किया था। उसे निलम्बित कर दिया गया है और उसे भारतीय रेल सम्मेलन कोचिंग दर सूची के संगत नियमों के विरुद्ध कार्य करने के लिए एक आरोप पत्र जारी किया जा रहा है। रेल सुरक्षा बल के कुत्ता हैंडलरों को भी उस श्रेणी में आरक्षण कराने के लिए जिसके लिए वे हकदार नहीं हैं और उन यात्रियों से, जिनका वातानुकूल 2 टियर डिब्बें में कुत्ते को ले जाने पर आपत्ति करना औचित्यपूर्ण था, अनावश्यक तर्क करने के लिए रेल सुरक्षा बल

नियम 1987 के नियम 158 के तहत् आरोप पत्र जारी किए गए हैं। श्वान दल के प्रभारी साहयक उप निरीक्षक के विरुद्ध भी लापरवाहीपूर्ण पर्यवेक्षण के लिए विभागीय रूप से कार्यवाई की गई है।

(घ) श्वान दल के प्रभारी अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए अनुदेश जारी कर दिए गए हैं कि भविष्य में वातानुकूल 2 टियर, वातानुकूल कुर्सीयान अथवा अन्य निषिद्ध श्रेणियों में कुत्तों को लाने ले जाने की अनुमति न दी जाए।

बुंदेलखंड क्षेत्र में रेलवे का विस्तार

2101 श्री गंगा चरण राजपूत : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बुंदेलखंड क्षेत्र में रेलवे का विस्तार करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना के कार्यान्वयन हेतू कितना समय निर्धारित किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हां।

(ख) ललितपुर-खजुराहो-सतना, महोबा-खजुराहो तथा रीवा-सिधी-सिंगरौली (491 कि. मी.) नई ब. ला. के लिए प्रारंभिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण शुरू किया गया है।

सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के पश्चात् ही इस प्रस्ताव पर आगे विचार करना संभव होगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राम जन्म भूमि

2102 श्री संतोष मोहन देव :
श्री कचरू भाऊ राउत :
श्री बीर सिंह महतो :
श्री चित्त बसु :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद संबंधी मामला संविधान के अनुच्छेद 136 (2) के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय को सोंपने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या अक्तूबर, 1996 के पूर्व उच्चतम न्यायालय का निर्णय प्राप्त होने पर उत्तर प्रदेश विधान सभा के चुनाव कराए जायेंगे; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या राज्य विधान सभा के चुनाव तब तक के लिए स्थगित कर दिए जायेंगे?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) सरकार द्वारा घोषित "साझा न्यूनतम कार्यक्रम" का एक मुद्दा, बाबरी मस्जिद-राम जन्म भूमि के विवादग्रस्त मामले को संविधान के अनुच्छेद 138 (2) के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय को सौंपना है।

(ख) और (ग) : उत्तर प्रदेश में राज्य विधान सभा के चुनाव और संविधान के अनुच्छेद 138 (2) के अन्तर्गत मामले को उच्चतम न्यायलय की सौंपना अलग-अलग मुद्दे हैं और एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं।

रेल भमि पर अतिक्रमण

2103. श्री मधुकर सर्पोतदार : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झुग्गी-झोंपड़ियों में रहने वालों ने रेल भूमि पर विशेष रूप से रेल लाइन के निकट बड़े पैमाने पर अतिक्रमण कर रखा है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे अतिक्रमण का जानेवार बयौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इन अतिक्रमणों को रोकने के लिए अब तक क्या कदम उठाए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख). जी हां 1.4.96 को रेल भूमि के अतिक्रमण का क्षेत्रवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

रेलवे	अतिक्रमणों की संख्या
मध्य	26974
पूर्व	12715
उत्तर	34289
पूर्वोत्तर	10867
पूर्वोत्तर सीमा	33645
दक्षिण	3018
दक्षिण मध्य	9057
दक्षिण पूर्व	19301
पश्चिम	14141
जोड़	164007

इनमें से 30,601 संरक्षा क्षेत्र में रेलपथ के साथ-साथ अर्थात् निकटतम रेलपथ के केन्द्र से 15 मी. (50 फीट) के अंदर हैं।

(ग) रेलवे भूमि से अतिक्रमणों का हटाया जाना सरकारी परिसर (अनधिकृत कब्जा बेदखली) अधिनियम, 1971 के प्रावधानों के अनुसार नियमित रूप से शुरू किया गया है। अब तक, इस अधिनियम के अंतर्गत 35,963 मामले दायर किए गए है।

ओटोरिक्शा चालक

2104. डा. वाई. एस. राजशेखर रेड्डी : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 जुलाई, 1996 के "द टाईम्स ऑफ इंडिया" में "ओटो रिक्शा ड्राइवर्स नीड टू बी डिसिप्लिन्ड सेज़ एच. सी. जज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है अथवा किये जाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा शुरू की गई पूर्व भुगतान टैक्सी/टी. एस. आर. योजना के खिलाफ भारतीय तिपहिया चालक संघ ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की है। समाचार के अनुसार, माननीय न्यायाधीश ने प्रार्थियों के पक्ष में यह कहते हुए अंतरिम स्थगन की अनुमति नहीं दी कि ऑटो रिक्शा चालकों को अनुशासित करने की आवश्यकता है। मुकदमें की सुनवाई 25.9.1996 को होनी तय की गई है।

त्रावणकोर उर्वरक और रसायन लिमिटेड में संकट

2105. श्री जेवियर अराकल :

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रावणकोर उर्वरक और रसायन लिमिटेड (अल्डाय) कोपरालेक्ट के आयात के कारण किसी संकट का सामना कर रहा है;

(ख) कोपरालेक्टम के घरेलू उत्पादन की अद्यतन स्थिति क्या है; और

(ग) क्या कोपरालेक्टम के उत्पादन के लिए उपयोग में लाए जाने वाले आयातित अमोनिया पर सीमा शुल्क में कमी करने का कोई प्रस्ताव है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) और (ख). केपरीलेक्टम के केवल दो स्वदेशी निर्माता हैं अर्थात फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लि. (फैक्ट) और गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कं. लिमिटेड (जी एस एफ सी)। वर्ष 1995-96 के लिए पूर्वानुमानित उत्पादन इस प्रकार है :-

(000 मी.टन)

	स्थापित क्षमता	उत्पादन 1995-96	1996-97 (अप्रैल से जून, 96) वास्तविक	पूर्वानुमानित
एफ ए सी टी	50.0	47.1	5.3	41.0
जी एस एफ सी	70.0	65.7	19.4	70.0
योग :	120.0	112.8	24.7	111.0

1996-97 के बजट में सीमाशुल्क को 45 प्रतिशत से घटाकर 3 प्रतिशत करने के प्रस्ताव से आयातों और स्वदेशी केपरोलेक्टम उद्योग में कड़ी प्रतिस्पर्धा होने की संभावना है।

(ग) केपरोलेक्टम उपयोग हेतु अमोनिया पर सीमा शुल्क में कमी करने का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

साल वन

2106. डा. अरूण कुमार शर्मा :

डा. प्रधीन चन्द्र शर्मा :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में साल वनों का राज्य-वार कुल कितना क्षेत्रफल है;

(ख) क्या पेड़ों को काटने के कारण साल वनों के क्षेत्रफल में धीरे-धीरे कमी आ रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार नए क्षेत्रों में साल पौधों के रोपण के लिए कोई विशेष उपाय करने का है;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) स्टेट ऑफ फारेस्ट रिपोर्ट, 1993 के अनुसार 1993 के मूल्यांकन के आधार पर देश का कुल वन आवरण 6,40,107 वर्ग कि.मी. है। तथापि, भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा वन क्षेत्र का प्रजाति-वार मूल्यांकन नहीं किया जाता है।

(ख) जी नहीं।

(ग) से (च). प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

डीजल लोको शेड का निर्माण

2107 **श्री शत्रघ्न प्रसाद सिंह : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड बरौनी गरहड़ा में डीजल लोको शेड बनाने की योजना पर विवार कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो यह योजना कब तक कार्यान्वित हो जाएगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात में रेल सेवाएं

2108. **श्री काशीराम राणा :**

श्री महेश कुमार एम. कनोडिया :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुराज में विशेषरूप से इसके जनजातीय क्षेत्रों में रेल सेवाओं की कमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन क्षेत्रों में अंकलेश्वर-राजपिपला, कैशम्बा-उमरपाडा और छोटा उदयपुर-बहोदरा रेल सेवाओं को पुनः शुरू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में आगामी दो वर्षों के दौरान रेल सेवाओं के सुधार के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी नहीं। 7.41 किलोमीटर के अखिल भारतीय औसत की तुलना में गुजरात में प्रति लाख की जनसंख्या के लिए 12.89 किलोमीटर रेल लाइन है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) आदिवासी क्षेत्रों सहित रेल गाड़ी सेवाओं में सुधार इन्हें शुरू करना एक सतत् प्रक्रिया है बशर्ते कि यातायात का औचित्य हो, परिचालनिक व्यावहारिकता हो तथा संसाधन उपलब्ध हों। गुजरात में प्रस्तावित अतिरिक्त गाड़ी सेवाएं इस प्रकार हैं :-

दिल्ली-अहमदाबाद मार्ग के आमान परिवर्तन के बाद अहमदाबाद-जयपुर-दिल्ली तथा अहमदाबाज-जोधपुर-बीकानेर खण्डों पर बड़ी लाइन की सेवाएं शुरू की जाएंगी। अन्रू सुविधाओं में निम्नलिखित शामिल हैं। (1) आनन्द-गोधरा एम ई एम यू सेवा (2) अहमदाबाद-मेहसाणा-आबू रोड डी एम यू/पुश पुल सेवा (3) मेहसाणा-तरंगा हिल रेल बस सेवा। (4)6045/6046 मद्रास-अहमदाबाद नव जीवन एक्सप्रेस के फेरों में वृद्धि करके इसे सप्ताह में 6 दिन की बजाय प्रतिदिन चलाना तथा 8403/8404 पुरी-अहमदाबाद को सप्ताह में एक दिन की बजाए सप्ताह में तीन दिन चलाना।

भागलपुर-क्यूल रेल लाइन का विद्युतीकरण

2109. **श्री ब्रहमानन्द मंडल : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भागलपुर-क्यूल रेल लाइन के विद्युतीकरण की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विद्युतीकरण संबंधी कार्य कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

मछुआरों के विकास संबंधी एजेंसियां

2110. **श्री द्वारका नाथ दास : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम में विशेषरूप से दक्षिणी असम में मछुआरों के विकास संबंधी एजेंसियां ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कम मछली पकड़े जाने से दक्षिणी असम में पैंतीस हजार मछुआरों के परिवारों को जीविकोपार्जन में कठिनाई का सामना करना करना पड़ा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तो स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग को छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) असम सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार दक्षिणी असम के कछार, करीमगंज तथा हैलाकांडी जिलों में स्थित मत्स्य पालक विकास एजेन्सियों सहित 23 मत्स्य पालक विकास एजेन्सियां सुचारू रूप से चल रही हैं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राज्य में पकड़ी जाने वाली मछली की मात्रा में कमी आने के संबंध में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है एवं कोई भी मछुआरा परिवार आय के संबंध में गंभीर समस्या का सामना नहीं कर रहा है। वास्तव में, मछली का उत्पादन 1993-94 में 151,646 मीटरी टन से बढ़कर 1994-95 में 153,209 मीटरी टन तथा 1995-96 में 155,065 मीटरी टन हो गया है।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बयाना पर गाड़ी का स्टाप

2111. **श्री गंगाराम कोली :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पश्चिम एक्सप्रेस का बयाना पर स्टॉप बनाने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) जांच की गई लेकिन औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया।

[अनुवाद]

गोरखपुर-हटिया एक्सप्रेस का पटरी से उलट जाना

2112. **श्री जगत वीर सिंह द्रोण :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डुमरी-जुआरा हाल्ट पर 20.5.96 को 5078 डाउन गोरखपुर-हटिया एक्सप्रेस के 13 डिब्बे पटरी से उतर गये थे;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच की गयी थी;

(ग) यदि हां, तो सत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) इस दुर्घटना की जांच अधिकारियों की एक समिति द्वारा की जा रही है और जांच समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

[हिन्दी]

भूतपूर्व मंत्रियों/सांसदों को सुरक्षा प्रदान करना

2113. **श्री हरिन पाठक :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा कितने भूतपूर्व मंत्रियों/सांसदों को उनके निवास स्थान पर सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करायी गयी है;

(ख) इस पर कितना मासिक व्यय हो रहा है;

(ग) क्या उनकी सुरक्षा व्यवस्था समाप्त की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधो ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या-क्या कारण हैं; और

(च) क्या उन्हें उनकी सुरक्षा व्यवस्था पर हो रहे व्यय का आधा भार वहन करना होगा?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) इस समय, 61 पूर्व मंत्रियों/पूर्व सांसदों को सरकार द्वारा सुरक्षा प्रदान की जा रही है।

(ख) दिल्ली पुलिस द्वारा उनकी सुरक्षा पर करीब 17.00 लाख रुपये प्रतिमाह खर्च किए जा रहे हैं।

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) और (ङ). पूर्व मंत्रियों/पूर्व सांसदों की सुरक्षा की जून 1996 में संवीक्षा की गई थी तथा जहां कहीं आवश्यक समझा गया सुरक्षा व्यवस्था हटा ली गई है। सुरक्षा व्यवस्था की समय-समय पर संवीक्षा की जाती है।

(च) जी नहीं, श्रीमान्।

खतरनाक दुर्घटनाएं

2114. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान रासायनिक उद्योगों की वृद्धि के कारण खतरनाक रसायनों से हुई दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/ किये जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) मुख्य फैक्ट्री निरीक्षक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, दिल्ली में रसायन उद्योगों में पिछले तीन वर्षों में बड़ी दुर्घटनाओं के संबंध में वृद्धि का कोई रुझान दृष्टिगोचर नहीं होता।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) परिसंकटमय रसायनों की उठाई-धराई के कारण होने वाली दुर्घटनाओं के निवारण के लिए अपेक्षित कदम 1987 में यथासंशोधित फैक्टरीज अधिनियम, 1948 की संगत धाराओं और दुर्घटनाओं के निवारण तथा मानक और पर्यावरण दोनों पर दुर्घटनाओं के प्रभावों को कम करने के उद्देश्य से पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत अधिसूचित परिसंकटमय रसायन विनिर्माण, भण्डारण और आयात नियमावली, 1989 में निर्धारित किए गए हैं। राज्य फैक्टरी निरीक्षणालय, द्वारा उद्योगों का वार्षिक निरीक्षण, हर छः महीने में आन-साइट आयात योजना के मॉक ड्रिल का आयोजन और अधिष्ठाता द्वारा जांच की रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य हैं। परिसंकटमय रसायन विनिर्माण, भण्डारण और आयात नियमावली, 1989 की एक व्यापक निर्देशिका और रसायन परिसंकट के लिए आपातकालीन तैयारी पर एक मैनुअल प्रकाशित किया गया है ताकि सम्बन्धित उद्योगों और विनियामक एजेंसियों द्वारा बेहतर अनुपालन को सुविधाजनक बनाया जा सके।

परिसंकटमय रसायनों को संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा के आधार पर परिभाषित करके इसके कार्य क्षेत्र का विस्तार करने के लिए परिसंकटमय रसायन विनिर्माण, भण्डारण और आयात नियमावली में संशोधन पर विचार-विमर्श किया जा रहा है। "रासायनिक दुर्घटनाएं (आपातकालीन आयोजना, तैयारी और प्रतिक्रिया) नियमावली, 1996" नामक नियमों के एक सैट को अन्तिम रूप दे दिया गया है। इन नियमों में देश में रासायनिक दुर्घटनाओं के प्रबंध के लिए एक 4 स्तरीय प्रणाली की संकल्पना की गई है।

विद्युत संयंत्र द्वारा प्रदूषण

2115. डा. साहेब राव सुकराम बागुल : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली तथा दूसरे आस-पास के क्षेत्र में लगे विद्युत संयंत्रों द्वारा उत्सर्जित राख पर्यावरण को प्रदूषित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) और (ख). इन्द्रप्रस्थ विद्युत स्टेशन की यूनिट-5 को छोड़ कर दिल्ली में स्थित बाकी तीनों विद्युत संयंत्र धूलकणों के बारे में निर्धारित चिमनी उत्सर्जन मानकों को पूरा कर रहे हैं।

(ग) सरकार द्वारा प्रदूषण नियंत्रण के लिए अपनाए गए उपायों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं।

(1) दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने विद्युत संयत्रों को यह सलाह दी है कि वे ज्यादा राख वाले कोयले से होने वाली समस्याओं को कम करने के लिए धुले हुए कोयले को प्रयोग करें।

(2) दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने विद्युत स्टेशनों को यह भी सलाह दी है कि वे निरन्तर रूप से चिमनियों की मानिटरिंग पद्धति अपनाएं।

(3) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 15 अप्रैल, 1996 को पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, 1986 की धारा-5 के तहत सभी तीनों विद्युत स्टेशनों को राख प्रबन्धन योजना तैयार करने, इलैक्ट्रोस्टेटिक प्रिसिपिटेटर्स और बोयलरों हेतु अन्तःपाशन प्रबन्धों की व्यवस्था, धूलकण उत्सर्जन की निगरानी आदि के लिए निदेश जारी किए हैं।

मुरादाबाद और मुम्बई के बीच रेलगाड़ी

2116 श्री सन्तोष कुमार गंगवार : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बरेली से होकर मुरादाबाद और मुम्बई के बीच एक नई सुपरफास्ट रेलगाड़ी चलाने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रगति हुई; और

(ग) इस रेलगाड़ी को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) (क) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता

[अनुवाद]

कृषि विज्ञान केन्द्र

2117. श्री राजीव प्रताप रूडी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने एस. एम. फार्म, मरहावरा सारण में एक कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार चालू वित्तीय वर्ष में इसे मंजूरी देने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण तथां औचित्य क्या है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) (क) जी, हां।

(ख) सारण, मरहावरा बीज प्रगुणन फार्म में कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने के लिए बिहार सरकार के कृषि विभाग के सचिव से दिनांक 2 फरवरी, 1996 के पत्र सं. 4/बैठक/02/95/1080/कृषि/पटना के माध्यम से एक प्रस्ताव 19 फरवरी, 1996 को प्राप्त हुआ था और उसकी पावती परिषद के दिनांक 23 फरवरी, 1996 के पत्र सं. 5 46/92- सं. प्र.I द्वारा भेज दी गई थी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) नया कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने के लिए कोष आबंटित करने का मामला योजना आयोग को प्रस्तुत किया गया था लेकिन वित्तीय मजबूरी के कारण धन उपलब्ध नहीं कराया जा सका। इसलिए, परिषद किसी नये प्रस्ताव पर विचार करने की स्थिति में नहीं है।

[हिन्दी]

भटिंडा और कांडला के बीच रेल लाइन

2118. श्री महेश कुमार एम. कनोडिया : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भटिंडा और कांडला के बीच रेल लाइन बिछाने हेतु कोई सर्वेक्षण कराया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख). भटिंडा से कांडला तक बडी लाइन के रेल मार्ग को व्यवस्था करने के लिए वर्ष 1989-90 में अध्ययन किया गया था. इस अध्ययन के आधार पर इस कार्य को वर्ष 1990-91 के बजट में शामिल किया गया था इस कार्य में लालगढ़-बीकानेर-मेड़ता रोड-जोधापुर -समवड़ी-थिलड़ी, पाटन-चाणस्मा पेचराजी और वीरमागाम का आमान परिवर्तन और भिलड़ी से पाटन तक नई लाईन का निर्माण शामिल था बाद में वर्ष 1992-93 में जब दिल्ली अहमदाबाद लाइन का आमान परिवर्तन कार्य शुरू किया गया तब वीरमगाम मेहसाणा-जोधापुर-बीकानेर-भटिंडा के रास्ते कांडला-भटिंडा रेल मार्ग को व्यवस्था करने का विनिश्चय किया गया, लालगढ़-बीकानेर-मेड़ता रोड-जोधापुर लाइन पर कार्य पूरा कर लिया गया है और जोधपुर-लूनी-सगदड़ी भिलड़ी-मेहसाणा-वीरमगाम लाइन पर कार्य प्रगति पर है और इसे चालू वित्त वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य हैं, इस कार्य के पूरा हो जाने के बाद भटिंडा से कांडला तक सीधी रेल लाईन उपलब्ध हो जाएगी।

[अनुवाद]

तिलहनों की खेती के अंतर्गत क्षेत्र

2119. डा. कृपासिन्धु भोई : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उड़ीसा में तिलहनों की खेती के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रो को बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाए गए है; और

(ग) आठवीं योजना के दौरान निर्धारित किए गए लक्ष्य तथा प्राप्त की गई उपलब्धियां क्या हैं?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) उडीसा सरकार द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर खरीफ, रबी और ग्रीष्म मौसम (कमान क्षेत्रों में सिंचित स्थितियां) में फसल प्रतिस्थापन के माधयम से मूंगफली के तहत, खरीफ में सोयाबीन के तहत तथा रबी मौसम में सरसो के तहत क्षेत्र वृद्वि कार्यक्रम तैयार किये गए हैं। क्षेत्र वृद्धि कार्यक्रम मूल रूप से फसल प्रतिस्थापन अतः फसल, बहु-फसलन तथा अलाभकारी फसलों के प्रतिस्थापन पर आधारित हैं।

(ग) क्षेत्र, लक्ष्य तथा उपलब्धियां इस प्रकार है :-

क्षेत्र '0000 हे. में

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
1992-93	1251	1092
1993-94	1220	1116
1994-95	1242	1121
1995-96	1290	1146
1996-97	1378	बुवाई का काम चल रहा है।

मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

2120. श्री एन.एस.वी. चित्थन : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) डिण्डीगुल से त्रिची तक छोटी लाईन को बड़ी लाईन में बदलने का कार्य कब तक पूरा हो जाएगा; और

(ख) इस परियोजना के लिए कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) वर्तमान सूचना के अनुसार मार्च 1998 तक।

(ख) 1996-97 तक 15.41 करोड रु.।

नागपुर रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण

2121. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नागपुर रेलवे स्टेशन् के आधुनिकीकरण की कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विगत कुछ वर्षों में नागपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का संख्या मे काफी वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो नागपुर रेलवे स्टेशन पर न्यूनतम बुनियादी सुविधा प्रदान करने के लिए क्या ठोस कदम उठाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हां।

(ख) इस वर्ष 335.50 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर प्लेटफार्मों को चौड़ा करने, अतिरिक्त विश्राम कक्षों की व्यवस्था करने, एस्केलेटरो की व्यवस्था करने, प्लेटफार्म पर सायबानों का विस्तार करने, शौचालय में सुविधाओं की वृद्धि करने, परिचालन क्षेत्र में वृद्धि और सुधार करने आदि जैसे कार्य स्वीकृत किए गए हैं।

(ग) जी नहीं

(घ) प्रश्न नहीं उठता

माल्पे मत्स्यन पत्तन-II

2122. श्री ऑस्कर फर्नान्डीज : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार से राज्य में माल्पे मत्स्यन पत्तन-II की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या इसे अनुमोदित तथा मंजूर कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसका निर्माण कब तक पूरा कर लिये जाने की संम्भावना है; और

(घ) इस परियोजना के निर्माण पर कितनी लागत आएगी?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) माल्पे चरण-II मत्स्यन बन्दरगाह प्रशासनिक अनुमोदन दिये जाने की तारीख अर्थात् 19 फरवरी, 1996 से चार वर्षों के अन्दर पूरा कर लिये जाने की योजना है।

(घ) इस परियोजना को 1196.70 लाख रु. की लागत पर मंजूरी दी गई है जिसमे भारत सरकार का 50 प्रतिशत अंश 598.35 लाख रुपये हैं।

रेलवे स्टेशन का पुनः नामकरण

2123. श्री अमर रायप्रधान : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को श्याम बाजार मेट्रो रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर "हेमंत बसु मेट्रो स्टेशन स्टेशन" रखने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल विधान सभा ने इस आशय का कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ग) यदि हां, तो इस स्टेशन का नाम कब तक बदल दिया जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (घ). पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने इस संबंध में रेल मंत्री को लिखा था। मामले की जांच की गई थी। यह प्रस्ताव इस विषय से संबंधित वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं है।

पुरस्कार देने के मानदंड

2124. श्री राम चन्द्र वीरप्पा : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पदम विभूषण तथा पदमश्री पुरस्कार देने संबंधी मानदंडों के पुनरीक्षण हेतु किसी समिति का गठन करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रकार की समितियां राज्य स्तर पर भी गठित की जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (घ). सरकार ने पदम पुरस्कार प्रदान करने संबंधी दिशा निर्देशों और कुछ अन्य पहलुओं की जांच करने के लिए एक उच्च स्तरीय पुनरीक्षा समिति पहले की गठित कर दी है। समिति की संरचना निम्न प्रकार से हैं :-

अध्यक्ष

1. भारत के उपराष्ट्रपति

सदस्य

2. मंत्रिमंडलीय सचिव
3. भारत के महा-अधिवक्ता
4. गृह सचिव
5. विदेश सचिव
6. राष्ट्रपति के सचिव
7. श्री राम निवास मिर्धा
8. प्रो. यू.आर. अनन्ता मूर्ति, अध्यक्ष, साहित्य अकादमी।
9. प्रो. (कु.) ए.एस. देसाई, अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग।
10. प्रो. एम.वाई. क्वाड्री, उप-कुलपति, कश्मीर विश्वविद्यालय
11. प्रो. यशपाल, नेशनल रिसर्च प्रोफेसर।

उच्च स्तरीय पुनरीक्षा समिति के विचारणीय विषय निम्न प्रकार हैं :—

(1) वर्तमान दिशा निर्देशों की पुनरीक्षा करना और पदम पुरस्कारों के लिए व्यक्तियों के चयन हेतु मानदण्ड निर्धारित करना (ऐसे मानदण्ड जिससे पदम पुरस्कारों के सम्मान में वृद्धि हो)।

(2) दिए जाने वाले पुरस्कारों की संख्या पर प्रतिबंध लगाना और यह सुनिश्चित करना कि पुरस्कारों की संख्या इतनी अधिक न हो जिससे पुरस्कार की गरिमा ही कम हो जाए, और

(3) यह निर्णय करना कि क्या पुरस्कार प्रति वर्ष दिए जाएं।

राज्य स्तर पर इस प्रकार की समितियां गठित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

पशुओं के चारे के लिए मानक

2125. जस्टिस गुमान मल लोढा : क्या **पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ भारतीय मानकों के अनुसार पशुओं के चारे में बूचड़खानों के अपशिष्ट पदार्थ, अस्थि चूर्ण, मत्स्य चूर्ण को मिश्रित करने की व्यवस्था है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसे समाप्त करने के संबंध में कुछ स्वयं सेवी संगठनों द्वारा कोई आपत्ति की गयी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) जी, हां। मत्स्य चूर्ण, मांस चूर्ण, रक्त चूर्ण आदि जैसे पशु मूल के अवयवों के प्रयोग के संबंध में भारतीय मानकों में ऐसे प्रावधान विधमान हैं, जो इस प्रकार हैं:

1. आई. एस. 2052 : 1979 गोपशुओं के लिए मिश्रित आहार तथा
2. आई. एस. 5560 : 1970 युवा पशुधन के लिए मिश्रित आहार।

(ख) जी, हां।

(ग) भारतीय गोपशु संसाधन विकास प्रतिष्ठान के प्रबंधा न्यासी श्री लक्ष्मी नारायण मोदी ने पशुओं पर मेड कॉउ रोग तथा अन्य हानिकारक प्रभाव के परिणाम की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त संदर्भित गोपशु आहार मानकों से पशु मूल के अवयवों को हटाने के बारे में हाल ही में पत्र भेजे हैं।

(घ) मामला सरकार के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

देहरादून से काठगोदाम के लिए रेल गाड़ी

2126. श्री बच्ची सिंह रावत "बचदा" : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बड़ी रेल लाइन होने के बावजूद देहरादून से काठगोदाम तक सीधी रेल सेवा शुरू नहीं करने के क्या कारण हैं; और

(ख) क्या सरकार का विचार लोगो की सुविधा एवं आवश्यकता को धयान में रखते हुए इस मार्ग पर सीधा रेल सेवा शुरू करने का है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख). देहरादून और काठगोदाम के बीच एक सीधी गाड़ी चलाना यातायात के औचित्य की कमी तथा परिचालनिक/संसाधनों की तंगी के कारण फिलहाल व्यावहारिक नहीं है।

पुलिस स्टेशन में महिला प्रकोष्ठ

2127. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महिलाओं पर अत्याचार को रोकने के लिए प्रत्येक जिले के सभी पुलिस स्टेशनों में महिला प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) किन-किन जिलों में ऐसे प्रकोष्ठ स्थापित नहीं किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

"नैफेड" में कथित अनियमितताएं

2128. श्री बी. एल. शर्मा : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को "नैफेड" में कथित वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या प्रारम्भिक जांचों से इन आरोपों की पुष्टि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में आगे कार्यवाही और जांच कार्य किस एजेंसी को सौंपा जा रहा है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग). प्राप्त शिकायतों की जांच की गई है और कथित अनियमितताओं की छानबीन करने के लिए जांच का कार्य वित्तीय सलाहकार, कृषि एवं सहकारिता विभाग को सौंपने का निर्णय लिया गया है।

[हिन्दी]

जमालपुर रेल कारखाने का विकास

2129. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पूर्वी रेलवे में सबसे प्राचीन कारखानों में से एक जमालपुर रेल कारखाने का जो इस समय बहुत खराब हालत में है, का विकास करने का विचार है;

(ख) क्या पहले यहां लगभग बीस हजार व्यक्ति काम करते थे और विशेष श्रेणी से तृतीय श्रेणी का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता था तथा रेलवे बोर्ड के अनेक सदस्यों को यहां प्रशिक्षण दिया गया था; और

(ग) सरकार द्वारा इस कारखाने के विकास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) 9.62 करोड़ रु. की प्रत्याशित लागत पर जमालपुर कारखाने के आधुनिकीकरण का कार्य प्रगति पर है 1996-97 के दौरान 2.85 करोड़ रु. के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है।

[अनुवाद]

होल्गी और बीजापुर के बीच आमान परिवर्तन

2130. श्री बी.आर. पाटिल : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) होल्गी-बीजापुर के बीच आमान परिवर्तन कार्य में क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या उक्त परियोजना के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करायी गयी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या आमान परिवर्तन का कार्य दिसम्बर 1996 के अंत तक पूरा हो जाएगा;

(ङ) क्या बीजापुर-गदग के बीच शेष आमान परिवर्तन का कार्य तुरन्त आरम्भ कर दिया जाएगा; और

(च) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा कितनी धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) इस परियोजना की प्रगति 87 प्रतिशत है इसे इस वित्त वर्ष के भीतर पूरा किए जाने का लक्ष्य है।

(ख) जी हां

(ग) 25.00 करोड़ रु.

(घ) कार्य इस वित्त वर्ष के भीतर पूरा किया जाएगा।

(ङ) जी हां।

(च) निश्चित की जाएगी और 1997-98 के रेल बजट मे सूचित की जाएगी।

समन्वित पनधारा प्रबंध

2131. श्री ई. अहमद : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में "बाढ़ प्रवण नदियों के जल ग्रहण क्षेत्रों में समन्वित पनधारा प्रबंधन" योजना कार्यान्वित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां पर योजना पहले ही कार्यान्वित कर दी गई है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य को कितनी केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई और इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) से (ग). जी हां, बाढ़ प्रवण नदियों के स्रवण श्रेत्रों में मृदा संरक्षण संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना का कार्यान्वयन 8 राज्यों में किया जा रहा है। विगत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार तथा वर्षवार जारी तथा अब तक उपयोग की गई धनराशि का विवरण संलग्न है।

विवरण

बाढ़ प्रवण नदियों के स्रवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण संबंधी केन्द्रीय प्रयोजित योजना के तहत विगत तीन वर्षों के दौरान जारी तथा अब तक उपयोग की गई धनराशि

(लाख रुपये)

क्र. सं.	राज्य का नाम	जारी धनराशि			अब तक उपयोग की गई धनराशि (1993-94 से 1995-96)
		1993-94	1994-95	1995-97	
1	2	3	4	5	6
1.	बिहार	303.00	शून्य	शून्य	188.88
2.	हरियाणा	17.00	90.00	138.00	197.98
3.	हिमाचल प्रदेश	386.00	307.50	219.00	926.44

1	2	3	4	5	6
4.	मध्य प्रदेश	340.00	469.00	230.00	950.24
5.	पंजाब	शून्य	50.00	50.00	50.00
6.	राजस्थान	622.00	719.00	957.00	2202.99
7.	उत्तर प्रदेश	930.00	1251.50	1445.00	3301.98
8.	पश्चिम बंगाल	92.00	103.00	101.00	215.64
	मुख्यालय	10.00	10.00	10.00	30.00
	योग	2700.00	3000.00	3150.00	8063.65

[हिन्दी]

बिहार में नई रेल लाइनें

2132. श्री राम कृपाल यादव : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौवी पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान बिहार में नई रेल लाइनें बिछाने संबधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) ब्यौरे को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है;

[अनुवाद]

उड़ीसा मे पर्यटन स्थलों को रेल से जोड़ना

2133. श्री अंचल दास : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में सभी पर्यटन स्थलो और तीर्थस्थलों को रेल से जोड़ दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ग) क्या सरकार का विचार जयपुर रोड को रेल नेटवर्क द्वारा जयपुर शहर से जोड़ने और जयपुर रोड की दक्षिण पूर्व रेलवे जोन में शामिल करने का विचार है।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, नहीं।

(ख) विभिन्न पर्यटन एवं तीर्थस्थलों को जोड़ने के लिए उड़ीसा में निम्नलिखित नई लाइनों का निर्माण किया जा रहा है :-

(1) तालचेर से सम्बलपुर
(2) दैतारी से बांसपानी
(3) खुर्दा रोड से बोलनगीर
(4) पारादीप से हरिदासपुर
(5) लांजीगढ़ से जूनागढ़ रोड

(ग) जयपुर रोड को जयपुर टाउन से रेल द्वारा जोड़ने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है.

[हिन्दी]

गौशालाएं

2134 : श्रीमती केतकी देवी सिंह : क्या **पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में गोशालाओं के विकास हेतु कोई योजना लागू की है;

(ख) क्या गोशाला समितियों को सरकार द्वारा कोई अनुदान/वित्तीय सहायता दी जा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में पशुपालन में और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) गौशालाओं के विकास के लिए योजना नहीं है। तथापि, "राष्ट्रीय सांड उत्पादन कार्यक्रम" के तहत गोपशुओं के महत्वपूर्ण स्वदेशी नस्लों के प्रजनक सांडों के उत्पादन तथा परीक्षण के लिए राज्यों के गोपशु प्रजनन फार्मों तथा चुनिन्दा गौशालाओं को सुदृढ़ करने के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना में एक केन्द्र प्रवर्तित योजना शुरु की गई है।

(ख) जी, हां 1995-96 के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार को 10 गौशालाओं के लिए 80 लाख रुपये की वित्तीय सहायता जारी की गई थी।

(ग) गौशालाओं का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

गौशाला का नाम तथा स्थान हरियाणा नस्ल की गाएं		प्रजनन योग्य मादा	उत्पादित वत्स पशुधन		उपलब्ध भूमि एकड़ में	
			मादा बछड़े	सांड बछड़े	कृषि योग्य	सिंचित
1		2	3	4	5	6
1.	रामेश्वर, काशी जीवदया विस्तारीमन गौशाला की शाखा, वाराणसी	125	75	25	55	55
2.	श्रीकृष्ण गौशाला, गाजियाबाद	102	32	14	71 एकड़ (300 बीघा के विवरण प्रतीक्षत हैं)	

1		2	3	4	5	6
3.	पंचायती गौशाला वृंदावन, मथुरा	70	35	4	150	150
4.	श्री मदबल्लभ गौशाल, गोकुल, मथुरा	60	31	5	100	100
5.	पिंजरापोल गौशाला पडरौना, देवरिया	52	38	10	100	100
6.	गोपाल गौशाला, मेरठ	52	26	9	68	40
7.	हंसानंद गौशाला, मथुरा	40	30	10	140	80
8.	नई मंडी गौशाला, मुजफ्फरनगर	32	28	20	138	138
9.	श्री पंचायती गौशाला, हापुड़, गाजियाबाद	52	8	7	230	9605
10.	बावनवीघा, काशी जीवदया विस्तारिणी गौशाला की शाखा, जिला वाराणसी	35	8	6	60.0	-
		626	311	106	-	-

[अनुवाद]

कन्याकुमारी–नई दिल्ली के बीच रेलगाड़ी चलाना

2135. श्री ए. जी. एस. रामबाबू : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कन्याकुमारी से नई दिल्ली के बीच मदुरै होकर एक सीधी रेलगाड़ी शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कब तक इसे शुरू करने का विचार है तथा तत्संबंधी ब्यारा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) परिचालनिक कठिनाइयां तथा संसाधानों की तंगी।

पारादीप फास्फेट्स लिमिटेड

2136. श्री रन्जीब बिसवाल : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारादीप फास्फेट्स लि. अपनी उत्पादन क्षमता के 50 प्रतिशत का भी उपयोग नहीं कर सका है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इसकी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए इस एकक का आधुनिकीकरण करने हेतु वित्तीय सहायता मंजूर की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) तथा (ख). गत पांच वर्षों के दौरान पारादीप फास्फेट्स लि. (पी पी एल) का क्षमता उपयोग निम्न प्रकार है

वर्ष	प्रतिशत क्षमता उपयोग
1991-92	89.1
1992-93	72.7
1993-94	53.5
1994-95	97.9
1995-96	85.2

अगस्त, 1992 में फास्फेटिक उर्वरक को नियंत्रणमुक्त किए जाने के पश्चात्, खुले बाजार में फास्फेटिक उर्वरको के मूल्यों मे तेजी से बढ़ोतरी हुई है जिससे खपत में और अन्ततः उत्पादन में कमी हुई। इसलिए 1993-94 में क्षमता उपयोग कम हो गया किन्तु बाद के वर्षों में इसमें सुधार हो गया।

(ग) और (घ). कम्पनी को संयंत्र नवीकरण/प्रतिस्थापन कार्यों के लिए धन संबंधी अपनी पूंजीगत आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ बनाने की दृष्टि से सरकार द्वारा प्लान ऋण के रूप के बजटीय सहायता के माध्यम से वर्ष 1994-95, 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान पी पी एल को दी गई वित्तीय सहायता के ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

वर्ष	(रु. करोड़ में)
1994-95	6.00
1995-96	16.00
1996-97 (बजट अनुमान)	16.00

सिलिगुड़ी में उपरिपुल

2137 श्री आर. बी. राई : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिलिगुड़ी की जनता द्वारा नगर में तथा इसके आसपास दो रेलवे उपरिपुल बनाए जाने की मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख). सिलिगुड़ी टाऊन के समीप महावीर स्थान और सिलिगुड़ी जंक्शन पर सड़क ऊपरी पुल के निर्माण हेतु जनता के प्रतिनिधियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। बहरहाल, राज्य सरकार पहुंच मार्गों के निर्माण हेतु अतिक्रमणों को हटानें तथा भूमि अधिग्रहण की कठिनाइयों के कारण सिलिगुड़ी टाऊन में सड़क ऊपरी पुल के संरेक्षण को अंतिम रूप देने में असमर्थ है सिलिगुडी जंक्शन पर सड़क ऊपरी पुल के लिए राज्य सरकार द्वारा कोई प्रस्ताव नहीं किया गया है।

नलगोंडा से माचेर्ला तक रेल लाइन

2138. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार को नलगोंडा से माचेर्ला तक नागार्जुन सागर होते हुए नई रेल लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इस प्रस्ताव पर विचार किया है;

(ग) यदि हां; तो इस मामले में केन्द्र सरकार द्वारा अंतिम स्वीकृति कब तक प्रदान कर दी जाएगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके प्रमुख कारण क्या हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां,

(ख) से (घ). इस स्तर पर इस लाइन के निर्माण पर विचार करना संसाधनों की अत्यधिक तंगी के कारण संभव नहीं पाया गया है।

रेलवे द्वारा पूंजी जुटाना

2139. श्री सनत मेहता : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995-96 तथा चालू वर्ष में रेलवे ने रेलवे बांडों के द्वारा कितनी पूंजी जुटाई; और

(ख) उक्त वर्षों के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) रेल मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड (आई आर एफ सी) बाण्ड्स के माध्यम से पूंजी जुटा रहा है वर्ष 1995-96 के दौरान भारतीय रेल वित्त निगम द्वारा जुटाई गई राशि 520.23 करोड़ रु. है। इसके अतिरिक्त, निगम ने विदेशी वाणिज्य ऋणों के माध्यम से 70 मिलियन अमरीकी डालर भी जुटाए हैं।

चालू वर्ष के लिए भारतीय रेल वित्त निगम ने धन जुटाना शुरू कर दिया है और यह निजी प्लेसमेंट के माध्यम से पहले चरण में 400 करोड़ रु. जुटाने के लिए बाजार में है जो 5 जुलाई, 1996 से शुरू हुआ है।

(ख) 1995-96 तथा 1996-97 के लिए निर्धारित लक्ष्य निम्नानुसार हैं:-

1995-96 रेलवे बजट के व्याख्यात्मक ज्ञापन में दर्शाए गये 2250 करोड़ रु. में से बोल्ट तथा अपने माल डिब्बे के स्वयं मालिक बनें योजना के 900 करोड़ रु. छोड़कर 1350 करोड़ रुपये।

1996-97 विदेशी वाणिज्य ऋणों सहित 1850 करोड़ रु.।

फसलों के लिए राज-सहायता

2140. श्रीमती वसुंधरा राजे : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बाजरा, मक्का और कुछ अन्य फसलों की खेती पर राज-सहायता देने का है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन फसलों पर राज सहायता देने का प्रस्ताव है; और

(ग) इन फसलों की खेती के लिए राजसहायता की कितनी धनराशि दिए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख). फसल प्रणाली दृष्टिकोण सहित समेकित अनाज विकास कार्यक्रम से संबद्ध चालू केन्द्रीय प्रायोजित योजना में बाजरा, ज्वार, छोटे कदन्न और अन्य अनाज फसलें, अर्थात् मक्का, गेहूं और चावल का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता की व्यवस्था की गई है। प्रमाणित बीजों, कृषि उपकरणों, फसल उत्पादन प्रौद्योगिकी पर फ्रंटलाईन प्रदर्शन, समेकित कृमि प्रबंध आदि के लिए प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

(ग) भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित फसलों हेतु कार्यक्रम में प्रौद्योगिकी अंतरण तथा उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने पर जोर दिया गया है। योजना के मुख्य घटकों पर व्यय भारत सरकार और राज्यों के बीच 75:25 आधार पर वहन किया जाता है। इस कार्यक्रम हेतु वर्ष 1996-97 के लिए लगभग 86 करोड़ रुपये की केन्द्रीय निधि आवंटित की गई है।

[हिन्दी]

सरगूजे की खेती का विकास

2141. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विदेशों में सरगूजे से मिलने वाले तेल की भारी मांग को देखते हुए सरगूजे के उत्पादन और विकास की दिशा में कोई कदम उठा रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) तथा (ख). जी हां। केन्द्रीय प्रायोजित तिलहन उत्पादन कार्यक्रम देश में सरगुजे की खेती का विकास करने के लिय आन्ध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम और मणिपुर राज्य में चलाया जा रहा है ताकि इसके उत्पादन तथा उत्पादकता में सुधार लाया जा सके। इस कार्यक्रम के अंतर्गत बीजों के उत्पादन तथा वितरण, मिनीकिटों के वितरण राइजोबियम कल्चर, जिप्सम/पाइराइट्स, उन्नत फार्म उपकरणों आदि के लिये सहायता दी जाती है। इसके अलावा, उत्पादन प्रौद्योगिकी का अन्तरण करने के लिये प्रमुख तथा सामान्य प्रदर्शन आयोजित किये जाते हैं।

इनके अलावा, राष्ट्रीय तिलहन तथा सब्जी तेल विकास बोर्ड ने भी 1993-94 से असम तथा महाराष्ट्र के गैर पारम्परिक क्षेत्रों में सरगुजे की खेती को बढ़ावा देने के लिये कार्यक्रम शुरू किये हैं।

[अनुवाद]

रेल सेवाओं का कम्प्यूटरीकरण

2142. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल सेवाओं का विशेष रूप से केरल में कितना कम्प्यूटरीकरण किया गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार केरल के अन्य भागों में भी रेल सेवाओं का कम्प्यूटरीकरण करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) कंप्यूटरीकरण यात्री आरक्षण, अनारक्षित टिकटों को जारी करना तथा आरक्षण स्थिति एवं गाड़ियों के आगमन/प्रस्थान से संबंधित पूछताछ का टेलीफोन पर उत्तर देने जैसी रेल सेवाओं में शुरू किया गया है। कंप्यूटरीकृत आरक्षण सेवाएं कतिपय सेटेलाइट स्थानों के अलावा उन सभी स्टेशनों पर मुहैया कराई गई हैं जहां प्रतिदिन के लेनदेन 300 अथवा इससे अधिक मामले हों इनमें केरल में 12 स्टेशन तथा एक सैटेलाइट स्थान शामिल है। अनारक्षित टिकटों को कंप्यूटरीकृत रूप में जारी करने का काम 55 प्रमुख स्टेशनों में शुरू किया गया है जिनमें छः स्टेशन केरल में हैं तथा आरक्षण स्थिति तथा कुछ स्टेशनों पर गाड़ियों के आगमन/प्रस्थान से जुड़ी टेलीफोन संबंधी पूछताछ का उत्तर देने के लिए इंटरएक्टिव वाइस रिस्पान्स सिस्टम की संस्थापना करके एक नई शुरुआत की गई है।

(ख) और (ग). कंप्यूटरीकृत सेवाओं का विस्तार करना एक सतत् प्रक्रिया है। 1996-97 की वार्षिक योजना में अलेप्पी पर कंप्यूटरीकृत आरक्षण सुविधाएं मुहैया कराने तथा कोल्लम, चेंगन्नूर, कोट्टयम, एर्णाकुलम नार्थ, अलवै, त्रिचूर, गुरवायूर, शोरूवण्णूर, त्रिरूर तथा तेल्लिचेरी पर अनारक्षित टिकटों को कंप्यूटरीकृत रूप में जारी करने की सुविधाएं मुहैया कराने का प्रस्ताव है।

रेलगाड़ियों का लूटा जाना

2143. श्री सौम्य रंजन : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान खाद्यान्न ले जा रही कितनी रेल गाड़ियां लूट ली गई; और

(ख) भविष्य में ऐसी घटनाओं को राकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) गत दो वर्षों के दौरान खाद्यान्न ले जा रही लूटी गई रेलगाड़ियों की संख्या नीचे लिखे अनुसार है:-

वर्ष	लूटी गई गाड़ियों की संख्या
1994-95	3
1995-96	10

(ख) ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:-

1. भेदय खंड़ों में खाद्यान्न ले जा रही रेलगाड़ियों को यथा संभव संरक्षण प्रदान किया जा रहा है।
2. यार्डों तथा अन्य प्रभावित क्षेत्रों/खंड़ों में गहन गश्त लगाना।
3. खाद्यान्न ले जा रहे मालडिब्बों/सीलों की स्थिति का जायजा लेने के लिए अन्तर्बदल स्थलों पर संयुक्त जांच।
4. भेद्य खंडों में जहां तक संभव हो, सशस्त्र रेल सुरक्षा बल की टुकड़ियां तैनात की जाती हैं।
5. आपराधिक आसूचना के आधार पर अपराधियों/चुराई गई संपत्ति के प्राप्तकर्ताओं के अड्डों पर उनको सबक

सिखाने के लिए छापे मारे जाते हैं तथा खोजबीन की जाती है।

6. अपराधियों और चुराई गई संपत्ति के प्राप्तकर्ताओं को पकड़ने के लिए विभिन्न स्तरों पर रे.सु.ब., रा.रे.पु. तथा स्थानीय पुलिस के बीच निकट समन्वय बनाए रखा जाता है।

[हिन्दी]

नदियों के किनारे पेड़-पौधे लगाना

2144. डा. सत्यनारायण जटिया : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की भू-क्षरण रोकने हेतु नदियों के किनारे पेड़-पौधे लगाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष नदी-वार इस कार्य पर कितना व्यय किया गया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) से (ग). राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अन्तर्गत यमुना कार्य योजना और गोमती कार्य योजना के अधीन कार्य योजनाओं में शामिल नगरों में नदियों के किनारे वनरोपण के लिए प्रावधान रखा गया है। संबंधित राज्य सरकारें वनरोपण के बारे में विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार कर रही हैं। नदी कार्य योजना के अन्तर्गत वनरोपण के लिए अभी तक कोई राशि खर्च नहीं की गई है।

रेल लाइन का विद्युतीकरण

2145. श्री ब्रज मोहन राम : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में बरकाकाना से डेहरी आम सौन के बीच रेल लाइन के विद्युतीकरण का कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है;

(ख) इस पर कुल कितना व्यय किए जाने की संभावना है; और

(ग) इस परियोजना की शुरू में अनुमानित लागत कितनी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) देहरी-ऑन-सोन से सोन नगर खंड पहले से ही विद्युतीकृत है। सोन नगर तथा बरकाकाना के बीच रेल लाइन के विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है तथा इसके मार्च, 98 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

(ख) लगभग 180 करोड़ रुपये।

(ग) 1991 के मूल्य स्तर पर लगभग 103 करोड़ रुपये।

[अनुवाद]

क्षयकारक गैसों का उत्सर्जन

2146. श्री केशव महन्त : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुवाहाटी में सल्फर डायोक्साइड, नाइट्रोजन-आक्साइड और कार्बन-डाई-आक्साइड जैसी गैसों का कितना जमाव है;

(ख) गुवाहाटी में वायु प्रदूषकों से संरक्षण स्तरों को निर्धारित करने के लिए कौन सी कार्यविधि अपनाई जा रही है;

(ग) इन क्षयकारक गैसों में नूनमाटी तेल शोधक कारखाने द्वारा उत्सर्जित गैसों का योगदान कितना है; और

(घ) नूनमाटी तेल शोधक कारखाने से क्षयकारक उत्सर्जन को कम करने के लिए कौन सी प्रदूषण नियंत्रण प्रौद्योगिकी अपनाए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) गुवाहाटी में सल्फर डाई आक्साइड और नाइट्रोजन के आक्साइडों के परिवेशी संकेन्द्रण क्रमशः 10 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर और 40 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर से नीचे पाए गए जो निर्धारित मानकों से काफी कम हैं। कार्बन डाई आक्साइड मापदंड प्रदूषक तत्व नहीं है और इस प्रकार इनकी मॉनिटरी नहीं की जा रही है।

(ख) वास्तविक वायु गुणवत्ता की मॉनिटरी निर्दिष्ट प्रदूषकों के विद्यमान स्तरों को निर्धारित करने के लिए की जाती है।

(ग) यह तेल शोधक कारखाना निर्धारित उत्सर्जन मानकों का अनुपालन कर रहा है। तेल शोधक कारखाने के समीप परिवेशी वायु गुणवत्ता के आंकड़े निर्धारित मानकों से काफी कम हैं।

(घ) तेल शोधक कारखाने के पर्याप्त प्रदूषण नियंत्रण उपायों की व्यवस्था पहले ही कर ली है और किसी अतिरिक्त उपाय का किया जाना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है।

वेगनों की आपूर्ति

2147. श्री सोमजी भाई डामोर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान पश्चिम रेलवे के रतलाम और बड़ोदरा डिवीजनों में "वैगनों" की कम आपूर्ति की गयी थी;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप रेलवे को कितना नुकसान हुआ है; और

(ग) उक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख). पश्चिम रेल के रतलाम तथा वडोदरा मंडलों में 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान पंजीकृत वैध मांगपत्रों तथा वर्ष की समाप्ति पर बकाया मांगपत्रों की तुलना में लादे गए मालडिब्बों के ब्यौरे नीचे प्रस्तुत किए गए हैं:-

मंडल		वर्ष के दौरान कुल वैध मांगपत्र	वर्ष के दौरान माल डिब्बों में लदान	वर्ष की समाप्ति पर बकाया मांग पत्र
रतलाम	1994-95	120066	107759	12307
	1995-96	87766	81171	6596
वडोदरा	1994-95	700499	680178	20321
	1995-96	736048	693379	42669

(ग) पश्चिम रेल ने बकाया मांगपत्रों को पूरा करने के उपाय किए हैं, जिसके परिणामस्वरूप, 26.7.1996 को रतलाम मंडल में कोई मांगपत्र लम्बित नहीं है तथा वडोदरा मंडल में लम्बित मांगपत्रों की संख्या घटकर 33244 हो गई है।

रेल उपरी पुल

2148. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य-वार और जोन-वार कितने रेल उपरी पुल निर्माणाधीन हैं;

(ख) इन उपरी पुलों का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा और ऐसे प्रत्येक की कुल अनुमानित लागत कितनी है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उपरी पुलों के निर्माण के लिए नए प्रस्ताव भेजे गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ). लागत में हिस्सा वहन करने के आधार पर।

(1) भुसावल-खंडवा खंड पर निम्बोला पर कि.मी. 505/12-13 पर समपार सं. 175 के बदले ऊपरी सड़क पुल।

इसे रेलों के 1996-97 के निर्माण कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है तथा बजट पारित हो जाने पर इसे स्वीकृत माना जाएगा।

(2) चुचियापाड़ा-बिलासपुर में "ए" श्रेणी के समपार के बदले ऊपरी सड़क पुल/रेलों के 1996-97 के निर्माण कार्यक्रम में शामिल किया गया है तथा संसद द्वारा 1996-97 का रेल बजट पारित कर दिए जाने के बाद इसे स्वीकृत माना जाएगा।

(3) बीना-कटनी खंड के सागर में कि.मी., 1048/4-5 पर समपार सं. 23-ए के बदले ऊपरी सड़क पुल।

इस कार्य को रेलों के 1997-98 के निर्माण कार्यक्रम में शामिल करने के बारे में विचार किया जा रहा है।

"निक्षेप" शर्तों पर :

(1) जबलपुर-इलाहाबाद खंड के कि.मी., 1142/14-15 पर मैहर में ऊपरी सड़क पुल।

सामान्य व्यवस्था आरेख अगस्त, 1994 में लोक निर्माण विभाग, मध्य प्रदेश को प्रस्तुत किया गया था। रेलों के अनुस्मारकों के बावजूद लोक निर्माण विभाग का अनुमोदन अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

(2) इटारसी-भोपाल खंड पर कि.मी., 829/6-8 पर हबीबगंज में ऊपरी सड़क पुल।

रेलों के अनुस्मारकों के बावजूद राज्य सरकार ने अभी तक नक्शे और अनुमान प्रभार जमा नहीं कराया है।

विवरण

रेलवे	राज्य	कार्य का ब्यौरा	अनुमानित लागत (लाख रुपयों में)	कार्य पूरा होने की संभावित तारीख
1	2	3	4	5
मध्य	मध्य प्रदेश	इटारसी के निकट समपार संख्या 1 तथा 225 के बदले ऊपरी सड़क पुल	490.00	दिसम्बर, 96
	"	होशंगाबाद में समपार संख्या 232-ए के बदले ऊपरी सड़क पुल	377.00	30.6.1997

1	2	3	4	5
	मध्य प्रदेश	कांडवा में ऊपरी सड़क पुल	381.00	30.6.97
	"	सतना-कोतवाली में समपार संख्या 186-ए के बदले ऊपरी सड़क पुल	525.00	निर्धारित नहीं
	"	बिरना नगर में समपार संख्या 425 के बदले ऊपरी सड़क पुल	525.00	जून, 1997
	हरियाणा	बल्लभगढ़ में समपार संख्या 575 के बदले ऊपरी सड़क पुल	462.00	अभी निर्धारित नहीं
	हरियाणा	फरीदाबाद में समपार संख्या 578 के बदले ऊपरी सड़क पुल	448.00	कार्य चालू किया गया।
	"	फरीदाबाद में समपार संख्या 577-ए के बदले ऊपरी सड़क पुल	425.00	अभी निर्धारित नहीं
	महाराष्ट्र	बोरखेडी में समपार संख्या 107 के बदले उपरि सड़क पुल	351.00	31.12.1997
	मध्य प्रदेश	बैतूल में समपार संख्या 256 के बदले उपरी सड़क पुल	200.00	दिसम्बर, 1997
	महाराष्ट्र	देहरा में समपार संख्या 39-ए के बदले ऊपरी सड़क पुल	93.00	अभी निर्धारित नहीं
	"	दौड में निचले सड़क पुल को चौड़ा करना	270.00	31.12.1997
	"	बदलापुर में समपार संख्या 10-बी, के बदले में ऊपरी सड़क पुल	365.00	अभी निर्धारित नहीं
	"	कल्याण में समपार संख्या 41-ई, के बदले में ऊपरी सड़क पुल	320.00	दिसम्बर, 1997
	"	मुलुण्ड में समपार संख्या 20 के बदले में ऊपरी सड़क पुल	354.00	दिसम्बर, 1997
	"	बूटी बोरी में समपार संख्या 113 के बदले में ऊपरी सड़क पुल	356.00	दिसम्बर, 1997
	मध्य प्रदेश	दरवहा में समपार संख्या 59-ए के बदले में ऊपरी सड़क पुल	265.00	अभी निर्धारित नहीं
पूर्व	बिहार	उत्तरा में समपार संख्या 49 के बदले में ऊपरी सड़क पुल	224.00	अभी निर्धारित नहीं
	"	पारसनाथ में समपार संख्या 14-ए के बदले में ऊपरी सड़क पुल	258.00	-यथोक्त-
	"	फतुहा में समपार संख्या 70 के बदले में ऊपरी सड़क पुल	316.00	-यथोक्त'
	"	यारपुर में ऊपरी सड़क पुल	131.00	-यथोक्त-
	पश्चिम बंगाल	पानागढ़ में समपार संख्या 100 के बदले में ऊपरी सड़क पुल	414.00	-यथोक्त-
	"	लिलुआ में समपार संख्या 1 के बदले में ऊपरी सड़क पुल	875.00	-यथोक्त-
	"	सेवड़ाफुली एवं तारकेश्वर के बीच 9/13-14 कि.मी में समपार के बदले ऊपरी सड़क पुल	102.00	-यथोक्त-
	"	लेक गार्डन्स में समपार संख्या 3 के बदले में ऊपरी सड़क पुल	1175.00	-यथोक्त-
	"	बोंडल गेट में समपार संख्या 3 के बदले में ऊपरी सड़क पुल	1006.00	-यथोक्त-
उत्तर	उत्तर प्रदेश	सुल्तानपुर में समपार संख्या 34-बी के बदले में ऊपरी सड़क पुल	262.00	अभी निर्धारित नहीं
	"	सूबेदार गंज में समपार संख्या 12 के बदले में ऊपरी सड़क पुल	438.00	दिसम्बर, 1996

1	2	3	4	5
	उत्तर प्रदेश	बिलराया-पनवारी में समपार संख्या 279-बी के बदले में ऊपरी सड़क पुल	413.00	अभी निर्धारित नहीं
	"	सुल्तानपुर में समपार संख्या 34-बी के बदले में ऊपरी सड़क पुल	262.00	-यथोक्त-
	"	सूबेदारगंज में समपार संख्या 12 के बदले में ऊपरी सड़क पुल	438.00	दिसम्बर, 1996
	"	बिलराया-पनवारी में समपार संख्या 279-बी के बदले में ऊपरी सड़क पुल	413.00	अभी निर्धारित नहीं
	"	इटावा में समपार संख्या 29 के बदले में ऊपरी सड़क पुल	619.00	मार्च, 1997
	"	जिवनाथपुर में ऊपरी सड़क पुल	100.00	दिसम्बर, 96
	"	परतापुर में समपार संख्या 21-ए के बदले में ऊपरी सड़क पुल	692.00	अभी निर्धारित नहीं
	पंजाब	लुधियाना में समपार संख्या ए-2 के बदले में ऊपरी सड़क पुल	960.00	-यथोक्त-
	हरियाणा	मण्डी डबवाली में समपार संख्या 32-बी के बदले में ऊपरी सड़क पुल	845.00	-यथोक्त-
	"	कोहंड (पानीपत) में ऊपरी सड़क पुल	431.00	दिसम्बर, 1996
पूर्वोत्तर	उत्तर प्रदेश	मऊ-इन्द्रा रोड़ की सिकतियाक्रासिंग के समपार संख्या 2-ए के बदले ऊपरी सड़क पुल	784.00	दिसम्बर, 1996
	"	आई हास्पिटल/कानपुर के निकट समपार संख्या 6 के बदले ऊपरी सड़क पुल	1077.00	अभी निर्धारित नहीं
	"	बलिया में समपार संख्या 31-ए के बदले ऊपरी सड़क पुल	867.00	दिसम्बर, 1996
पूर्वोत्तर	सीमा नागालैंड	दीमापुर में कि.मी., 260/3-4 पर समपार संख्या एसटी/57 के बदले ऊपरी सड़क पुल	1203.00	अभी निर्धारित नहीं
"	असम	वोगाईगांव में कि.मी. 143/10-11 पर समपार संख्या एसके/49 के बदले ऊपरी सड़क पुल	314.00	-यथोक्त-
दक्षिण	कर्नाटक	चन्सन्द्र-येलहंका में समपार संख्या 12 के बदले ऊपरी सड़क पुल	409.00	31.3.97
"	तमिलनाडु	दिन्डीगुल में कि.मी. 431/1-2 पर ऊपरी सड़क पुल	374.00	31.12.96
"	"	मद्रास बीच-रोयापुरम में समपार संख्या 3 के बदले ऊपरी सड़क पुल	318.00	सि. 1997
"	"	उकादम बाई पास रोड पर समपार संख्या 20 के बदले ऊपरी सड़क पुल	230.00	अभी निर्धारित नहीं नहीं
"	केरल	राष्ट्रीय राज मार्ग 47-ए पर लिंक रोड पर ऊपरी सड़क पुल	750.00	दिस. 1997
"	कर्नाटक	हेब्बल में ऊपरी सड़क पुल	444.00	अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।
"	"	कृष्णाराजपुरम-बेंगलूरू के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग 4 पर समपार संख्या 832-ए के बदले ऊपरी सड़क पुल	4200.00	अभी निर्धारित नहीं
दक्षिण मध्य	आंध्र प्रदेश	पालाकोल्लू-ग्रीनटाडा में बी-श्रेणी के समपार के बदले ऊपरी सड़क पुल	464.00	लक्ष्य तिथि अभी निर्धारित नहीं
	"	अजीत सिंह नगर में समपार संख्या 314 के बदले ऊपरी सड़क पुल	578.00	-यथोक्त-

1	2	3	4	5
	आंध्र प्रदेश	उनाकापल्ली-टाडी में समपार संख्या 488 के बदले ऊपरी सड़क पुल	909.00	लक्ष्यतिथि अभी निर्धारित नहीं
	"	थाड़ी-दुव्वबादा के बीच समपार संख्या 492 के बदले ऊपरी सड़क पुल	708.00	-यथोक्त-
	"	चीराला में समपार संख्या 244 के बदले ऊपरी सड़क पुल	444.00	-यथोक्त-
	"	जागिया अस्मानिया में समपार संख्या 2 के बदले ऊपरी सड़क पुल	450.00	-यथोक्त-
	"	विकाराबाद समपार संख्या 17 के बदले ऊपरी सड़क पुल	86.00	-यथोक्त-
	"	गुडूर में समपार संख्या 100 के बदले ऊपरी सड़क पुल	25.00	दिस. 1996
	"	शिवरामपल्ली में निघेले सड़क पुल	41.00	दिस. 1996
	"	निजामाबाद में ऊपरी सड़क पुल	32.00	दिस. 1996
	"	टीमापुर-शादनगर पर समपार संख्या 234 के बदले ऊपरी सड़क पुल	248.00	लक्ष्य तिथि अभी निर्धारित नहीं
	"	महबूबनगर के समीप ऊपरी सड़क पुल	294.00	-यथोक्त-
	"	रामाकृष्णपुरम गेट पर समपार संख्या 252 के बदले ऊपरी सड़क पुल	555.00	-यथोक्त-
	"	पचेरियल-पेद्दमपेट पर समपार संख्या 55 के बदले ऊपरी सड़क पुल	418.00	-यथोक्त-
	"	सिकंदराबाद (ओलीफेंट पुल) निचले सड़क पुल 251 को चौड़ा करना	450.00	-यथोक्त-
	"	सिकंदराबाद में रेल निलयम पर निचले सड़क पुल 251 को चौड़ा करना	410.00	-यथोक्त-
	"	जाहिराबाद में समपार संख्या 30-बी के बदले ऊपरी सड़क पुल	338.00	-यथोक्त-
	कर्नाटक	बेल्लारी में समपार संख्या 110 के बदले ऊपरी सड़क पुल	193.00	-यथोक्त-
	"	हासपेट में समपार संख्या 85 के बदले ऊपरी सड़क पुल	212.00	-यथोक्त-
	आंध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम् में ऊपरी सड़क पुल	932.00	-यथोक्त-
दक्षिण पूर्व	मध्य प्रदेश	भिलाई पावर हाउस में ऊपरी सड़क पुल	600.00	अभी निर्धारित नहीं
	"	चक्रधरपुर में ऊपरी सड़क पुल	201.00	-यथोक्त-
	"	बारगढ़ में ऊपरी सड़क पुल	160.00	-यथोक्त-
	उड़ीसा	रायगडा में समपार के बदले ऊपरी सड़क पुल	525.00	दिस., 1996
	"	बारगढ़ में ऊपरी सड़क पुल	148.00	अभी निर्धारित नहीं
	"	केसीनगर में 216.135 कि.मी. पर ऊपरी सड़क पुल	171.00	-यथोक्त-
	"	टिटलागढ़ में ऊपरी सड़क पुल	353.00	-यथोक्त-
पश्चिम	महाराष्ट्र	कांदिविली में समपार संख्या 31 के बदले ऊपरी सड़क पुल	1861.00	-यथोक्त-
	"	सांताक्रुज-विल्लेपार्ले में समपार संख्या 21 के बदले ऊपरी सड़क पुल	2635.00	-यथोक्त-
	"	बोरिविली में समपार संख्या 33 के बदले ऊपरी सड़क पुल	1857.00	-यथोक्त-
	"	विल्लेपार्ले रोड में समपार संख्या 22 के बदले ऊपरी सड़क पुल	566.00	-यथोक्त-

1	2	3	4	5
	महाराष्ट्र	नरधना में समपार संख्या 120-ए के बदले ऊपरी सड़क पुल	710.00	अभी निर्धारित नहीं
	गुजरात	साबरमती-गांधीग्राम में समपार संख्या 11 के बदले ऊपरी सड़क पुल	147.00	-यथोक्त-
	"	भरूच में समपार संख्या 179-सी के बदले ऊपरी सड़क पुल	275.00	-यथोक्त-
	"	वापी में समपार संख्या 80-सी के बदले ऊपरी सड़क पुल	726.00	-यथोक्त-
	"	सूरत में समपार संख्या 146 के बदले ऊपरी सड़क पुल	564.00	-यथोक्त-
	"	संतरोड-पिपलोद पर समपार संख्या 20-बी के बदले ऊपरी सड़क पुल	150.00	-यथोक्त-
पश्चिम	राजस्थान	रींगस में समपार संख्या 107 के बदले ऊपरी सड़क पुल	258.00	-यथोक्त-
	"	सेवार में समपार संख्या 238 के बदले ऊपरी सड़क पुल	258.00	-यथोक्त-
	मध्य प्रदेश	पौरा रोड-रतलाम पर ऊपरी सड़क पुल	381.00	-यथोक्त-
	"	इंदौर में समपार संख्या 246-ए के बदले ऊपरी सड़क पुल	736.00	-यथोक्त-
	"	नागदा में समपार संख्या 1 के बदले ऊपरी सड़क पुल	310.00	-यथोक्त-

[हिन्दी]

कपास उत्पादन

2149. श्री देवी बक्स सिंह :
श्री जी.एल. कनौजिया :
श्री राधा मोहन सिंह :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा देश में कपास के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) वर्ष 1995-96 के दौरान कपास का रेशा (स्टैपल) राज्य-वार कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ग) वर्ष 1996-97 के दौरान प्रत्येक राज्य हेतु कपास के उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(घ) क्या सरकार ने कपास, विशेषरूप से रंगीन कपास के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) देश में कपास का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए 11 (ग्यारह) मुख्य कपास उत्पादक राज्यों, नामतः आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में भारत सरकार और क्रियान्वयक राज्यों के बीच 75:25 के आधार पर गहन कपास विकास कार्यक्रम की एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अधीन मुख्य घटकों में प्रजनक और प्रमाणित बीजों, उत्पादन प्रौद्योगिकी, जिसमें समेकित कृषि प्रबंध शामिल हैं, उपकरणों की सप्लाई और कृषक प्रशिक्षण आदि पर किसानों को सहायता देना शामिल है।

(ख) वर्ष 1995-96 के दौरान विभिन्न राज्यों में कपास का कुल आकलित उत्पादन इस प्रकार है:-

क्र.सं.	राज्य	कपास का अनुमानित उत्पादन (प्रत्येक 170 किलो ग्राम की 1000 गांठ)
1.	आंध्र प्रदेश	2081
2.	असम	1
3.	गुजरात	2300
4.	हरियाणा	1100
5.	कर्नाटक	969
6.	केरल	19
7.	मध्य प्रदेश	406
8.	महाराष्ट्र	2565
9.	उड़ीसा	9
10.	पंजाब	1936
11.	राजस्थान	1007
12.	तमिलनाडु	611
13.	उत्तर प्रदेश	15
14.	अन्य	12
	अखिल भारत	13031

(ग) वर्ष 1996-97 के लिए कपास का राज्यवार उत्पादन इस प्रकार है:-

क्र.सं.	राज्य	उत्पादन लक्ष्य (प्रत्येक 170 किलो ग्राम की लाख गांठ में)
1.	आंध्र प्रदेश	17.50
2.	गुजरात	22.50
3.	हरियाणा	16.00
4.	कर्नाटक	10.50
5.	मध्य प्रदेश	5.00
6.	महाराष्ट्र	25.00
7.	उड़ीसा	0.20
8.	पंजाब	22.50
9.	राजस्थान	13.00
10.	तमिलनाडु	7.00
11.	उत्तर प्रदेश	0.40
12.	अन्य	0.40
	अखिल भारत	140.00

(घ) और (ङ). रंगीन कपास के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कोई नई योजना तैयार नहीं की गई है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने हाल ही में प्राकृतिक रूप से रंगीन कपास के विकास के लिए एक नैटवर्क कार्यक्रम शुरू किया है।

[अनुवाद]

भारतीय दण्ड संहिता तथा अपराध दण्ड संहिता में संशोधन

2150. श्री शरत पटनायक : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारतीय दण्ड संहिता तथा अपराध दण्ड संहिता में संशोधन करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनमें कब तक संशोधन कर दिया जाएगा?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग). दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1994 जिसमें अपराध दण्ड संहिता और भा.द.सं. के विभिन्न उपबन्धों में संशोधन करने की व्यवस्था है, 9 मई 1994 को राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया। इस विधेयक को बाद में, गृह मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति को भेजा गया, जिसने विधेयक की जांच की और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

कपास मूल्य

2151. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :
श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर भारत के किसानों से प्रत्येक वर्ष में नवंबर के स्थान पर अप्रैल में कपास के खरीद मूल्य की घोषणा किए जाने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में किसानों द्वारा क्या कारण बताए गए हैं; और

(ग) उन पर केन्द्र सरकार को क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) से (ग). कपास का अधिप्राप्ति मूल्यों की घोषणा प्रति वर्ष नवम्बर में करने की बजाय अप्रैल में किये जाने के बारे में उत्तर भारत के किसानों से कृषि मंत्रालय को कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि सरकार कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य बुआई के मौसम में आरम्भ होने से काफी समय पहले घोषित करने का प्रयास करती है।

[हिन्दी]

दुधारू पशु

2152. डा. महादीपक सिंह शाक्य :
श्री नीतिश कुमार :

क्या **पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास दुधारू पशुओं की संख्या के आंकड़े उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी राज्यवार संख्या कितनी है;

(ग) दुधारू पशु द्वारा औसतन कितना दूध दिया जाता है;

(घ) क्या देश में प्रति पशु दूध का औसत उत्पादन विश्व में प्रति पशु दूध के औसत उत्पादन की तुलना में कम है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में पशुपालन एवं डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग), (घ) तथा (ङ). सूचना संलग्न विवरण 2 में दी गई है। भारत में दुधारू पशुओं की उत्पादकता विश्व में दुधारू पशुओं की उत्पादकता के औसत से कम है।

(च) विभिन्न केन्द्र प्रवर्तित/केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं को लागू करते हुए तथा नई प्रौद्योगिकियों को अपनाते हुए उत्पादकता को बढ़ाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

विवरण–I

दुधारू पशुओं की संख्या

(1987 की पशुधन संगणना के आधार पर)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	(हजार संख्या में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	2738
2.	अरूणाचल प्रदेश	76
3.	असम	1969
4.	बिहार	4718
5.	गोवा	29
6.	गुजरात	1673
7.	हरियाणा	603
8.	हिमाचल प्रदेश	622
9.	जम्मू और कश्मीर	850
10.	कर्नाटक	3246
11.	केरल	1547
12.	मध्य प्रदेश	8548
13.	महाराष्ट्र	5164
14.	मणिपुर	153
15.	मेघालय	147
16.	मिजोरम	17
17.	नागालैण्ड	58
18.	उड़ीसा	3889
19.	पंजाब	1002
20.	राजस्थान	4001
21.	सिक्किम	47
22.	तमिलनाडु	2810
23.	त्रिपुरा	247
24.	उत्तर प्रदेश	6159
25.	पश्चिम बंगाल	5690
26.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	14
27.	चण्डीगढ़	3
28.	दादरा एवं नगर हवेली	12
29.	दिल्ली	21
30.	लक्षद्वीप	–
31.	पाण्डिचेरी	34
	सकल योग :	56087

विवररण–II

दुग्ध उत्पादकता – 1993

क्र.सं.	देश	गोपशुओं की प्रति वर्ष दुग्ध पैदावार (किलोग्राम प्रति पशु)
1.	भारत	987
2.	कनाडा	5938
3.	मैक्सिको	1182
4.	संयुक्त राज्य अमेरिका	7038
5.	ब्राजील	784
6.	बंगलादेश	206
7.	पाकिस्तान	893
8.	चीन	1541
9.	फ्रांस	5289
10.	जर्मनी	5237
11.	इंग्लैंड	5462
12.	रूसी परिसंघ	2294
13.	तुर्की	1476
14.	आस्ट्रेलिया	4451
15.	न्यूजीलैण्ड	2986
	विश्व	2038

स्रोत : खाद्य एवं कृषि संगठन शब्द कोश – उत्पादन (खण्ड-48), 1994

रेल परियोजनाएं

2153. प्रो. प्रेमसिंह चन्दूमाजरा :
श्री नीतीश कुमार :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निर्माण कार्य से जुड़ी कुछ रेल परियोजनाओं को चालू किया गया था;

(ख) क्या ज्यादातर परियोजनाएं अपनी निर्धारित समय सीमा के पीछे चल रही हैं और इनकी लागत काफी बढ़ गई;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और ये परियोजनाएं कौन-कौन सी हैं; और

(घ) इस वर्ष कितनी परियोजनाओं को शुरू किए जाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता

(घ) इस वर्ष में 8 नई परियोजनाओं को शुरू किए जाने का प्रस्ताव है।

किसानों को उर्वरक उपलब्ध कराना

2154. श्री अमर पाल सिंह : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई राज्यों के किसानों को समय पर उर्वरक नहीं मिलने के कारण बहुत असंतोष है जिसके परिणामस्वरूप कृषि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार को किन-किन राज्यों से रिपोर्ट प्राप्त हुई है; और

(ग) सरकार द्वारा किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने हेतु की गयी कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख). इस समय यूरिया ही ऐसा एकमात्र उर्वरक है जो सांविधिक मूल्य नियंत्रण के अधीन है तथा इसका आवंटन राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्रों तथा टी बोर्ड (उत्तर पूर्व) को किया जाता है। खरीफ, 1996 मौसम के दौरान अब तक देश में यूरिया की उपलब्धता संतोषजनक रही है तथा जम्मू व कश्मीर को छोड़कर किसी राज्य से यूरिया की कमी की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। जम्मू व कश्मीर सरकार ने इस विभाग से 17 जुलाई, 1996 को अनुरोध किया है कि इस राज्य को प्राथमिकता के आधार पर यूरिया की आपूर्ति की जाए।

(ग) समय पर कृष्कों को यूरिया देने के लिए भारत सरकार प्रत्येक राज्य के लिये यूरिया की आपूर्ति का अनुवीक्षण करती है। जम्मू व कश्मीर को यूरिया को दो रेक भेज दी गई है। पहली रेक 18 जुलाई तथा दूसरी रेक 23 जुलाई, 1996 को भेजी गई ताकि राज्य में इसकी उपलब्धता में सुधार हो।

[अनुवाद]

पर्यावरण संबंधी कानूनों का उल्लंघन

2155. श्री एन. डेनिस :

श्री राम कृपाल यादव :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राज्यों से विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उल्लंघन किए जाने के संबंध में शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई; और

(घ) विकास कार्यों के क्रियान्वयन को प्रभावित किए बिना पर्यावरण संरक्षण हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यक्रम बनाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

भुज और गांधीधाम को बड़ी लाइन से जोड़ना

2156. श्री पी.एस. गढ़वी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भुज को गांधीधाम से बड़ी लाइन से जोड़ने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर निर्माण कार्य कब तक शुरू होने और पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) कार्य पहले से ही बजट में शामिल है।

(ग) कार्य को शीघ्र ही शुरू किया जाएगा और वर्तमान सूचना के अनुसार इसे 1997-98 में पूरा किया जाएगा।

राज्यों की राजधानियों को रेल सेवा से जोड़ना

2157. श्री हरिन पाठक :

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्यों की राजधानियों को रेल लाइन से जोड़ने की सरकार की कोई नीति है;

(ख) क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). इस दिशा में, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला को जोड़ने हेतु कुमारघाट-अगरतला नई रेल लाइन का निर्माण 1996-97 के बजट में पहले ही शामिल कर लिया गया है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल तक रेल लाइन के प्रथम चरण के रूप में हरमुति के अरूणाचल प्रदेश की राजधानी इटानगर तक तथा डिफू से करोंग तक सर्वेक्षण को अद्यतन करना भी बजट में शामिल कर लिया गया है।

गन्ने का उत्पादन

2158. श्री माधव राव सिंधिया :
श्री सोहन वीर :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष गन्ने का अत्यधिक उत्पादन हुआ है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों में तथा चालू वर्ष के दौरान राज्यवार गन्ने का तुलनात्मक उत्पादन कितना रहा है;

(ग) क्या चीनी मिलों द्वारा गन्ने नहीं खरीदने के कारण किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख). गन्ना के उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई है। वर्ष 1993-94 में 271.23 मि.मी.टन गन्ने का उत्पादन हुआ था। वर्ष 1995-96 के दौरान गन्ने का उत्पादन 267.38 मिलियन मी.टन होने की आशा है। इन तीन वर्षों के दौरान गन्ने का राज्यवार उत्पादन दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ). चीनी मिलों ने चीनी मौसम 1995-96 के दौरान पिछले सभी वर्षों से अधिक गन्ने की पेराई की है। 31.5.1996 तक लगभग 1505 लाख मी.टन गन्ने की पेराई की जा चुकी है जबकि पिछले मौसम 1994-95 के पूरे वर्ष में लगभग 1476 लाख मी. टन गन्ने की पेराई की गई थी। यह अब तक का रिकार्ड उत्पादन है। 31.5.1996 के बाद भी कई चीनी मिलों में पेराई कार्य चल रहा था।

चीनी कारखानों को उपलब्ध गन्ने की पेराई करने में सक्षम बनाने के तथा चीनी मिलों की लिक्विडिटी में सुधार लाने के लिए सरकार ने विभिन्न उपाय किए हैं, जैसे पेराई के लिए निर्धारित अवधि के बाद पेराई करने के लिए प्रोत्साहन देना, बफर स्टाक तैयार करना तथा चीनी के निर्यात के लिए अनुमति देना। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी चीनी के स्टाक पर ऋण की अधिक सीमा प्राप्त करने के लिए चीनी कारखानों को अधिक छूट दी गई है।

विवरण

भारत में गन्ने का उत्पादन

(हजार मी. टन में)

राज्य	1993-94	1994-95	1995-96 (अग्रिम)
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	13474.2	15991.2	14349
असम	1373.9	1505.0	1514
बिहार	4397.9	5667.3	5667
गोवा	71.4	53.7	---
गुजरात	10232.0	10785.0	9800
हरियाणा	6420.0	7010.0	7500
हिमाचल प्रदेश	26.1	26.1	26
जम्मू व कश्मीर	11.2	11.2	10
कर्नाटक	26602.9	30325.1	27560
केरल	447.9	448.8	500
मध्य प्रदेश	1084.0	1511.0	2000
महाराष्ट्र	27891.5	44260.3	44280
मणिपुर	58.8	58.8	---
मेघालय	2.3	2.1	---
मिजोरम	5.7	7.6	---
नागालैंड	193.4	125.0	---
उड़ीसा	781.0	1198.6	1199
पंजाब	4710.0	5160.0	9180
राजस्थान	1020.0	986.9	958
तमिलनाडु	25991.8	35236.0	28400
त्रिपुरा	72.2	72.2	---
उत्तर प्रदेश	104081.6	109907.7	112839
पश्चिम बंगाल	542.4	648.9	1052
अंडमान निकोबार द्वीप समूह	4.4	4.4	---
पान्डिचेरी	162.7	225.8	550*
अखिल भारत	229659.3	271228.7	267384

नोट : * - अन्य

[हिन्दी]

वृहत्तर नैनीताल झील क्षेत्र समेकित परियोजना

2159. श्री रामेश्वर पाटीदार :
श्रीमती शीला गौतम :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वृहत्तर नैनीताल झील क्षेत्र समेकित परियोजना के लिए वित्तीय सहायता देने हेतु कोई संशोधित प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) और (ख). जी हां, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने प्रस्तावित राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अन्तर्गत 40.25 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर नैनीताल झील के संरक्षण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इस प्रस्ताव में कैचमेंट क्षेत्र का संरक्षण, शहर के सीवेज को इकट्ठा करना और निपटान करना, ठोस अपशेष प्रबंध, झील से गाद निकालना और किनारों को सुन्दर बनाने, सरोवर विज्ञान संबंधी अध्ययन और जन-जागरूकता पैदा करना शामिल है।

(ग) प्रस्तावित परियोजना के स्वरूप और क्षेत्र को ध्यान में रखकर इस परियोजना को द्विपक्षी सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता प्रदान करने की सिफारिश की गई है।

रेल गाड़ियों को स्थगित करना

2160. श्री चुनचुन प्रसाद यादव : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बिहार में भागलपुर मंदारहिल रेल लाइन पर बाढ़ के कारण कई जगह से क्षतिग्रस्त होने के कारण गत सितंबर से इस रेल लाइन पर रेल सेवा स्थगित कर दी गई है, और

(ख) यदि हां, तो उक्त रेल लाइन पर मरम्मत कार्य की स्थिति क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख). खंड पर गाड़ी सेवाएं 1.7.96 से बहाल कर दी गई हैं।

[अनुवाद]

स्टॉल का आवंटन

2161. श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान कितने स्नैक बार/चाय/पुस्तक स्टॉल आवंटित किए गए हैं;

(ख) इन आवंटनों में महिला उद्यमियों का वर्षवार कोटा क्या है; और

(ग) इन स्टॉलों के आवंटन में क्या प्रक्रिया अपनायी जा रही है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा सभापटल पर रख दी जाएगी।

(ख) और (ग). खानपान नीति के अनुसार खानपान/वेंडिंग ठेकों का आवंटन क्षेत्रीय रेलों द्वारा प्रेस विज्ञापनों के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित करके किया जाता है। स्क्रीनिंग समिति द्वारा प्राप्त आवेदनों की स्क्रीनिंग की जाती है तथा सबसे उपयुक्त आवेदक को गुणदोष के आधार पर ठेका प्रदान किया जाता है। महिला ठेकेदार ऐसे ठेकों के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं परंतु उनके लिए कोई कोटा नियत नहीं किया गया है।

मत्स्य ग्रहण पत्तन

2162. श्री जेवियर अराकल : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा केरल में कितने मत्स्य ग्रहण पत्तनों को सहायता दी गयी, विकसित किया गया तथा प्रबंधन किया गया;

(ख) एरनाकुलम जिले के मुनाभम मत्स्य ग्रहण पत्तन बंदरगाह के विकास कार्य में प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) अब तक इस पत्तन पर कितनी धनराशि खर्च की गयी है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) केरल में एक प्रमुख मत्स्यन बन्दरगाह, कोचीन चरण-I का काम पूरा कर लिया गया है और इसका चरण-II पूरा होने वाला है जिसके लिये भारत सरकार द्वारा कोचीन पोर्ट ट्रस्ट को शत प्रतिशत धनराशि प्रदान की गई है।

चार छोटे मत्स्यन बन्दरगाहों तथा 20 मत्स्य अवतरण केन्द्रों का काम पूरा कर लिया गया है तथा 6 छोटे मत्स्यन बन्दरगाहों और 2 मत्स्य अवतरण केन्द्रों को भारत सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है। कोचीन स्थित प्रमुख मत्स्यन बन्दरगाह की व्यवस्था भारत सरकार के तहत कोचीन पोर्ट ट्रस्ट द्वारा की जाती है तथा अन्य छोटे बन्दगाहों और मत्स्य अवतरण केन्द्रों की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जाती है।

(ख) मुनाभम मत्स्यन बन्दरगाह के विकास के लिये भूमि अधिग्रहण, पुल, सुरक्षा कक्ष के आरम्भिक कार्य लगभग पूरे हो चुके हैं, जल-रोधों, भूमि-सुधार, घाट नीलामी हास की मुख्य कार्य निर्माण के अंतिम चरणों में हैं तथा कैन्टीन, रसद-स्टोर आदि अन्य छोटे कार्य निर्माण विभिन्न चरणों में हैं।

(ग) मुनाभम मत्स्यन बन्दरगाह पर मई, 1996 तक 954.83 लाख रुपय की राशि खर्च की गई है।

दिल्ली राज्य

2163. श्री विजय गोयल :
डा. रामकृष्ण कुसमरिया :
श्री प्रभु दयाल कठेरिया :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग). राष्ट्रीय राजधानी के प्रशासन के लिए उपयुक्त ढांचे के प्रश्न पर दिल्ली के ढांचे के पुनर्गठन के संबंध में नियुक्त समिति जिसे आमतौर पर बालाकृष्णन समिति के नाम से जाना जाता है, द्वारा विचार किया गया था। मामले पर पूर्णतः विचार करने के बाद समिति ने यह निष्कर्ष निकाला कि दिल्ली को संघ के एक पूर्ण राज्य का रूप देना राष्ट्रहित में नहीं होगा और न ही स्वयं दिल्ली के हित में होगा। इस सिफारिश को ध्यान में रखते हुए और चूंकि केन्द्र सरकार को राष्ट्रीय राजधानी के संबंध में विशेष कार्य एवं जिम्मेदारियां निभानी होती हैं, अतः दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देना व्यापक राष्ट्र-हित में व्यवहारिक नहीं समझा गया है।

संविधान (69वां संशोधन) अधिनियम, 1991 और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 के परिणामस्वरूप, दिल्ली की एक विधान सभा है तथा एक मंत्री परिषद इसके लिए जवाबदेह है। वर्तमान ढांचे में किसी प्रकार का परिवर्तन करने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

भू-संरक्षण के लिए कोष

2164. डा. अरूण कुमार शर्मा : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष भू-संरक्षण को केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के लिए असम को कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) राज्य सरकार द्वारा वास्तव में कितनी धनराशि उपयोग में लाई गई;

(ग) राज्य सरकार द्वारा धनराशि का पूर्ण उपयोग न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) राज्य में भू-संरक्षण की योजना को लागू किए जाने की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) तथा (ख). मृदा संरक्षण की केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत विगत तीन वर्षों के दौरान असम राज्य को किये गये आवंटन की राशि तथा उसके उपयोग को नीचे दर्शाया गया है।

	वर्ष	आवंटन	उपयोग
कृ.ए.स. विभाग	1993-94	460.0	349.3
की योजनायें	1994-95	785.0	459.8
	1995-96	535.0	511.9
पर्यावरण एवं वन	1993-94	119.8	112.8
मंत्रालय की योजनायें	1994-95	122.0	142.3
	1995-96	224.0	135.0

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की योजनाओं के अंतर्गत 20 प्रतिशत राशि मृदा एवं नमी संरक्षण घटकों के लिये खर्च की जा सकती है।

(ग) राज्यों द्वारा क्रियान्वयन कारी एजेन्सियों को धनराशि जारी न किये जाने के कारण इस धनराशि का उपयोग धीरे हो रहा है।

(घ) नदी घाटी परियोजनाओं के स्रवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण की चल रही योजनाओं के अंतर्गत अब तक 136.00 हैक्टेयर क्षेत्र का उपचार किया जा चुका है। वर्षा सिंचित क्षेत्रों की राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजनाओं के अंतर्गत अब तक अपनाये जाने वाले मुख्य कार्यकलापों में आते हैं: जल निकासी नालियों का उपचार समोच्च वानस्पतिक बाडु लगाना फसल प्रदर्शन, कृषि वानिकी, वारानी बागवानी और घरेलू उत्पादन प्रणालियों। पर्यावरण और वन मंत्रालय की दो योजनाओं यथा समेकित वन एवं पर्यावरण विकास परियोजना और क्षेत्रोन्मुखी ईंधन लकड़ी और चारा परियोजना के अंतर्गत अभी तक 8900 हैक्टेयर क्षेत्र का उपचार किया जा चुका है।

राष्ट्रीय तटीय प्रबंधन प्राधिकरण

2165. डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के तटीय लाइन की सुरक्षा के लिए राज्य तटीय प्रबंधन प्राधिकरणों के कार्यकरण पर निगरानी रखने हेतु राष्ट्रीय तटीय प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो इसकी शर्तें, कार्यक्षेत्र तथा शक्तियां क्या हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 1991 के कार्यकरण की निगरानी की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो सरकार को क्या उपरोक्त अधिसूचना के उल्लंघन के किसी मामले की जानकारी है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पर्यावरण और वन मंत्रालय तथा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की सरकार और राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र स्तरों पर ऐसे ही अन्य प्राधिकरण जो भी इस प्रयोजन के लिए नामित किए जाएं, अपने अपने क्षेत्राधिकार में इस अधिसूचना के प्रावधानो की मॉनिटरिंग और उनके प्रवर्तन के लिए उत्तरदायी होंगे।

(घ) जी, हां।

(ङ) सम्बन्धित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

तिहाड़ जेल की स्थिति

2166. श्री आर.एल.पी. वर्मा :

श्री बनवारी लाल पुरोहित :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिहाड़ जेल, नई दिल्ली में स्वास्थ्यकर स्थिति, अपर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं, घटिया किस्म का भोजन, शौचालयों एवं स्नानघरों की असंतोषजनक स्थिति, वार्डों में भीड़-भाड़ इत्यादि जैसी स्थितियां विद्यमान हैं;

(ख) यदि हां, तो वहां व्याप्त दयनीय स्थिति में सुधार हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या जेल नियमावली लगभग एक शताब्दी पहले तैयार की गई थी, जोकि आज की स्थिति में बिल्कुल अप्रासंगिक हो चुकी है;

(घ) क्या तिहाड़ सहित देश की सभी जेलों में जेल नियमावली में संशोधन किए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो यह कब तक किया जाएगा।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख). दिल्ली सरकार ने तिहाड़ जेल के संवासियों को रहने की बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए अनेक उपाय किए हैं। जेल में भोजन स्वास्थ्यप्रद स्थितियों में पकाया जाता है। कैदियों को कैंटीन की सुविधाएं उपलब्ध हैं। उन्हें मौसमी कपड़े और बिस्तर दिए जाते हैं। जेल में एक केबल टी वी नेटवर्क भी है। नए आए प्रत्येक कैदी की चिकित्सा जांच की जाती है। दीनदयाल उपाध्याय अस्तपाल और अन्य अस्पतालों से विशेषज्ञ जेल का दौरा करते हैं। जेल से बाहर उपचार के लिए विभिन्न अस्पतालों में ले जाए जाते समय कैदियों की मदद एवं मार्गदर्शन का काम सहायक जेल अधीक्षक के अधीन एक देखभाल यूनिट को सौंपा गया है। नशे के आदी कैदियों का उपचार "आशियाना" नामक नशामुक्ति केन्द्र में किया जाता है। नशामुक्ति के पश्चात् देखभाल का काम "आसरा" नामक एक अन्य केन्द्र द्वारा किया जाता है। वार्ड पंचायतों को सक्रिय बनाया गया है कि वे हताश/बीमार कैदियों की पहचान करें जिन्हें विशेष मनोचिकित्सा/चिकित्सकीय उपचार की जरूरत है। भीड़-भाड़ कम करने के लिए एक नई जेल "जेल नं. 5" हाल ही में खोली गई है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्। दिल्ली जेल नियमावली, वर्ष 1988 से अमल में आ रही है।

(घ) और (ङ). राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में गठित एक कोर ग्रुप ने, आदर्श जेल नियमावली के आधार-स्वरूप जेल सुधारों हेतु एक ब्लूप्रिन्ट तैयार करना एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है। तथा ऐसी नियमावली तैयार करना एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है क्योंकि इसके लिए दाण्डिक न्याय के कर्ता-धर्ताओं, जेल प्रशासकों, सुधार विशेषज्ञों, मानवाधिकार विशेषज्ञों आदि के साथ व्यापक परामर्श करना होता है।

चन्दन की लकड़ी की तस्करी

2167. श्री जगतवीर सिंह द्रोण : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस ने लाखों रुपयों की चंदन की लकड़ी की तस्करी के मामले का पता लगाया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मामले की आगे जांच की गई थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा चंदन की लकड़ी की तस्करी को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) से (घ). जी, हां 10 जुलाई, 1996 को दिल्ली पुलिस द्वारा 1110 कि.ग्रा. चन्दन की लकड़ी का एक पारेषण पकड़ा गया था और देशबन्धु गुप्ता रोड पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। उक्त मामले को न्यायालय में भेजा गया है।

(ङ) चन्दन की लकड़ी की तस्करी को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदम इस प्रकार हैं:

1. निम्नलिखित को छोड़कर किसी भी रूप में चन्दन की लकड़ी के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है:

(1) चन्दन की लकड़ी के परिष्कृत और पालिश किए हुए हस्तशिल्प उत्पाद।

(2) मशीन से परिष्कृत चंदन की लकड़ी के उत्पाद; और

(3) विदेश व्यापार महानिदेशक, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा यथा विनिर्दिष्ट चंदन की लकड़ी की वे वस्तुएं जो उनके द्वारा जारी दिनांक 8.12.1995 की यथा संशोधित सार्वजनिक सूचना संख्या 75 और दिनांक 1.1.1996 की यथा संशोधित सार्वजनिक सूचना संख्या 77 में निर्धारित शर्तों के तहत आती हैं।

2. चंदन की लकड़ी के उत्पादन वाले राज्यों में चंदन की लकड़ी की अवैध कटाई, ढुलाई और उसको रखने में रोक लगाने के लिए सख्त उपाय किए गए हैं।

कारागार अधिनियम, 1894

2168. श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कारागार अधिनियम, 1894 अभी भी देश में लागू है;

(ख) क्या सरकार द्वारा कारागार प्रबंधन संबंधी मार्गनिर्देश जारी किया जाना तथा कारागार प्रणाली को अद्यतन बनाना अभी भी शेष है; और

(ग) यदि हां, तो पुराने हो चुके अधिनियम में संशोधन करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग). केन्द्र सरकार, राज्य सरकारें तथा विभिन्न संगठन इस समय जेल प्रशासन के विभिन्न पहलुओं में परिवर्तन लाने के लिए विधेयक की संभावित विषयवस्तु पर आपस में विचार-विमर्श कर रहे हैं।

राष्ट्रपति मैडल

2169. श्री दादा बाबूराव परांजपे : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री द्वारा विशिष्ट सेवाओं के वास्ते "राष्ट्रपति-मैडल" प्रदान करने हेतु मानभिषेक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान मानभिषेक समारोह के लिए मैडल प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को आमंत्रण न भेजे जाने के मामले की संख्या कितनी है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या मानभिषेक समारोह के लिए आमंत्रित नहीं किये गये मैडल प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को मैडल भेजे जाते हैं; और

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान इस तरह के कितने मामले हुए और इन लोगों के पास किनके माध्यम से मैडल भिजवाये गये थे?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (घ). विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर कोई अलंकरण समारोह नहीं किया जाता है। पदकों को संबंधित केन्द्रीय पुलिस संगठनों/राज्य सरकारों को भेजा जाता है ताकि वे इन्हें जिस ढंग से उचित समझें पदक प्राप्त करने वालों को प्रदान कर दें।

[हिन्दी]

उर्वरकों का उत्पादन

2170. श्री सोहन वीर : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की प्रत्येक इकाई द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान कुल कितने उर्वरक का उत्पादन किया गया तथा तत्संबंधी वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार इन इकाइयों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) मै. नेशनल फर्टिलाइजर्स लि. की प्रत्येक यूनिट द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान उत्पादित उर्वरक की यूनिट-वार तथा वर्ष-वार कुल मात्रा के ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

उत्पादन (000 मी.टन)

यूनिट का नाम	उत्पाद	1993-94	1994-95	1995-96
नंगल-I	कैन	266.2	206.7	186.5
नंगल-II	यूरिया	351.1	375.3	372.4
भटिण्डा	यूरिया	511.6	530.3	531.1
पानीपत	यूरिया	516.4	455.0	532.8
विजयपुर	यूरिया	878.3	819.7	857.9

(ख) तथा (ग). सरकार द्वारा 24.7.1991 को जारी किए गए औद्योगिक नीति वक्तव्य के अनुसार उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। तथापि, सार्वजनिक क्षेत्र सहकारी एककों को प्रदत्त वित्तीय अधिकारों से अधिक पूंजी व्यय करने के लिए सरकार का अनुमोदन लेना पड़ता है। वर्तमान में एन एफ एल, विजयपुर विस्तार परियोजना तथा नंगल डी-बाटलनेकिंग परियोजना कार्यान्वित कर रहा है। अनुमान है कि इन परियोजनाओं के प्रारम्भ हो जाने पर यूरिया उत्पादन क्षमता में प्रतिवर्ष क्रमशः 7.26 लाख मी.टन और 2.14 लाख मी.टन की वृद्धि होगी। यूरिया उत्पादन क्षमता में प्रतिवर्ष 7.26 लाख मी.टन की और वृद्धि करने की

दृष्टि से पानीपत एकक के विस्तार करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। इन परियोजनाओं के ब्यौरे इस प्रकार हैं:

परियोजना	अनुमानित पूंजी लागत (करोड़ रु.)	यूरिया की स्थापित क्षमता लाख मी. टन प्रतिवर्ष	शून्य तारीख	चालू होने की प्रत्याशित तारीख
विजयपुर विस्तार परियोजना	987.30	7.26	30.09.1993	01.01.1997
नंगल	50.00	2.14	इस परियोजना की शून्य तारीख तथा चालू होने की तारीख बताना सम्भव नहीं है क्योंकि टर्न-की ठेकेदार के साथ अनुबन्ध पर अभी हस्ताक्षर किए जाने हैं।	
पानीपत विस्तार परियोजना	1274.92	7.26	प्रथम अवस्था मंजूरी दे दी गई है।	

[अनुवाद]

खेल परिसर

2171. श्री पी.आर. दासमुंशी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व रेलवे के बामनगाछी, हावड़ा के खेल परिसर के निर्माण कार्य में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) उक्त परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) प्रारंभिक कार्यों के लिए आंशिक अनुमान स्वीकृत किया जा रहा है। परामर्श सेवाओं के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई है तथा उन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ख) 8.95 करोड़ रुपये।

[हिन्दी]

गाजियाबाद-मुरादाबाद रेलवे लाइन को दोहरा बनाया जाना

2172. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के अंतर्गत गाजियाबाद-मुरादाबाद रेलवे लाइन को दोहरा बनाए जाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(ख) क्या इस संबंध में सांसदों तथा अन्य व्यक्तियों से सुझाव प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो इस विषय में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग). उत्तर रेलवे द्वारा किए गए अध्ययन के आधार पर गाजियाबाद-मुरादाबाद लाइन के दोहरीकरण का विनिश्चय किया गया है। प्रथम चरण में गाजियाबाद-हापुड खंड (36.97 कि.मी.) के कहीं-कहीं दोहरीकरण के कार्य को स्वीकृत कर दिया गया है और कार्य शुरू कर दिया गया है।

उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था

2173. श्री राजीव प्रताप रूडी :
डा. बलिराम :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही के महीनों में उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन महीनों के दौरान इन जिलों में कितने व्यक्तियों का अपहरण हुआ और कितने व्यक्ति मारे गए; और

(ग) सरकार द्वारा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभी पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमा विवाद

2174. श्री राम नाईक :
श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमा-विवाद न सुलझने के कारण दोनों प्रदेशों के सीमा क्षेत्रों का विकास नहीं हो सका है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार द्वारा दोनों राज्यों के मुख्य मंत्रियों की बैठक आयोजित करके इस सीमा विवाद को हल करने के लिए कोई प्रयास किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) यह कहना सही नहीं है कि कर्नाटक-महाराष्ट्र के सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास नहीं हुआ है।

(ख) और (ग). भारत सरकार ने विगत में संबंधित मुख्य मंत्रियों के साथ बैठकें की थीं।

भारत सरकार का यह मत है कि इस विवाद का समाधान मुख्य रूप से दोनों संबंधित राज्य सरकारों द्वारा बातचीत और आपसी समझदारी से निकाला जाना चाहिए। भारत सरकार को इस संबंध में राज्य सरकारों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने में खुशी होगी।

[हिन्दी]

सुपरफास्ट रेलगाड़ियों के इंजन

2175. श्री नीतीश कुमार :
जस्टिस गुमान मल लोढा :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दिनों सुपरफास्ट रेलगाड़ियों के इंजन आयात किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो कितने इंजन आयात किए गए थे;

(ग) क्या सरकार ने निकट भविष्य में कुछ सुपरफास्ट रेलगाड़ियां चलाने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख). विगत में विशेष रूप से सुपरफास्ट रेलगाड़ियों के लिए रेल इंजन आयात नहीं किए गए थे, बहरहाल, 1995 और 1996 में 10 अदद 3-फेज ड्राइव ए.सी. इलैक्ट्रिक रेल इंजन आयात किए गए हैं जो तीव्र गति वाली रेलगाड़ियों के लिए उपयुक्त हैं।

(ग) और (घ). सुपरफास्ट गाड़ी सेवाओं सहित यात्री रेलगाड़ियां चलाना एक सतत् प्रक्रिया है बशर्ते कि यातायात का औचित्य हो, परिचालनिक व्यावहारिकता हो तथा संसाधन उपलब्ध हों।

धनबाद रेललाइन पर अग्नि सुरक्षा व्यवस्था

2176. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे को दक्षिण-पूर्व रेलवे से जोड़ने वाली धनबाद पाथरडीह रेल लाइन को भूमिगत खान में कुछ वर्षों से लगी हुई आग के कारण खतरा पैदा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केंद्र सरकार ने इस आग पर काबू पाने और रेल लाइन को बचाने के लिए कोई कार्यवाही की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हाँ।

(ख) जी हां,

(ग) मैं भारत कुकिंग कोल लि. (बी.सी.सी.एल.) को कि.मी. 11/13-14 पर रेलपथ के निकट कुछ समय पूर्व खोदी गई खाई, मिट्टी और रेत से भरने और आग को फैलने से रोकने के लिए पानी का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है, में. बी.सी.सी.एल द्वारा यह कार्य 9.7.96 से शुरू कर दिया गया है, एक अतिरिक्त एहतियाती उपाय के रूप में लोदहना-पाथरडीह स्टेशनों के बीच 20 कि.मी. प्र.धं. की नियंत्रण गति लागू कर दी गई है, अन्य मामलों में मैं. बी. सी.सी.एल. ने खाईयाँ खोदने और उन्हें रेत और मिट्टी से भरने के निवारक उपाय पहले ही शुरू कर दिए हैं, यह आग नियंत्रित करने में प्रभावी सिद्ध हुआ है और रेलपथ को सीधा कोई खतरा नहीं है।

[हिन्दी]

शीरे के मूल्य से नियंत्रण हटाना

2177. श्री के.प्रधानी : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को शीरे तथा अल्कोहल के मूल्य से नियंत्रण हटाए जाने से अल्कोहल पर आधारित रासायनिक उद्योगों को हो रहे घाटे की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारों द्वारा संबंद्ध उद्योगों को सहायता पहुंचाने के लिए आंशिक मूल्य विनियंत्रण लागू किया गया है; और

(घ) सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) और (ख). अल्कोहल पर आधारित रयायन उद्योगों द्वारा हाल ही में घाटा होने के बारे में कोई शिकायत/अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ग) और (घ). कुछ राज्य सरकारों ने राज्य के विद्यमान नियमों के अन्तर्गत शीरे और अल्कोहल पर नियंत्रण बनाए रखा है। शीरे के नियंत्रण के संबंध में कुछ चीनी मिलों द्वारा प्रादेशिक कानूनों की वैधता को चुनौती देते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय में एस.एल.पी. दायर की गई है। केन्द्रीय सरकार द्वारा आगे कोई कार्रवाई माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले पर निर्भर करेगी।

कृषकों को उर्वरक

2178. श्री गुलाम रसूल कार : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की मौजूदा नीति के अनुसार कृषकों को यूरिया की 60 प्रतिशत आपूर्ति सरकार द्वारा और 40 प्रतिशत आपूर्ति निजी एजेंसियों द्वारा की जाती है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त नीति को जम्मू और कश्मीर में ठीक ढंग से लागू न करने के क्या कारण है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी नहीं। उर्वरकों का आवंटन, जो सांविधिक मूल्य नियंत्रण के अधीन है, का आवंटन राज्य की आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। आवंटन करते समय इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता है कि आपूर्तिकर्त्ता सहकारी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र या निजी क्षेत्र के हैं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

लड़कियों का अवैध व्यापार

2179. श्री बनवारी लाल परोहित : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 27 मई, 1996 के "द पायनियर" में "क्राय बोर्डर ट्रैफिकिंग आफ गर्ल्स स्टिल आन द राइज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) क्या सरकार ने सीमा-पार से युवा लड़कियों के व्यापक रूप से किए जा रहे अवैध व्यापार का पता लगाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस बुराई को रोकने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

वनरोपण हेतु धनराशि

2180. श्री के.डी. सुल्तानपुरी : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तथा 1996-97 के लिए अब तक वर्षवार और राज्यवार वनरोपण हेतु निर्धारित धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य द्वारा वास्तव में कितनी धनराशि का व्यय किया गया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

न्यू कूच बिहार में रेलगाड़ियों को रोके जाने की व्यवस्था करना

2181. श्री अमर राय प्रधान : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सभी रेलगाड़ियों विशेष रूप से गुवाहटी-कलकत्ता एक्सप्रेस को कूच बिहार स्टेशन पर रोके जाने की व्यवस्था करने संबंधी अनेक अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन अनुरोधों पर कोई कार्यवाही की गयी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख). जी हां, केवल 2423/2424 राजधानी एक्सप्रैस और 3045/3046 हावड़ा-गुवाहाटी सरायघाट एक्सप्रेस न्यू कूच बिहार पर नहीं ठहरती हैं।

(ग) से (ङ). इन अनुरोधों की जांच की गई है परंतु इन सेवाओं के महत्व को ध्यान में रखते हुए औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया।

मंगलोर-मुम्बई रेल सम्पर्क

2182. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंगलोर-मुम्बई के बीच रेल सम्पर्क बनाने वाली कोंकण रेल परियोजना पर अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च हुई;

(ख) इस कार्य को कब तक पूरा कर दिया जाएगा;

(ग) उपरोक्त योजना के अंतर्गत किन-किन स्थानों पर कार्य पूरा हो गया है; और

(घ) वर्ष 1995-96 के दौरान उपरोक्त परियोजना पर कितनी धनराशि खर्च हुई और उपरोक्त कार्य को पूरा करने के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) 2063.52 करोड़ रु.

(ख) दिसंबर, 1996 तक

(ग) कोंकण रेलवे के निम्नलिखित खंडों को पहले ही पूरा कर दिया गया है और यात्री यातायात के लिए खोल दिया गया है:-

	खंड	कि.मी.
1	रोहा-वीर	48
2	वीर-खेड	52
3	खेड-चिपलुन	30
4	कुंडापुर-उदुपी	32
5	उदुपी-मंगलोर	68
		230

(घ) 1995-96 के दौरान परियोजना के निर्माण कार्यों पर कुल 368.04 करोड़ रु. खर्च हुए और परियोजना को पूरा करने के लिए लगभग 300 करोड़ रु. की राशि की आवश्यकता है।

कृषि उत्पादन

2183. श्री पिनाकी मिश्र :
श्री माधव राव सिंधिया :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1991 से 1995 के दौरान कृषि उत्पादन में वृद्धि का प्रतिशत जनसंख्या में हुई वृद्धि के अनुपात में है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान राज्यवार, तत्संबंधी आंकड़े क्या हैं; और

(ग) इस संतुलन को बनाये रखने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाये जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) 1991 से 1995 की अवधि के दौरान अखिल भारतीय स्तर पर कृषि उत्पादन में हुई प्रतिशत वृद्धि से अधिक है।

(ख) 1991-92 से 1994-95 की अवधि के दौरान के कृषि के सकल घरेलू उत्पाद और जनसंख्या में हुई वार्षिक वृद्धि का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण मे दिया गया है।

(ग) विभिन्न जिन्सों जैसे कि चावल, गेहूं, मोटे अनाज, कपास, जूट व मेस्ता गन्ना, दूध, अण्डा आदि के उत्पादन और उत्पादकता में उस दर से वृद्धि करने के लिये विभिन्न विकास परक कार्यक्रम चलाये जा रहे है जो कि जनसंख्या वृद्धि की दर से अधिक हो और प्रति व्यक्ति बढती आय के कारण बढ रही मांग को पूरा करने के लिये पर्याप्त हो।

विवरण

1991 से 1995 तक की अवधि के दौरान वृद्धि दर
(प्रतिशत वार्षिक)

राज्य	कृषि से होने वाला सकल घरेलू उत्पाद	जनसंख्या
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	1.14	1.57
असम	(-) 1.02	2.02
बिहार	(-) 0.56	2.15
गुजरात	12.31	1.90
हरियाणा	3.44	2.35
हिमाचल प्रदेश	0.21	1.87
जम्मू व कश्मीर	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
कर्नाटक	3.50	1.75
केरल	3.98	1.16
मध्य प्रदेश	5.04	2.19
महाराष्ट्र	10.46	1.77
उडीसा	0.41	1.60
पंजाब	2.58	1.87
राजस्थान	6.60	2.47
तमिलनाडु	5.37	1.17
उत्तर प्रदेश	0.93	2.42
पश्चिम बंगाल	उपलब्ध नहीं	1.76
अखिल भारत	3.95	1.94

इरोड में दुर्घटना

2184. श्री सूरेश कोडीकुनील : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इरोड क्षेत्र में दुर्घटनाएं अक्सर होती हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस क्षेत्र में दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए जाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख). अप्रैल-जून, 1996 की अवधि के दौरान इरोड में एक दुर्घटना हुई है, इस दुर्घटना में, एक ढाल पर ड्राइवर के नियंत्रण खो जाने के कारण 14.6.96 को एक मालगाड़ी के 57 टैंक मालडिब्बे पटरी से उतर गए थे, इसके लिए रेलगाड़ी के ड्राइवर, सहायक ड्राइवर तथा गार्ड को उत्तरदायी ठहराया गया है और निलंबित कर दिया गया है।

(ग) दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उठाए गए कदम इस प्रकार है:-

1. मुख्य मार्गों तथा महत्वपूर्ण लाइनों पर रेलपथ परिपथन के कार्य में तेजी लाई गई है।
2. भारी पटरियों तथा कंक्रीट स्लीपरों का प्रयोग करके रेलपथ ढांचे का ग्रेडोन्यन किया गया है।
3. टाई टेपिंग तथा गिट्टी साफ करने वाली मशीनों के द्वारा रेलपथ का अनुरक्षण किया जाता है, रेलपथ नवीकरण रेलगाड़ियों तथा पोर्टल क्रेनों के द्वारा अब रेलपथों को भी बिछाया जा रहा है।

4. रेलपथों की ज्यामिति तथा रेलपथों के चालन-विशेषताओं पर निगरानी करने के लिए अत्याधुनिक रेलपथ रिकार्डिंग कारों, दोलन लेखी (ओसिलोग्राफ) कारों तथा आसानी से ले जाने वाले गतिमापकों का उत्तरोत्तर प्रयोग किया जा रहा है।
5. सवारी डिब्बों तथा मालडिब्बों की अनुरक्षण सुविधाओं का आधुनिकीकरण कर दिया गया है।
6. धुरो में होने वाली दरारों के मामलों का समय पर पता लगाने के लिए नेमी ओवरहालिंग डिपुओं में अल्ट्रासोनिक परीक्षण उपस्कर लगा दिए गए है, ताकि धुरों को एकदम टूटने (कोल्ड ब्रेकेज) के मामलों को रोका जा सकें।
7. रेलगाड़ी परिचालन से संबंधित ड्राइवरों, गार्डों तथा अन्य कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं का आधुनिकीकरण कर दिया गया है, ड्राइवरों को सिम्युलेटरों पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
8. कर्मचारियों के कार्य निष्पादन पर लगातार निगरानी रखी जाती है, जिन कर्मचारियों में नियमों के ज्ञान की कमी पाई जाती है, उनसे परामर्श किया जाता है तथा उन्हे पुनश्चर्या प्रशिक्षण के लिए भेज दिया जाता है।

मदर डेयरी की सब्जी एवं फलों के स्टॉल

2185. श्री राम सागर : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मदर-डेयरी की सब्जी एवं फलों के स्टालों का उद्देश्य क्या है और उन उद्देश्यों को कहां तक प्राप्त किया गया है;

(ख) क्या उनके द्वारा बेची जाने वाली सब्जियां एवं फल घटिया होते है और उनका मूल्य भी खुले बाजार की तुलना में अधिक होता है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन बिक्री केन्द्रों की सेवाओं में सुधार लाने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) इस परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के फल और सब्जियों के उत्पादकों का शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं से सम्पर्क स्थापित कराना है। उपर्युक्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिये इस परियोजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादक संघो की स्थापना की गयी है तथा दिल्ली में केन्द्रीय वितरण सुविधा दी गई है और लगभग 200 फुटकर बिक्री केन्द्रों की स्थापना की गयी है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) तथा (घ). ये प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

देहरादून और रामनगर के बीच सीधी रेल सेवा

2186. श्री बची सिंह रावत "बचदा" : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देहरादून और रामनगर के बीच सीधी रेल सेवा नहीं है;

(ख) यदि हां तो क्या इस मार्ग पर सीधी रेल सेवा शुरू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हां।

(ख) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

डी.एम.एस. को घाटा

2187. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या **पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना गत कई वर्षों से घाटे में चल रही है;

(ख) यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान प्रति वर्ष आज तक दिल्ली दुग्ध योजना को हुए घाटे का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त घाटे को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली दुग्ध योजना को इसके संचालन के लिए पिछले प्रत्येक वर्ष पांच वर्षों के दौरान प्रदान की गई बजटीय सहायता इस प्रकार है:-

वर्ष	बजटीय सहायता
1992-92	44.50 करोड़ रुपए
1992-93	27.86 करोड़ रुपए
1993-94	9.70 करोड़ रुपए
1994-95	4.64 करोड़ रुपए
1995-96	45.15 करोड़ रुपए

(ग) यह घाटा दिल्ली दुग्ध योजना के दूध का बिक्री मूल्य, उत्पादन लागत से कम होने के कारण है।

[हिन्दी]

सैन्ट्रल इंस्टीट्यूट आफ फिसरीज नांटीकल एंड इंजीनियरिंग ट्रेनिंग (सिफनेट)

2188. श्री ई. अहमद : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष सैन्ट्रल इंस्टीट्यूट आफ फिसरीज नाटिकल एंड इंजीनियरिंग ट्रेनिंग (सिफनेट) कोची से कितने व्यक्तियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा इस संस्थान को कुल कितनी राशि आवंटित की गई है; और

(ग) देश में ऐसे संस्थान और किन-किन स्थानों पर हैं?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय मत्स्य नौ-चालन एवं इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है:-

क्र.सं.	वर्ष	प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या			
		कोची	मद्रास	विशाखा-पट्टनम	कुल
1.	1993-94	142	126	93	361
2.	1994-95	151	90	50	291
3.	1995-96	133	88	61	282

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस संस्थान के लिये केन्द्र सरकार द्वारा किये गये कुल बजट आवंटन का ब्यौरा इस प्रकार है:-

क्र.सं.	वर्ष	कुल बजट आवंटन (रु. लाख में)
1.	1993-94	410.00
2.	1994-95	717.00
3.	1995-96	663.00

(ग) केन्द्रीय मत्स्य नौ-चालन एवं इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान का मुख्यालय कोचीन (कोची) में है तथा इसकी शाखायें विशाखापट्टनम और मद्रास में हैं।

जालना-खामगांव रेल लाइन

2189. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा तकनीकी स्वीकृति दिए जाने के बावजूद भी महाराष्ट्र में जालना-खामगांव रेल लाइन के निर्माण कार्य में विलम्ब हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उपरोक्त कार्य को शीघ्र पूरा करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, नहीं, यह स्वीकृत परियोजना नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

रेल टिकटों का क्षेत्रीय भाषाओं में मुद्रण

2190. श्री प्रकाश विश्वनाथ परांजपे : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेंट्रल रेलवे के मुख्य लाइन यात्रियों और उपनगरीय रेलवे के लिए कार्ड टिकटों और सीजन टिकटों को अंग्रेजी और हिंदी सहित मराठी में भी छापा जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख). मध्य रेल के उपनगरीय तथा मुख्य लाइन के यात्रियों के लिए कार्ड टिकट हिंदी और अंग्रेजी के साथ-साथ मराठी में भी मुद्रित किए जाते हैं तथापि मध्य रेल पर सीजन टिकट केवल हिंदी तथा अंग्रेजी में ही मुद्रित होते हैं। सीजन टिकटों पर स्थान सीमित होने के कारण, मुद्रित की जाने वाली सामग्री को अत्यधिक संक्षिप्त किए बिना यह संभव नहीं है कि सभी विवरणों को तीनों भाषाओं में मुद्रित किया जा सके। मुद्रित की जाने वाली सामग्री को अत्यधिक संक्षिप्त कर दिए जाने से वह सामग्री अस्पष्ट हो जाएगी, अतः ऐसा करना वांछनीय नहीं है।

राजधानी एक्सप्रेस के हाल्ट-स्टेशन

2191. श्री येल्लैया नंदी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि "राजधानी एक्सप्रेस" मद्रास-बंगलौर-हैदराबाद होते हुए नई दिल्ली से चलती है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी भी है कि उक्त राजधानी एक्सप्रेस के बहुत कम हाल्ट-स्टेशन हैं जबकि इस के मार्ग पर पड़ने वाले सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों से भारी संख्या में यात्री इस गाड़ी से यात्रा करने से वंचित रहते हैं;

(ग) क्या सरकार जनता की यात्रा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर इस गाड़ी के कुछ और/हाल्ट बनाए जाने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस गाड़ी के कुछ और स्टेशनों पर हाल्ट बनाए जाने की व्यवस्था कब तक कर दिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख). हजरत निजामुद्दीन और मद्रास के बीच बरास्ता विजयवाड़ा और हजरत निजामुद्दीन और तिरूवनंतपुरम के बीच बरास्ता मद्रास और हजरत निजामुद्दीन और बेंगलूरू के बीच बरास्ता सिंकदराबाद न्यूनतम मध्यवर्ती ठहराव सहित साप्ताहिक राजधानी एक्सप्रेस/स्पेशल गाड़ियां चल रही हैं।

(ग) जी नहीं

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

जैव विविधता आयोग

2192. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक स्वतंत्र जैव विविधता आयोग के गठन का है;

(ख) यदि हां, तो इस आयोग के गठन का क्या प्रयोजन है; और

(ग) इस दिशा में क्या कदम उठाये गये हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

औषधि एकक

2193. श्री पी.आर. दासमुंशी : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में 31 मार्च, 1996 तक 100 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार वाले बहुराष्ट्रीय औषधि निर्माण एककों की संख्या क्या है;

(ख) उक्त अवधि तक 50 करोड़ रुपए से अधिक के कारोबार वाले भारतीय औषधि निर्माण एककों को संख्या क्या है; और

(ग) औषधि प्राधिकरण के पास 31 मार्च, 1996 तक स्वीकृति के लिए भारतीय और विदेशी कम्पनियों के नए प्रस्तावों के कितने आवेदन लंबित हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) और (ख). उपलब्ध सूचना के अनुसार भारत में बहुराष्ट्रीय औषध विनिर्माता यूनिटों, जिनका कारोबार 100 करोड़ रुपए से अधिक का है, की संख्या अट्ठारह है जबकि भारतीय औषध विनिर्माता यूनिटों, जिनका कारोबार 50 करोड़ से अधिक का है, की संख्या अड़तालीस है।

(ग) रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग के पास ऐसा कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है।

[हिन्दी]

रेल दावा न्यायाधिकरण

2194. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :
श्रीमती शीला गौतम :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल दावा न्यायाधिकरणों की संख्या में कमी कर दी गई है जिसके परिणामस्वरूप लोगों को कठिनाइयां हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) संख्या में कमी किए जाने से पूर्व कार्यरत न्यायाधिकरणों का क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) ये न्यायाधिकरण कहां-कहां बंद किए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

तिब्बत के शरणार्थियों द्वारा नौकरी

2195. श्री आर. बी. राई : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिब्बती शरणार्थियों ने दार्जिलिंग में सरकारी रिकार्ड में हेराफेरी द्वारा अपने आपको स्थानीय जनजाति बता कर अच्छी नौकरियां हथिया ली हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को सरकारी रिकार्ड में हेराफेरी के सम्बन्ध में कोई शिकायतें मिली हैं;

(घ) यदि हां, तो दोषी कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) क्या सरकार ने स्थानीय लोगों में आक्रोश देखा है; और

(च) यदि हां, तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी हां, श्रीमान्, हाल में कुछ जातीय तनाव देखा गया है।

(च) स्थिति पर नजर रखी जा रही है।

[हिन्दी]

उपनगरीय रेलगाड़ियों का किराया ढांचा

2196. श्री रामेश्वर पाटीदार :
श्रीमती शीला गौतम :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उपनगरीय रेलगाड़ियों के किराए ढांचे में अनेक विसंगतियां होने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उपनगरीय रेलगाड़ियों के किराए ढांचे में विद्यमान विसंगतियों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग). उपनगरीय गाड़ियों के लिए कोई अलग किराया संरचना नहीं है दूसरे दर्जे (साधारण) की किराया संरचना उपनगरीय तथा अनुपनगरीय दोनों खंडों पर समान रूप से लागू है। मुख्यतः एक रुपये के अंश में किरायों की समाप्ति किए जाने तथा कतिपय वर्षों में विशिष्ट दूरियों के लिए किराये में बढ़ोतरी से छूट प्रदान किए जाने के कारण, किराया सारिणी में कतिपय दूरियों के लिए किराये में वृद्धि उत्तरोत्तर नहीं होती है। पिछले तीन वर्षों से दूसरे दर्जे (साधारण) का किराया अपरिवर्तित रहने के कारण किरायों में समुचित रूप से संशोधन किए जाने तक मौजूदा स्थिति बरकरार रहेगी।

[अनुवाद]

कृषि क्षेत्र के लिए धन

2197. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी
श्री मुरलीधर जैना :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेगे कि :

(क) गत वर्ष तथा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कृषि विकास हेतु प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य द्वारा धनराशि में से वास्तविक रूप से कितनी राशि का उपयोग किया गया;

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारों द्वारा इस प्रयोजनार्थ चालू वर्ष के दौरान और अधिक धनराशि की मांग की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

बस लूटना

2198. श्री विजय गोयल :
श्री पंकज चौधरी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नैनीताल जा रही एक दिल्ली की बस को मसूरी के समीप लूट लिया गया ;

(ख) यदि हां, तो यात्रियों से लूटी गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध मे कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है;

(घ) 1995 से जुलाई, 1996 तक उत्तर प्रदेश में कितनी बसों को लूटा गया है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु क्या कार्यवाही की गयी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

इफ्को

2199. श्री अनंत कुमार : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इफ्को ने भारतीय पोटाश लि. से 126 डालर लागत-भाड़ा मूल्य पर निर्मित निम्नस्तरीय एम.ओ.पी. ऋण पत्र पर खरीदा है;

(ख) क्या इफ्को ने बिना ऋण पत्र पर निर्मित जोर्डन सम-मूल्य के बेहतर ग्रेड के एम ओ पी खरीद करना उचित नहीं समझा था;

(ग) क्या इफ्को के पास कांडला संयंत्र पर 90 हजार टन का भंडार था;

(घ) यदि हां, तो निम्न स्तर के रूस निर्मित सामान को खरीदने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इफ्को ने विगत में कण आकार के रूस निर्मित एम.ओ.पी पर एफ.सी.ओ. के अंतर्गत जुर्माने का दावा किया था; और

(च) यदि हां, तो इस बार कण आकार के उक्त सामान पर जुर्माने का दावा न करने के क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) सितम्बर, 1995 में इफ्को ने 180 दिनों की साख पर बिना किसी साख पत्र के लागत भाड़ा मूल्य आधार पर 126 अमेरीकन डालर के समतुल्य रु. प्रति मी.टन पर किसी भी उत्पादक देश अर्थात् जार्डन, इजराइल, रूस तथा जर्मनी से लाने के विकल्प के साथ एम ओ पी की खरीद के लिए आई पी एल के साथ अनुबन्ध पर हस्ताक्षर किए। इस अनुबन्ध पर आई पी एल द्वारा पूर्ति की गई रूसी एम ओ पी की गुणवत्ता कम्पलेक्स उर्वरकों के निर्माण में प्रयोग के लिए निर्धारित आवश्यक मानदण्ड की थी।

(ख) इफ्को का जार्डन से एम ओ पी की आपूर्ति के लिए कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ था।

(ग) और (घ). जी, नहीं। अनुबंध करते समय, इफ्को के पास मात्र 25,000 मी.टन एम ओ पी का भण्डार था जो पर्याप्त नहीं था।

(ङ) जी, हां।

(च) अप्रैल, 95 में भारत सरकार ने यह स्पष्ट किया कि कम्पलेक्स उर्वरकों के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाने वाला एम ओ पी उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। परिणामस्रूप, इसे अनुबंध के तहत आई पी एल को सप्लाई की गई सामग्री जिसका इफ्को ने कम्पलेक्स उर्वरकों के निर्माण के लिए इस्तेमाल किया, दोनों के आकार के उल्लंघन के कारण शास्ति का भागी नहीं है।

वोहरा समिति की रिपोर्ट

2200. श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वोहरा समिति की रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की जा चुकी है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इस पर क्या कार्रवाई की गई है अथवा किये जाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग). अपराध सिंडिकेटों/माफिया संगठनों, जिन्होंने सरकारी अधिकारियों और राजनीतिज्ञों के साथ सम्पर्क स्थापित कर लिए हैं और जिन्हें इनका संरक्षण प्राप्त है, की गतिविधियों और सम्पर्कों के बारे में उपलब्ध सभी सूचना का जायजा लेने के लिए पूर्व-गृह सिचव श्री एन.एन. वोहरा की अध्यक्षता में सचिव (राजस्व), सचिव (रा), निदेशक (आसूचना ब्यूरो) और निदेशक (केन्द्रीय जांच ब्यूरो) को सदस्य के रूप में लेकर वोहरा समिति गठित की गयी थी। वोहरा समिति की रिपोर्ट 1.8.1995 को संसद के समक्ष रखी गई थी और संसद में इस पर पूरी बहस हुई थी। वोहरा समितिक की रिपोर्ट में, गृह सचिव के स्तर पर एक नोडल एजेन्सी गठित करने की सिफारिश की गयी थी। तदनुसार, सरकार ने 2 अगस्त, 1995 को एक नोडल एजेन्सी गठित की थी, जिसके अध्यक्ष गृह सचिव थे और सचिव (राजस्व), सचिव (रा), निदेशक (आसूचना ब्यूरो) और निदेशक (केन्द्रीय जांच ब्यूरो) इसके सदस्य थे। नोडल एजेंसी ने काम करना शुरू कर दिया है और अपनी स्थापना के बाद से उसकी सात बैठकें हो चुकी हैं। नोडल एजेंसी अपनी बैठकों में आमतौर पर प्रमुख अपराध सिंडिकेटों की गतिविधियों के बारे में, विभिन्न एजेंसियों के पास उपलब्ध सूचना और फील्ड संगठनों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई की पुनरीक्षा करती है। कानून के अनुसार मामलों की खोजबीन में इन्टरएजेंसी समन्वय और इन्टर-एजेंसी सहयोग के प्रश्न पर विचार किया जाता है और इस प्रकार की सहायता और सहयोग की अपेक्षाओं के संबंध में उपयुक्त निर्णय लिए जाते हैं। बेहतर अन्तर्विभागीय समन्वय के हित में, 5.1.1996 से इस नोडल एजेंसी का पुनर्गठन किया गया था और मंत्रिमंडल सचिव ने इसके अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया, गृह सचिव, (राजस्व), सचिव (रा), निदेशक (आसूचना ब्यूरो) और निदेशक (केन्द्रीय जांच ब्यूरो) इसके सदस्य हैं।

[हिन्दी]

बड़ी लाइन में परिवर्तन

2201. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार की वर्तमान एक समान आमान संबंधी नीति के अंतर्गत सभी मीटर गेज लाइनों को कब तक बड़ी लाइनों में परिवर्तित कर दिये जाने की संभावना है; और

(ख) पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा समस्तीपुर और खगरिया के बीच वर्तमान मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में कब तक बदल दिये जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) सभी मीटर लाइनों का आमान परिवर्तन करने का प्रस्ताव नहीं है।

(ख) फिलहाल इस लाइन के आमान परिवर्तन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

विद्यालयों में पशुओं की चीर-फाड़

2202. श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत पशुओं पर परीक्षण करने और उस पर नियंत्रण करने हेतु एक समिति गठित की है;

(ख) क्या समिति ने यह सुझाव दिया है कि विद्यालयों में पशुओं की चीर-फाड़ को रोक दिया जाए; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) जनता, केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभागों तथा अन्य इच्छुक पार्टियों से सुझाव/आपत्तियां आमंत्रित करते हुए "जीवजन्तु परीक्षण (नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण) नियम, 1968" में आवश्यक संशोधन किए जाने के उद्देश्य से एक प्रारूप अधिसूचना जारी की गई है। इस मामले में संलिप्त सभी पार्टियों के अभिमतों पर विचार करने के पश्चात सरकार कोई निर्णय लेगी।

[हिन्दी]

उर्वरकों की उत्पादन लागत

2203. श्री सोहन वीर : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1994-95 की तुलना में वर्ष 1996-97 के दौरान उर्वरकों की उत्पादन लागत में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा आर्थिक मदद दिए जाने के बावजूद भी बहुत सी उर्वरक उत्पादक इकाइयां रुग्ण होती जा रही हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन संयंत्रों के पुनरूद्धार हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) और (ख). मुख्य रूप से विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में बढ़ोतरी तथा रेलवे भाड़ा की दरों में वृद्धि के कारण 1996-97 के दौरान विभिन्न उर्वरकों की उत्पादन लागत में कुछ बढोतरी होने की संभावना है।

(ख) से (ङ). हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि. (एच एफ सी) और फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लि. (एफ सी आई) उर्वरक उत्पादन करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के दो उपक्रम हैं, जिन्हें रुग्ण औद्योगिक कम्पनियां (विशेष उपबंध) अधिनियम 1985 के उपबंधों के अनुसार नवम्बर 1992 में औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बी आई एफ आर) ने रुग्ण कंपनियां घोषित कर दिया था।

इन कंपनियों के पुनर्वास के प्रयास में सरकार ने सिद्धांत रूप में पुनरूद्धार पैकेजों का अनुमोदन कर दिया था। जिसमें एफ सी आई के सिंदरी, रामागुण्डम और तालचर एककों तथा एच एफ सी के दुर्गापुर, बरौनी और नामरूप एककों का पुनरूद्धार परिकल्पित है। जिसमें इन उपक्रमों को अन्य वित्तीय राहतों तथा पूंजी पुनर्संरचना के अलावा 2201.13 करोड़ रु. (1736.20 करोड़ रु. एफ सी आई के लिए तथा 464.93 करोड़ रु. एच.एफ.सी. के लिए का नया निवेश शामिल है। वित्तीय संस्थाओं (एफ आईज) से धन जुटाने के दृष्टिकोण से पुनरूद्धार पैकेज फिर से बनाने के लिए एक विशेषज्ञ दल का गठन किया गया है। चूंकि पुनरूद्धार पैकेजों का अंतिम रूप से कार्यान्वयन लंबित पड़ा है अतः सरकार संभव सीमा तक इन उपक्रमों को बजटीय सहायता प्रदान कर रही है ताकि उनके क्रियाशील एककों में उत्पादन बढ़ाया रखा जा सके। 1995-96 के दौरान एच एफ सी को 108.60 करोड़ रुपए तथा एफ सी आई को 217.60 करोड़ रु. की बजटीय सहायता दी गई।

[अनुवाद]

कपास विकास बोर्ड

2204. श्री शरत पटनायक : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अनुसंधान तथा अन्य प्रोत्साहन देने संबंधी गतिविधियों के लिए कपास विकास बोर्ड की स्थापना पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

सड़क उपरिपुल परियोजना

2205. श्री पी.आर दासमुशी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1987 से 1989 के दौरान के रेल बजट में लिलुआ, हावड़ा डिवीजन के लिए सड़क उपरिपुल परियोजना हेतु कोई बजटीय सहायता प्रदान की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इसके निष्पादन में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) इस परियोजना में रेलवे और राज्य सरकार की क्या भूमिका होगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां, इस कार्य को रेलवे के निर्माण कार्यक्रम 1988-89 में शामिल कर लिया गया है।

(ख) उच्च तनन वाले केबलों को हटाने में असमर्थ रहने की वजह से राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित संरेखण मे बदलाव तथा आरेखण की सामान्य व्यवस्था करने के कारण इस कार्य में विलंब हुआ है।

(ग) समपारों के बदलने में सड़क ऊपरी पुलों के निर्माण कार्यों को प्राथमिकता देने का प्रस्ताव राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। उन प्रस्तावों में से ऐसे प्रस्तावों को, जिनके लिए राज्य सरकार प्रारंभिक

पूर्वापेक्षाएं पूरी कर लेता है, रेलवे के निर्माण कार्यक्रम में शामिल कर लिया जाता है। कार्य की लागत में निर्धारित नियमों के अनुसार रेलवे तथा राज्य सरकार द्वारा हिस्सा बांट लिया जाता है। रेलें रेलपथों के ऊपर के पुल भाग, का निर्माण तथा राज्य सरकार पहुंच मार्गों का निर्माण करती है।

[हिन्दी]

काठगोदाम-बरेली-आगरा रेल लाइन का आमान परिवर्तन

2206. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काठगोदाम-बरेली-मथुरा-आगरा मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के कार्य को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है;

(ख) क्या इस संबंध में कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में।

(ख) जी हां।

(ग) इस कार्य को कार्य योजना के प्रथम चरण में शामिल किया गया है और इसे नौवीं योजना अवधि में शुरू किए जाने की योजना है।

[अनुवाद]

आंतरिक वायु प्रदूषण

2207. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आंतरिक वायु प्रदूषण बाह्य प्रदूषण से दस गुना अधिक है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अनुसंधान किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और निष्कर्ष क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा प्रदूषण को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) से (ग). आंतरिक वायु प्रदूषण की प्रकृति और इसकी प्रमात्रा अधिभोक्ताओं की संख्या और उनकी गतिविधियों, वायु संचालन प्रणाला, खाना बनाने और तापन प्रयोजनों में प्रयुक्त ईंधन की प्रकृति और उसकी कोटि, वायु प्रदूषण का प्रभाव आदि पर निर्भर करेगी।

अमेरिकन सोसायटी फॉर हीटिंग, रेफ्रीजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स इंडिया चैप्टर द्वारा संचालित आंतरिक वायु गुणवत्ता सर्वेक्षण, जिसमें परिमापनीय परिवर्त्य के रूप में कार्बन-डाइ-आक्साइड का प्रयोग करके दिल्ली में घने बसे और चुनिन्दा क्षेत्रों में अनेक प्रतिष्ठानों को शामिल किया गया है, के अनुसार कार्बन-डाइ-आक्साइड के आंतरिक स्तर बाह्य स्तरों से 2 से 3 गुणा अधिक पाए गए।

(घ) आंतरिक और बाह्य प्रदूषण की रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :-

1. सरकार राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम और राष्ट्रीय जैव-गैस विकास परियोजना जिसमें परिवार-आकार के लिए जैव-गैस संयंत्र प्रदान की जाती है, नामक दो केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं। सरकार आंतरिक पर्यावरण से धुएं के स्तर को कम करने। समाप्त करने के ध्येय से ग्रामीण क्षेत्रों में इन उपकरणों को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक सहायता और अन्य प्रोत्साहन भी दे रही है।
2. विभिन्न क्षेत्रों में प्रमुख प्रदूषकों के लिए परिवेशी वायु गुणवत्ता नामक निर्धारित किए गए हैं।
3. मुख्य-मुख्य श्रेणियों के प्रदूषक उद्योगों के लिए उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए गए हैं।
4. उद्योगों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने के निर्देश दिए है। और दोषी इकाइयों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाती है।
5. उद्योगों के स्थल नियतन और परिचालन हेतु पर्यावरणीय दिशा-निर्देश बनाए गए हैं।
6. प्रमुख विशिष्ट परियोजनाओं के लिए प्रभाव मूल्यांकन और संबंध अध्ययनों के आधार पर पर्यावरणीय स्वीकृति लेना अनिवार्य कर दिया गया है।
7. मोटर वाहन नियम 1989 के अंतर्गत यानीय उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए गए हैं।
8. शुरू-शुरू में चार महानगरीय शहरों में उत्प्रेरक प्रवर्तक लगे वाहनों के साथ-साथ सीसा-रहित पैट्रोल आरम्भ किया गया है।

महिलाओं के लिए आरक्षण काउन्टर

2208. श्री अमर रायप्रधान :
श्री बच्ची सिंह रावत "बचदा" :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अहमदाबाद और मुम्बई के बीच किन-किन स्टेशनों पर महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण काउन्टर की व्यवस्था नहीं की गयी है; और

(ख) महिलाओं की सुविधा हेतु उक्त सुविधा कब तक प्रदान कर दिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख). महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण काउंटर केवल उन्हीं आरक्षण कार्यालयों में निर्धारित किया जा सकता है जो कम्प्यूटरीकृत हों तथा जहां आरक्षण काउंटरों की पर्याप्त संख्या हो तथा जहां तक पूरा काउंटर महिलाओं के लिए निर्धारित करने के लिए मांग का औचित्य मौजूद हो। अहमदाबाद तथा मुम्बई के बीच 7 स्टेशन तथा मुम्बई सेन्ट्रल, चर्चगेट, अंधेरी, बोरिवली, सूरत, अहमदाबाद तथा बडोदरा हैं जहां कम्प्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली उपलब्ध है। महिलाएं इन केन्द्रों पर पर्यवेक्षी काउंटरों से आरक्षण प्राप्त कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त, अहमदाबाद, मुम्बई सेन्ट्रल, सूरत तथा चर्चगेट में महिलाओं के लिए अलग से काउंटर खोलने के लिए पश्चिम रेल को अनुदेश जारी किए गए हैं।

पर्यावरण अनुकूल रसायन

2209. श्री सौम्य रंजन : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पर्यावरण के अनुकूल रसायनों की सूची तैयार करने का कार्य शुरू किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) और (ख). सरकार ने पर्यावरण के अनुकूल रसायनों की सूची तैयार करने का कार्य शुरू नहीं किया है लेकिन 1991 में कतिपय रसायनों सहित उन उत्पादों पर लेबल लगाने की एक स्कीम चलाई जो पर्यावरण के अनुकूल हैं। इस लेबल को "इको मार्क" के नाम से जाना जाता है। इस स्कीम का उद्देश्य उन उत्पादों के उत्पादन और उपभोग को बढ़ावा देना था जो भारतीय मानक ब्यूरो की गुणवत्ता अपेक्षाओं के साथ-साथ निर्धारित पर्यावरणीय मापदंडों को पूरा करते थे।

"इको मार्क" स्कीम के तहत सरकार ने अब तक उत्पादों की निम्नलिखित श्रेणियों के लिए अन्तिम मापदंड विकसित और अधिसूचित कर लिए हैं जिनमें कतिपय रसायन भी शामिल हैं :-

1. नहाने का साबुन
2. प्रक्षालक
3. कागज
4. वास्तुशिल्पीय रंग
5. कपड़े धोने का साबुन
6. खाद्य मदें भाग-1 (खाद्य तेल, चाय और काफी)
7. खाद्य मद भाग-2 (शीतल पेय, शिशु आहार, प्रसंस्कृत आहार तथा वनस्पति उत्पाद
8. स्नेहक तेल
9. पैकिंग भाग-1 (गत्ते और प्लास्टिक लेमिनेट्स को छोड़कर)
10. पैकिंग भाग-2 (लेमिनेट्स तथा उनके उत्पाद)
11. आटोमोटिव लीड ऐसिड बैटरियां
12. विद्युत और इलैक्ट्रोनिक्स के सामान
13. खाद्य योजक
14. काष्ठ विकल्प
15. शुष्क सैल बैटरियां
16. श्रृंगार प्रसाधन
17. एयरोसोल प्रोपेलेण्ट्स
18. प्लास्टिक उत्पाद

सरकार इस स्कीम को बढ़ावा देने के लिए प्रचार कर रही है।

कृषि उत्पादन संबंधी अनुसंधान

2210. श्री हरिन पाठक : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा बेहतर कृषि पैदावार के लिए किये जा रहे अनुसंधानों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इसके परिणामस्वरूप 1996 के अन्त तक देश में कितनी अतिरिक्त मात्रा में खाद्यान्नों का उत्पादन होने की संभावना है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) कृषि विश्वविद्यालय विभिन्न कृषि जलवायु वाली स्थितियों के लिए किस्मों के विकास तथा फसल प्रबंध के लिए कृषि के क्षेत्र में स्थान विशेष के लिए उपयुक्त, आवश्यकता पर आधारित और समस्याओं को हल करने वाले अनुसंधान में लगे हैं। अनुसंधान के मुख्य क्षेत्र हैं :-

1. सिंचित और बारानी स्थितियों के लिए सभी कृषि व बागवानी वाली फसलों की उच्च उपजशील किस्मों/संकरों का विकास। इसमें प्रजनक बीज उत्पादन भी सम्मिलित है।
2. सर्वोच्च उपज लेने के लिए खेती की विभिन्न विधियों से संबंधित पैकेज का सर्वोपयुक्त उपयोग।
3. उत्पादनशील तथा आर्थिक रूप से टिकाऊ फसल-प्रणालियों का विकास।
4. पौध सुरक्षा के उपयुक्त उपाय अपनाना और समेकित नाशक जीवनाशी प्रबंध पर विशेष जोर देना।

5. मृदा और सस्यविज्ञान तथा कृषि-वानिकी।

(ख) खाद्यान्न उत्पादन के अखिल भारतीय अनुमानों के अनुसार वर्ष 1995-96 के लिए खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 192.00 मिलियन टन है।

पारिस्थितिकी विकास परियोजना

2211. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागरहोल राष्ट्रीय पार्क सहित सात स्थानों की पारिस्थितिकी विकास से संबंधित परियोजनाओं के लिए अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरण सुविधा कार्यक्रम के अन्तर्गत विश्व बैंक से सहायता मांगी गई है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक स्थल के लिए देय अनुमानित सहायता राशि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्व बैंक द्वारा उक्त परियोजना को मंजूरी नहीं दी गई है और वे प्रस्तावित परियोजना को मंजूरी देने से पहले आंदोलन कर रहे स्थानीय जनजातीय लोगों से बात करना चाहते थे; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) और (ख). जी, हां। परियोजना का उद्देश्य स्थानीय लोगों और सरकारी प्रबंधकों के साथ सहयोग बढ़ाकर तथा नकारात्मक विचार विमर्श को घटाकर के सात प्रमुख संगठित क्षेत्रों में जैव-विविधता का संरक्षण किया जाना है। परियोजना की कुल अनुमानित लागत 67 मिलियन अमरीकी डालर है जिसमें से 20 मिलियन अमरीकी डालर विश्व पर्यावरण सुविधा अनुदान से प्राप्त होगा और 28 मिलियन अमरीकी डालर अंतर्राष्ट्रीय विकास ऐसोसिएशन (आई डी ए) ऋण से प्राप्त होगा। शेष 19 मिलियन अमरीकी डालर में से भारत सरकार और राज्य सरकारों का हिस्सा 15 मिलियन अमरीकी डालर तथा श्रम के रूप में लाभभोगियों का हिस्सा 4 मिलियन अमरीकी डालर का होगा। सात स्थलों में से प्रत्येक के लिए पांच वर्षों में खर्च की जाने वाली संभावित धनराशि निम्नवत् है।

क्र.सं.	स्थल/राज्य का नाम			राशि(मिलियन अमरीकी डालर में)
1.	पलामू	-	बिहार	7.93
2.	गिर	-	गुजरात	7.36
3.	नगरहोल	-	कर्नाटक	8.57
4.	पेरियार	-	केरल	8.74
5.	पेंच	-	मध्य प्रदेश	5.86
6.	रणथम्भौर	-	राजस्थान	8.38
7.	बुक्सा	-	पश्चिमी बंगाल	7.44

(ग) जी, नहीं। इस परियोजना पर विश्व बैंक के साथ बातचीत की गई। विश्व बैंक ने आदिवासियों के साथ सीधे बातचीत करने के अपने इरादों को व्यक्त नहीं किया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

वाराणसी के निकट दुर्घटना

2212. श्री पिनाकी मिश्र : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाराणसी के निकट रेलवे फाटक पर 26 मई, 1996 को बारात ले जा रही एक ट्रैक्टर ट्रॉली से एक यात्री गाड़ी की टक्कर हुई थी;

(ख) यदि हां, तो उस दुर्घटना में कितने लोग हताहत हुए;

(ग) क्या सरकार का विचार एक निर्धारित समय-सीमा में देश के सभी रेलवे फाटकों पर चौकीदार नियुक्त करने तथा उनका यांत्रिकीकरण करने की व्यापक योजना शुरू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल मैहाराज) : (क) जी हां।

(ख) इस दुर्घटना में, ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार 21 व्यक्ति मारे गऐ और 3 व्यक्ति घायल हुए।

(ग) और (घ). यह विनिश्चय किया गया है कि बिना चौकीदार वाला कोई नया समपार नहीं बनाया जाएगा और बिना चौकीदार वाले संवेदनशील समपारों को अपेक्षित प्राथमिकता के बाद योजनाबद्ध आधार पर राज्य सरकारों द्वारा किए जाने वाले प्रारंभिक पूंजी निवेश की लागत की सहायता से चौकीदार वाले समपारों में बदला जाएगा।

नई बड़ी रेल लाइन का सर्वेक्षण

2213. श्री सुरेश कोडीकुन्नील :
श्री केशव महन्त :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आमान परिवर्तन के संबंध में राईट्स और मंत्रालय के अन्य विभागों द्वारा किए गए सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त सर्वेक्षण रिपोर्ट पर सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है; और

(ग) 1996-97 के दौरान किए जाने वाले प्रस्तावित सर्वेक्षणों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान राइट्स और रेल मंत्रालय के

अन्य विभागों द्वारा आमान परिवर्तन के संबंध में किए गए सर्वेक्षण का ब्यौरा इस प्रकार है:

क्र. सं.	सर्वेक्षण का नाम	रेल/क्षेत्र	सर्वेक्षण की लागत (हजार रुपयों में)	स्थिति
1	2	3	4	5
1.	मिरज-लातूर मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए अद्यतन सर्वेक्षण।	मध्य	100	परियोजना अनुमोदित कार्य आरंभ।
2.	ग्वालियर-शिवपुरकलान के आमान परिवर्तन के लिए टोह इंजी. तथा यातायात सर्वेक्षण	-वही-	20,00	सर्वेक्षण प्रगति पर है।
3.	शांतिपुर-नवद्वीप घाट मी.ल. खंड को ब.ला. में बदलने के लिए आरंभिक इंजी. एवं यातायात सर्वेक्षण।	पूर्व	1,10	सर्वेक्षण रपट प्राप्त हो गई है। परियोजना छोड़ दी गई है।
4.	कानपुर-कासगंज खंड के आमान परिवर्तन तथा कासगंज से अलीगढ़ तक और कासगंज से इटा तक नई बड़ी लाइन के विस्तार के लिए प्रारंभिक इंजी. एवं यातायात सर्वेक्षण।	पूर्वोत्तर	52,31	योजना आयोग द्वारा सर्वेक्षण की रपट की जांच की जा रही है।
5.	गोरखपुर-नौतनवा को मी.ला. से ब.ला. में बदलने और नौतनवा सोनौली ब.ला. के निर्माण के लिए सर्वेक्षण को अद्यतन	-वही-	7,00	सर्वेक्षण जांच की जा रही है।
6.	सोनौली से भैरावान तक नई ब.ला. के लिए अद्यतन सर्वेक्षण।	-वही-	3,38	सर्वेक्षण रपट प्राप्त हो गई है, परियोजना छोड़ दी गई है।
7.	दरौवा से महाराजगंज मी.ला. को ब.ला. में बदलना तथा महाराजगंज से मसरख तक एक नई ब.ला. का प्रावधान।	-वही-	2,52	-वही-
8.	मारनसी-फरबेसगंज का आमान परिवर्तन	-वही-	10,00	परियोजना का मानसी-सहरता (चरण I) स्वीकृत।
9.	मानसी-सहरसा-बनमंखी कटिहार के आमान परिवर्तन के लिए प्रारंभिक इंजी. एवं यातायात टोह सर्वेक्षण।	-वही-	5,25	सर्वेक्षण प्रगति पर है।
10.	धुबरी-फकोराग्राम के बीच आमान परिवर्तन के लिए सर्वेक्षण	पूर्वोत्तर सीमा	60	रेल के परामर्श से सर्वेक्षण रपट की जांच की जा रही है।
11.	जलपाईगुडी-सिलीगुडी के आमान परिवर्तन के लिए सर्वेक्षण।	-वही-	15	परियोजना छोड़ दी गई है।
12.	येहलहंका और बेंगारपेट्टै के आमान परिवर्तन के लिए आरंभिक इंजी. एवं यातायात सर्वेक्षण।	-दक्षिण	4,50	परियोजना स्वीकृत।
13.	मद्रास बीच से लांबरम तक मी.ला. उपनगरीय प्रणाली को ब.ला. में बदलने के लिए आर्थिक अध्ययन।	-वही-	6,24	सर्वेक्षण प्रगति पर है।
14.	विल्लुपुरम-तंजाउर बरास्ता कड्डलोर के आमान परिवर्तन के लिए तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण।	-वही-	5,76	सर्वेक्षण को हाल ही में स्वीकृति दी गई है।
15.	अबलपुर-गोंडिया-चंदाफोर्ट मी.ला. को ब.ला. में बदलने के लिए प्रारंभिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण।	द.पू.	20,00	परियोजना स्वीकृत।
16.	रूपसा और बंगाईपोसी के बीच मी.ला. के आमान परिवर्तन के लिए अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण।	-वही-	5,00	-वही-
17.	रायपुर-राजीम-धमतारी मी. ला. को ब.ला. में बदलने के लिए प्रारंभिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण को अद्यतन करना।	-वही-	2,19	परियोजना छोड़ दी गई है।

1	2	3	4	5
18.	रांची-लोहारडागा के आमान परिवर्तन तथा तोरी तक विस्तार के लिए सर्वेक्षण को अद्यतन करना।	द.पू.	3,39	सर्वेक्षण प्रगति पर है।
19.	आगरा और बांदीकुई के बीच लाइन के आमान परिवर्तन के लिए सर्वेक्षण।	पश्चिम	3,70	परियोजना स्वीकृत।
20.	गांधीधाम और भुज के बीच लाइन के आमान परिवर्तन के लिए सर्वेक्षण।	-वही-	1,45	-वही-
21.	अजमेर-चित्तौड़गढ़ के बीच लाइन के आमान परिवर्तन के लिए सर्वेक्षण।	-वही-	4,65	परियोजना योजना आयोग के विचाराधीन है।
22.	भावनगर-सुरेन्द्रनगर मी.ला. को ब.ला. में बदलने और भावनगर से पिपविया अलंग तक परिवर्तित लाइन के विस्तार के लिए इंजीनियरी एवं-यातायात टोह सर्वेक्षण।	-वही-	10,00	सर्वेक्षण प्रगति पर है।
23.	महु और रतलाम के बीच मौजूदा मी.ला. को ब.ला. में बदलना।	-वही-	2,80	सर्वेक्षण प्रगति पर है।
24.	रेवाड़ी-रींगस-फुलेरा के आमान परिवर्तन के लिए सर्वेक्षण।	-वही-	6,25	-वही-
25.	नौपाडा से गुनुपुर तक मी.ला. के आमान परिवर्तन और सिंहपुरम रोड तक विस्तार के लिए प्रारंभिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण।	-वही-	8,70	सर्वेक्षण रपट का मूल्यांकन किया जा रहा है।
26.	पूदर्पा-अकोला-खंडवा खंड के आमान परिवर्तन का प्रारंभिक इंजी. एवं यातायात सर्वेक्षण।	दक्षिण मध्य	11,49	सर्वेक्षण प्रगति पर है।

(ग) 1996-97 के दौरान शुरू किये जाने वाले प्रस्तावित सर्वेक्षणों का ब्यौरा इस प्रकार है :-

क्र.सं.	सर्वेक्षण का विवरण	रेल	सर्वेक्षण की लागत (हजार रुपयों में)
1	2	3	4
1.	पचौरा-जामनेर खंड (56 कि.मी.) के छो.ला. से ब.ला. में आमान परिवर्तन और 5 कि.मी. लंबो नई ब.ला. के निर्माण द्वारा अजंता गुफाओं तक विस्तार के लिए इंजीनियरी-एवं-यातायात टोह सर्वेक्षण।	मध्य	1,83
2.	अर्वो से अमला तक नई ब.ला. के निर्माण द्वारा विस्तार सहित पुलगांव-अर्वो (29 कि.मी.) के छो.ला. से ब.ला. में आमान परिवर्तन के लिए यातायात सर्वेक्षण।	-वही-	1,00
3.	पिपर रोड बिलारा के आमान परिवर्तन के लिए यातायात सर्वेक्षण।	उत्तर	50
4.	बरेली-भोजीपुरा, पीलीभीत-तनकपुर और भोजपुरा-लालकुआं खंडों के आमान परिवर्तन के लिए सर्वेक्षण।	पूर्वोत्तर	1,00
5.	दरभंगा-रक्सौल-नरकटियागंज (191 कि.मी.) के आमान परिवर्तन के लिए सर्वेक्षण को अद्यतन करना।	-वही-	5,73
6.	दरभंगा-सकरो-यजनगर (68 कि.मी.) के आमान परिवर्तन के लिए सर्वेक्षण को अद्यतन करना।	-वही-	2,4
7.	सकरो-झंझारपुर-लौकहाबाजार (72 कि.मी.) के आमान परिवर्तन के लिए प्रारंभिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण।	-वही-	2,16
8.	सकरो-निर्मलो (57 कि.मी.) के आमान परिवर्तन के लिए प्रारंभिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण।	-वही-	1,70

1	2	3	4
9.	रंगिया-भलूकपोंग (169 कि.मी.) के आमान परिवर्तन के लिए तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण।	पूर्वोत्तर सीमा	5,07
10.	बांकुरा दामोदर रिवर रेल को ब.ला. में बदलने और इसके तारकेश्वर, वर्धमान और दुर्गापुर तक विस्तार के लिए प्रारंभिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण।	दक्षिण पूर्व	7,50
11.	भुज-नालिया खंड (105 कि.मी.) के आमान परिवर्तन के लिए सर्वेक्षण।	पश्चिम	3,15
12.	भरूच-समनो-जबूसर-विश्वामित्री (95-54 कि.मी.) के आमान परिवर्तन के लिए सर्वेक्षण।	पश्चिम	2,87
13.	समनो-दहेज (40कि.मी.) के आमान परिवर्तन के लिए सर्वेक्षण।	-वही-	1,20
14.	जंबूसर-कवि (26 कि.मी.) के आमान परिवर्तन के लिए सर्वेक्षण।	-वही-	78
15.	भद्रन-बोचासम-पेटलाद-नाडियाड (59 कि.मी.) के आमान परिवर्तन के लिए सर्वेक्षण।	-वही-	1,77
16.	मियांगांव-कर्जन-डोबोई-सॅबिलिया के बीच छो.ला. से ब.ला. में आमान परिवर्तन के लिए प्रारंभिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण।	-वही-	2,37

होम गार्ड कर्मियों द्वारा परेशान किया जाना

2214. श्री के.डी. सुल्तानपुरी : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यातायात पुलिस के साथ तैनात होमगार्ड कर्मी स्कूटर एवं कार चालकों को लाइसेंस यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर जब्त कर लेते हैं जबकि उसे चालान करने के लिए कोई यातायात पुलिस इंस्पेक्टर नहीं होता है;

(ख) क्या प्रभावित व्यक्तियों को यातायात पुलिस इंस्पेक्टर के आने और घटनास्थल पर ही उसके द्वारा जुर्माना लिए जाने के लिए घंटो इंतजार करना पड़ता है;

(ग) ऐसी स्थिति में लोगों को परेशानी से बचाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार का विचार यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को परेशानी तथा विलम्ब से बचाने के लिए चालान करने तथा जुर्माना वसूल करने का अधिकार होम गार्ड कर्मियों को देने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) (क) जी नहीं, श्रीमान्। होमगार्डस, यातायात नियंत्रित करने में यातायात पुलिस की सहायता करते हैं। उन्हें लाइसेंस जब्त करने आदि के अधिकार नहीं हैं।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्। यातायात का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति को तभी रोका जाता है जब कम से कम जोनल अधिकारी वहां जुर्माना लेने के लिए मौजूद हों।

(ग) होमगार्डों और यातायात पुलिस के कर्मिकों को यह सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से ब्रीफ किया जाता है कि कम्प्यूटरों को तंग न किया जाए। यदि तंग किए जाने की कोई शिकायत ध्यान में आती है तो गलती करने वाले होमगार्ड्स/पुलिसकर्मी के खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

(घ) और (ङ). होमगार्ड्स को चालान करने और जुर्माना लेने के अधिकार दिए जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। मोटर वाहन नियमों के अनुसार, केवल यातायात पुलिस कर्मिक ही जो कि उप निरीक्षक रैंक से कम न हों, उन व्यक्तियों को चालान करने तथा उनसे जुर्माना लेने के लिए अधिकृत है जों कि यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं।

[हिन्दी]

यात्री सुविधाएं

2215. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं का अभाव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है;

(ग) दिल्ली में विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाएं प्रदान करने के लिए गत तीन वर्षों के दौरान कितनी राशि मंजूर की गई; और

(घ) रेलवे प्रशासन द्वारा निकट भविष्य में दिल्ली में प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 1993-94 : 740.34 लाख रुपये,
1994-95 : 1159.70 लाख रुपये,
1995-96 : 2144.11 लाख रुपये,

(घ) रेलवे स्टेशनों पर सुविधाएं उपलब्ध कराना/उनमें वृद्धि करना एक सतत् प्रकिया है तथा यातायात में वृद्धि होने के कारण जहाँ कहीं इनकी जरूरत है, धन की उपलब्धता के आधार पर/इन्हें उपलब्ध कराया जाता है, दिल्ली क्षेत्र के स्टेशनों पर वर्तमान में संभाले जा रहे यातायात के स्तर के अनुरूप यात्री सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। दिल्ली जंक्शन और हजरत निजामुद्दीन पर दूसरे प्रवेशद्वार की व्यवस्था से संबंधित मुख्य कार्यों तथा हजरत निजामुद्दीन पर मौजूदा प्रवेशद्वार तथा परिचलन क्षेत्र को चौड़ा करने और सुधार करने संबंधी कार्यों को पहले ही पूरा कर दिया गया है।

[अनुवाद]

समेकित मछली परियोजना

2216. श्री ई. अहमद : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष तथा आज तक समेकित मछली परियोजना (आई.एफ.पी.) कोची द्वारा कुल कितनी मात्रा में मछलियां प्रसंस्कृत की गई तथा बेची गई;

(ख) क्या इस परियोजना हेतु कोई विदेशी सहायता भी प्राप्त की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) पिछले तीन वर्षों से आज तक समेकित मछली परियोजना, कोची द्वारा संसाधित तथा विपणन की गई मात्रा इस प्रकार है :

क्र.सं.	वर्ष	संसाधित मात्रा (मी.टन)	विपणित मात्रा (मी.टन)
1.	1993-94	238.3	121.1
2.	1994-95	304.5	183.8
3.	1995-96	227.0	147.0
4.	1996-97 (जून, 1996 तक)	29.7	28.7

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

गिर वन के शेर

2217. श्री माधवराव सिंधिया : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 जून, 1996 के इंडियन एक्सप्रेस में "सेंकअरी विकम्स ए ट्रैप फार द लायन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो शासन गिर अभयारण्य में शेरों की संख्या के संबंध में किया गया अद्यतन आकलन क्या है और 1991 में उनकी संख्या क्या थी;

(ग) अभयारण्य में शेरों की तेजी से घटती संख्या के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा अभयारण्य में वन्य जीवन के बेहतर संरक्षण और विकास हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) जी, हाँ।

(ख) 1995 के नवीनतम मूल्यांकन के अनुसार गिर अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में शेरों की आबादी 304 थी जबकि इससे पहले 1990 की गणनानुसार यहां पर शेरों की आबादी 284 थी।

(ग) और (घ). जैसा कि उपर्युक्त आंकड़ों से स्पष्ट है गिर शेरों की आबादी में कोई कमी नहीं आई है। राज्य वन्यजीव प्राधिकारी गिर अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान तथा इसके वन्यजीवन के विकास के लिए सभी आवश्यक संरक्षण परिरक्षण और वासस्थल सुधार संबंधी कार्य कर रहे हैं। साथ ही, यह मंत्रालय भी गिर के विकास और इसके आस-पास के पारि-विकास के लिए राज्य को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। आठवीं योजना के दौरान अब तक प्रदान की गई निधियां निम्नवत् हैं :-

	स्कीम का नाम	लाख रुपए
1.	राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास	17.10
2.	राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्य के आस-पास पारि-विकास	16.480

[हिन्दी]

सहकारी बैंकों के लिए भवन

2218. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में कितने सहकारी बैंक सरकारी भवनों में नहीं चल रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन्हें विशेषकर जिला सरकारी बैंक, ललितपुर को सरकारी भवन उपलब्ध कराने हेतु क्या उपाय

किये जाने का विचार है ताकि ये बैंक सुचारू ढंग से कार्य कर सकें और यह भी सुनिश्चित किया जा सके कि मालिकों मकानों तथा इन समितियों/बैंकों के बीच हुए समझौतों का उल्लंघन न होने पाये?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख). उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और एक विवरण सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

[अनुवाद]

वन्य प्राणियों से प्राप्त वस्तुओं की तस्करी

2219. श्री रामसागर : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश से विशेषतः उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के रास्ते चीन, नेपाल और अन्य देशों को वन्य प्राणियों से प्राप्त वस्तुओं की हो रही तस्करी की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में वन्य प्राणियों से प्राप्त वस्तुओं की तस्करी को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली, कलकत्ता, मुम्बई और मद्रास में स्थित इस मंत्रालय के क्षेत्रीय वन्यजीव उपनिदेशकों द्वारा गत एक वर्ष में वन्यजीव जन्तुओं से निर्मित जो वस्तुए पकडी गई और जिन्हें देश से तस्करी द्वारा बाहर भेजा जा रहा था, उनके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए है।

(ग) वन्यजीव जन्तुओं से निर्मित वस्तुओं की तस्करी के रोक-थाम के लिए की गई कार्रवाई में निम्नलिखित शामिल हैं :

1. वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसुची I से 4 तक में सम्मिलित वन्यजीव जन्तुओ के शिकार किए जाने पर कानून द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है।

2. बाघ, हाथियों और गैंडों तथा उनके वास-स्थल की सुरक्षा और संरक्षण के विशेष उपायों को क्रियान्वित किया जा रहा है।

3. वन्य, वनस्पतिजात और प्राणिजात के संरक्षण के लिए 1,48,00 वर्ग कि.मी. क्षेत्र को शामिल करके 441 वन्य जीव अभयारण्यों और 80 राष्ट्रीय उद्यानों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है। राज्य सरकारों के अनुरोध पर राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है।

4. इस मंत्रालय ने वन्यजीव और वन्यजीव उत्पादों के अवैध व्यापार की समस्या से निपटने के लिए प्रभावी अन्तरविभागीय सहयोग और समन्वय स्थापित करने हेतु सीमा शुल्क, राजस्व आसूचना, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, पुलिस, सीमा सुरक्षा बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, रेलवे सुरक्षा बल और वैदेशिक डाकघर, ट्रैफिक इंडिया तथा वन्य जीव प्राधिकरण जैसे सभी प्रमुख प्रवर्तन संगठनों के प्रतिनिधियों को शामिल करके राष्ट्रीय समन्वय समिति का गठन किया है।

5. फरवरी और नवम्बर, 1995 में सभी प्रवर्तन अधिकरणों के लिए प्रवर्तन और वन्यजीव तथा अन्य संबंधित कानूनों तथा अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेंशनों के क्रियान्वयन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए है।

6. वन्य जीवों के अवैध व्यापार की जब कभी सूचना मिलती है तो आवश्यक होने पर अन्य प्रवर्तन एजेंसियों के सहयोग से वन्यजीव प्राधिकारियों द्वारा छापे मारे जाते हैं।

7. भारत ने संकटापन्न वन्य वनस्पतिजात और प्राणिजात प्रजाती व्यापार के अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेंशन में हस्ताक्षर किए हैं जिसके तहत संकटापन्न प्रजातियों, उनके अंगों और उनके निर्मित वस्तुओं के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को सख्ती से विनियमित किया जाता है।

8. वन्यजीव उत्पादों के अवैध व्यापार और तस्करी के बारे में गुप्त सूचना प्राप्त करने के लिए मुखबिरों को पुरस्कार दिए जाते हैं।

9. इस मंत्रालय द्वारा वन्यजीव और वन्यजीव उत्पादों के अवैध व्यापार से संबंधित मुद्दों की जांच करने के लिए स्थापित समिति ने इस समस्या से निपटने के लिए विशिष्ट उपायों की सिफारिश की है और इन्हें क्रियान्वयन हेतु राज्यों द्वारा अपनाया जा रहा है।

10. वन्यजीव उत्पादों के अवैध व्यापार और तस्करी को रोकने के लिए देश के प्रमुख निर्यात केन्द्रों पर वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय कार्यालय खोले गए हैं।

विवरण

गत एक वर्ष के दौरान दिल्ली, कलकत्ता, मुम्बई और मद्रास में स्थित क्षेत्रीय वन्यजीव उपनिदेशकों द्वारा जब्त की गई वस्तुओं की सूची

क्र.सं.	पकड़ी गई वस्तु		
1	2		
1.	वन्यजीव जन्तुओं की खालें	252	कि.ग्रा.
2.	छिपकिली की खाल	1	

1	2		
3.	मगरमच्छ की खाल	5	
4.	घड़ियाल की खाल	1	
5.	गिलहरी की खाल	2	
6.	जेब्रा की खाल (तैयार)	2	
7.	मनिटर छिपकिली की खाल	2	
8.	एल्क किरण की खाल	1	
9.	लोमड़ी और सियार की वस्तुएं	448	
10.	वन्यजीव जन्तुओं की सींग	6	
11.	हिरन की खाल की वस्तु	1	
12.	हिरन की सींग/उससे निर्मित वस्तु	25.7 21517	किं.ग्रा. +
13.	साही के कांटे	2750	ग्रा.
14.	नेवले के बाल की वस्तुएं	28.16 3712	कि.ग्रा. +
15.	जंगली चिड़ियों के पंख	7.395	कि.ग्रा.
16.	मोर पंख	11.2	कि + 3905
17.	फर	2016	कि.ग्रा.
18.	हाथी दांत की वस्तु	11.14	कि.ग्रा. + 34 अदद
19.	डालफिन मच्छली का जबड़ा	1	
20.	परिक्षित तितलियां	267	

पशुधन और डेरी की उत्पादकता

2220. श्रीमती वसुन्धरा राजे :
श्री जय प्रकाश अग्रवाल :
श्री धर्म भिक्षम :

क्या **पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा पशुधन तथा डेरी क्षेत्र की उत्पादकता बढ़ाने हेतु राज्यवार क्या कदम उठाये गए हैं/तथा योजनाएं शुरू की गई हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्यवार क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सहायता की गई है;

(घ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा अन्य अनुसंधान संस्थाओं द्वारा विकसित नई तकनीक को पशुधन तथा डेरी क्षेत्र में प्रयोग करने तथा इस अभीष्ट उद्देश्य की प्राप्ति हेतु आवश्यक मूलभूत सुविधाओं को विकसित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ङ) इस संबंध में नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए क्या-क्या योजनायें तैयार की गई हैं?

कृषि मंत्रालय में पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) राज्य सरकारों के कार्यक्रमों के अतिरिक्त, भारत सरकार पशुधन तथा डेयरी के उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है। ऐसी योजनाओं की एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जानकारी एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक के दौरान केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा राज्यों को प्रदान की गई सहायता सलंग्न विवरण में दी है।

(घ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित नई प्रौद्योगिकियां, कृषि विज्ञान केन्द्र, प्रशिक्षक प्रशिक्षण केन्द्रों, प्रयोगशाला से खेत कार्यक्रमों तक तथा विभिन्न संस्थानों के संचालनात्मक अनुसंधान परियोजनाओं के माध्यम से स्थानान्तरित की जा रही हैं। प्रौद्योगिकियों के स्थानान्तरण के लिए अपेक्षित बुनियादी सुविधाओं को समुचित रूप से सुदृढ़ किया गया है।

(ङ) नवीं योजना के लिए योजना प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

विवरण-I

केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की सूची

क. पशुपालन

1. हिमित वीर्य प्रौद्योगिकी तथा संतत्ति परीक्षण कार्यक्रम का विस्तार।
2. आहार तथा चारा विकास के लिए राज्यों को सहायता।
3. राष्ट्रीय पशुप्लेग उन्मूलन परियोजना।
4. पशु रोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता।
5. व्यावसायिक दक्षता विकास।
6. बूचड़खानों के सुधार/पशुशव उपयोग केन्द्रों तथा प्राथमिक निस्त्वचन एककों की स्थापना के लिए सहायता।
7. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रमुख पशुधन उत्पादन का अनुमान लगाने के लिए एकीकृत नमूना सर्वेक्षण तथा मुख्यालय में पशुपालन सांख्यिकी कक्ष का सुदृढीकरण।
8. राष्ट्रीय सांड उत्पादन कार्यक्रम।
9. राष्ट्रीय मेढा/मृग उत्पादन कार्यक्रम तथा खरगोश विकास कार्यक्रम।

10. भारवाही पशुओं का विकास।

11. एकीकृत सुअर विकास के लिए राज्यों को सहायता।

केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं की सूची

क. पशुपालन

1. पशुपालन कार्यक्रम का विस्तार।

खंडेरी विकास

1. गैर-ऑपरेशन फ्लड, पर्वतीय तथा पिछड़े क्षेत्रों में एकीकृत डेयरी विकास परियोजना।

विवरण-II

विभिन्न योजनाओं के अधीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्मुक्त निधियां।

(लाख रूपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	के दौरान निर्मुक्त निधियां		
		1993-94	1994-95	1995-96
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	275.34	139.39	627.82
2.	अरूणाचल प्रदेश	141.41	502.96	85.62
3.	असम	158.63	478.67	24.97
4.	बिहार	93.32	152.92	238.61
5.	गोवा	14.44	12.26	16.47
6.	गुजरात	691.75	475.70	594.00
7.	हरियाणा	391.07	48.08	358.44
8.	हिमाचल प्रदेश	103.95	142.26	102.02
9.	जम्मू एवं कश्मीर	92.76	358.14	300.65
10.	कर्नाटक	168.36	257.43	243.10
11.	केरल	191.26	375.08	471.00
12.	मध्य प्रदेश	417.23	597.48	531.91
13.	महाराष्ट्र	102.30	312.95	358.38
14.	मणिपुर	68.60	125.80	102.69
15.	मेघालय	31.09	99.15	115.48
16.	मिजोरम	143.30	201.29	252.14
17.	नागालैण्ड	115.68	202.08	11.63
18.	उड़ीसा	256.52	459.94	714.82
19.	पंजाब	95.90	251.67	184.40
20.	राजस्थान	87.39	109.44	73.66
21.	सिक्किम	197.74	232.90	16.75
22.	तमिल नाडु	302.50	388.27	236.30
23.	त्रिपुरा	105.84	256.12	136.23
24.	उत्तर प्रदेश	604.76	663.88	893.11
25.	पश्चिम बंगाल	183.50	547.25	620.95
	कुल : राज्य	4934.66	7391.11	7310.15
संघ राज्य क्षेत्र				
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	8.65	9.52	104.40
2.	चण्डीगढ़	8.41	7.40	7.55
3.	दादर एवं नगर हवेली	2.40	2.05	1.53
4.	दमन एवं दीव	1.00	0.90	-
5.	दिल्ली	64.24	142.49	51.77
6.	लक्षद्वीप	5.47	3.60	23.05
7.	पाण्डिचेरी	17.13	19.95	22.64
	कुल : संघ राज्य क्षेत्र	107.30	185.91	210.94
	सकल योग :	5041.96	7577.02	7521.09

आतंकवादियों की घुसपैठ

2221. श्री रामेश्वर पाटीदार : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आतंकवादियों द्वारा जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान की सीमाओं से घुसपैठ कर इन राज्यों के महानगरों में आतंकवादी कार्यवाही करने की योजना के बारे में कोई जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) घुसपैठ को पूरी तरह रोकने तथा निर्दोष और शान्तिप्रिय नागरिकों के जानमाल की रक्षा करने के लिए क्या निवारक उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख). सरकार को सूचना मिली है कि पाक आई.एस.आई और सिख और कश्मीरी उग्रवादियों के नेता, दो और तीन के दलों में उग्रवादी, अधिकांशतः सीमा पार के तस्करों के साथ, भेजने का प्रयास कर रहे हैं ताकि वे प्रमुख शहरों में बम विस्फोट करने सहित आतंकवादी कार्रवाईयां करें। यह सूचना सुरक्षा एजेंसियों द्वारा पकड़े गए आतंकवादियों/पाक राष्ट्रिकों द्वारा दी गई है।

(ग) सरकार ने सीमा पार से उग्रवादियों की घुसपैठ की रोकथाम करने के लिए निम्नलिखित उपाए किए हैं:

1) सीमा पार बाड़/फल्ड लाईटे लगाई गई हैं/ लगाई जा रही हैं।

2) आतंकवाद से प्रभावित राज्यों में राज्य पुलिस प्राधिकारियों और अर्ध-सैनिक बलों को विभिन्न पहलुओं और सीमा पार से होने वाले खतरों के बारे में सुग्राही बनाया गया है।

3) जीपों और मोटर साइकिलों की मदद से सीमा पर गश्त को गहन किया गया है और नाकाओं की संख्या बढ़ा दी गई है।

4) सीमा चौकियों के बीच की दूरी कम करने के लिए अतिरिक्त बटालियनें स्वीकृत की गई हैं तथा बेहतर निगरानी रखने के लिए निगरानी बुर्जों का निर्माण किया गया है।

5) सीमा पर बेहतर सतर्कता रखने के लिए दूरबीनें, धूप के चश्में, ट्विन टेलिस्कोप, नाईटविजन डिवाईसिज और हैंड सर्च लाईटें उपलब्ध करायी गई हैं।

6) नदी तटीय क्षेत्रों में गश्त लगाने के लिए नावें/मोटर-बोटें उपलब्ध करायी गई हैं।

7) वाहनों से गश्त लगाने के लिए सीमा सड़कों/ट्रकों का निर्माण/विकास किया जा रहा है।

8) सीमा पर कड़ी निगरानी रखने के लिए आसूचना संत्र को सक्रिय बनाया गया है।

सहकारी डेरी

2222. डा.टी. सुब्बारामी रेड्डी :क्या **पशुपालन और डेरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में डेरी अर्थव्यवस्था को भारी घाटा होने के लिए केन्द्र सरकार पर आरोप लगाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सम्पूर्ण देश में सहकारी डेरी 1992 से ही घाटे में चल रही हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या आंध्र प्रदेश राज्य डेरी विकास निगम (ए.पी.एस.डी.डी.सी.) को भारी घाटा हुआ है;

(घ) यदि हां, तो सरकारी डेरी को भारी घाटा होने के मुख्य कारण क्या हैं; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा डेरी अर्थव्यवस्था में सुधार लाने हेतु किस ठोस कार्यक्रम पर विचार किया जा रहा है?

कृषि मंत्रालय में पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) देश में बहुत कम सहकारी डेयरियां ही घाटे में चल रही हैं।

(ग) तथा (घ). आंध्र प्रदेश डेयरी विकास सहकारी परिसंघ घाटे में चल रहा है। राज्य डेयरी निगम को सहकारी परिसंघ में स्थानान्तरित उन एककों को हुए पिछले घाटे के साथ-साथ अधिप्राप्ति मूल्यों की तुलना में बिक्री मूल्य का अपर्याप्त मुनाफा तथा कर्मचारियों की अधिकता इस घाटे का मुख्य कारण है।

(ङ) डेयरी परिसंघों के पुनर्वास के लिए भारत सरकार ने योजना तैयार की है।

[हिन्दी]

बम विस्फोट

2223. श्री विजय गोयल : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली के लाजपत नगर में हाल ही में हुए बम विस्फोट की घटना में शामिल कुल लोगों को पकड़ा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पकड़े गए लोगों ने उक्त बम विस्फोट में पाकिस्तान का हाथ होने की बात स्वीकार की है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने पाकिस्तान सरकार से इस संबंध में अपना विरोध जताया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर पाकिस्तान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख). दिल्ली पुलिस ने इस संबंध में आठ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। ये इस प्रकार हैं :- (i) फारूख अहमद खान (ii) श्रीमती फरीदा उर्फ बहन जी (iii) मिर्जा इफ्तकार हुसैन उर्फ साबा (iv) मो. नौशाद (v) मो. अली भट्ट उर्फ किले (vi) मिर्जा निस्सार हुसैन (vii) ललित अहमद वाजा और (viii) सैय्यद मकबूल शाह।

(ग) गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों से पूछताछ करने पर पता चला है कि देश में विभिन्न शहरों में बम विस्फोट करने की नापाक योजना बनाने के पीछे जिस व्यक्ति का हाथ है वह पाकिस्तान में है। उसे विस्फोटों के लिए पाक आई.एस.आई. द्वारा आर.डी.एक्स. उपब्लब्ध कराया गया था।

(घ) और (ङ). आतंकवादी गतिविधियों में पाकिस्तान की लगातार अन्तर्ग्रस्तता के बारे में भारत सरकार के विचारों से पाकिस्तान की सरकार अवगत है। भारत सरकार ने अनेक अवसरों पर पाकिस्तान से आग्रह किया है कि वह आतंकवादी गतिविधियों को समर्थन देना तुरन्त बंद करे। पाकिस्तान ने लाजपत नगर बम-विस्फोट मामले में संलिप्त होने के आरोप से इन्कार किया है।

[अनुवाद]

दूध की आपूर्ति

2224. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में इस समय दूध की मांग और आपूर्ति का क्या ब्यौरा है;

(ख) क्या दिल्ली की मांग पूरी करने के लिए दूध की पर्याप्त आपूर्ति हो रही है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा मांग पूरी करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) दिल्ली में तरल दूध की मांग लगभग 25 लाख लीटर प्रतिदिन आंकी गई है, जिसमें से मदर डेयरी तथा दिल्ली दुग्ध योजना मिलकर लगभग 11.50 लाख लीटर दूध की पूर्ति करती हैं। शेष मांग को संगठित निजी डेयरियों तथा असंगठित क्षेत्र से पूरा किया जाता है।

नैशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल आफ नागालैंड

2225. श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल आफ नागालैंड द्वारा उसमें सीमा पर तोड़-फोड़ की गतिविधियां तेज कर दी गयी हैं;

(ख) क्या इसके सदस्य सीमा पार देशों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी गतिविधियों को रोकने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, नेशनल सोशलिस्ट काऊंसिल आफ नागालैंड (एन एस सी एन) की हिंसक गतिविधियां, नागालैंड के साथ लगने वाले असम के सीमावर्ती जिलों सहित अधिक होती जा रही है।

(ख) एन.एस.सी.एन. के सदस्य कुछ पड़ोसी देशों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

(ग) पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्रोही गतिविधियों से संबंधित स्थिति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और इसकी गहन पुनरीक्षा की जा रही है। विधि विरूद्ध क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के अन्तर्गत एन.एस.सी.एन को "गैर कानूनी संगठन" घोषित बनाए रखा गया है। केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों और सेना की अतिरिक्त टुकड़ियों की तैनाती के अलावा, गंभीर रूप से प्रभावित क्षेत्रों को "विक्षुब्ध क्षेत्र" के रूप मे घोषित किया गया है। आसूचना तंत्र को सुदृढ़ किया गया है। क्षेत्र में राज्य पुलिस तंत्र के आधुनिकीकरण के लिए सहायता दी गई है। कुछ राजनयिक पहले भी की गई है। आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए सरकार दृढ-संकल्प है।

विश्व पर्यावरण निधि

2226. श्री शरत पटनायक : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दक्षिण एशियाई क्षेत्रों में विश्व पर्यावरण निधि से सहायता प्राप्त कार्यक्रमों पर निगरानी रखने हेतु भारत में विश्व पर्यावरण निधि (जी.ई.एफ.) का एक क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रूग्ण उर्वरक एककें

2227. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रूग्ण उर्वरक एककों का पुनरूद्धार करने का है; और

(ख) ऐसे कितने उर्वरक एककों का पुनरूद्धार किए जाने का प्रस्ताव है और उन पर कितनी राशि खर्च की जाएगी?

रयायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) (क) और (ख) : सरकार ने हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि. (एच एफ सी) और फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लि. (एफ सी आई) नामक उर्वरक उत्पादक दो रूग्ण सार्वजनिक उपक्रमों के लिए अप्रैल, 1995 में पुनरूद्धार पैकेज को सिद्धान्त रूप में मंजूरी दी थी जिसमें इन उपक्रमों के एच एफ सी के बरौनी, दुर्गापुर और नामरूप एककों तथा एफ सी आई के सिन्दरी, रामागुण्डम और तालचर एककों के सीमित पुनरूद्धार की परिकल्पना की गई है जिससे इन उपक्रमों के पूंजी पुनर्गठन और वित्तीय राहतों के अलावा 2201.13 करोड़ रूपए के नये निवेश की (464.93 करोड़ रूपए एच एफ सी के लिए 1736.20 करोड़ रूपए एफ सी आई के लिए) आवश्यकता होगी। इन पैकेजों के लिए धनराशि की व्यवस्था नहीं हो पाई है। वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्त पोषण की दृष्टि से पुनरूद्धार पैकेज पुनः तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ दल गठित किया गया है।

[अनुवाद]

चामुंडी सफारी

2228. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने मैसूर के निकट चामुंडी पहाड़ी पर "चामुंडी सफारी" की स्थापना हेतु केन्द्र सरकार से वित्तीय सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) और (ख). कर्नाटक सरकार से चामुंडी पहाड़ियों में चामुंडी सफारी स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की प्राथमिकता मौजूदा चिड़ियाघरों में जीवजन्तुओं के प्रबंधन तथा इनके स्वास्थ्य में सुधार किया जाना है। संसाधन की बाध्यता के कारण केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण वर्तमान में नए सफारी उद्यानों के लिए परियोजनाओं को आर्थिक सहायता नहीं देता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता

कायमकुलम-कोल्लम बड़ी लाइन का दोहरीकरण

2229. श्री सुरेश कोडीकुन्नील : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कायमकुलम-कोल्लम रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलने का कार्य पूरा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है और अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) 56.48 करोड़ रु.

आतंकवाद को वित्तीय सहायता

2230. श्री पिनाकी मिश्र : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 जून, 1996 के 'ब्लिटज" में एक्सपोज्ड' मिलिटेंट मनी-गो-राउंड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है:

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) आतंकवादियों और देशद्रोहियों की गतिविधियों को रोकने हेतु क्या कार्यवाही की गयी है/ किए जाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग). सरकार को, जम्मू एवं कश्मीर में विभिन्न अलगाववादी नेताओं एवं संगठनों द्वारा कानून का उल्लंघन करते हुए अलग-अलग चैनलों और स्रोतों से बड़ी-बड़ी रकमें प्राप्त किए जाने संबंधी रिपोर्टों की जानकारी है। विदेशी अभिदाय (विनियमन) (अधिनियम) (एफ.सी.आर.ए.) के अंतर्गत 42 व्यक्तियों एवं 21 संगठनों को नोटिस जारी किए हैं। इन नोटिसों पर कार्रवाई के साथ-साथ विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियमन (फेरा) के उल्लंघन के संबंध में संबंधित एजेंसियों द्वारा कार्रवाई जोर शोर से की जा रही है। इस अवस्था में और अधिक ब्यौरे देना, चल रही जांच पड़ताल/अन्वेषण के हित में नहीं होगा।

गिर जंगलों में शेर का अवैध शिकार

2231. श्री माधवराव सिंधिया : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान गिरि जंगल में शेरों के अवैध शिकार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) वर्ष 1994-1995 तथा 1996 के दौरान अब तक गिर आरक्षित वन क्षेत्र में शेरों के शिकार के कितने मामले प्रकाश में आए हैं; और

(ग) ऐसे अवैध शिकारों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रभावकारी कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) और (ख). गुजरात के गिर वनों में शेर का अनियंत्रित ढंग से अवैध शिकार नहीं किया जा रहा है। गत तीन वर्षों में पता लगाए गए शेर के अवैध शिकार के मामले निम्नलिखित प्रकार से हैं :

1994-95	-	शून्य
1995-96	-	2
1996-97	-	3 (जून 1996 तक)

(ग) राज्य सरकार ने खबर दी है कि गिर शेरों के लिए मौजूदा सुरक्षा और संगठन उपायों को सुदृढ़ करने हेतु आवश्यक कदम उठाए गए हैं। इनमें वायरलैस नेटवर्क सहित प्रवर्तन प्रणाली का सुदृढ़ीकरण, पारिविकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन, वन्यजीवों के लिए वास-स्थलों का विकास और सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ करने के लिए अतिरिक्त जनशक्ति का लगाया जाना शामिल है।

इनके अलावा, उपर्युक्त अवैध शिकार के मामलों में 13 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, 3 बंदूकें जब्त की गई। तीन वन कर्मचारियों को निलम्बित किया गया और न्यायालय में एक शिकायत दायर की गई।

[हिन्दी]

गाड़ियों में सीटों पर अवैध रूप से कब्जा करना

2232. श्री विजय गोयल :
कुमारी उमा भारती :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली रेलवे स्टेशन पर गाड़ियों के अनारक्षित डिब्बों में सीटों पर अवैध रूप से कब्जा करने तथा यात्रियों से पैसा लेकर सीट देने में लिप्त गिरोह का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है; और

(घ) यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (घ). रेलवे द्वारा की गई निवारक जांचों के दौरान दिल्ली क्षेत्र में अनारक्षित सवारी डिब्बों में सीट हथियाने के मामले पकड़े गए हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान 93 लाइसेंससुदा कुली सीट हथियाने के मामले में पकड़े गए तथा इस मामले में लिप्त 288 असामाजिक तत्व हिरासत में लिए गए तथा रेल अधिनियम 1989 की संबंधित धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की गई।

[अनुवाद]

नैफेड/एन.सी.सी.एम. के कार्यालय

2233. श्री शरत पटनायक : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के पिछड़े क्षेत्रों में विपणन संबंधी समर्थन प्रदान करने हेतु 1996-97 के दौरान इन क्षेत्रों में नेफेड और एन.सी.सी.एम के कार्यालय खोलने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी, नहीं। नेफेड राज्य मुख्यालयों, प्रमुख टर्मिनल बाजारों तथा पोर्ट शहरों में अपनी शाखाओं के अलावा समस्त भारत में फैली सदस्य समितियों अर्थात राज्य सहकारी विपणन संघों तथा प्राथमिक कृषि सहकारी विपणन समितियों के माध्यम से कार्य करता है। एन.सी.सी.एफ. देश के अलग-अलग भागों में 19 शाखाओं के माध्यम से अपनी गतिविधियां चलाती है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान में रिक्त पद

2234. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर में श्रेणी-वार कितने पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) क्या इन पदों के रिक्त रहने से संस्थान के कार्यकरण और प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) :

(क)	वैज्ञानिक	–
	तकनीकी	157
	प्रशासनिक	88
	ऑक्जिलरी	16
	सहायक	193
	कुल	454

(ख) जी, नहीं। हम लोग संस्थान के कार्य को वर्तमान स्टाफ से चला रहे हैं और रिक्त पदों का संस्थान के कार्य तथा प्रगति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है। व्यय कम करने के लिए कुछ पदों को भरा नहीं गया है। रिक्त पदों को केवल तभी भरा जाता है जब काम की दृष्टि से इसकी नितांत आवश्यकता होती है।

(ग) आवश्यक पद जरूरत के आधार पर ही भरे जाते हैं।

रेलवे स्टेशनों पर सुविधाएं

2235. श्री काशीराम राणा :
श्री महेश कुमार एम. कनोडिया :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के उन रेलवे स्टेशनों के क्या नाम हैं जहां प्रतीक्षालय, रेस्तरां, पेयजल, शौचालय, विश्राम कक्ष तथा प्लेटफार्म पर छत नहीं है;

(ख) क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण करवाया गया है तथा यदि हां, तो ऐसे कितने मामलों की जानकारी रेल परामर्शदात्री समिति को दी गई है;

(ग) क्या चालू वित्त वर्ष के दौरान इन रेलवे स्टेशनों पर ये सुविधाएं प्रदान करने संबंधी कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (घ). प्रतीक्षालय, पीने के पानी तथा शौचालय जैसी सुविधाएं सभी स्टेशनों पर मुहैया करायी जाती हैं, जलपान गृह, विश्रामकक्ष, प्लेटफार्म पर सायवान आदि जैसी सुविधाएं किसी स्टेशन विशेष पर सम्हाले जाने वाले यातायात की मात्रा तथा उस स्टेशन से प्रारंभ होने वाली एवं वहां आकर समाप्त होने वाली तथा वहां ठहरने वाली लंबी दूरी की गाड़ियों की संख्या पर आधारित मानदंडों के अनुसार मुहैया करायी जाती हैं। अतः सभी स्टेशनों पर सुविधाओं की उपलब्धता एक समान नहीं होगी। प्रमुख स्टेशन तथा यातायात की भारी मात्रा वाले स्टेशनों पर सभी सुविधाएं मुहैया करायी जाती हैं जबकि यातायात की अपेक्षाकृत कम मांग वाले छोटे स्टेशनों पर उसी मात्रा में सुविधाओं की व्यवस्था नहीं की जाती है।

बहरहाल, एक सतत् प्रक्रिया के रूप में, रेलें प्रत्येक स्टेशन पर सुविधाओं की पर्याप्तता का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण करती हैं तथा जहां कभी कोई कमी पायी जाती हैं, उन्हें रेलवे के वार्षिक निर्माण कार्यक्रमों में उपयुक्त रूप से शामिल करते हुए पूरा किया जाता है।

सुविधाओं की व्यवस्था/बढ़ोतरी के प्रस्तावों को तैयार करते समय, विभिन्न परामर्शदात्री समितियों द्वारा दिए गये सुझावों को ध्यान में रखा जाता है।

तथापि, रेल मंत्रालय यह सूचना राज्यवार नहीं रखता है।

बंग्लादेशियों द्वारा घुसपैठ

2236. श्री ललित ठरांव : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में बंग्लादेशी लगातार घुसपैठ कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो ये घुसपैठिए किन-किन राज्यों में बस गए हैं और इनकी संख्या कितनी है;

(ग) क्या यह घुसपैठ सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों के साथ सांठ-गांठ से हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो उनके अवैध प्रवेश को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) बंगला-देशी घुसपैठियों की ठीक-ठाक संख्या का अनुमान लगाना कठिन है क्योंकि वे चोरी-छिपे प्रवेश करते हैं और जातीय एवं भाषायी समानताओं के कारण स्थानीय लोगों मे आसानी से घुल मिल जाते हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार वे अधिकांशतः पूर्वोत्तर, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली में सकेंद्रित

(ग) और (घ). यह सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई की जाती है कि सीमा सुरक्षा बल के कार्मिक उच्च स्तर का सदाचरण और निष्ठा बनाए रखें। बंगला देश से घुसपैठ रोकने के लिए सरकार ने अनेक उपाय किए हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं।- भारत-बंगलादेश सीमा पर सड़कों/बाड़ का निर्माण, नदीतटीय गश्त सहित गश्त में सीमा सुरक्षा बल द्वारा बढ़ोत्तरी तथा विदेशियों की घुसपैठ की रोकथाम (पी आई एफ) एवं सचल कार्य बल (एम टी एफ) योजनाओं का कार्यान्वयन।

[अनुवाद]

ट्रांसपोर्टरों द्वारा धोखाधड़ी

2237. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 अप्रैल, 1996 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में "एं रेकैट वर्थ करोर्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) राजधानी में चल रही धोखाधड़ी को रोकने हेतु यातायात पुलिस/परिवहन चालकों के विरुद्ध क्या प्रभावकारी कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग). दिल्ली पुलिस के अनुसार इस तरह का कोई भी संगठित रैकेट ध्यान में नहीं आया है। सतर्कता स्टाफ द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ नियमित चैकिंग की जाती है और भ्रष्ट कार्यों में संलिप्त पाए जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है।

रेलवे द्वारा देय राशियों का भुगतान

2238. श्री सोमजी भाई डामोर : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे के रतलाम डिवीजन में सेवानिवृत्त/मृत रेल कर्मचारियों विशेषरूप से अनु.जातियों/अनु.जन जातियों के कर्मचारियों को देय राशियों के अंतिम निपटान के तीन माह से अधिक समय से लंबित मामले कितने हैं;

(ख) इन मामलों के निपटान में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या निपटान में विलम्ब की जिम्मेदारी निर्धारित कर ली गई है; और

(घ) सभी मामलों में शीघ्रातिशीघ्र भुगतान करने के लिए क्या

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

जाली नोट

2239. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 मई, 1996 के इंडियन एक्सप्रेस में "आई एस आई ओपन्स ए न्यू फ्रंट विद फेक नोटिस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां तो क्या सीमा सुरक्षा बल ने अप्रैल, 1996 में जत्था तीर्थयात्री समूह से सीमा पार करने से पहले उनके पाकिस्तानी मुद्रा सौंपने के समय बड़ी मात्रा में जाली नोट जब्त किये हैं;

(ग) क्या अप्रैल, 1996 में गुजरात पुलिस को अपराध शाखा ने भी नशीले पदार्थों के तस्करों से पैंतीस हजार रुपये मूल्य की जाली मुद्रा भी जब्त की थी :

(घ) यदि हां, तो इस पूरे मामले पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) भारतीय अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने के इरादे से उग्रवादियों तथा तस्करों द्वारा देश में जाली नोटों के चलने को रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठा जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) गुजरात सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार पुलिस द्वारा 9 और 12 अप्रैल, 1996 को कच्छ जिले में 100 रु. मूल्य के 351 नकली भारतीय मुद्रा नोट, जिसकी कुल राशि 35, 100 रु. थी बरामद किए गए।

(घ) और (ङ). राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को, नकली भारतीय मुद्रा की समस्या से निपटने हेतु तंत्र को मजबूत करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक समय-समय पर प्रैस रिलीजें जारी करता है ताकि जनता को असली और नकली मुद्रा नोट के बीच अंतर समझ में आ जाए। नकली मुद्रा नोट की ही जांच-पड़ताल करने के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने भी एक विशेष यूनिट स्थापित की है। सीमा सुरक्षा बल ने भी अपनी अग्रिम पंक्ति की टुकड़ियों को अधिक सतर्क रहने के लिए सचेत कर दिया है।

भारतीय रेलवे खानपान तथा पर्यटन निगम

2240. श्री मोहन रावले : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय रेल खानपान तथा पर्यटन निगम के गठन का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समय उक्त प्रस्ताव किस चरण में है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). रेल खान-पान सेवाओं में गुणात्मक सुधार लाने के लिए संसद में प्रेस और यात्रियों द्वारा उठाई गई मांग के प्रत्युत्तर में भारतीय रेल खान-पान और पर्यटन निगम स्थापित करने का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य मौजूदा ठेका द्वारा प्रबंधित सुविधाओं को विशेषाधिकार के जरिए खान पान सेवाओं का उन्नत और व्यावसायिक बनाना और पर्यटन संबंधी अवसंरचना का विकास करना है।

इस प्रस्ताव की अन्तर्मंत्रालय के स्तर पर जांच कर ली गई है और अब केन्द्र सरकार के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है।

[हिन्दी]

"प्रदूषण नियंत्रण हेतु सहायता"

2241. डा. साहेबराव सुकराम बागूल : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाडा की किसी एजेंसी ने भारतीय उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में एजेंसी द्वारा कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) से (घ). पर्यावरणीय रूप से सुदृढ़ औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत की क्षमता में वृद्धि करने हेतु सी आई आई पर्यावरणीय प्रबंधन परियोजना नामक एक परियोजना के लिए भारत सरकार और कनाडा सरकार के मध्य 10 अक्तूबर, 1994 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। कनेडियाई अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी इस परियोजना के लिए 7 मिलियन अमरीकी डालर का अनुदान दे रही है। इस परियोजना को भारतीय उद्योग संघ के जरिए कार्यान्वित किया जा रहा है। इस परियोजना के उद्देश्य हैं: पर्यावरणीय रूप से सुदृढ़ औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना और पर्यावरणीय जागरूकता पैदा करने के लिए उद्योगों के लिए उपयुक्त पर्यावरणीय नीतियों का अनुप्रयोग तथा पारिस्थितिकीय दक्ष उपायों को अपनाने में भारतीय उद्योग में पारिस्थितिकीय क्षमता में सूचित पैदा करना एवं ऊर्जा तथा जल प्रबंधन में भारत-कनेडियाई

प्रौद्योगिकी सहयोग को बढ़ावा देना। इस परियोजना में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निरीक्षकों के लिए औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण तथा प्रशिक्षण सत्रों में प्रशिक्षण आयोजित करने की भी परिकल्पना की गई है। समझौता ज्ञापन की अवधि 31 दिसंबर, 2001 तक है।

आतंकवादी गतिविधियां

2242. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "खालिस्तान लिबरेशन फोर्स" के डिप्टी चीफ तथा अत्यंत खतरनाक आतंकवादी दया सिंह लहारिया के विरुद्ध अनेक राज्यों में कई गंभीर अपराधिक मामले दर्ज हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो की इंटरपोल विंग के माध्यम से दया सिंह लाहौरिया का प्रत्यर्पण कराने के लिए प्रयास किए गए हैं। परिणामस्वरूप, टैक्सास (संयुक्त राज्य अमेरिका) के उत्तरी जिले के जिला न्यायालय के न्यायाधीश ने उसके और उसकी पत्नी के प्रत्यर्पण के लिए आदेश पारित कर दिए हैं। भारत को उनके औपचारिक प्रत्यर्पण हेतु एक मांग पत्र केन्द्रीय जांच ब्यूरो की इण्टरपोल शाखा के अनुरोध पर विदेश मंत्रालय द्वारा भेजा जा रहा है।

विवरण

उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार, दया सिंह लाहौरिया निम्नलिखित मामलों में संलिप्त हैं :-

1. मामला प्र.सू.रि.सं. 84/95, दि. 25 फरवरी, 1995 भा.दं.सं. 307/364, टाडा (निवारण) अधिनियम 3/4/5, थाना - मालवीय नगर, जयपुर (राजस्थान)
2. मामला प्र.सू.रि.सं. 57/95, दि. 17 फरवरी, 1995 भा.दं.सं. की धारा 365 के अधीन, थाना अशोक नगर, जयपुर (राजस्थान)
3. मामला प्र.सू.रि. सं. 219/94, दि. 19 अप्रैल, 1994 भा.दं. सं. की धारा 364 के अधीन, थाना - कवि नगर, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश)
4. मामला प्र.सू.रि.सं. 316/93, दि. 11 सितम्बर, 1993 भा.दं.सं. की धारा 302/307/323/427/435/120 बी, टाडा (निवारण) अधिनियम 3/4/5, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 4/5, के अधीन थाना कनाट प्लेस, नई दिल्ली।
5. मामला प्र.सू.रि.सं. 150/93 दि. 10 मार्च, 1993 भा.दं.सं. की धारा 302/364/35/34 सहपठित धारा 25/27/54/59, शस्त्र अधिनियम, टाडा (निवारण) अधिनियम की धारा 3/4 के अधीन, थाना- श्रीनिवासपुरी, नई दिल्ली।
6. सी.बी.आई. केस आर सी 6 (एस)/92 एस आई यू - वी- सी बी आई, नई दिल्ली दि. 5 अगस्त, 92 भा.दं.सं. की धारा 120 बी के अधीन सहपठित धारा 3 एवं 4 टाडा (निवारण) अधिनियम एवं 25, शस्त्र अधिनियम तथा विस्फोटक पदार्थ की धारा 5 एवं 6 ।
7. मामला प्र.सू.रि.सं. 291/91 दि. 9 अक्तूबर, 1991 भा.दं.सं. की धारा 365/368/120-बी, टाडा (निवारण) अधिनियम की धारा 3 एवं 4 के अधीन थाना - लोदी कालोनी, नई दिल्ली।
8. मामला प्र.सू.रि.सं. 81 दि. 1.5.1988, भा.दं.सं. की धारा - 307/34, शस्त्र अधिनियम की धारा-25 टाडा (निवारण) अधिनियम की धारा 3/4, थाना सदर, पटियाला, (पंजाब)
9. मामला प्र.सू.रि.सं.-34, दि. 5.5.1987, भा.दं.सं. की धारा-392/, शस्त्र अधिनियम की धारा-25, टाडा (निवारण) अधिनियम 3/4 के अधीन, थाना - शहर खन्ना (पंजाब)
10. मामला प्र.सू.रि.सं. 25, दि. 22.1.1988, भा.दं.सं. की धारा - 302/307/34 के अधीन, थाना - कोतवाली, बरनाला (पंजाब)
11. मामला प्र.सू.रि.सं. 109 दि. 27.11.87, भा.दं.सं. की धारा - 380/457 के अधीन, थाना रायकोट, जिला जगरांव (पंजाब)
12. मामला प्र.सू.रि.सं. 23, दिनांक 18.2.1988, भा.दं.सं. की धारा 302/148/149, टाडा (निवारण) अधिनियम-3/4, तथा शस्त्र अधिनियम-25 के अधीन, थाना- रायकोट, जिला - जगरांव (पंजाब)
13. मामला प्र.सू.रि.सं. 27, दि. 19.3.1988, भा.दं.सं. की धारा 302/307/34, शस्त्र अधिनियम-25/27, टाडा (निवारण) अधिनियम - 3/4, थाना रायकोट, जिला जगराव (पंजाब)
14. सी बी आई मामला सं.- आर सी 5 (एस)/92-एस आई यू-वी, भा.दं.सं. की धारा-120 बी, सहपठित धारा 365, और टाडा (निवारण) अधिनियम, 1987 की धारा-3(3) एवं शस्त्र अधिनियम, 59 की धारा-25 के अधीन।
15. मामला प्र.सू.रि.सं.-403, दि. 12.9.95, थाना-हेयर स्ट्रीट पुलिस स्टेशन, कलकत्ता, भा.दं.सं. की धारा-467/468/471/420/120 बी के अधीन।

जाली शेयर

2243. श्री पवन दीवान :
श्री राम टहल चौधरी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत दो वर्षों के दौरान जाली शेयरों का कोई मामला दर्ज किया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ये शेयर किन कम्पनियों के हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग). अपराध को दर्ज करना, उसकी जांच-पड़ताल करना, पता लगाना और रोकथाम करने की जिम्मेवारी राज्य सरकारों की है। केन्द्र सरकार जाली शेयरों से संबंधित मामलों को दर्ज करने संबंधी आंकड़े संकलित नहीं करती है।

अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण

2244. श्री हरिवंश सहाय :
श्री सुख लाल कुशवाहा :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलवे में विभिन्न श्रेणियों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित कितने पद खाली पड़े हैं;

(ख) क्या केंद्र सरकार का विचार इन आरक्षित पदों को भरने का है;

(ग) यदि हां, तो ये पद कब तक भर दिए जाने की संभावना है; और

(घ) इन पदों को अब तक खाली रखने के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

देशद्रोही

2245. श्री के.डी. सुल्तानपुरी : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने व्यक्तियों के विरुद्ध देशद्रोह के मामले लंबित पड़े हैं;

(ख) कितने मामलों में कार्यवाही शुरू हो चुकी है; और

(ग) इन मामलों में कितने भारतीय और विदेशी व्यक्ति अन्तर्ग्रस्त हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन

2246. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने इस माह के प्रारम्भ में राज्यों के मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित किया;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेमलन में लिए गए विभिन्न निर्णय क्या हैं; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गयी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय ने बुनियादी न्यूनतम सेवाओं पर नई दिल्ली में 4-5 जुलाई, 1996 को मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित किया था।

(ख) सम्मेलन के निम्नलिखित लक्ष्यों को अपनाने और सन 2000 ई. तक इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी संभव प्रयास करने की सिफारिश की:-

i) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करवाने का लक्ष्य शत-प्रतिशत प्राप्त करना।

ii) समस्त ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक चिकित्सा सेवा सुविधाएं पहुंचाना।

iii) सभी को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाना।

iv) सभी बेघर गरीब परिवारों को सार्वजनिक आवास सहायता उपलब्ध कराना।

v) सभी ग्रामीण ब्लाकों और शहरी मलिन बस्तियों के प्राथमिक विद्यालयों में और साधनहीन वर्गों को दोपहर के भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत लाना।

vi) संपर्क मार्ग रहित गावों और रिहायशी इलाकों में संपर्क मार्ग उपलब्ध कराना।

vii) गरीबों पर अधिक ध्यान केन्द्रित करते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुचारू बनाना।

2. केन्द्र और राज्यों के बीच सहमति प्राप्त इन प्रमुख लक्ष्यों के अंतर्गत ही, धन के केन्द्रीय अंश का हस्तांतरण, कार्यान्वयन के संबंध में राज्यों के साथ लचीला रुख अपनाते हुए, किया जाए और ये कार्य स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल तथा पंचायतों और नगर-निगमों के माध्यम से लोगों की भागीदारी पर बल देते हुए कराए जाएं।

3. राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को उचित रूप से प्रतिबिंबित करने और इन प्राथमिकताओं पर प्रयासों और संसाधनों को संकेन्द्रित करने के लिए, सम्मेलन ने केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं को सुचारू बनाने का सुझाव दिया।

4. सात आधारभूत न्यूनतम सेवाओं से संबंधित सभी केन्द्र प्रायोजित योजनाओं को जारी रखा जाना चाहिए। इन आधारभूत न्यूनतम सेवाओं के अंतर्गत (क) समस्त ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ पेय जल मुहैया कराने तथा, (ख) समस्त ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा सुविधाएं मुहैया कराने एवं (ग) अगले 2-3 वर्षों में ही प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु, हर संभव प्रयास किये जाने चाहिए। तथापि, वे राज्य जिन्होंने इन क्षेत्रों में संतोषजनक परिणाम प्राप्त कर लिए हैं, वरीयता पूर्वक ध्यान देने के लिए अपनी आवश्यकताओं के अनुकूल इन सात आधारभूत न्यूनतम सेवाओं के अन्य घटकों का चयन कर सकते हैं जिससे 2-3 वर्षों के अन्दर ये लक्ष्य शत प्रतिशत प्राप्त कर लिए जाएं।

5. राज्यों तथा केन्द्र द्वारा इन आधारभूत न्यूनतम सेवाओं हेतु धन आवंटन का निर्धारण करते समय, राष्ट्रीय औसत से नीचे के राज्यों की विशेष आवश्यकताओं पर विचार किया जाए।

6. शहरी और ग्रामीण गरीबी उम्मूलन तथा रोजगार, मरूभूमि तथा बाढ़-बहुल क्षेत्रों का विकास, पोषक आहार के क्षेत्र में तथा हमारे समाज की अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अल्पसंख्यकों, तथा अपंग व्यक्यिों के कल्याणार्थ केन्द्र संचालित योजनाओं को इसी रूप में जारी रखा जाना चाहिए तथा इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में राज्यों को और अधिक भागीदारी/आजादी दी जानी चाहिए।

7. उपर क्रम संख्या 4 तथा 6 पर वर्णित योजनाओं को छोड़कर केन्द्र पोषित योजनाओं के अन्तर्गत प्रावधानों को एकीकृत किया जाना चाहिए तथा 1995-96 में राज्यों को किए गए आवंटन के आधार पर राज्यों के आधारिक हक का अनुपात निकाला जाना चाहिए। राज्यों को केन्द्र द्वारा परिचालित इन केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की सूची में से कार्यान्वयन के लिए इन योजनाओं के चयन की छूट होनी चाहिए। जो उनकी वार्षिक हकदारी का उपयोगे करने के लिए उनकी आवश्यकताओं के अनुकूल हो।

8. केन्द्र पोषित सभी योजनाओं के अन्तर्गत राज्य सरकारों की वार्षिक हकदारी प्रतिवर्ष 15-20 प्रतिशत बढ़ा दी जानी चाहिए।

9. केन्द्रीय योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, सुसंगत केन्द्रीय मंत्रालयों तथा मुख्यमंत्रियों के एक ग्रुप के साथ परामर्श करने के उपरांत इन दिशा निर्देशों तथा प्रक्रियाओं में संशोधनों के ब्यौरे तैयार करेगा। यह कार्य एक महीने के अन्दर ही पूरा किया जाए, जिससे कि इस वर्ष के दौरान ही संशोधन तथा परिवर्तन उपलब्ध हो सके।

10. सम्मेलन ने इन कार्यक्रमों के लिए केन्द्र तथा राज्य द्वारा नियमित संयुक्त प्रबोधन तथा पुनरीक्षण की सिफारिश की थी।

(ग) भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों तथा सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्र सरकारों से इन सिफारिशों को तेजी से प्रोसेस करने के लिए अनुरोध किया गया है। इन सिफारिशों को प्रोसस करने के लिए एक नोडल विभाग की पहचान के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्र सरकारों से भी अनुरोध किया गया है जिससे कि केन्द्रीय योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग उनके साथ पत्राचार कर सके।

भूमि घोटाला

2247. श्री प्रमोद महाजन : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का ध्यान दिनांक 15 जुलाई के "पाया-नियर" नई दिल्ली में "आफिसर इन लैंड स्केम बेल्ड आउट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) समाचार, भारतीय प्रशासनिक सेवा के उन दो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई से संबंधित है जो पहले संघ शाति क्षेत्र दमन और द्वीव में तैनात थे।

जम्मू-कश्मीर में चुनाव

2248. डा. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में आयोजित सर्वदलीय बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि जम्मू-कश्मीर में चुनाव सितम्बर तक पूरा कर लिया जाना चाहिए;

(ख) क्या इस निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले राज्य सरकार और राज्य के दलों के प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श किया गया था; और

(ग) सर्वदलीय बैठक की सर्वसम्मत सिफारिश पर जम्मू कश्मीर सरकार और निर्वाचन आयोग की प्रतिक्रिया क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग). जम्मू और कश्मीर में विधान-सभा चुनाव कराने से संबंधित मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिए प्रधानमंत्री ने 8 जुलाई 1996 को विभिन्न राजनैतिक दलों की एक सर्वदलीय बैठक बुलायी थी। बैठक के दौरान, इस बात पर सहमति थी कि राज्य में विधान सभा चुनाव जल्दी से जल्दी अधिमानतः सितम्बर, 1996 तक कराए जाने चाहिए। इससे पहले प्रधानमंत्री ने जम्मू और कश्मीर के दौरे के दौरान, 6 जुलाई 1996 को, राज्य में राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ भी विचार-विमर्श किया था, जिसमें भी इसी प्रकार

की सहमति बनी थी। सरकार इस मत से सहमत है। विधानसभा चुनावों के लिए निश्चित तारीखों को अंतिम रूप देने के लिए मामले को निर्वाचन आयोग के साथ उठाया गया है।

[हिन्दी]

भारत तिब्बत सीमा पुलिस

2249. श्री बची सिंह "बचदा" रावत : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत तिब्बत सीमा पुलसि की कुल सैन्य शक्ति क्या है:

(ख) क्या भारत तिब्बत सीमा पुलिस को सीमा की सुरक्षा के दायित्व का निर्वहन बहुत कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में करना पड़ता है;

(ग) क्या सरकार का विचार भारत तिब्बत सीमा पुलिस को आधुनिक हथियारों से सुसज्जित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस को कुल संख्या शक्ति 30,366 है।

(ख) जी हां, श्रीमान्।

(ग) और (घ). भारत-तिब्बत सीमा पुलिस यूनिटों को निम्नलिखित हथियारों सहित आधुनिक हथियरों से लैस किया गया है।

7.62 एस.एल.आर.

7.62 आई.एम.जी.

7.62. एम.एम.जी.

7.62 स्नीफर राइफल स्टायर

9 एम. एम. कार्बाइन

9 एम.एम.पिस्तौल

ए.के.-47 राइफलें

7.62 एस.एल.आर.जी.एफ. राइफल

51 एम.एम. मौर्टार

81 एम.एम. मोटार्र।

[अनुवाद]

उड़ीसा में उर्वरक उद्योग

2250. श्री रनजीब बिसवाल : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में कितने उर्वरक उद्योग सरकारी सहायता से चल रहे हैं,

(ख) इनमें से कितने उद्योग रुग्ण हैं,

(ग) सरकार द्वारा इन रुग्ण उद्योगों को अर्थक्षम बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) उड़ीसा में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के दो उर्वरक संयंत्र हैं अर्थात् (1) एफ.सी आई का तालचर संयंत्र और (2) सेल का राउरकेला उर्वरक संयंत्र।

(ख) और (ग). दि फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लि. (एफ सी आई) जिसका कोयले पर आधारित एकक तालचर, उड़ीसा में है, को औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बी आई एफ आर) द्वारा रुग्ण घोषित कर दिया गया है। सरकार द्वारा सिद्धान्त रूप में अनुमोदित एफ सी आई के पुनरूद्धार पैकेज में 1736.20 करोड़ रुपए का नया निवेश परिकल्पित है जिसमें तालचर एकक के लिए कोयला से नेफथा फ्रंट एण्ड चेंज हेतु 523 करोड़ रुपए भी शामिल है। बजटीय सहायता की आवश्यकता को न्यूनतम करने के लिए वित्तीय संस्थाओं के दृष्टिकोण से पुनरूद्धार पैकेज पुनः बनाने का निर्णय लिया गया है। अंतिम पुनरूद्धार पैकेज के लिए बी आई एफ आर जो एक न्यायिक कल्प है, को अनुमोदन की भी आवश्यकता पड़ेगी। तालचर एकक सहित क्रियाशील संयंत्रों में उत्पादन बनाए रखने के लिए सरकार संभव सीमा तक बजटीय सहायता प्रदान कर रही है।

अल्प सूचना प्रश्न

बचत व राहत योजना

अ.सू.प्र 1. श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में मछुआरों के लिए 1991-92 से चल रही "बचत व राहत योजना" में प्रति व्यक्ति 360 रुपये वार्षिक का अपना अंशदान देना बंद कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग को छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख). केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना एवं राहत घटक को 1.4.1996 से जारी नहीं रखने (छोड़ देने) के बारे में अनुदेश जारी कर दिए गए थे, क्योंकि यह महसूस किया गया था कि मानसून अवधि के दौरान मछुआरों को प्राप्त रोजगार के वैकल्पिक अवसर प्रति वर्ष 720 रूपये के सीधे अनुदान, जिसे केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा बराबर-बराबर वहन किया जाता है, की तुलना में अच्छे हैं। फिर भी विभाग द्वारा इस मामले पर विचार किया जा रहा है।

रेल पुलों के संबंध में दिनांक 22.8.1995 को अतारांकित प्रश्न संख्या 2795 के संबंध में दिये गए उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान): श्रीमान, रेल पुलों के संबंध में 22.8.95 को लोक सभा में सर्वश्री प्रभुदयाल कठेरिया और रामपूजन पटेल द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न सं. 2795 के उत्तर के भाग (क) में यह सूचित किया गया था:

(क) 483. राज्यवार सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी, इस बात के लिए खेद है कि दी गई सूचना सही नहीं थी क्योंकि रेलें निम्नलिखित किस्म के पुलों का निर्माण करती हैं:-

(क) सड़क यातायात गुजारने के लिए निर्मित किए जाने वाले ऊपरी/निचले सड़क पुल

(ख) नई लाइनों/दोहरी लाइनों तथा अतिरिक्त साइडिंगों पर उपलब्ध कराए जाने वाले रेल पुल.

(ग) आमान परिवर्तन या दशा आधार के कारण बदलाव के आधार पर निर्मित किए जाने वाले रेल पुल.

संभवतः यह प्रश्न ऊपरी/निचले सड़क पुलों के संबंध में है. पुलों के सांख्यिकी आंकड़े/वस्तु सूची क्षेत्रीय रेलों द्वारा रखी जाती है. उत्तर देते समय कतिपय क्षेत्रीय रेलों ने रेलवे के अपने पुलों अर्थात् ऊपरी/निचले सड़क पुलों से इतर पुलों को भी इसमें शामिल कर लिया था. बहरहाल, अब 1992-93 से 1994-95 के दौरान निर्मित किए गए ऊपरी/निचले सड़क पुलों की राज्यवार स्थिति का संचलन करते समय यह देखा गया है कि निर्मित किए गए पुलों (ऊपरी/निचले पुलों) की कुल संख्या 48 है न कि 483.

सही उत्तर निम्नानुसार होना चाहिए :-

(क) 48. राज्यवार सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

विलंब के कारण

सूचना विभिन्न क्षेत्रीय रेलों से इकट्ठी की जानी थी. क्षेत्रीय रेलें ऐसे आंकड़े राज्यवार नहीं रखती हैं। इसके बजाय क्षेत्रवार आंकड़े रखे जाते हैं। रेलों पर पुलों की कुल संख्या दी गई थी और राज्यवार आंकड़े प्रस्तुत करने के लिए आश्वासन भी दिया गया था। राज्यवार आंकड़े इकट्ठा करने में समय लगा।

राज्यवार आंकड़े संकलित करते समय यह नोट किया गया कि पूर्व में प्रस्तुत आंकड़ों में ऊपरी/निचले सड़क पुलों से इतर कुछ पुलों को शामिल किया गया है। आंकड़ों की समीक्षा तथा संख्या ठीक सैट करने में कुछ समय लगा क्योंकि क्षेत्रीय रेलों को संदर्भ दोबारा भेजे जाने थे जिसमें समय लगा और इसके कारण सही विवरण प्रस्तुत करने में विलंब हुआ।

इसलिए जो गलती हुई है वह परिस्थितिजन्य थी और भूलवश हुई है। भविष्य में ऐसी पुनरावृतियों से बचने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे।

तत्पश्चात लोक सभा अपराह्न 6.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई

अपराह्न 6.01 बजे

लोक सभा अपराह्न 6.01 बजे पुनः समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

सभा पटल पर रखे गये पत्र

वर्ष 1996-97 के लिये रक्षा मंत्रालय की विस्तृत अनुदानों की मांगें और वर्ष 1996-97 के लिये रक्षा सेवा प्राक्कलन।

[हिन्दी]

रक्षा मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं-

(1) वर्ष 1996-97 के लिए रक्षा मंत्रालय की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल टी 197/96]

(2) वर्ष 1996-97 के लिए रक्षा सेवा प्राक्कलनों की एक प्रति हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल टी 198/96]

[अनुवाद]

वर्ष 1996-97 के लिए गृह मंत्रालय की विस्तृत अनुदानों की मांगें (खण्ड) और वर्ष 1996-97 के लिए गृह मंत्रालय बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की विस्तृत अनुदानों की मांगें (खण्ड 2)

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) मैं निम्लिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं।

(1) वर्ष 1996-97 के लिए गृह मंत्रालय की विस्तृत अनुदानों की मांगों (खण्ड 1) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संरकरण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल टी 200/96]

(2) वर्ष 1996-97 के लिये गृह मंत्रालय (बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र) की विस्तृत अनुदानों की मांगो (खण्ड 2) को एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल टी 201/96]

वर्ष 1996-97 के लिये वाणिज्य मंत्रालय की विस्तृत अनुदानों की मांगें

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी. खलप) : मैं श्री बोल्ला बुल्ली रामैया की ओर से वर्ष 1996-97 के लिए वाणिज्य मंत्रालय की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल टी 201/96]

वर्ष 1996-97 के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय की विस्तृत अनुदानों की मांगें

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : मैं वर्ष 1996-97 के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल टी 204/96]

वर्ष 1994-95 के लिए संघ के विभिन्न शासकीय प्रयोजनों हेतु हिन्दी के प्रसार और विकास तथा इसके उतरोतर प्रयोग के लिये कार्यक्रम और उसके कार्यान्वयन के संबंध में वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन।

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी. खलप) : मैं श्री मोहम्मद मकबूल डार की ओर से वर्ष 1994-95 के लिए संघ के विभिन्न शासकीय प्रयोजनों हेतु हिन्दी के प्रसार तथा विकास को बढ़ावा देने तथा इसके उत्तरोत्तर इस्तेमाल के लिए कार्यक्रम और इसके कार्यान्वयन के संबंध में वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल टी 205/96]

[अनुवाद]

श्री पी.आर.दासमुंशी (हावड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था के प्रश्न पर खड़ा हुआ हूं। कृपया भारत के संविधान का अनुच्छेद 105 देखें। अनुच्छेद 105 में इस सभा के प्रत्येक सदस्य को आपकी अनुमति तथा लोक सभा की प्रक्रिया और कार्यसंचालन संबंधी नियमों के अध्यधीन वाक स्वतंत्रता की गारंटी दी गयी है। उस दिन, आपकी अनुमति से मैंने सदस्यों के अधिकार तथा राष्ट्रपति के निर्देश पर श्री एच डी देवेगौड़ा सरकार के प्रति विश्वास मत पर हुए मतदान की पद्धति के विषय में मामला उठाया था। उस समय भी सदन में आप ही पीठासीन थे। इस मामले को किसी ने इलाहाबाद उच्च न्यायाल में उठाया है। आज टाइम्स आफ इन्डिया में प्रकाशित हुआ है कि उच्चतम न्यायालय बार एसोसियशन के प्रसीडेन्ट ने कहा है कि संसद के बहुत से सदस्य ...**(व्यवधान)**

विपक्ष के नेता तथा अन्य कई माननीय सदस्यों ने भी इस विषय में अनुरोध किये हैं इस सबके बावजूद यह पीठासीन अधिकारी का अपमान है।

अध्यक्ष महोदय : हम इस मामले पर चर्चा करेंगे। मैं चर्चा के लिये समय निकालूंगा। उस समय आप इस मामले को उठा सकते हैं। समाचार पत्रों में तो प्रतिदिन कुछ न कुछ आता ही रहता है। इसका कोइ अन्त नहीं है।

श्री पी.आर. दासमुंशी : प्रति दिन यही हो रहा है। हम लोग यह सब नहीं कर रहे हैं।

श्री राजेश पायलट (दौसा) : में प्रधानमंत्री जी से एक छोटा सा स्पष्टीकरण चाहता हूं। माननीय कृषि मंत्री ने कल पटना में एक वक्तव्य दिया है जिसमें कहा गया है कि बाढ़ के कारण जिस किसी की मृत्यु हो जाएगी उसे 50,000 रू. और बाढ़ के कारण प्रभावित होने वाली फसल के लिये प्रत्येक किसान के 5000 रू. प्रति एकड़ मुआवजा दिया जायेगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह व्यवस्था केवल बिहार के लिये ही है अथवा समस्त देश के लिए क्योंकि राजस्थान में तथा देश के अन्य भागों में ऐसा मुआवजा नहीं दिया गया है क्या यह केवल बिहार के लिए ही है?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से इस समय शून्य काल को अनुमति नहीं दी जा सकती।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : अध्यक्ष महोदय, यह सारे देश में लागू होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से प्रधान मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार ने सारा हिसाब बनाकर भेज दिया है, लेकिन अभी तक भुगतान नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट : यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप बिहार में तो किसान को 5000 देंगे परन्तु राजस्थन अथवा उत्तर प्रदेश में किसान को नहीं। यह संभव नहीं है। मेघालय भी प्रभावित है...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। पूरे देश के अंदर यह स्थिति है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरा विचार है कि मैं इस समय शून्य काल की अनुमति नहीं दे सकता। मैं अनुमति नहीं दे सकता।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत : अध्यक्ष महोदय, आप क्लीयर ये डायरैक्शन दें कि सारे देश में बाढ़ से मरने वालों को यह धनराशि समान रूप से दी जाएगी। किसी राज्य के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट : पैसा प्रधानमंत्री राहत कोष से दिया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से ऐसी व्यवस्था किसी एक राज्य तक सीमित नहीं होगा, मेरे विचार से प्रधान मंत्री का तात्पर्य केवल किसी राज्य विशेष से नहीं है।

श्री राजेश पायलट : वह अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार है....**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत : मान्यवर, प्रधानमंत्री जी यहां मौजूद हैं। इसके बारे में वह एम्सप्लेन करें। सरकार में प्रधान मंत्री सर्वोच्च है, वे इस बात को कहें।

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट : सरकार को इस विषय में कुछ कहना चाहिये।

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद का वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा वर्ष 1994-95 के परिषद के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा तथा उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण।

[अनुवाद]

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्री (श्री किन्नारापू येरानायडू) महोदय मैं श्री रघुवंश प्रसाद सिंह की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 की धारा 66 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारतीय पशु चिकित्सा परिषद (पंजीकरण) संशोधन विनियम, 1995 जो 6 दिसम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का. नि. 778 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल टी 202/96]

(2)(एक) भारतीय पशु चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय पशु चिकित्सा परिषद नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(3) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल टी 203/96]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 377 के अधीन मामले लेंगे। श्री जगतवीर सिंह द्रोण बोलेंगे।

श्री जगतवीर सिंह द्रोण (कानपुर) मुझे सचिवालय में विवरण प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : नियम 377 के अधीन मामलों को हम बाद में ले सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें विवरण मिल गया है।

अपराह्न 6.08 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) कानपुर की सूती कपड़ा मिलों को अर्थक्षम बनाने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने का आवश्यकता।

[हिन्दी]

श्री जगत वीर सिंह द्रोण (कानपुर) : अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1995-96 के केन्द्रीय बजट से रूण सरकारी औद्योगिक प्रतिष्ठानों के पुनर्जीवन हेतु कोई प्रावधान न किए जाने से पूरे देश में रूग्ण तथा

विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के औद्योगिक नगर कानपुर में घोर निराशा एवं अनिश्चितता की स्थिति बन गई है। ऐसा लगता है कि बी.आई. एफ.आर. को संदर्भित टेनरी एंड फुटवेयर कार्पोरेशन, नेशनल टैक्सटाइल कार्पोरेशन की कपड़ा मिलें, ब्रिटिश इंडिया कार्पोरेशन के अन्तर्गत मिलें, स्कूटर्स इंडिया लि. तथा हिन्दुस्तान वेजीटेबल आयल कार्पोरेशन, जिनमें घोर वित्तीय संकट है, सरकार ने इन्हें स्वाभाविक मृत्यु मरने के लिए छोड़ दिया है। बी.आई.सी. के पुनर्जीवन हेतु अनेक बार प्रस्ताव दिए गए है परन्तु सरकार ने ऐसे प्रस्तावों पर ईमानदारी के साथ विचार नहीं किया है। कानपुर जो कभी उत्तर भारत की औद्योगिक राजधानी के रूप में जाना जाता था, आज उद्योगों का कब्रिस्तान बन गया है एवं हजारों मजदूर बेरोजगार होकर दाने-दाने को मोहताज हो गए हैं। कुछ समय पूर्व सरकार ने 2005 करोड़ की योजना कपड़ा मिलों के पुनर्जीवन के लिए घोषित की थी परन्तु एक वर्ष बीत जाने पर भी कुछ नहीं किया गया है। टैफको का बी.आई.एफ.आर. को बिना त्रिपक्षीय वार्ता के सौंप दिया गया जबकि वास्तविकता यह है कि यह इकाई जिसमें 85 प्रतिशत मजदूर अल्पसंख्यक तथा अनुसूचित जाति के काम करते है; आर्थिक सहायता देकर लाभदायक बनाई जा सकती है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि कानपुर स्थित टैफको, एन.टी.सी. तथा बी.आई.सी. मिलों को आर्थिक सहायता देकर चालू करें जिससे बहुत बड़ी संख्या में मजदूर बेरोजगार होने से बचाए जा सकें तथा संभावित श्रमिक अशांति को टाला जा सके।

(दो) उड़ीसा में बीरमित्रपुर और बेनार पाल के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग के रखरखाव के लिये पर्याप्त धनराशि स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

कुमारी फ्रिडातोपनो (सुन्दरगढ) : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान उड़ीसा में बीरमित्रपुर बेनारपाल तक राष्ट्रीय राजमार्ग की अत्यन्त खराब स्थिति की ओर दिलाना चाहती हूं। यह राजमार्ग औद्योगिक इस्पात नगर राउरकेला तथा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर के बीच सबसे छोटा सम्पर्क मार्ग है। परन्तु राजमार्ग का रखरखाव ठीक प्रकार से नहीं किया जा रहा है। यह राजमार्ग मेरे जिले के अत्यन्त पिछड़े भाग से होकर जाता है। यद्यपि यह क्षेत्र खनिज सम्पदा में सम्पन्न है, यहां लौह अयस्क के बडे निक्षेप हैं परन्तु राजमार्ग की खराब स्थिति के कारण हमारी उदारीकरण की नीति के बावजूद भी यहा उद्योग स्थापित करने के लिये औद्योगिक घराने आकर्षित नहीं हो पाते। इस अत्यन्त पिछड़े क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना हेतु औद्योगिक घरानों को आकर्षित करने के प्रयोजन से इस राजमार्ग का सुधार किया जाना पहली आवश्यकता है।

अतः, मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करती हूं कि इस राजमार्ग के सुधार के लिये शीघ्र ही पर्याप्त धनराशि स्वीकृत की जाए।

(तीन) केरल के वायनाड जिले में मनानकोडी में कम शक्ति वाला टी.वी. ट्रांसमीटर स्थापित किये जाने की आवश्यकता।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन (कन्नानौर) : जब दूरदर्शन द्वारा मीडिया क्षेत्र में इतना तेज और व्यापक रूप से विकास किया जा रहा है और देश के कोने कोने में टेलिविजन सुविधायें पहुचाई जा रही है, केरल के अत्यन्त पिछड़े हुए वायनाड जिले की जहाँ आदिवासियों की जनसंख्या सर्वाधिक है, घोर उपेक्षा की जा रही है। तथापि सूचना और प्रसारण मंत्री ने इस क्षेत्र के लोगों को कुछ आशा बंधाई है। उन्होंने गतवर्ष लोगों को आश्वासन दिया है कि केरल में वायनाड जिले के मनानकोडी में शीघ्र ही कमशक्ति वाला टी.वी. ट्रांसमिटर लगाया जायेगा। परन्तु इस परियोजना को क्रियान्वित करने के मामले में क्योंकि अभी कोई प्रगति नहीं हुयी है इस क्षेत्र के लोगों में रोष बढ़ता जा रहा है और वे भ्रमित हो रहे हैं।

अतः मैं सूचना और प्रसारण मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह केरल के वायनाड जिले के मनानकोडी में कम शक्ति वाला टी.वी ट्रांसमिटर स्थापित कराने के लिए शीघ्र कदम उठाये।

(चार) रोजगार के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में सुनिश्चित करने के लिये संविधान में संशोधन किये जाने की आवश्यकता।

श्री सुनील खान (दुर्गापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, संविधान के भाग तीन के अनुच्छेद 16 में भारत के नागरिकों को सरकारी रोजगार के मामले में समान अवसर की गारंटी दी गई है। संविधान के अनुच्छेद "में उल्लिखित है कि राज्य नागरिकों पुरूषों एवं महिलाओं को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार प्रदान करने के लिए अपनी नीति, विशेष रूप से निर्दिष्ट करेगा। परन्तु स्वतंत्रता प्राप्ति के 49 वर्षों बाद भी हमारे देश में लाखों लोग बेरोजगार हैं।

संविधान के नीतिनिर्देशक तत्वों को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से अनुच्छेद 39 (क) में जिनका प्रावधान किया गया है, और गरीबी उन्मूलन के उद्घोषित कार्यक्रम के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये संविधान के भाग तीन में संशोधन करना अत्यन्त आवश्यक हो गया ताकि रोजगार के अधिकार को मौलिक अधिकार सुनिश्चित किया जा सके।

देश पर्यन्त लाखों युवकों की यही मांग है। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस दिशा में आवश्यक कार्यवाही की जाए।

(पांच) आंध्र प्रदेश के तुनी में रेल फाटक पर उपरिपुल के निर्माण की आवश्यकता

श्री टी. गोपाल कृष्ण (काकीनाड़ा) : महोदय आन्ध्र पदेश में तुनी एक महत्वपूर्ण नगर है। नगर के चारों और पिछडे गांव है।

वाणिज्य रूप से महत्वपूर्ण इस नगर में प्रतिदिन काफी बड़ी सरकार में लोग आते जाते हैं। दुर्भाग्य से नगर के बीच से जाने वाली रेल लाइन तथा इस लाइन पर बने एवं रेल फाटक के कारण, जो दिन में लगभग 14 घन्टे बन्द रहता है जिसके कारण यातायात अवरूद्ध हो जाता है, सुचारू रूप से चलने वाले यातायात में बाधा पड़ती है। ग्रामवासी जो अपने कृषिउत्पाद फल, सब्जी आदि इस स्थानीय बाजार के लिये लाते है उन्हें इस रेल फाटक के बन्द रहने पर बहुत असुविधा होती है। इसके अतिरिक्त निकट ही एक चीनी कारखाना है जो अपने माल को ट्रकों/ट्रैम्पो द्वारा इस नगर में भेजता है। प्रतिदिन अधिकांशत इस फाटक के बंद रहने के कारण जनता के बहुत बुरा लगता है। यहा मैं इस बात का भी उल्लेख करना चाहूंगा कि तुनी रेलवे स्टेशन कलकत्ता जाने वाले ट्रंक मार्ग पर है और बहुत सी रेल गाड़ियां सुपर फास्ट/एक्सप्रेस/मालगाड़ियां, इस नगर से गुजरती हैं।

मैं माननीय रेलमंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह लोगों की सहायता करने के उद्देश्य से तुनी इस रेल फाटक पर शीघ्र ही उपरि पुल का निर्माण कराने पर विचार करें। इसी बीच रेल अधिकारी लोगों की कठिनाइयों का मूल्यांकन करने के उद्देश्य एक सर्वेक्षण करा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : अब श्री पासवान जी संकल्प पेश करें।

अपराह्न 6.16 बजे

रेल उपक्रम द्वारा राजस्व को देय लाभांश की दर की पुनरीक्षा करने हेतु संसदीय समिति के लिये मनोनयन के बारे में संकल्प

[हिन्दी]

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित संकल्प पेश करता हूं:-

> "कि यह सभा संकल्प करती है कि वर्तमान में रेल उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व को देय लाभांश की दर और रेल वित्त तथा सामान्य वित्त से संबंधित अन्य आनुषंगिक मामलों का पुनर्विलोकन करने तथा उन पर सिफारिश करने के लिए एक संसदीय समिति नियुक्त की जाए जिसमें 12 सदस्य इस सभा में हों जिन्हें अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा।"

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

> "कि यह सभा संकल्प करती है कि वर्तमान में रेल उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व को देय लाभांश की दर और रेल वित्त तथा सामान्य वित्त से संबंधित अन्य आनुषंगिक मामलों का पुनर्विलोकन करने तथा उन पर सिफारिश करने के लिए एक संसदीय समिति नियुक्त की जाए जिसमें 12 सदस्य इस सभा में हों जिन्हें अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

[हिन्दी]

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : महोदय, मैं निम्नलिखित संकल्प पेश करता हूं:-

> "कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह वर्तमान में रेल उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व को देय लाभांश की दर और रेल वित्त तथा सामान्य वित्त से संबंधित अन्य आनुषंगिक मामलों का पुनर्विलोकन करने तथा उन पर सिफारिश करने के लिए संसदीय समिति में राज्य सभा से 6 सदस्य सहयुक्त करे तथा इस प्रकार से नियुक्त सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

> "कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह वर्तमान में रेल उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व को देय लाभांश की दर और रेल वित्त तथा सामान्य वित्त से संबंधित अन्य आनुषंगिक मामलों का पुनर्विलोकन करने तथा उन पर सिफारिश करने के लिए संसदीय समिति में राज्य सभा से 6 सदस्य सहयुक्त करे तथा इस प्रकार से नियुक्त सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

[हिन्दी]

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर) : अध्यक्ष जी, मेरा पाइंट ऑफ आर्डर है। आज हमें जो लिस्ट ऑफ बिजनेस दी गई है, उसमे आईटम नम्बर 11 और 12 पर रेलवे बजट के फर्स्ट और सैकिंड फेज के डिसकशन के बारे में लिखा हुआ है। अभी-अभी एक सप्लीमेंट्री लिस्ट ऑफ बिजनस दी गई है जिसके बारे में मुझे घोर आपत्ति है। मैं लिस्ट ऑफ बिजनस के संबंध में रूल 31 का पहला परिच्छेद पढ़ना चाहता हूं।

[अनुवाद]

> "(एक) महासचिव प्रत्येक दिन की एक कार्य सूची तैयार करेगा और उसकी एक प्रति प्रत्येक सदस्य के उपयोग के लिए उपलब्ध कराई जायेगी।
>
> (दो) इन नियमों में अन्यथा उपबन्धित व्यवस्था को छोड़कर अध्यक्ष की अनुमति के बिना किसी बैठक में कोई ऐसा कार्य नहीं किया जायेगा जो उस दिन की कार्यसूची में सम्मिलत न हो।"

[हिन्दी]

मुझे इस बात से गंभीर आपत्ति है क्योंकि यह सरकार सारे नियमों, संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है। यह एक गंभीर मामला है। जब यह तय है कि रेल बजट की चर्चा के बाद बिल लाना ही है और कन्टिनजेंट बिल आएगा लेकिन इस लिस्ट ऑफ बिजनेस में इस प्रकार का कुछ नहीं दिया गया है। यह लिस्ट ऑफ बिजनस पहले 26 तारीख को प्रिंट हुई, बाद में 29 तारीख को रीप्रिंट हुई। हमारे पास रीप्रिंटेड कापी भी कल आ गई है। उसमें भी यह नहीं दिखाया गया है। लेकिन जब रेलवे के बारे में वोट ऑन एकाउंट करना था, उस समय कन्टिनजेंट बिल का आईटम, लिस्ट ऑफ बिजनेस में लिया गया था। मुझे पता नहीं चल रहा है कि यह सरकार कैसे काम कर रही है। ग्रांट्स मंजूर करवानी है। यदि एप्रोप्रिएशन बिल यहां नहीं आएगा और यहां से पास होकर राज्य सभा में नहीं जाएगा तो संविधान कैसे चलेगा, पैसा कैसे मिलेगा। यह पहला अवसर है कि पहले बिल की चर्चा कर रहे हैं, जनरल बजट के पहले वोट ऑन एकाउंट कर रहे हैं। रोज कुछ न कुछ परिवर्तन कर दिया जाता है। हमने सरकार को रात के दस बजे सहायता दी, सहयोग दिया कि ठीक है, आवश्यकता के अनुसार यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो हम अरेंजमेंट करेंगे। लेकिन यह खिलवाड़ हो रहा है और इसके बारे में आपको सरकार को सख्त वार्निंग देनी चाहिए कि

[अनुवाद]

उन्हें नियमों के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ और आपको अधिकार का अनावश्यक रूप से प्रयाग नहीं करना चाहिए।

[हिन्दी]

आप अपने अधिकार का उपयोग तब करें जब बहुत आवश्यक हो। इसमें ऐसी कौन सी चीज थी जो पहले मालूम नहीं थी। इसलिए नियमों के अनुसार, संविधान के अनुसार कन्टिनजेंट नोटिस ऑफ बिल आना चाहिए था। यह अचानक निकला, ऐसी कोई बात नहीं है। यह तो आना ही है। बिल हमको पहले सर्कुलेट हुआ, दो दिन पहले ही मिल गया लेकिन इसे लिस्ट ऑफ बिजनेस में इनक्लूड नहीं किया गया है।

और इसलिए मुझे लगता है कि मामला गंभीर है, आपको सरकार को ऐसी छूट नहीं देनी चाहिए। रीप्रेमेंड करिए, वार्निंग करिए, जो आपको उचित लगता है, वह करिए, लेकिन हसंते-हंसते आपके दो शब्द भी सरकार को जाने आवश्यक हैं। क्योंकि, गये सप्ताह में जिस प्रकार से लिस्ट ऑफ बिजनेस में लगातार परिवर्तन हो रहा है और कब कौन सा बिल आएगा, कुछ पता नहीं चल रहा है। इस भूमिका में मैं इसका विरोध करता हूं। इसके बारे में सरकार पहले अपनी स्पष्टता दे, आप उसके बारे में कुछ कहें और फिर रेल मंत्री को इस सदन में रेल बजट पर जवाब देने के लिए कह सकते हैं, मेरा ऐसा आपसे निवेदन है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से माननीय सदस्य की सूचना तकनीकी रूप से ठीक है। माननीय सदस्य ने जो मुद्दा उठाया है वह तकनीकी रूप से सही है। मुझे बताया गया है कि विनियोग विधेयक की मुद्रित प्रतियां ठीक समय पर प्राप्त नहीं हुयी जिसके कारण विलम्ब हुआ। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि अध्यक्ष को हर समय अपने प्राधिकार का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं। अतः भविष्य में हमें अधिक सावधान रहना चाहिए।

अपराह्न 6.22 बजे

बजट रेल 1996-97 – सामान्य चर्चा

और

बजट रेल 1996-97 – अनुदानों की मांगें

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सदन में बजट (रेल) 1996-97 पर सामान्य चर्चा होगी तथा अनुदानों की मांगें (रेल), 1996-97 पर चर्चा तक मतदान होगा।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

"कि कार्यसूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गयी मांग संख्या 1 से 16 के संबंध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 1996-97 के लिए अनुदानों की मांगें (रेल)

मांग की सं.	मांग का नाम	सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांग की राशि
(1)	(2)	(3)
		रु.
1.	रेलवे बोर्ड	23,04,87,000
2.	विविध व्यय (सामान्य)	119,80,08,000

(1)	(2)	(3)
3.	रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाऐं	828,01,47,000
4.	रेलपथ और निर्माण कार्यों से संबंधित मरम्मत और अनुरक्षण	1707,36,13,000
5.	रेल इंजनों की मरम्मत और अनुरक्षण	1189,43,80,000
6.	सवारी और माल डिब्बों की मरम्मत और अनुरक्षण	1769,44,32,000
7.	संयंत्र और उपस्करों की मरम्मत और अनुरक्षण	908,89,10,000
8.	परिचालन व्यय-चल स्टाक और उपस्कर	1459,60,62,000
9.	परिचालन व्यय-यातायात	3365,49,98,000
10.	परिचालन व्यय-ईंधन	4003,60,83,000
11.	कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं	667,13,52,000
12.	विविध संचालन व्यय	854,52,84,000
13.	भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवा निवृत्ति लाभ	2361,96,52,000
14.	निधियों में विनियोग	7076,00,00,000
15.	सामान्य राजस्व को लाभांश, सामान्य राजस्व के लिए गए ऋण की अदायगी और अतिपूंजीकरण का परिशोधन	1587,37,00,000
16.	परिसंपत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव **(राजस्व अन्य व्यय)**	45,00,00,000
	पूंजी	8101,90,36,000
	रेलवे निधियां	4731,90,64,000
	जोड़	40800,52,08,000

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सदन में उपस्थित माननीय सदस्य, जिन्होंने रेलवे की वर्ष 1996-97 की अनुदानों की मांगों पर अपने कटौती प्रस्ताव दिये हैं यदि वे अपने प्रस्ताव पेश करना चाहते हैं तो वे जिन कटौती प्रस्तावों को पेश करना चाहते हैं उनकी क्रंम संख्या लिखकर अपनी परची 15 मिनट के अन्दर भेज सकते हैं। केवल उन्हीं कटौती प्रस्तावों को पेश किया गया माना जायेगा।

[हिन्दी]

वैद्य दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, रेलवे में हमेशा एक अप्रैल और एक अक्तूबर को टाइम टेबल बदलता रहा है। इस बार एक अगस्त से आप रलवे टाइम टेबल बदल रहे हैं। रेलवे टाइम टेबल तो अपने बदल दिया लेकिन स्टॉल पर रेल्वे टाइम टेबल कहीं नहीं मिल रहा है ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम पुनः चर्चा आरंभ नहीं करेंगे।

[हिन्दी]

वैद्य दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : न स्टेशनों पर रेल्वे टाइम टेबल बदला है, न इसकी कोई सूचना है, इस तरह से यात्री धक्के खाएंगे। आपसे मेरा निवेदन है कि रिप्लाई के समय रेल्वे टाइम टेबल मिले और रेल्वे टाइम टेबल की स्टेशनों पर सुलभता हो, इसकी समुचित व्यवस्था करने की कृपा करने का कष्ट करें।

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : अध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने रेल बजट पर हुई चर्चा में भाग लिया। यह चर्चा ...**(व्यवधान)** अब हो गया न।

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर) : रिप्लाई देने के पहले मैं यह निवेदन करना चाहता हूं ...**(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान : रिप्लाई देने के पहले क्या चाहते हैं? रिप्लाई देने के बाद तो कुछ हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय : पहले रिप्लाई तो होने दीजिए।

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर) : माननीय मंत्री जी और शासन का क्या कहना है?

एक माननीय सदस्य : यह रिप्लाई में आएगा क्या, यह आश्वस्त कर दें।

श्री राम विलास पासवान : आप लोगों से बात हो गई न, अब किस बात के लिए यह सब कर रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने रेल बजट पर हुई चर्चा में भाग लिया। यह चर्चा एक ऐतिहासिक चर्चा रही, जिसमें 111 सदस्यों ने भाग लिया। समय के दृष्टिकोण से भी इसने पुराने सभी रिकार्डों की तोड़ दिया। लगभग 23 घंटें तक चर्चा में भाग लेकर माननीय सदस्यों ने अपने बहुमूल्य विचार दिये।

माननीय सदस्यों द्वारा किये गये सुझावों के प्रत्येक बिन्दु पर कार्रवाई की जा रही है। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता

हूं कि प्रशासनिक दक्षता एवं आर्थिक दृष्टिकोण से जो भी सम्भव है, मैं उनको अविलम्ब कार्यान्वित करूंगा और जो सुझाव सम्भव नहीं हैं, उसमें भी मैं माननीय सदस्यों को कठिनाई से अवगत कराऊंगा।

मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री एच. डी. देवगौड़ा जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने न सिर्फ ऊधमपुर-श्रीनगर-बारामूला में नई रेलवे लाइन को राष्ट्रीय बजट में जोड़ने का काम किया, बल्कि इसी वित्तीय वर्ष में 50 करोड़ रुपया खर्च करने हेतु आवंटित करने की भी घोषणा की।

यह रेल लाइन न सिर्फ जम्मू एवं कश्मीर के लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति करेगी, बल्कि देश की एकता एवम् अखंडता को मजबूत करने के लिए कारगर साबित होगी।

केरल के माननीय सदस्यों ने वहां पर दोहरीकरण के काम में धीमी गति के बारे में शिकायत की है और कुट्टीपुरम्-शोरानूर के काम को जल्दी हाथ में लेने को कहा है। मैंने निश्चित किया है कि दोहरीकरण के कार्य को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी और मंगलौर-कट्टीपुरम् का दोहरीकरण मार्च 1999 तक पूरा करा लिया जाएगा। केरल के सदस्य कुट्टीपुरम् से तोरानूर तक दोहरीकरण किए जाने को अनुरोध पर एकमत थे। मैंने यह भी अनुरोध किया है कि सोरानूर-कुट्टीपुरम् के दोहरीकरण का काम हाथ में लिया जाएगा। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

यह बात अब आप समझ गये होंगे। अतः उस कार्य को भी हम आरंभ करेंगे।

[हिन्दी]

कुछ माननीय सदस्यों ने कोल्लम-तिरूवनंतपुरम् के दोहरीकरण के कार्यों में गति को तीव्र करने हेतु मांग की थी। मैंने इसकी जांच कराई थी। राज्य सरकार को इन लाइनों के सर्वेक्षण को उच्चतम प्राथमिकता दी जाए और इसको नवम्बर 1996 तक पूरा कर दिया जाए।

हरियाणा के माननीय सदस्यों की इच्छाओं का आदर करते हुए मैंने निश्चय किया है कि चंडीगढ़ से देहरादून वाया जगाधरी और सिरसा से हिसार वाया फतेहाबाद और अग्रोहा की नई लाइनों के सर्वेक्षण किए जाएं। मैंने ये भी आदेश दे दिए हैं कि रेवाड़ी-रोहतक लाइन परियोजना रिपोर्ट का शीघ्र मूल्यांकन किया जाए और एक महीने के अंदर योजना आयोग के समक्ष भेज दिया जाए।

पूर्वांचल में अपर्याप्त रेल अवसंरचना के बारे में बहुत से प्रतिवेदन मुझे मिले हैं। उनको ध्यान में रखते हुए मैंने निश्चय किया है कि कुरसेला से सहरसा वाया बिहारीगंज, बनमखी से किशनगंज, निर्मली से सहरसा और मधेपुरा से जोगबनी वाया त्रिवेणीगंज की नई लाइनों के सर्वेक्षण किए जाएं।

झारखंड क्षेत्र की जनता की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए मैंने कोडरमा-हजारीबाग-गरबार रोज, डेहरी आन सोन से बड़वाहीह, चुनार से सासाराम में नई लाइनों के सर्वेक्षण का निश्चय किया है। दुमका-बैद्यनाथ धाम का सर्वेक्षण बहुत पहले किया गया था, इसलिए उसके अद्यतन का निश्चय किया है और बड़वाडीह-चिरमरी लाइन का भी सर्वेक्षण होगा।

गुजरात के माननीय सदस्यों ने वहां पर रेल अवसंरचना के विकास के बारे में विस्तार से चर्चा करी थी और वहां के आदिवासी क्षेत्रों में रेल सेवाएं समाप्त हो जाने से हो रही परेशानियों का जिक्र भी किया था। इस संदर्भ में सदस्यों ने छोटा उदयपुर से बोडली तक की लाइन को दोबारा शुरू किए जाने पर जोर दिया था। गुजरात के माननीय सदस्यों की भावनाओं को देखते हुए मैंने छोटा उदयपुर से बोडली तक की लाइन को दोबारा शुरू करने के आदेश दे दिए हैं।

मैंने यह निश्चय किया है कि कपडवंज-मोदासा नई लाइन परियोजना के काम को और तेजी से पूरा किया जाए और इसके लिए इस वर्ष के दौरान धन का आवंटन आवश्यकता के अनुसार बढ़ा दिया गया है। मैंने यह भी निश्चय किया है कि पालनपुर-भिल्डी-गांधीधाम और अलंग-भावनगर-सुरेन्द्रनगर के आमान परिवर्तन का सर्वेक्षण किया जाए। आणंद से गोधरा वाया डकोरा और बडोदा से भावनगर वाया वसद और तारापुर की नई लाइनों के सर्वेक्षण के भी आदेश मैंने दे दिए हैं। सूरत-भुसावल के दोहरीकरण के सर्वेक्षण को भी शुरू किया जा रहा है और इसे प्राथमिकता दी जाएगी।

अध्यक्ष महोदय, उड़ीसा के माननीय सदस्यों द्वारा रूपसा-बांगरीपोसी आमान परिवर्तन को जल्दी करने की मांग बजट पर बहस के दौरान की गई थी। इस कार्य को बजट में शामिल किया जा चुका है और उसे आवश्यक अनुमोदनों के बाद किया जाना है। इसके लिए अन्य औपचारिकतायें पूरी हो गई हैं और धन का इंतजाम भी कर दिया गया है और मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वासन देना चाहूंगा कि जैसे ही आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति का अनुमोदन प्राप्त होता है, इस कार्य को प्रारंभ कर दिया जाएगा। तालचेर से संबलपुर लाइन के कार्य को पूरा करने को भी उच्चतम प्राथमिकता दी जा रही है और यह कार्य दिसंबर, 1997 तक पूरा हो जाएगा। तालचेर से सुकिंदा रोड का सर्वेक्षण प्राप्त हो गया है और परियोजना रपट के मूल्यांकन के पश्चात योजना आयोग को शीघ्र भेज दिया जाएगा। हरिदासपुर-पाराद्वीप और खोरदा रोड बोलांगीर परियोजना के इस वर्ष कम पैसे दिए जाने पर शिकायत जाहिर की गई थी, पर इस संदर्भ में मैं माननीय सदस्यों को यह बताना चाहूंगा कि इन परियोजनाओं पर काम केवल फाइनल लोकेशन सर्वे और भूमि अधिग्रहण के बाद ही प्रारम्भ किया जा सकता है जिसके कारण इस वर्ष अधिक पैसा खर्च नहीं किया जा सकता, परन्तु यदि और अधिक धन की आवश्यकता हुई तो मैं अवश्य उसकी व्यवस्था कर दूंगा।

आन्ध्र प्रदेश में कटपडी-पाकला-तिरूपति आमान परिवर्तन को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है ...(व्यवधान) पहले रेल बनेगी, तभी तो ट्रेन चलेंगी ...(व्यवधान) आंध्र प्रदेश में कटपडी-पाकला-तिरूपति आमान परिवर्तन को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है और इसको अगले वर्ष तक पूरा कर लिया जाएगा। इसमें धन की कमी आड़े नहीं आएगी। महबूबनगर-द्रोणाचलम आमान परिवर्तन का काम जारी है और मुख्य पुलों पर भी काम बड़े जोरों पर है। यह परियोजना दिसंबर 1997 तक पूरी हो जाएगी।

अध्यक्ष महोदय : कर्नाटक के माननीय सदस्यों की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए धारवाड़ से ...(व्यवधान) जिसका पहले हो चुका है, उसके बारे में बजट भाषण में बोल दिया था।

(व्यवधान)

श्री चेल्लैया नंदी (सिद्दीपेट) : आन्ध्र प्रदेश की ओर से जो माननीय सदस्य मिले थे, उनको आश्वासन दिया था कि सर्वे हो चुका है और उसको इ-कल्युड कर देंगे।

श्री राम विलास पासवान : जो आश्वासन है, वह अभी भी है। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया मंत्री महोदय की बात सुनिये। वह उत्तर दे रहे हैं और मेरे विचार से ठीक उत्तर दे रहे हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद-मुरादाबाद और मेरठ-मुरादनगर के दोहरीकरण के काम को प्राथमिकता दी जा रही है। ...(व्यवधान)

उनकी भी अपनी समस्या है। एक बजट में सब कुछ नहीं आ सकता। ...(व्यवधान) उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद-मुरादाबाद और मेरठ-मुरादनगर के दोहरीकरण के काम को प्राथमिकता दी जा रही है और गौंडा-बुढबल के दोहरीकरण को भी हाथ में ले लिया गया है ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री शिवानन्द एच. कौजलगी (बेलगाम) : महोदय, आप कर्नाटक के बारे में एक पैराग्राफ पढ़ रहे थे और बीच में ही रुक गये ...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : कर्नाटक के माननीय सदस्यों की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए धारवाड़ से बेलगांव (किट्टूर और सोगल होते हुए) नई लाइन के सर्वेक्षण का कार्य हाथ में लिया जा रहा है।

सरयू नदी पर अयोध्या का पुल के निर्माण को प्राथमिकता दी जा रही है। इस कार्य के भूमि अधिग्रहण के लिए राज्य सरकार को पैसे दे दिए गए हैं और भूमि अधिग्रहण का कार्य चल रहा है। जैसे ही भूमि हमें मिल जाएगी, कार्य को प्रारम्भ कर दिया जाएगा और जल्दी से जल्दी इस पुल को पूरा किया जाएगा। मैंने यह भी निश्चय किया है कि गोरखपुर से छितौनी के आमान परिवर्तन के कार्य को जल्दी पूरा किया जाएगा।

ललितपुर से सिंगरौली तक नई लाइन बनाने के लिए सर्वेक्षण जारी है और इसकी रिपोर्ट 31.08.96 तक मिल जाएगी। इसकी समीक्षा करने के बाद सर्वेक्षण रिपोर्ट योजना आयोग को अनुमोदन के लिए भेज दी जाएगी। ...(व्यवधान) यह पूरा डिटेल में है। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि इस तरह हर कोई खड़ा होता रहेगा तब तो इसका कोई अंत ही नहीं होगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : सारे माननीय सदस्यों से बातचीत हो गई है, जो धरने पर बैठे थे। हमने उनको कह दिया है, मना लिया है, रिपोर्ट आ जाएगी ...(व्यवधान) उत्तर प्रदेश के बारे में सुन लीजिए, उसके बाद बोलिएगा। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। यह कोई तरीका नहीं है। उन्होंने इसका उत्तर दे दिया है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : उत्तर प्रदेश के माननीय सदस्यो ने मथुरा-कासगंज-कानपुर के आमान परिवर्तन के कार्य पर बहुत जोर दिया है। माननीय सदस्यों की इच्छाओं को देखते हुए हमने इस लाइन के आमान परिवर्तन का कार्य स्वीकार कर लिया है और कार्य प्रारंभ करने के आदेश दिए जा रहे हैं। यह कार्य यातायात के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण साबित होगा।

राजस्थान के माननीय सदस्यों की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए मैंने निश्चत किया है कि डुंगरपुर से रतलाम बांस वाड़ा होते हुए नई लाइन के सर्वेक्षण कार्य के अद्यतन को तुरन्त लिया जाए ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्नकाल नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अजमेर, चितौड़गढ़, उदयपुर का आमान परिवर्तन हमने स्वीकार कर लिया है। इसके प्रथम चरण का कार्य उदयपुर और मावली के बीच प्रारम्भ करने के आदेश दिए जा रहे हैं ...**(व्यवधान)**

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : अजमेर से लेकर चितौड़गढ़ के लिए माननीय मंत्री जी स्पष्ट रूप से बतायें। सर्वेक्षण तो पहले भी हो चुका है।

श्री राम विलास पासवान : हमने काम का आदेश दिया है, सर्वेक्षण का नहीं। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं इस प्रकार व्यवधान न करें। यह ठीक नहीं है। मंत्री महोदय आप बोलते रहें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : मैं दोबारा पढ़ देता हूं। सुन लीजिए कि काम कर रहे हैं। अजमेर चितौड़गढ़, उदयपुर का आमान परितर्वन हमने स्वीकार कर लिया है। इसके प्रथम चरण का कार्य उदयपुर और मावली के बीच प्रारम्भ करने के आदेश दिए जा रहे हैं।

सिक्किम के माननीय सदस्य द्वारा वहां की टूटी हुई रेल श्रृंखला को दोबारा जोड़े जाने की मांग की गई है। वहां के लागों की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जाइए यहां इस प्रकार का व्यवहार न करें। मैं खड़ा हूं अब आप कृपया बैठ जाइए। यदि आप इस तरह व्यवधान डालेंगे तो आप अपना काम नहीं कर पाएंगे। यह सदन आप सभी का है, समस्त देश का है। मंत्री महोदय, वाद विवाद का सही उत्तर दे रहे हैं। आपको उनका आभारी होना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसे बाद में देखेंगे। अन्यथा आप उनकी बात नहीं सुन पाएंगे।

(व्यवधान)

कटौती प्रस्ताव (सांकेतिक)

अपराह्न 6.40 बजे

श्री सन्तोष कुमार गंगवार (बरेली) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि रेलवे बोर्ड के अंतर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किए जायें।

पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जतनगर रेल डिब्बा मरम्मत कारखाना का रेल डिब्बा विनिर्माण कारखाना में बदले जाने की आवश्यकता (61)

कि रेलवे बोर्ड के अंतर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किए जायें।

उत्तर रेलवे के बरेली जंक्शन के आधुनिकीकरण हेतु धन उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता। (62)

कि रेलवे बोर्ड के अंतर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किए जायें।

बरेली-पीलीभीत रेल लाइन के आमान परिवर्तन कार्य को प्राथमिकता दिये जाने की आवश्यकता। (63)

कि रेलवे बोर्ड के अंतर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किए जायें।

लालकुंआ बरेली-मथुरा-आगरा लाइन का आमान परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता। (64)

कि रेलवे बोर्ड के अंतर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किए जायें।

बरेली और दिल्ली के बीच एक इन्टरसिटी रेल गाड़ी चलाये जाने की आवश्यकता (65)

कि रेलवे बोर्ड के अंतर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किए जायें।

दिल्ली-बरेली-लखनऊ रेल लाइन पर एक सुपरफास्ट रेलगाड़ी चलाये जाने की आवश्यकता (66)

कि रेलवे बोर्ड के अंतर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किए जायें।

दैनिक यात्रियों की सुविधाओं के लिए सभी रेलगाड़ियों में एक अतिरिक्त चेयरकार जोड़े जाने की आवययकता (67)

कि रेलवे बोर्ड के अंतर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किए जायें।

उत्तर रेलवे के जम्मू तवी अमृतसर मार्ग पर चलने वाली सभी रेलगाड़ियों में भोजनयान जोड़े जाने की आवश्यकता (68)

कि रेलवे बोर्ड के अंतर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किए जायें।

प्रस्तावित दिल्ली-लखनऊ पटना शताब्दी एक्सप्रेस को बरेली बरास्ता चलाये जाने की आवश्यकता (69)

कि रेलवे बोर्ड के अंतर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किए जायें।

सद्भावना एक्सप्रेस को बरास्ता बरेली चलाये जाने की आवश्यकता (70)

कि रेलवे बोर्ड के अंतर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किए जायें।

पूर्वोत्तर रेलवे के दिवनापुर रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर राम-धाम स्टेशन नाम दिये जाने की आवश्यकता। (71)

कि रेलवे बोर्ड के अंतर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किए जायें।

किसान तथा जनता एक्सप्रेस उत्तर रेलवे को कट्टरस गंज नागरिक मतदान और भिटौरा रेलवे स्टेशनों पर रोके जाने की आवश्यकता (72)

कि रेलवे बोर्ड के अंतर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किए जायें।

चनेहटी रेलवे स्टेशन (उत्तर रेलवे) को बरेली कट रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किये जाने की आवश्यकता। (73)

कि रेलवे बोर्ड के अंतर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किए जायें।

दिल्ली-बरेली लखनऊ रेल मार्ग का विद्युतीकरण किये जाने की आवश्यकता। (74)

श्री जगतवीर सिंह द्रोण (कानपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

कि रेलवे बोर्ड के अंतर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किए जायें।

कानपुर में गोविन्दपुरी स्टेशन पर सभी मेल/एक्सप्रेस रेल गाड़ियों को ठहराये जाने की आवश्यकता। (110)

कि रेलवे बोर्ड के अंतर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किए जायें।

कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर यात्री सुविधाओं में सुधार करने की आवश्यकता। (111)

कि रेलवे बोर्ड के अंतर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किए जायें।

कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर सुरक्षा प्रबंधों में सुधार करने की आवश्यकता। (112)

कि रेलवे बोर्ड के अंतर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किए जायें।

नई दिल्ली-लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस को लखनऊ में शाम के बजाय सुबह चलाये जाने की आवश्यकता। (113)

कि रेलवे बोर्ड के अंतर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किए जायें।

प्रयागराज एक्सप्रेस का इलाहाबाद से प्रस्थान का समय अंधा घंटा पहले करने की आवश्यकता। (114)

कि रेलवे बोर्ड के अंतर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किए जायें।

प्रयागराज एक्सप्रेस का नई दिल्ली से प्रस्थान का समय एक घंटा आगे बढ़ाये जाने की आवश्यकता। (115)

कि रेलवे बोर्ड के अंतर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किए जायें।

भारी यातायात की मांग को पूरा करने हेतु प्रयागराज एक्सप्रेस के द्वितीय श्रेणी के तीन वातानुकूलित सवारी डिब्बों में से एक सवारी डिब्बा कानपुर के लिये आरक्षित करने की आवश्यकता। (116)

कि रेलवे बोर्ड के अंतर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किए जायें।

सभी गाड़ियों में और सभी श्रेणियों में कानपुर सेंट्रल स्टेशन का आरक्षण कोटा बढ़ाकर दुगुना किये जाने की आवश्यकता। (117)

कि रेलवे बोर्ड के अंतर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किए जायें।

कानपुर सेंट्रल के आपात आरक्षण कोटे में वृद्धि किये जाने तथा यही प्रावधान सभी महत्वपूर्ण गाड़ियों में भी करने की आवश्यकता। (118)

कि रेलवे बोर्ड के अंतर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किए जायें।

कानपुर के विशाल क्षेत्र और बड़ी जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु कानपुर में कम से कम छह शहरी रेलवे बुकिंग एजेंसियों का प्रावधान करने की आवश्यकता। (119)

कि रेलवे बोर्ड के अंतर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किए जायें।

कानपुर सेंट्रल के सभी प्लेटफार्मों पर पी.सी.ओ. सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता। (120)

कि रेलवे बोर्ड के अंतर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किए जायें।

कानपुर सेंट्रल पर ऐसे सभी विक्रेताओं को जो मृत विक्रेताओं के निकट संबंधी हैं परन्तु जिन्हें अभी तक स्टाल नहीं दिये गये है को स्थान दिये जाने की आवश्यकता। (121)

कि परिचालन व्यय-यातायात शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किये जायें।

कानपुर में केन्द्रीय आयुध डिपो के निकट कानपुर-इलाहाबाद राजमार्ग पर उपरिपुल के निर्माण की आवश्यकता। (122)

कि परिचालन व्यय-यातायात शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किये जायें।

कानपुर में हेसट अस्पताल के समीप ऊपरिपुल के निर्माण की आवश्यकता। (123)

कि परिचालन व्यय-यातायात शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किये जायें।

कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर बढ़ते यातायात को बांटने हेतु गोविन्दपुरी स्टेशन का दर्जा बढ़ाये जाने की आवश्यकता। (124)

कि परिचालन व्यय-यातायात शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किये जायें।

कानपुर से शुरू होने वाली नई गाड़ियों की जरूरतों को पूरा करने के लिये कानपुर सेंट्रल के स्वच्छता और रखरखाव गार्ड का दर्जा बढ़ाने की आवश्यकता। (125)

कि परिचालन व्यय-यातायात शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किये जायें।

बढ़े यातायात की जरूरतों को पूरा करने हेतु कानपुर सेंट्रल स्टेशन का विस्तार करने की आवश्यकता। (126)

कि परिचालन व्यय-यातायात शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किये जायें।

जम्मू-तवी जाने वाली गाड़ियों में कानपुर से द्वितीय श्रेणी के आरक्षित सवारी डिब्बे लगाये जाने की आवश्यकता। (127)

कि परिचालन व्यय-यातायात शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किये जायें।

दक्षिण जाने वाली भारी यातायात की जरूरतों को पूरा करने हेतु कानुपर से मद्रास के लिये एक सीधी रेलगाड़ी चलाये जाने की आवश्यकता। (128)

कि परिचालन व्यय-यातायात शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किये जायें।

लखनऊ, मुरादाबाद और हरिद्वार होते हुये कानपुर से देहरादून के लिये एक सीधी रेलगाड़ी चलाये जाने की आवश्यकता। (129)

कि परिचालन व्यय-यातायात शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किये जायें।

सवाई माधोपुर-निवाई होते हुये गोरखपुर और जयपुर के बीच एक यात्री गाड़ी चलाये जाने की आवश्यकता। (130)

कि परिचालन व्यय-यातायात शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किये जायें।

हावड़ा और जयपुर के बीच बरास्ता सवाई माधोपुर-निवाई एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाये जाने की आवश्यकता। (131)

कि परिचालन व्यय-यातायात शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किये जायें।

निजामुद्दीन स्टेशन से जाने वाली ताज एक्सप्रेस में भोजनयान जोड़े जाने की आवश्यकता। (132)

कि परिचालन व्यय-यातायात शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किये जायें।

अप और डाउन रेलगाड़ियों हेतु कानपुर और झांसी के बीच रेल लाइन को दोहरा करने की आवश्यकता। (133)

कि विविध संचालय आय शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किये जायें।

विक्रेताओं तथा उनके परिवारों को शिक्षा और चिकित्सा सुविधायें प्रदान किये जाने की आवश्यकता। (134)

कि विविध संचालय आय शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किये जायें।

बैन्ता विक्रेताओं का विक्रय कमीशन बढ़ाने की आवश्यकता। (135)

कि विविध संचालय आय शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किये जायें।

सभी रेलवे स्टेशनों के स्टालों पर स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में सुधार किये जाने की आवश्यकता। (136)

कि विविध संचालय आय शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किये जायें।

कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर सफाई की स्थिति में सुधार किये जाने की आवश्यकता। (137)

कि विविध संचालय आय शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किये जायें।

रेल गाड़ियों में भोजन और खान-पान सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार किये जाने की आवश्यकता। (138)

कि विविध संचालय आय शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किये जायें।

रेलगाडियों में सवारी डिब्बों के रखरखाव के स्तर में सुधार किये जाने की आवश्यकता। (139)

श्री अमरपाल सिंह (मेरठ) : महोदय में प्रस्ताव करता हूं :

कि परिसंपत्तियाँ-खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रू. कम किये जाये।

नई रेल लाईन बिछाकर उत्तर रेलवे में दौराला से हस्तिनापुर तक एक रेल लाइल की आवश्यकता। (160)

[हिन्दी]

श्री राधामोहन सिंह (मोतीहारि) : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं:-

कि परिसंपत्तियां-खरीद निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में 100 रुपयें कम किये जायें।

हाजीपुर सुगौली बरास्ता लालगंज वैशाली केसरिया अरेराज को रेल लाइन से जोड़े जाने की आवश्यकता। (242)

कि परिसंपत्तियां-खरीद निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में 100 रुपयें कम किये जायें।

मोतीहारी रेलवे स्टेशन के रैक हैण्डलिंग साइडिंग की मरम्मत किए जाने की आवश्यकता। (243)

कि परिसंपत्तियां-खरीद निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में 100 रुपयें कम किये जायें।

मोतीहारी रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण किए जाने की आवश्यकता। (244)

कि परिसंपत्तियां-खरीद निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में 100 रुपयें कम किये जायें।

मोतीहारी रेलवे स्टेशन पर कम्प्यूटरीकृत आरक्षण सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता। (245)

कि परिसंपत्तियां-खरीद निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में 100 रुपयें कम किये जायें।

मुजफ्फरनगर रेलवे कैन्टीन की दशा में सुधार किए जाने की आवश्यकता। (246)

कि परिसंपत्तियां-खरीद निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में 100 रुपये कम किये जायें।

मोतीहारी रेलवे स्टेशन के दक्षिणी भाग पर बलवा चौक और जिला विद्यालय के बीच एक उपरिपुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (247)

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में 100 रुपये कम किये जायें।

बांदीकुई-आगरा रेल लाइन को बड़ी रेल लाईन में बदले जाने की आवश्यकता। (319)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में 100 रुपये कम किये जायें।

दुर्घटनाओं को रोकने के लिये रेलवे गार्डों को सैल्यूलर फोन उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता। (320)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में 100 रुपये कम किये जायें।

जयपुर में दैनिक यात्रा यातायात को सुव्यवस्थित करने के लिए बांदीकुई और रिंग्स के बीच शटल रेलगाड़ियां चलाये जाने की आवश्यकता। (321)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में 100 रुपये कम किये जायें।

हरिद्वार और पुष्कर को जोड़ते हुए अजमेर से दिल्ली के बीच बरास्ता हरिद्वारा-ऋषिकेश नई रेलगाड़ियां चलाये जाने की आवश्यकता। (322)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में 100 रुपये कम किये जायें।

कोटा से जयपुर के बीच चलने वाली यात्री गाड़ी को चाकसू में हाल्ट प्रदान किये जाने की आवश्यकता। (323)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में 100 रुपये कम किये जायें।

कोटा-जयपुर रेलगाड़ी को इन्दौर तक चलाये जाने की आवश्यकता। (324)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में 100 रुपये कम किये जायें।

जयपुर स्थित एक्सपोर्ट हाउस से निर्यात बढ़ाये जाने की आवश्यकता। (325)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में 100 रुपये कम किये जायें।

अधिक संख्या में कंटेनर उपलब्ध कराये जाने और सड़क यातायात की तुलना में कंटेनरों के मालभाड़े के ढांचे को युक्ति संगत बनाये जाने की आवश्यकता। (326)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में 100 रुपये कम किये जायें।

जयपुर से प्रातः चलने वाली इन्टर सिटी रेलगाड़ी को प्रातः जल्दी चलाये जाने की आवश्यकता ताकि वह दिल्ली जल्दी पहुंच सके। (327)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में 100 रुपये कम किये जायें।

इन्टर सिटी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का नाम बदल कर गुलाबी नगर एक्सप्रेस अथवा संत झूलेलाल एक्सप्रेस रखे जाने की आवश्यकता। (328)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में 100 रुपये कम किये जायें।

विमान किराये की तरह रेल किराये में भी वरिष्ठ नागरिकों को 50 प्रतिशत की रियायत दिये जाने की आवश्यकता। (329)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में 100 रुपये कम किये जायें।

चित्तौड़गढ़-उदयपुर बड़ी रेललाईन को और आगे विस्तार किये जाने की आवश्यकता। (330)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में 100 रुपये कम किये जायें।

अजमेर और दिल्ली के बीच मीटर गेज लाईन पर चलने वाली 13अप/14 डाउन रेलगाड़ी को रात की गाड़ी के रूप में चलाये जाने की आवश्यकता। (331)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में 100 रुपये कम किये जायें।

जयपुर से हरिद्वार के लिए मसूरी एक्सप्रेस और पूजा एक्सप्रेस में दो या तीन सवारी डिब्बे जोड़ जाने की आवश्यकता। (332)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में 100 रुपये कम किये जायें।

अजमेर-अहमदाबाद रेल लाईन को बड़ी रेल लाईन में बदलने का कार्य शीघ्र आरम्भ किये जाने की आवश्कयता। (333)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में 100 रुपये कम किये जायें।

दिल्ली तक एक राजधानी एक्सप्रेस को अहमदाबाद और जयपुर के रास्ते चलाये जाने की आवश्यकता। (334)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में 100 रुपये कम किये जायें।

2956/2955 मुम्बई-जयपुर रेलगाड़ी को दुर्गापुर रेलवे स्टेशन पर हाल्ट प्रदान किये जाने की आवश्यकता। (335)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में 100 रुपये कम किये जायें।

2414/2413 पूजा एक्सप्रेस को गांधी नगर रेलवे स्टेशन पर हाल्ट प्रदान किये जाने की आवश्यकता। (336)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में 100 रुपये कम किये जायें।

वरिष्ठ नागरिकों को दी गई रियायतों के मामले में दूरी की अधिकतम सीमा को हटाये जाने की आवश्यकता। (548)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में 100 रुपये कम किये जायें।

जयपुर और हरिद्वार के बीच एक सीधी रेलगाड़ी चलाये जाने की आवश्यकता। (549)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में 100 रुपये कम किये जायें।

जयपुर और त्रिवेन्द्रम के बीच एक साप्ताहिक रेलगाड़ी चलाये जाने की आवश्यकता। (550)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में 100 रुपये कम किये जायें।

अजमेर और दिल्ली के बीच मीटर गेज लाइन पर एक यात्री सवारी गाड़ी चलाये जाने की आवश्यकता। (551)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में 100 रुपये कम किये जायें।

पूजा एक्सप्रेस में जयपुर से हरिद्वार तक 2-3 सीधे सवारी डिब्बे लगाये जाने की आवश्यकता। (552)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में 100 रुपये कम किये जायें।

जयपुर-अहमदाबाद मीटर गेज रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदले जाने की आवश्यकता। (553)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में 100 रुपये कम किये जायें।

जयपुर और अहमदाबाद के बीच चल रही दो मेल एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में से एक रेलगाड़ी को जयपुर से अहमदाबाद बरास्ता बड़ोदरा चलाये जाने की आवश्यकता। (554)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में 100 रुपये कम किये जायें।

रात्री में चलने वाली जयपुर-अहमदाबाद एक्सप्रेस रेलगाड़ी को बरास्ता पालनपुर और आबू रोड़ चलाये जाने की आवश्यकता। (555)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में 100 रुपये कम किये जायें।

दिल्ली और मुम्बई के बीच चल रही राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियों में से एक रेलगाड़ी अहमदाबाद और जयपुर होते हुए चलाये जाने की आवश्यकता। (556)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में 100 रुपये कम किये जायें।

सभी पत्रकारों को द्वितीय वातानुकूलित श्रेणी के किराये में पचास प्रतिशत की रियायत दिये जाने की आवश्यकता। (557)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में 100 रुपये कम किये जायें।

वरिष्ठ नागरिक यात्रा रियायत की सुविधा 8 वर्ष और उससे अधिक की आयु के व्यक्तियों को भी दिये जाने और उनके लिए यह यात्रा रियायत 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत किये जाने की आवश्यकता। (558)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में 100 रुपये कम किये जायें।

जयपुर रेलवे स्टेशन पर और अधिक कम्प्यूटीकृत टिकट खिड़कियां खोले जाने की आवश्यकता। (559)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में 100 रुपये कम किये जायें।

जयपुर और रिवाड़ी के बीच और अधिक सवारी रेल गाड़िया चलाये और सभी गाड़ियों में मासिक सीजन टिकट धारकों को यात्रा करने की अनुमति दिये जाने की आवश्यकता। (560)

डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय (मंदसौर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं

कि परिसपत्तियां-खरीद निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किये जाये।

पश्चिम रेलवे के रतलाम स्टेशन पर अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस का ठहराव उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता। (337)

कि परिसपत्तियां-खरीद निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किये जाये।

रतलाम-नीमच सेक्शन पर चेतक यात्री गाड़ी को मिलने वाली सुविधा को यथास्थिति रखे जाने तथा जावरा मंदसौर और नीमच स्टेशनों पर आरक्षण सुविधा उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता। (338)

कि परिसपत्तियां-खरीद निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किये जाये।

पश्चिम रेलवे के रतलाम डिवीजन के जावरा स्टेशन पर इस स्थान के धार्मिक तथा एतिहासिक दृष्टि को देखते हुए यहां मीनाक्षी एक्सप्रेस में आरक्षण कोटे की संख्या में वृद्धि किये जाने की आवश्यकता। (339)

कि परिसपत्तियां-खरीद निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किये जाये।

पश्चिम रेलवे के रतलाम सेक्शन के जमुनिया कलां रेलवे स्टेशन पर ठहराव की सुविधा उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता तथा अजमेर और रतलाम से दो रेलगाड़ियां, जिन्हें पहले बंद कर दिया गया था, को पुनः चलाना। (340)

कि परिसपत्तियां-खरीद निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किये जाये।

रेलवे के सतत विस्तार तथा रेलवे प्रशासन को सुचारूबद्ध करने की दृष्टि से रेलवे बोर्ड का पुनसरंचना किये जाने की आवश्यकता (341)

कि परिसपत्तियां-खरीद निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किये जाये।

रेलवे नेटवर्क के विस्तार को देखते हुए रतलाम सहित नये क्षेत्रीय जोनल कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता। (342)

कि परिसपत्तियां-खरीद निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किये जाये।

नीमच-रतलाम लाइन रेल का शीघ्र बड़ी लाईन में परिवर्तन किये जाने का कार्य शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता। (343)

कि परिसपत्तियां-खरीद निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किये जाये।

रतलाम जावरा मंदसौर और नीमच रेलवे स्टेशनों पर उपरि पुलों का निर्माण शीघ्र पूरा किये जाने की आवश्यकता। (344)

कि परिसपत्तियां-खरीद निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किये जाये।

यात्रियों की सुविधा के लिये पश्चिम रेलवे के रतलाम और कोटा डिवीजन के मंदसौर, जावरा, नीमच शामगढ़ और गरोट स्टेशनों के प्लेटफार्मों शेड़ों को विस्तार किये जाने की आवश्यकता। (345)

कि परिसपत्तियां-खरीद निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किये जाये।

यात्रियों की सुविधा और रेल राजस्व में वृद्धि करने के लिए पश्चिम रेलवे के कोटा डिवीजन के सुबाहसरा में इंटर-सिटी एक्सप्रेस (निजामुद्दीन-इंदौर) का ठहराव बनाए रखे जाने की आवश्यकता। (346)

कि परिसपत्तियां-खरीद निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किये जाये।

यात्रियों की सुविधा और रेल राजस्व में वृद्धि करने के लिए पश्चिम रेलवे के कोटा डिवीजन के शामगढ़ स्टेशन पर जयपुर (दुर्गापुर) मुम्बई यात्री गाड़ी का ठहराव बनाए जाने की आवश्यकता। (347)

कि परिसपत्तियां-खरीद निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किये जाये।

यात्रियों की सुविधा के लिए प्रस्तावित जयपुर-मद्रास रेलगाड़ी का शामगढ़ स्टेशन पर ठहराव बनाए जाने की आवश्यकता। (348)

कि परिसपत्तियां-खरीद निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किये जाये।

पश्चिम रेलवे के महू-चित्तौड़गढ़ सेक्शन पर चलने वाले अनेक यात्री गाड़ियों के पुराने भाप इंजनों को बदल कर उनके स्थान पर डीजल इंजन लगाये जाने की आवश्यकता। (349)

कि परिसपत्तियां-खरीद निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किये जाये।

महू-रतलाम तथा रतलाम नीमच सेक्शन पर शटल अथवा इंटरसिटी यात्री रेलगाड़ियां चलाये जाने की आवश्यकता। (350)

कि परिसपत्तियां-खरीद निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किये जाये।

पश्चिम रेलवे के नीमच रेलवे स्टेशन पर कम्प्यूटरीकृत आरक्षण शुरू किये जाने की आवश्यकता। (351)

कि परिसपत्तियां-खरीद निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किये जाये।

पश्चिम रेलवे के बड़ी लाइन पर कोटा के रास्ते नीमच और दिल्ली के बीच एक नई रेलगाड़ी चलाये जाने की आवश्यकता (352)

कि परिसपत्तियां-खरीद निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किये जाये।

पश्चिम रेलवे के रतलाम डिवीजन मे जावरा, नीमच और मंदसौर स्टेशनों के प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के प्रतिक्षालयों का नवीनीकरण किये जाने की आवश्यकता। (353)

कि परिसपत्तियां-खरीद निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किये जाये।

मुम्बई-जम्मूतवी और अहमदाबाद जम्मूतवी रेलगाड़ियों में दिल्ली से रतलाम के लिये दूसरे दर्जे के सामान्य तथा दूसरे दर्जे के वातानुकूलित श्रेणी के लिये आरक्षण उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता। (354)

कि परिसपत्तियां-खरीद निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किये जाये।

पश्चिम रेलवे के मंदसौर, जावरा और नीमच में रेल कर्मचारियों के लिए आवास की सुविधा उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता। (355)

कि परिसपत्तियां-खरीद निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किये जाये।

जावरा, मल्हारगढ़ रेलवे स्टेशनों (पश्चिम रेलवे) को जाने वाली रेलवे रोड़ का नवीकरण किये जाने की आवश्यकता। (356)

कि परिसपत्तियां-खरीद निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किये जाये।

जावरा, मंदसौर और नीमच स्टेशनों पर सामान उतारने तथा चढ़ाने की उचित सुविधा उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता। (357)

कि परिसपत्तियां-खरीद निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किये जाये।

यात्रियों की सुविधा के लिये सभी यात्री रेलगाड़ियों में सामान्य डिब्बों की संख्या में वृद्धि किये जाने की आवश्यकता। (358)

कि परिसपत्तियां-खरीद निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किये जाये।

दैनिक यात्रियों के लिए एम.एस.टी. कोच उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता। (359)

कि परिसपत्तियां-खरीद निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किये जाये।

पश्चिम रेलवे में 111-112 रतलाम-भोपाल रात्रि रेलगाडी पुनः चालू करने की आवश्यकता। (360)

कि परिसपत्तियां-खरीद निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किये जाये।

पश्चिम रेलवे में यात्रियों की सुविधा के लिये खण्डवा-अजमेर सैक्शन पर एक यात्री गाड़ी चलाये जाने की आवश्यकता। (361)

कि परिसपत्तियां-खरीद निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किये जाये।

पश्चिम रेलवे में यात्रियों की सुविधा के लिये रतलाम-अजमेर सैक्शन पर चलने वाली मीनाक्षी एक्सप्रैस में पांच अतिरिक्त बोगियां जोड़ने की आवश्यकता। (362)

कि परिसपत्तियां-खरीद निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किये जाये।

पश्चिम रेलवे में रतलाम डिवीजन के मदंसौर नीमच, जावड़ा स्टेशन तथा मोटा डिवीजन के रायगढ़ स्टेशन पर प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था करने की आवश्यकता। (363)

कि परिसपत्तियां-खरीद निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किये जाये।

पश्चिम रेलवे के मंदसौर, नीमच और जावरा स्टेशनों पर पानी की निरन्तर कमी को देखते हुए प्याउ की व्यवस्था करने की आवश्यकता। (364)

कि परिसपत्तियां-खरीद निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किये जाये।

पश्चिम रेलवे के रतलाम डिवीजन में रेलवे अस्पतालों को आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने या उन्हें आधुनिक बनाने की आवश्यकता। (365)

कि परिसपत्तियां-खरीद निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किये जाये।

पश्चिम रेलवे में गार्डों, कंडक्टरों और टिकिट निरीक्षकों के बच्चों के लिये शैक्षिक सुविधायें उपलब्ध कराने की आवश्यकता। (366)

श्री द्वारकानाथ दास (करीमगंज) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि परिसपत्तियां-खरीद निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किये जाये।

असम में करीमगंज स्टेशन पर आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करान की आवश्यकता। (388)

कि परिसपत्तियां-खरीद निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किये जाये।

बदरपुर रेलवे जंक्शन का आधुनिकीकरण किये जाने की आवश्यकता। (389)

कि परिसपत्तियां-खरीद निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किये जाये।

करीमगंज में नई रेल लाइन बिछाने की आवश्यकता (390)

कि परिसपत्तियां-खरीद निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किये जाये।

अइलाकंदी रेलवे स्टेशन पर सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता। (391)

कि परिसपत्तियां-खरीद निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किये जाये।

कताखल रेलवे जंक्शन का आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता। (392)

कि परिसपत्तियां-खरीद निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किये जाये।

दुल्लभचड्डा रेलवे स्टेशन रणपुर तक नई रेल लाईन के निर्माण की आवश्यकता। (393)

वैद्य दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं।

कि परिसपत्तियां-खरीद निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किये जाये।

यात्री गाड़ियों में बड़े पैमाने पर हो रही चोरी को रोकने की आवश्यता। (412)

कि परिसपत्तियां-खरीद निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किये जाये।

पश्चिमी रेलवे की यात्री गाड़ियों में स्वच्छता में सुधार करने की आवश्यकता। (413)

कि परिसंपत्तियां-खरीद निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किये जाये।

पश्चिम रेलवे में कोटा जंक्शन के मुख्य प्लेटफार्म पर स्वच्छता में सुधार करने हेतु उपाय करने की आवश्यकता। (414)

कि परिसंपत्तियां-खरीद निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किये जाये।

पश्चिम रेलवे में खानपान सेवाओं विशेषकर शामगढ़ से दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता में सुधार करने की आवश्यकता। (415)

कि परिसंपत्तियां-खरीद निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किये जाये।

पश्चिम रेलवे के कोटा जंक्शन से अगस्त क्रांति एक्सप्रेस में सीटों के आरक्षण का प्रावधान करने और मुम्बई के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने की आवश्यकता। (416)

कि परिसंपत्तियां-खरीद निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किये जाये।

पश्चिम रेलवे में कोटा के डाकया तालाब स्टेशन पर आधुनिक सुविधायें उपलब्ध कराने की आवश्यकता। (417)

कि परिसंपत्तियां-खरीद निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किये जाये।

कोटा और बीना के बीच एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाये जाने की आवश्यकता। (418)

कि परिसंपत्तियां-खरीद निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किये जाये।

कोटा भोपाल, कोटा दामो और कोटा बीना में से किसी एक रेलगाड़ी को एक्सप्रेस रेलगाड़ी में परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता। (419)

कि परिसंपत्तियां-खरीद निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किये जाये।

रेल कर्मचारियों की सुविधा के लिए मालगोदाम से होते हुए कोटा में एक उपरि पुल का निर्माण किये जाने की आवश्यकता। (420)

कि परिसंपत्तियां-खरीद निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किये जाये।

कोटा रंगपुर सड़क एक पर यथाशीघ्र एक उपरि पुल का निर्माण किये जाने की आवश्यकता। (421)

कि परिसंपत्तियां-खरीद निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किये जाये।

कोटा केशोरायपरांव पर गुढली के समीप यथाशीघ्र एक उपरि पुल का निर्माण किये जाने की आवश्यकता। (422)

कि परिसंपत्तियां-खरीद निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किये जाये।

कोटा और आगरा के बीच चलने वाली स्थानीय रेलगाड़ियों को पुराने रायनगर रेलवे स्टेशन पर ठहराये जाने की आवश्यकता ताकि कमलेश्वर महादेव की यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों को यातायात की सुविधा मिल सके। (423)

कि परिसंपत्तियां-खरीद निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किये जाये।

पश्चिम रेलवे के बूंदी जिले में दरा स्टेशन पर अवध एक्सप्रेस के हालट की व्यवस्था करने की आवश्यकता। (424)

कि परिसंपत्तियां-खरीद निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किये जाये।

पश्चिम रेलवे के बूंदी जिले में कपासन स्टेशन पर देहरादून एक्सप्रेस के हालट की व्यवस्था करने की आवश्यकता। (425)

कि परिसंपत्तियां-खरीद निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किये जाये।

जयपुर सुपरफास्ट और अवध एक्सप्रेस के पश्चिम रेलवे के बूंदी जिले में केशोरायपरा तीर्थ स्थल पर हाल्ट की व्यवस्था करने की आवश्यकता। (426)

कि परिसंपत्तियां-खरीद निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किये जाये।

कोटा में स्थित यार्ड और वेगन मरम्मत कारखाने का विस्तार, करने की आवश्यकता। (427)

कि परिसंपत्तियां-खरीद निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किये जाये।

कोटा के रेलवे यार्ड और वेगन मरम्मत कारखाने में हो रही टनों लोहे की चोरी रोकने की आवश्यकता। (428)

कि परिसंपत्तियां-खरीद निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किये जाये।

दिल्ली और मुम्बई से चलने वाले यात्रियों को पश्चिम रेलवे के मथुरा और रतलाम स्टेशनों पर पुलिस द्वारा परेशान किये जाने की घटनाओं को रोकने की आवश्यकता। (429)

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में 100 रुपये कम किये जायें।

रेलवे को अधिक दक्ष, कारगर और लाभ अर्जित करने वाला उपक्रम बनाने की आवश्यकता। (488)

कि रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में 100 रुपये कम किये जायें।

रेल गाड़ियों में चोरियां और छीना-झपटी की घटनाएं रोकने की आवश्यकता। (489)

कि रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में 100 रुपये कम किये जायें।

अजमेर में रेल यात्री निवास के निर्माण की आवश्यकता। (490)

कि रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में 100 रुपये कम किये जायें।

रेल सेवाओं को जनता के लिए अधिक उपयोगी बनाने, रेल गाड़ियों में सुरक्षा बनाए रखने तथा रेल गाड़ियों में समय की पाबंदी और नियमितता बनाए रखने की आवश्यकता। (491)

कि रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में 100 रुपये कम किये जायें।

रेलवे स्टेशनों पर विश्राम कक्ष, प्याऊ और सार्वजनिक सुविधाओं के उचित रख-रखाव की आवश्यकता। (492)

कि रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में 100 रुपये कम किये जायें।

ब्यावर, किशनगढ़, नसीराबाद, विजयनगर स्टेशनों के चहुंमुखी विकास और उन पर चलने वाली बड़ी लाइन की गाड़ियों की आवश्यकताओं के अनुसार उनके प्लेटफार्मों का विस्तार किये जाने की आवश्यकता। (493)

कि रेल इंजनों की मरम्मत और अनुरक्षण शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में 100 रुपये कम किये जाएं।

अजमेर के लोको कारखाने और आबू रोड में डीजल इंजन कारखाने में डीजल इंजनों के रख-रखाव हेतु पर्याप्त प्रबन्ध करने की आवश्यकता। (494)

कि सवारी और माल डिब्बों की मरम्मत और अनुरक्षण शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में 100 रुपये कम किये जाएं।

अजमेर के लोकों और कैरिज कारखानों में बड़े पैमाने पर डिब्बों और वैगनों की मरम्मत और रख-रखाव कार्य शुरू करने की आवश्यकता। (495)

कि सवारी और माल डिब्बों की मरम्मत और अनुरक्षण शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में 100 रुपये कम किये जाएं।

अजमेर की लोको एण्ड कैरिज फैक्ट्री में बड़ी लाइन की जरूरतों के अनुसार रेल लाइनों का प्रावधान करके कार्य शुरू करने की आवश्यकता। (496)

कि सवारी और माल डिब्बों की मरम्मत और अनुरक्षण शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में 100 रुपये कम किये जाएं।

अजमेर लोको एण्ड कैरिज फैक्ट्रीज में रेल डिब्बों का निर्माण शुरू करने की आवश्यकता। (497)

कि सवारी और माल डिब्बों की मरम्मत और अनुरक्षण शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में 100 रुपये कम किये जाएं।

बड़ी लाइन की जरूरतों के अनुसार अजमेर की लोको एण्ड कैरिज फैक्ट्रीज का आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता। (498)

कि सवारी और माल डिब्बों की मरम्मत और अनुरक्षण शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में 100 रुपये कम किये जाएं।

अजमेर की लोको एण्ड कैरिज फैक्ट्रीज तथा विभिन्न स्टेशनों पर पड़े रेलवे स्क्रैप तथा अपशिष्ट को निपटाने की आवश्यकता। (499)

कि परिचालन व्यय-चल स्टाक और उपस्कर शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में 100 रुपए कम किए जाएं।

रेल डिब्बों तथा वैगनों की समय पर रख-रखाव, पेंटिंग और मरम्मत किए जाने की आवश्यकता। (500)

कि परिचालन व्यय-चल स्टाक और उपस्कर शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में 100 रुपए कम किए जाएं।

माल की लदाई और उतराई के लिए ब्यावर, किशनगढ़, अजमेर और भीलवाड़ा स्टेशनों पर पर्याप्त संख्या में वैगन उपलब्ध कराने की आवश्यकता। (501)

कि परिचालन व्यय-यातायात शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में 100 रुपए कम किए जाएं।

पूजा एक्सप्रेस (जम्मूतवी-जयपुर) को अजमेर तक बढ़ाये जाने की आवश्यकता। (502)

कि परिचालन व्यय-यातायात शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में 100 रुपए कम किए जाएं।

दिल्ली और अजमेर के बीच बड़ी लाइन पर एक रात्रि गाड़ी तत्काल शुरू करने की आवश्यकता। (503)

कि परिचालन व्यय-यातायात शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में 100 रुपए कम किए जाएं।

अजमेर और दिल्ली तथा अजमेर और जयपुर के बीच इंटरसिटी रेलगाड़ी शुरू करने की आवश्यकता। (504)

कि परिचालन व्यय-यातायात शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में 100 रुपए कम किए जाएं।

दिल्ली होते हुए अजमेर और हरिद्वार के बीच बड़ी लाइन पर एक नई तीर्थयात्रा एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाने की आवश्यकता। (505)

कि परिचालन व्यय-यातायात शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में 100 रुपए कम किए जाएं।

अजमेर और अमृतसर के बीच बड़ी लाइन पर स्वर्ण एक्सप्रेस शुरू करने की आवश्यकता। (506)

कि परिचालन व्यय-यातायात शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में 100 रुपए कम किए जाएं।

हाल ही में शुरू की गई अजमेर-जयपुर लिंक एक्सप्रेस के दो फेरे शुरू करने तथा इस रेलगाड़ी के उन यात्रियों के लिये जो इस गाड़ी से अपनी यात्रा आगे जारी रखना चाहते हों, अजमेर में ही बुकिंग का प्रबंध करने की आवश्यकता। (507)

कि परिचालन व्यय-यातायात शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में 100 रुपए कम किए जाएं।

ग्रामीण और आम यात्रियों की सुविधा के लिये अजमेर-फुलेरा-जयपुर के बीच बड़ी लाइन पर एक शटल रेलगाड़ी शुरू करने की आवश्यकता। (508)

कि परिचालन व्यय-यातायात शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में 100 रुपए कम किए जाएं।

रिवाड़ी-जयपुर-फुलेरा रेलगाड़ी को अजमेर तक बढ़ाये जाने की आवश्यकता। (509)

कि परिचालन व्यय-यातायात शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में 100 रुपए कम किए जाएं।

जयपुर और मद्रास के बीच एक दैनिक रेलगाड़ी शुरू करने की आवश्यकता। (510)

कि परिचालन व्यय-यातायात शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में 100 रुपए कम किए जाएं।

अहमदाबाद-आगरा फोर्ट रेलगाड़ी को मीटर गेज लाइन अहमदाबाद-अजमेर-जयपुर पर चलाने की आवश्यकता। (511)

कि परिसम्पत्तियां-खरदी, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में 100 रुपए कम किए जाएं।

बांदीकुई-आगरा फोर्ट मीटर गेज लाइन को तत्काल बड़ी लाइन में बदलने की आवश्यकता। (512)

कि परिसम्पत्तियां-खरदी, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में 100 रुपए कम किए जाएं।

अजमेर की लोको एण्ड कैरिज फैक्ट्री के खेल के मैदान को अत्याधुनिक सुविधाओं से पूरी तरह सुसज्जित स्टेडियम में बदलने की आवश्यकता। (513)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में रुपये कम किये जायें।

रेलवे बोर्ड को अधिक कुशल बनाने की आवश्यकता। (514)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में रुपये कम किये जायें।

सेवा के दौरान मृत रेल कर्मचारियों के बच्चे/आश्रितों को मानवीय आधार पर नौकरी दिए जाने की आवश्यकता। (515)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में रुपये कम किये जायें।

यात्रियों को बेहतर रेल सेवाएं तथा सुविधाएं उपलब्ध कराने एवं समय की पाबन्दी बनाये रखने की आवश्यकता। (516)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में रुपये कम किये जायें।

जरूरतों के मुताबिक समय पर रेल वैगन उपलब्ध कराने की आवश्यकता। (517)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में रुपये कम किये जायें।

रेलगाड़ियों में बिना टिकट यात्रा तथा चोरी की घटनाओं को रोकने की आवश्यकता। (518)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में रुपये कम किये जायें।

अजमेर में रेलवे जोनल मुख्यालय खोले जाने की आवश्यकता। (519)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में रुपये कम किये जायें।

अजमेर रेल डिवीजन का पुनर्गठन किए जाने की आवश्यकता। (520)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में रुपये कम किये जायें।

अजमेर को रेलवे बीसिट संस्थान को एक कल्याण केन्द्र के रूप में विकसित करने की आवश्यकता। (521)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में रुपये कम किये जायें।

अजमेर रेल अस्पताल का विस्तार करने तथा वहां सी.टी. स्केन की सुविधा भी उपलब्ध कराने की आवश्यकता। (522)

कि परिचालन व्यय-यातायात शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में रुपये कम किये जायें।

अजमेर-दिल्ली-बरेली साप्ताहिक रेलगाड़ी को रोजना चलाने की आवश्यकता। (523)

कि परिचालन व्यय-यातायात शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में रुपये कम किये जायें।

दिल्ली-अजमेर-उदयपुर के बीच चलने वाली चेतक एक्सप्रेस की गति बढ़ाये जाने की आवश्यकता। (524)

कि परिचालन व्यय-यातायात शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में रुपये कम किये जायें।

जयपुर होते हुए दिल्ली अजमेर के बीच चलने वाली शताब्दी एक्सप्रेस को शीघ्रातिशीघ्र पुनः चलाए जाने की आवश्यकता। (525)

कि परिचालन व्यय-यातायात शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में रुपये कम किये जायें।

अजमेर-काचेगुडा मीनाक्षी एक्सप्रेस को पुनः चलाये जाने की आवश्यकता। (526)

कि परिचालन व्यय-यातायात शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में रुपए कम किए जाएं।

गरीब नवाज एक्सप्रेस लिंक एक्सप्रेस को उदयपुर-अजमेर-फुलेरा-रीगस -रिवाड़ी मीटर गेज लाइन पर चलाये जाने की आवश्यकता। (527)

कि परिचालन व्यय-यातायात शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में रुपये कम किये जायें।

जोधपुर मेल को सख रूहिल्ला, दिल्ली और जोधपुर बरास्ता अजमेर के बीच पहले की तरह पुनः चलाये जाने तथा इस गाड़ी में एक प्रथम श्रेणी का डिब्बा लगाये जाने की आवश्यकता। (528)

कि परिसंपत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में 100 रुपये कम किये जायें।

अजमेर, आबरोड़-महसाना मीटर गेज लाइन को बिना और देरी के बड़ी लाइन में बदलने की आवश्यकता। (529)

कि परिसंपत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में 100 रुपये कम किये जायें।

अजमेर-भीलड़ा-चित्तौड़गढ़-उदयपुर मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की आवश्यकता। (530)

कि परिसंपत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में 100 रुपये कम किये जायें।

अजमेर और पुशकर के बीच एक नई रेल लाइन बिछाने की आवश्यकता। (531)

कि परिसंपत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में 100 रुपये कम किये जायें।

रिवाड़ी-रिंगस-फुलेरा मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की आवश्यकता। (532)

कि परिसंपत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में 100 रुपये कम किये जायें।

अजमेर-खण्डवा-पूर्णा मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की आवश्यकता। (533)

कि परिसंपत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में 100 रुपये कम किये जायें।

मारवाड़ जंक्शन-जोधपुर और मारवाड़ जंक्शन-उदयपुर मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की आवश्यकता। (534)

कि परिसंपत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में 100 रुपये कम किये जायें।

दिल्ली-अजमेर-अहमदाबाद बड़ी लाइन को दोहरा किए जाने की आवश्यकता। (535)

कि परिसंपत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में 100 रुपये कम किये जायें।

अजमेर-नसीराबाद-केकाडी-दीवाली-कोटा होते हुए एक नई रेल लाइन बिछाने के लिए सर्वेक्षण किये जाने की आवश्यकता। (536)

कि परिसंपत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में 100 रुपये कम किये जायें।

अजमेर-किशनगढ़-रूपनगढ़-पर्वतसर-मकराना होते हुए एक नई रेल लाइन बिछाने हेतु सर्वेक्षण किये जाने की आवश्यकता। (537)

कि परिसंपत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में 100 रुपये कम किये जायें।

मेदता-पुष्कर-अजमेर होते हुए एक नई रेल लाइन बिछाने के लिए सर्वेक्षण किये जाने की आवश्कयता। (538)

कि परिसंपत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में 100 रुपये कम किये जायें।

अजमेर-नसीराबाद-मसूदा-रामगढ़-बदनोर-भीम-देवगढ़ होते हुए एक नई लाइन बिछाने के लिए सर्वेक्षण कराये जाने की आवश्यकता। ***(539)***

कि परिसंपत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में 100 रुपये कम किये जायें।

अजमेर रेलवे स्टेशन पर हाल्ट शंटिंग और गाड़ियों की सफाई आदि जैसी सुविधायें उपलब्ध कराने की आवश्यकता। (540)

कि परिसंपत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में 100 रुपये कम किये जायें।

किशनगढ़-मदनगंज-मकराना रोड पर स्टेशन के पास एक उपरि पुल के निर्माण की आवश्यकता। (541)

कि परिसंपत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में 100 रुपये कम किये जायें।

अजमेर-आबूरोड रेल लाइन पर केसरगंज, अजमेर के निकट 100 साल पुराने मार्टिन्डल पुल की ऊंचाई तथा चौडाई बढ़ाने की आवश्यकता। (542)

कि परिसंपत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में 100 रुपये कम किये जायें।

अजमेर-आबूरोड और अजमेर-चितौड़गढ़ रेल लाइन पर केरज फैक्ट्री के निकट एक उपरि पुल के निर्माण की आवश्यकता। (543)

कि परिसंपत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में 100 रुपए कम किए जाएं।

ब्यावर-मारवाड़ जंक्शन रोड पर मिल रोड ब्यावर में एक उपरि पुल अथवा एक भूमिगत मार्ग के निर्माण की आवश्यकता। (544)

कि परिसंपत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में 100 रुपये कम किये जायें।

मदार और अजमेर के बीच गुलाबबाड़ी क्रासिंग तथा श्रीनगर रोड, अजमेर में मदार-तबीजी के बीच उपरि पुलों के निर्माण की आवश्यकता। (545)

कि परिसंपत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में 100 रुपये कम किये जायें।

मदार-तबीजी रेलवे बाई-पास मीटर गेज लाइन को बडी लाइन में बदलने की आवश्यकता। (546)

[अनुवाद]

श्री राम विलास पासवान : सिक्किम के माननीय सदस्य द्वारा वहां की टूटी हुई रेल श्रृंखला को दोबारा जोड़े जाने की मांग की गई है। वहां के लोगों की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय किया गया है कि इस कार्य के लिए तुरंत सर्वेक्षण किया जाए।

मैंने निश्चय किया है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में नई छोटी लाइन के लिए सर्वेक्षण प्रारंभ किया जाए। मैंने यह भी निश्चय किया है कि सर्वेक्षण के समापन के पश्चात आगे की कार्यवाही की जाएगी। मैंने यह भी निश्चय किया है कि लक्षद्वीप समूह की जनता के प्रति सद्भावना प्रदर्शित करते हुए उनको उपहारस्वरूप एक टॉय-ट्रेन समर्पित की जाएगी।

बजट की चर्चा के दौरान माननीय सदस्यों ने रेल डिब्बों की दशा सुधारने और अपने-अपने क्षेत्रों से नयी रेल सेवाओं को शुरू करने की मांग की है। यह सबको विदित है कि सवारी डिब्बों और रेल इंजनों की कमी बराबर बनी रहती है और समस्त मांगों को पूरा करना संभव नहीं होता है। इसी कारण पुराने सवारी डिब्बों को भी इस्तेमाल करना पड़ता है। जहां तक वर्तमान गाड़ियों में सवारी डिब्बों की दशा सुधारने का प्रश्न है, उसके लिए भरसक प्रयास किया जा रहा है। उनमें सुधार लाया जा सके इसके लिए निरीक्षण को और सुदृढ़ बनाया जा रहा है। और इनके रखरखाव पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। मुझे आशा है कि भविष्य में इस बारे में शिकायतें कम होती जायेंगी **...(व्यवधान)**

अभी पश्चिम बंगाल के स्टेडियम के संबंध में आपने चर्चा की थी उसका सब कुछ हो गया है और उसमें पैसा भी आवंटित कर दिया गया है **...(व्यवधान)** इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। **...(व्यवधान)**

जस्टिस गुमान मल लोढ़ा (पाली) : आपने बात कर ली थी, उसका क्या हुआ? **...(व्यवधान)** नयी रेल लाइन का क्या हुआ? **...(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान : यह अंडर एग्जामिनेशन है। **...(व्यवधान)**

जस्टिस गुमान मल लोढ़ा : आपने कमिटमेंट किया था।**(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान : उन सब पर विचार कर रहे हैं **...(व्यवधान)**

आप इतनी जल्दी निराशाजनक जजमेंट दे देते हैं। आप पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। **...(व्यवधान)**

जस्टिस गुमान मल लोढ़ा : आपने कमेटी में कमिटमेंट किया था, उसका क्या हुआ?

श्री राम विलास पासवान : नई रेलगाड़ियों को चलाने के विषय में मैं यह कहना चाहूंगा कि सवारी डिब्बों और रेल इंजनों इत्यादि की कमी के बावजूद जनता की मांग को देखते हुए मैंने निम्नलिखित और गाड़ियां चलाने का निश्चय किया है :

दिल्ली से रोहतक के बीच डीजल पुश पुल सर्विस। मथुरा पलवल के दैनिक यात्रियों की भारी मांग को देखते हुए एक ईएमयू सेवा मथुरा और दिल्ली के बीच प्रारंभ की जाएगी।

बंगलौर-मिरज के आमान परिवर्तन के बाद बंगलौर से मुंबई के बीच वाया हुबली सप्ताह में दो बार एक गाड़ी चल रही है **...(व्यवधान)** आप पहले मेरी बात को तो सुन लीजिए। माननीय सदस्यों के आग्रह पर इस ट्रेन सर्विस को प्रति दिन किया जा रहा है।

केरल के माननीय सदस्यों की मांग को देखते हुए यह निश्चय किया गया है कि कोंकण रेलवे के समापन के बाद नयी दिल्ली से त्रिवेन्द्रम के बीच वाया मडगांव/मंगलौर सप्ताह में एक दिन राजधानी एक्सप्रेस चलायी जाएगी। जिससे गोवा और दिल्ली के बीच संबंध स्थापित हो सकेगा। इससे मद्रास और तिरूवनंतपुरम के लिए अलग-अलग राजधानियां हो जाएंगी।

मैंने अपने बजट भाषण में कहा था कि रामपुर हाट-बर्द्धमान पैसेंजर को रद्द करके हावड़ा-बोलपुर-रामपुर हाट एक्सप्रेस चलाई जाएगी। परंतु कुछ माननीय सदस्यों ने अनुरोध किया था कि रामपुर हाट-बर्द्धमान पैसेंजर को भी चालू रखा जाए। मैंने उनकी इच्छाओं का आदर करते हुए यह फैसला किया है कि रामपुर हाट-बर्द्धमान पैसेंजर को रद्द नहीं किया जाएगा, वह भी चलेगी।

जोधपुर और जैसलमेर के बीच में एक नयी रेल सेवा आरंभ की जा रही है जो शाम को चल कर सुबह पहुंचा करेगी। इससे पर्यटन का विकास होगा।

मद्रास से पांडिचेरी के बीच एक सीधी रेल सेवा प्रारंभ की जा रही है।

यात्रियों की सुविधा को देखते हुए निश्चय किया गया है कि पांडिचेरी से तिरूवनमल्लाई तक चलने वाली यात्री गाड़ी को तिरूपति तक बढ़ाया जाएगा जिससे शाम को चल कर सुबह तक पहुंचा जा सकें।

कम्यूटर यात्री की मांग को देखते हुए अजमेर और जयपुर के बीच में एक बड़ी लाइन की शटल सेवा प्रारंभ की जा रही है।

उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों की मांग को देखते हुए कोटद्वार से नजीबाबाद के बीच एक लिंक एक्सप्रेस चलायी जायेगी जिससे मसूरी एक्सप्रेस से संबंध स्थापित हो सकेगा। इससे दिल्ली और कोटद्वार के बीच सीधी सेवा मिल सकेगी और नजीबाबाद में इंतजार का समय भी नहीं होगा।

रामनगर-मुरादाबाद सेक्टर पर बजट भाषट में दी हुई लिंक एक्सप्रेस के अतिरिक्त रामनगर और मुरादाबाद के बीच शटल सेवा भी प्रारंभ की जाएगी।

दिल्ली और डेगाना के बीच बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए रतनगढ़ और डेगाना के बीच में एक अतिरिक्त पैसेन्जर सेवा आरंभ की जा रही है, जो शेखावटी लिंक एक्सप्रेस को जोड़ेगी। इससे रतनगढ़ मे अनावश्यक इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

दक्षिण-मध्य रेलवे के विजयवाड़ा-गुंटुर-तेनाली खंड पर मेन लाइन इलेक्ट्रीकल मल्टीपल यूनिट (एम.ई.एम.यू.) सेवा । सितंबर, 1996 को या उससे पहले शुरू की जाएगी।

कालका से अमृतसर तक चलने वाली शिमला मेल गाड़ी जो बहुत साल पहले बंद कर दी गई थी। माननीय सदस्यों की मांग को देखते हुए मैंने इसे फिर से चलाने का निश्चय किया है।

पंजाब के माननीय सदस्यों ने विशेष मांग रखी है कि अमृतसर से बंबई जाने वाली गाड़ी का नाम "गोल्डन टेम्पल" के नाम पर रखा जाए। उनकी भावनाओं का आदर करते हुए मैंने यह निर्णय लिया है कि भविष्य में फ्रंटियर मेल का नाम बदल कर "गोल्डन टेम्पल मेल" कर दिया जाए। ठीक है न, अब तो आप तालियां बजाइए।

माननीय सदस्यों ने भुवनेश्वर और बंगलौर को जाने वाली राजधानी गाड़ियों की फ्रिक्वेंसी बढ़ाने की मांग की है। इस मांग को पूरा न कर पाने का मुख्य कारण राजधानी गाड़ियों में डिब्बों की कमी है। फिर भी माननीय सांसदों की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए मैंने यह आदेश दिया है कि 1996-97 के दौरान ही राजधानी के डिब्बों का अधिक से अधिक निर्माण किया जाए जिससे कुछ हद तक इस कमी को दूर कर सकें और इन डिब्बों के बन जाने के बाद इसी वित्त वर्ष में मैं नयी दिल्ली-भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस और निजामुद्दीन-सिकंदराबाद-बेंगलूर राजधानी एक्सप्रेस को सप्ताह में एक बार के बजाए सप्ताह में दो बार चला दिया जाएगा। अब आप ताली बजाएं। उस समय तो आप हल्ला कर रहे थे। ...(व्यवधान) बिहार पर सब लोगों ने कट मोशन लगा दिया है।

मुंबई के संसद सदस्यों से चर्चा के दौरान मांग आई थी कि महिलाओं के लिए उप-नगरीय गाड़ियों में आरक्षण की सुविधा जो हाल में दी गई थी वह जारी रखी जाए। इसलिए मैंने निश्चय किया है कि पश्चिम और मध्य रेलवे की उप-नगरीय गाड़ियों में जो स्थान प्रथम श्रेणी में महिलाओं के लिए सुबह छः बजे से रात को आठ बजे तक आरक्षित था, उसको रात में 9 बजे तक बढ़ा दिया जाए।

दिल्ली-अहमदाबाद के संपूर्ण आमान परिवर्तन के पश्चात अहमदाबाद के लिए भी सप्ताह में एक बार राजधानी सेवा प्रारंभ की जाएगी।

माननीय सांसदों ने चर्चा के दौरान एक कठिनाई बताई थी कि द्वितीय श्रेणी के अनारक्षित सवारी डिब्बों की कमी के कारण बहुत कठिनाई आती है। यात्रियों को दुरगामी गाड़ियों में जगह मिलने में बहुत कठिनाई होती है। इसलिए मैंने ये निर्देश जारी कर दिए हैं कि भविष्य में हरेक दूरगामी गाड़ी में कम से कम दो अनारक्षित द्वितीय श्रेणी के डिब्बे होंगे। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रत्येक रेलगाड़ी में कम से कम दो डिब्बे जोड़े जायेंगे।

[हिन्दी]

माननीय सदस्यों ने मांग की थी कि हर मेल एक्सप्रेस गाड़ी में ए. सी. की सुविधा प्रदान की जाए। इसलिए मैंने निश्चिय किया है कि योजनाबद्ध तरीके से ऐसे डिब्बों का उत्पादन बढ़ाया जाए और हर मेल एक्सप्रेस गाड़ी में एक ए.सी.. टू-टायर या थ्री-टायर डिब्बा लगाया जाए।

माननीय सदस्यों ने पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों में चलने वाली गाड़ियों के डिब्बों की गिरी हालत में सुधार लाने के बारे में विशेष रूप से उल्लेख किया है। मैं माननीय सदस्यों से एक बात कहना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप लोग इस पर गंभीरता से विचार करें। हो क्या रहा है कि पिछले कुछ सालों से गेज परिवर्तन का काम बहुत तेजी से चल रहा है और आज की तारीख तक 21000 किलो मीटर मीटर-गेज और नैरो-गेज को नौवीं योजना के अंतर्गत गेज परिवर्तन पूरा करने का काम एक्शन प्लान में रखा गया है। अब यदि एक्शन प्लान में इसे रखा जाएगा तो भी 8000 किलोमीटर से ज्यादा नहीं आ सकता है। इस तरह 13 हजार किलोमीटर मीटर-गेज और नैरो-गेज बच जाता है। यह उन एरियाज में है जो बैकवर्ड एरियाज हैं, पिछड़े इलाके हैं, रेगिस्तानी इलाके हैं, बिहार और बंगाल के, साउथ के पिछड़े इलाके हैं। इस तरह से 13000 किलोमीटर बच जाएगा, उसकी नैचुरल डैथ हो जाएगी। पिछले तीन सालों से मीटर-गेज के डिब्बे बनाना बंद हो गया है। इसलिए हमारे सामने सबसे बड़ा मामला यह है कि क्या हम मीटर गेज को इसी तरह से मरने देंगे। माननीय सदस्यों को शिकायत होगी कि गाड़ी में बाथरूम नहीं है, खिड़की टूटी हुई है। हमारे सारे के सारे डिब्बे ओवरएज हो गए हैं। इसलिए मीटर गेज में डिब्बों का बनाना जो बंद कर दिया गया है उस पर हमें ध्यान देना चाहिए और इसके लिए अगर आवश्यकता पड़ेगी तो मैं माननीय सदस्यों से इस पर चर्चा करूंगा। अंग्रेज जब गये थे तो 54 हजार किलोमीटर रेल लाइन लगाकर गए थे। हमने 8 हजार किलोमीटर जोड़ने का काम किया है। लेकिन अगर 13 हजार किलोमीटर मीटर गेज और नैरो-गेज बंद हो जाती है तो उन इलाकों में असंतोष फैलने से कोई रोक नहीं सकता है। एक तरफ तो रेलवे की कोशिश यह है कि जो आय के मुख्य स्रोत हैं उन्हें बढ़ा दें और रेलवे को घाटे में न चलने दें। इसलिए रेलवे को लाभकारी योजनाओं को लाना चाहिए और वैसे भी पैसेंजर ट्रैफिक जो है वह अलाभकारी है और उससे भी जो पिछड़े इलाके में है वह तो अलाभकारी माना ही जाता है। इसलिए मैंने माननीय सदस्यों की जानकारी में लाने का यह काम किया है।

विजयवाड़ा स्टेशन पर चल सीढ़ियों की व्यवस्था की जाएगी जिसके लिए अपेक्षित बजट व्यवस्था कर दी गयी है। विजयवाड़ा स्टेशन के अतिरिक्त शहर में बेंज सर्किल पर एक कंप्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्र शीघ्र लगाया जाएगा।

मुंबई क्षेत्र के संसद सदस्यों ने मुंबई के प्रति पक्षपात का आरोप लगाया था और कहा था कि 1996-97 वर्ष के लिए मुंबई महानगर परियोजना के अंतर्गत मुंबई के लिए सिर्फ 29.25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो सही नहीं है। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि मुंबई महानगर परियोजना के लिए निर्धारित 29.25 करोड़ रुपए के अलावा मध्य रेलवे के अंतर्गत मुंबई के लिए 49 करोड़ रुपए एवं पश्चिम रेलवे के अंतर्गत भी मुंबई के लिए 16 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। इस तरह इस वर्ष के एमटीपी प्लान

हैड के अंतर्गत मुंबई के लिए 94.25 करोड़ रुपए का प्रावधान है, जो इस वर्ष में एम टी पी प्लान हैड के अंतर्गत 190 करोड़ रुपए का आधा है। मैं माननीय सदस्यों को यह भी बतलाना चाहूंगा कि इसमें सिडको द्वारा किया जाने वाला 100 करोड़ रुपए का खर्च शामिल नहीं है। मुंबई मैं स्वयं गया था। वहां पर पीक समय की उपनगरीय सेवाओं को बढ़ाने की बहुत मांग है।

परन्तु संचालन, लाइन कैपेसिटी और टर्मिनल कठिनाइयों के कारण इन सेवाओं को बढ़ाना संभव नहीं है। इसलिए यह निश्चय किया गया है कि अधिक से अधिक 8 कोच की लोकल गाड़ियों को 12 कोच कर दिया जाए। अतः वर्तमान एक सौ चार 12-कोच वाली गाड़ियों की संख्या में वृद्धि कर अब 445 और 12-कोच की गाड़ियां चलाई गई हैं। इसके अतिरिक्त इसी वर्ष में पश्चिम और मध्य रेलवे की गाड़ियों में अधिक डिब्बे बढाये जाएंगे। बेलापुर-पनवेल के कार्य के पूरे हो जाने के उपरान्त इस क्षेत्र में और गाड़ियां चलाई जाएंगी और इसके अतिरिक्त बेलापुर-अंधेरी लोकल की संख्या 4 के स्थान पर 16 की जा रही है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल-बान्द्रा लोकल को इसी वित्तीय वर्ष के दौरान अंधेरी तक बढ़ाया जाएगा और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल-अंधेरी लोकल की संख्या 20 से 66 की जा रही है। इसके अतिरिक्त करजत-खपोली सेक्शन की बहुत दिनों से चली आई मांग को पूरा करने के लिए करजत-खपोली विद्युतीकरण का कार्य तेजी से चलाया जा रहा है। विद्युतीकरण के बाद सीधी ई.एम.यू. सेवाएं खपोली से छत्रपति शिवाजी टर्मिनल तक चलाई जाएंगी।

रेल सेवाओं में सुविधा प्रदान करने के क्षेत्र में यात्री टिकटों के आरक्षण के कम्प्यूरीकरण का महत्वपूर्ण स्थान है। यात्री टिकटों के आरक्षण के लिए सभी बड़े स्टेशनों पर कम्प्यूटर लगा दिए गए हैं। इस सुविधा को गुवाहाटी, शिलांग के अतिरिक्त आईजोल, ईटानगर, कोहिमा, अगरतला, गंगटोक और इम्फाल में भी प्रदान करने का निर्णय ले लिया गया है और इस विषय में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

पटना मेन, पटना दक्षिण और महेन्दुघाट लगे हुए यात्री टिकटों के आरक्षण के कंप्यूटरीकरण को पटना साहिब और राजेन्द्र नगर क्षेत्रों में भी बढ़ाया जा रहा है।

विश्वविद्यालयों से भी हम संपर्क स्थापित कर रहे हैं जिससे वे हमको स्थान प्रदान कर सकें और हम वहां पर यात्री आरक्षण के लिए कंप्यूटर लगा सकें। इससे छात्र वर्ग एवं आम जनता को इसका लाभ मिल सकेगा।

अंडमान-निकोबार की तरह कंप्यूटर द्वारा आरक्षण की सुविधा लक्षद्वीप में भी प्रदान करने का प्रस्ताव है।

माननीय सदस्यों ने रेलों पर खानपान सेवाओं में सुधार लाने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया है और उन्होंने चिंता व्यक्त की है कि गाड़ियों पर जो खाना उपलब्ध कराया जाता है, उसका स्तर बहुत नीचे दर्जे का का है। रेलों पर जो खानपान सेवाएं इस समय उपलब्ध हैं, उनमें विभागीय कैटरिंग और निजी ठेकेदारों द्वारा कैटरिंग का कार्य किया जाता है। मुझे यह कहते हुए कतई संकोच नहीं हो रहा है कि खानपान सेवाओं में सुधार की अत्यन्त आवश्यकता है। इसलिए हमने निश्चय किया है कि निजी ठेकेदारों द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, उसकी भी समीक्षा की जाए और कैटरिंग में व्यावसायिकता लाने के उद्देश्य से हम भारतीय रेल कैटरिंग एवं पर्यटन निगम की स्थापना करने जा रहे हैं। आशा की जाती है कि इससे रेलों पर यात्रियों को दिए गए भोजन इत्यादि का स्तर ऊंचा उठाया जा सकेगा।

बजट पर चर्चा के दौरान माननीय सदस्यों ने शिकायत की थी कि रेल डिब्बों के अन्दर टी.टी हर समय नहीं रहता। इसलिए रेल मंत्रालय ने सैद्धांतिक रूप से यह निर्णय ले लिया है कि हरेक द्वितीय श्रेणी के डिब्बे में एक टी.टी रखा जाएगा।

अपराह्न 7.00 बजे

कई माननीय सदस्यों ने रेलों की दुर्घटनाओं के विषय में अपना आक्रोश प्रकट किया है। जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि गाड़ियों के परिचालन में संरक्षा हमारे लिए अत्यंत महत्व का विषय है। रेलों पर संरक्षा निष्पादन में सुधार लाने हेतु विभिन्न उपायों के बावजूद दुर्घटनाएं होती रहती हैं। ऐसी ज्यादातर दुर्घटनाओं का मुख्य कारण मानवीय चूक है। इस दिशा में विशेष कदम उठाए जा रहे हैं जिनकी चर्चा मैंने बजट भाषण में की थी। इसके अतिरिक्त मैंने यह भी निश्चय किया है कि इन दुर्घटनाओं के लिए केवल कर्मचारी के खिलाफ ही कार्यवाही नहीं की जाएगी, वरन उच्च अधिकारी की भी जवाबदेही होगी और उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी। इसके अतिरिक्त सिगनल और दूरसंचार पर संरक्षा संबंधित अधिक योजना व्यय निश्चय किया गया है जिससे भी सुधार होगा और आशा है कि भविष्य में दुर्घटनाओं में और कमी आएगी।

माननीय सदस्यों ने गहरी चिंता व्यक्त की है कि भूमि के अन्दर कोयला खानों में आग लगने के कारण धनबाद से पथारडीह रेलवे लाइन के बैठ जाने का खतरा है। बी.सी.सी.एल. की रिपोर्ट के अनुसार रेलवे लाइन को कोई खतरा नहीं है लेकिन पूरे तथ्य का पता लगाने एवं उनके निवारण हेतु मैंने एक विशेषज्ञ कमेटी का गठन करने का आदेश दे दिया है जो एक माह के अंदर अपनी रिपोर्ट इस सम्बन्ध में मंत्रालय को देगा।

आमान परिवर्तन के बाद यह आवश्यक हो गया है कि हुबली कारखाने को बड़ी लाइन के सवारी डिब्बों का पी.ओ.एच. करने के लिए उपयुक्त बनाया जाए। इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि इस कार्य के लिए 8 करोड़ रुपए अतिरिक्त प्रदान किए जाएं ताकि कार्य का जल्दी समापन हो सके।

अध्यक्ष महोदय, सदन को विदित है कि पूर्वांचल में बहुत से आमान परिवर्तन के कार्य हुए हैं। इसको ध्यान में रखते हुए समस्तीपुर में एक डीजल लोको शेड बनाने का कार्य लगभग 15 करोड़ रुपए की लागत पर अनुमोदित किया गया है। इस लोको शेड में 50 लोको की मरम्मत का कार्य किया जाएगा। इस लोको शेड को बनाने का कार्य इसी वर्ष में शुरू किया जाएगा।

माननीय सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्र में रेल ओवर ब्रिज के बारे में चर्चा की है।

प्रो. रासा सिंह रावत : अजमेर के अन्दर रेलवे का सबसे बड़ा कारखाना है। उसको बड़ी लाइन की आवश्यकताओं के अनुरूप बदलने के लिए क्या प्रयास हो रहे हैं?

श्री राम विलास पासवान : मैं इसकी जांच करवाऊंगा और इस पर ध्यान दूंगा। माननीय सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्र में रेलवे ओवर ब्रिज के बारे में मांग की है। इसके निर्माण के बारे में माननीय सदस्यों को यह बताना चाहूंगा ...**(व्यवधान)** आप पहले सुन लीजिए।

श्री ब्रह्मानंद मंडल (मुंगेर) : जमालपुर के बारे में कुछ नहीं कहा और मुंगेर के पुल के बारे में कुछ नहीं कहा।

श्री राम विलास पासवान : जमालपुर में तो मेरा घर ही है। आप मुझे क्या बता रहे हैं? ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप पहले सुन लीजिए।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : इस फेज में बिहार की बात मत कीजिए। वह नैक्स्ट फेज में है। रेल ओवर ब्रिज के निर्माण के बारे में माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि वर्तमान व्यवस्था के अनुसार भीड़-भाड़ वाले समपारों पर रेल ओवर ब्रिज बनाने के लिए 50 परसेंट व्यय में भागीदारी के अनुसार राज्य सरकार से प्रस्ताव आता है। ऐसे पिछले प्रस्तावों पर रेल प्रशासन ने शीघ्र ही स्वीकृति दे दी है और अधिकतर विलम्ब राज्य सरकारों के द्वारा कार्य में होता है। अभी भी बहुत से रेल ओवर ब्रिज ऐसे हैं जिन पर रेलें अपना कार्य कर चुकी हैं लेकिन राज्य सरकार द्वारा दोनों तरफ सड़क का कार्य नहीं किया गया है, ओवर ब्रिज का इस्तेमाल जनता नहीं कर पा रही है। फिर भी मैं भविष्य के लिए माननीय सदस्यों को आश्वासन देना चाहूंगा कि वे जो भी प्रस्तावित रेल ओवर ब्रिज हैं उनके बारे में राज्य सरकार से प्रस्ताव भिजवाएं। रेल मंत्रालय उस सम्बन्ध में तुरन्त सकारात्मक कार्यवाही करेगा। मैं फिर इस सदन में कहना चाहता हूं कि राज्य सरकारों द्वारा 50 परसेंट पैसा हमारे पास आ जाएगा तो हम सारा काम एक साल में पूरा कर देंगे। आप लिस्ट हम को दीजिए लेकिन राज्य सरकार की तरफ से पैसा आना चाहिए। वह कह देते हैं कि हम पहले पैसा लगा देंगे लेकिन वे पहले पैसा लगाते नहीं हैं। राज्य सरकार से पैसा आने पर हम तुरन्त उस कार्य को कर देंगे।

हमारे कुछ साथियों ने यह शिकायत की थी कि कोइलवार पुल काफी पुराना हो गया है। 100 साल पुराना हो गया है और यह जीर्ण स्थिति में है। मैंने इसकी जांच करायी है और पाया है कि यह पुल सुरक्षित है। पुल के रखरखाव के लिए आवश्यकता साधन जो भी होंगे, उपलब्ध कराए जाएंगे।

श्री एस.पी. जायसवाल : (वाराणसी) : हमारे यहां राष्ट्रपति शासन है। ओवर ब्रिज बनाने के बारे में आपका सौतेला व्यवहार क्यों है?

श्री राम विलास पासवान : अभी हमारे साथी ने अजमेर वर्कशॉप के बारे में कहा।

[अनुवाद]

इसका उल्लेख पहले ही किया गया है। कुल लागत 5.65 करोड़ है। 3.44 करोड़ की राशि वर्ष 1996-97 के लिये आवंटित कर दी गई है।

[हिन्दी]

अजमेर वर्कशॉप 5.65 करोड़ का है। आप यह जानकार खुश होंगे कि तीन करोड़ 44 लाख इस बार दे दिया है। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मेरे पास जितने सीमित साधन हैं, उनको देखते हुए जितना मुझ से हो सकेगा, मैं करने की कोशिश करूंगा। जितने आप चिंतित हैं, उससे ज्यादा मैं भी चिंतित हूं। आज मैं मिनिस्टर हूं और कल तक विरोधी दल में था। कोई यहां परमानेंट नहीं रहता ...**(व्यवधान)** मुंगेर का पुल दो हजार करोड़ रुपए का है। कहां से पैसा लाएंगे? लेकिन यह बात सही है कि मुंगेर पुल के संबंध में पं. जवाहर लाल नेहरू से लेकर, श्रीमती इन्दिर गांधी से लेकर सारे जितने प्रधानमंत्री थे, सब लोगों ने जाकर वहां घोषणा की थी। हमने भी घोषणा की थी लेकिन सौ जनम का पुल एक बार में कैसे कर सकते हैं।

[अनुवाद]

अब मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर आता हूं। कृपया मेरी बात सुनें

[हिन्दी]

श्री ब्रह्मानंद मंडल : जमालपुर रेल कारखाना के बारे में कुछ तो कहें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंडल जी, बैठ जाइये।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : रेल कारखाना को बंद नहीं होने दिया जायेगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंडल जी, अध्यक्षपीठ की ओर देखें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको कोई अवसर देने नहीं जा रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप कैसे सदस्य हैं?

[हिन्दी]

श्री ब्रह्मानंद मंडल : अध्यक्ष महोदय, अभी जवाब दिया गया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अध्यक्षपीठ की अनुमति के बिना प्रश्न पूछने वाले को मंत्री जी उत्तर नहीं देंगे।

[हिन्दी]

जवाब देने के बाद आपको मौका दिया जायेगा।

[अनुवाद]

मैं आपको अनुपूरक प्रश्न पूछने का एक अवसर दूंगा। मंत्री जी भी इससे सहमत हैं।

[हिन्दी]

जवाब सुन लीजिये, उसके बाद जो सवाल पूछना है, वह करियेगा, मैं आपको अलाउ करूंगा।

श्री ब्रह्मानंद मंडल : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जमालपुर रेल कारखाने के लिये कुछ नहीं किया है ...**(व्यवधान)***

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री मंडल ने जो कुछ कहा है उसे कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया जायेगा। यह व्यवहार करने का ढंग नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि सदस्य इस प्रकार का व्यवहार करेंगे तो अपना समय ही बर्बाद करेंगे। मैं आपको अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दूंगा। आप और क्या चाहते हैं। मंत्री जी भी उत्तर देना चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, रेलवे के रख-रखाव, स्टेशन को साफ-सुथरा और उसके कार्य को सुचारू रूप से चलाने में माननीय सदस्यों की सहभागिता अपेक्षित है। इसके लिये मैंने स्टेशन निगरानी समितियों का गठन करने का निर्णय किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस संबंध में फिर कहना चाहूंगा कि हमारे पास बहुत सी कमेटियां- जोनल, डिवीजनल लैवल की और बहुत सारी कमेटियां हैं लेकिन उसके बावजूद बहुत सी शिकायतें आती रहती हैं और शिकायतें जायज भी हैं, इसमें दो मत नहीं हैं। उनको कैसे ठीक-ठाक किया जाये, यह मेरे लिये और पूरे सदन के लिये चिन्ता का विषय है। यदि माननीय सदस्य तैयार हों, चूंकि मैं चाहता था कि निर्णय लेकर आपको बताऊं लेकिन मैं निर्णय की स्थिति में नहीं हूं, बहुत सारे सीनीयर मैम्बर्स यहां हैं, दिग्गज पार्लियामैंटेरियन्स और दिग्गज पर्सनैल्टीज जहां बैठी हुई हैं, इसलिये मैं सब को आदेश नहीं दे सकता लेकिन यदि माननीय सदस्य तैयार हों और जो तैयार होंगे, उनके इलाके से जो सजेशन आयेगा, उस निगरानी समिति का चेयरमैन उन माननीय सदस्यों को बना दिया जायेगा जिससे वे सारी की सारी देखभाल कर सकें। अभी चूंकि अफसर के जिम्मे हैं, उसका मन होता है, मीटिंग बुलाता है, मन नहीं होता, मीटिंग नहीं बुलाता, इसलिये ये सारी बाधायें उत्पन्न होती हैं।

[अनुवाद]

यह मेरा सुझाव है। इस पर परामर्शदात्री समिति में चर्चा होगी।

[हिन्दी]

सलाहकार समिति में उस बात को रखूंगा। अध्यक्ष महोदय, बजट में बहस के दौरान बहुत से माननीय सदस्यों ने कैंजुअल लेबर के नियमन के बारे में चर्चा की थी। मैं उनको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि उनके हितों की पूरी रक्षा करूंगा बल्कि 56 हजार से अधिक कैजुअल लेबर को 1997-98 में स्थाई कर दिया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, रेल बजट की चर्चा के दौरान माननीय सदस्यों ने यह चिन्ता व्यक्त की थी कि सीधी भर्ती एवं पदोन्नति कोटा के आरक्षित पदों को अनारक्षित कराकर कायदे-कानून के खिलाफ समान्य उम्मीदवारों को भरा जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा था कि परिचालनिक और तकनीकी श्रेणी के पदों के लिये अनारक्षण के लिये निर्देशों का पालन रेलों द्वारा नहीं किया जा रहा है। मुझे माननीय सदस्यों को यह बताते हुये प्रसन्नता हो रही है कि भारतीय रेलवे में 25 प्रतिशत कर्मचारी अनुसूचित जाति/जनजातियों के हैं। लेकिन फिर भी कुछ कैटेगरी में इसकी संख्या कम है। खासकर जहां पर ट्राईबल का मामला आता है, उनकी वहां संख्या कम है। मैं माननीय सदस्यों को बतलाना चाहता हूं कि मैंने सभी श्रेणी में सीधी भर्ती प्रोन्नति के पदों पर आरक्षण पर अनारक्षण का प्रतिबंध करने का आदेश दिया है।

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने अपने भाषण में कहा था कि जल्द ही रेलवे में 9000 से अधिक आर.पी.एफ. के कांस्टेबिल के रिक्त पदों की भर्ती की जायेगी। इस भर्ती में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, महिलाओं एव अन्य पिछड़े वर्ग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा हैं वहीं यह भर्ती उत्तर पूर्व के सभी राज्यों की राजधानियों में भी होगी।

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह) : यह अंडमान निकोबार में भी होना चाहिये।

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट (दौसा) : पूर्वोत्तर राज्यों से रेलवे सुरक्षा बल के लिये कार्य करते समय आपको माप और स्वास्थ्य संबंधी शर्तें स्थानीय पुलिस मानकों के हिसाब से रखनी चाहिए। क्योंकि यदि नागालैंड से आप 5'-8" का पुलिसमैन भर्ती करना चाहेंगे तो वहां वह नहीं मिल पायेगा। अतः उन राज्यों से रेलवे सुरक्षा बल के लिये भर्ती के प्रयोजन से स्थानीय पुलिस मानकों को ही अपनाना चाहिए। आपको इतनी छूट देनी पड़ेगी अन्यथा इसका कोई लाभ नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय : आपका तात्पर्य यह है कि वहां केवल अध्यक्ष बनने के लिये ही लोग उपलब्ध हैं।

* कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राजेश पायलट जी का शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने सही बात कही है। हमारे जो इलाके हैं, वहां की भौगोलिक स्थिति ऐसी है जहां प्राकृतिक ऊंचाई है, वहां पर रिलैक्सेशन किया जाये। यह केवल रेलवे मिनिस्ट्री का मामला है और सरकार के निर्णय का मामला है, इसलिये यह निर्णय हो जायेगा और इस रिलैक्सेशन के लिये एक प्रस्ताव रखा जायेगा।

श्री राम टहल चौधरी (रांची) : हमारे छोटा नागपुर के लिये क्या किया जायेगा?

श्री राम विलास पासवान : जो भी हो, उसमें छोटा नागपुर भी होगा। मैंने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में भी भर्ती के आदेश दिये हैं जिससे वहां के लोग बिना किसी परेशानी के भर्ती केन्द्रों पर पहुंच सकेंगे। माननीय सदस्यों ने बजट के पूर्व एवं बजट के दौरान रेल प्रशासन के संसाधनों में बढ़ोतरी करने के लिये निजीकरण के बहुत सारे सुझाव दिये थे। रेलों को अपने विस्तार के लिये निजीकरण के प्रयास में बड़ी-बड़ी वित्तीय संस्थाओं, औद्योगिक संस्थानों, पूंजी निवेश लीजिंग इत्यादि को भारतीय रेल की ओर सम्मोहित करना पड़ेगा।

परंतु छोटे-छोटे कामों के लिए निजीकरण कामगारों के हित में नहीं होगा। इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि सफाई, रेलवे का रख-रखाव, बिस्तरबंद आदि छोटे-छोटे कामों के लिए निजीकरण नहीं किया जाएगा। आगे से रेलवे स्वयं इस काम को करेगी। यह जो स्वीपिंग का काम है, सफाई मजदूर का काम है, यह कॉनट्रैक्ट में देने के लिए क्या काम है? पटना पर जाकर पुल बना दें, पुल बनाने का काम करें ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय, स्वतंत्रता के समय देश के पूरे यातायात परिवहन का 80 प्रतिशत भाग रेल द्वारा पूरा किया जाता था। अब यह घटकर 40 प्रतिशत रह गया है। इसका मुख्य कारण सड़क यातायात का अधिक विकास और रेल अवसंरचना पर कम धन लगाया जाना है। हर देश में अब रेलवे पर नये सिरे से देखा जा रहा है। भारत में भी विभिन्न समितियों ने सिफारिश की है कि रेल पर्यावरण, यातायात, लागत एवं ऊर्जा की दृष्टि से सबसे बेहतर साधन है। इसलिए राष्ट्र की औद्योगिक एवं आर्थिक प्रगति के लिए इस पर विशेष ध्यान देना होगा। इसके लिए राज्य सरकारों से भी अपेक्षा है कि वह रेल विस्तार को ग्रामीण क्षेत्र में ले जाने को ग्रामीण विकास का एक भाग समझें, जिसके लिए ग्रामीण विकास के धन का कछ हिस्सा रेलवे की तरफ भी लगाने का ध्यान दें। इसके अतिरिक्त यदि राज्य सरकार मुफ्त भूमि देती है तो नयी रेल लाईन, दोहरीकरण तथा आमान परिवर्तन का भार रेल संसाधनों पर कम पड़ेगा।

कई माननीय सदस्यों ने इस बात पर चिन्ता की है कि रेलों ने कुछ प्लान हैडों में, जैसी नयी लाइनें, आमान परिवर्तन, दोहरीकरण, सिगनल एवं दूर-संचार पर धन कम उपलब्ध कराया है। इस संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि इस वर्ष नयी लाईनों के लिए 219 करोड़ रुपये दिये गए हैं जो कि पिछले चार वर्षों के वार्षिक प्रावधानों से अधिक है। आमान परिवर्तन में भी पिछले दो वर्षों से 1000 करोड़ रुपये दिये जा रहे हैं। इस वर्ष भी आमान परिवर्तन के लिए कुल धनराशि का 1000 करोड़ रुपया निश्चित किया गया है। इसी तरीके से दोहरीकरण के लिए भी इस वर्ष 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। पिछले वर्ष भी दोहरीकरण के लिए 300 करोड़ रुपये रखे गए थे ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : श्री पासवान जी, आपने मूल्य वृद्धि के कारण इसे कम किया है। ...**(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान : मैं मानता हूं। परंतु कर क्या सकता हूं।

[हिन्दी]

हमने एक हजार करोड़ रुपया जो वैगन का है ...। आप पहले आगे सुन लीजिए। रेलों पर संरक्षा को ध्यान में रखते हुए सिगनल एवं दूर-संचार प्लान हैड के लिए बजट प्रावधान बढ़ाकर 296 करोड़ रुपये किया गया है जो कि पिछले वर्ष के कुल 285 करोड़ रुपये की धनराशि से अधिक है। माननीय सदस्यों को विदित है कि इस वर्ष इस प्लान हैड में जो धनराशि दी गई है, वह पिछले पांच वर्षों में सबसे अधिक है।

मैं माननीय सदस्यों को यह भी बताना चाहूंगा कि माल-डिब्बों और सवारी-डिब्बों की मांग बहुत तेजी से हो रही है और इस मांग को देखते हुए 1996-97 में इसके लिए 3805 करोड़ रुपये रखे गए हैं जो पिछले वर्ष की राशि से लगभग 1000 करोड़ रुपया अधिक है। चूंकि पिछले तीन सालों में जो उनका रोलिंग स्टॉक का उत्पादन था, वह घट गया था और यह हमारे लिए चिन्ता का विषय बन गया था, इसलिए उसी सीमित साधान में लगाना था। जहां दूसरी मदों में हमने कटौती नहीं की है, वहां विशेष ध्यान रोलिंग स्टॉक पर देने का काम किया है। मैं समझता हूं कि सभी माननीय सदस्य उससे सहमत होंगे। इसके बावजूद हमने नयी रेल लाइनों आमान परितवर्तन आदि के आवंटन में भी कमी नहीं आने दी है।

बजट चर्चा के दौरान कुछ माननीय सदस्यों ने ऐसा कहा था कि स्लीपर क्लास में 200 किलोमीटर तक की किराये की बढ़ोतरी से मुक्त रखने का यात्रियों पर कोई असर नहीं होगा क्योंकि 200 किलोमीटर तक कोई स्लीपर क्लास में यात्रा नहीं करता। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि स्लीपर क्लास में 200 किलोमीटर तक लगभग 37 लाख यात्री हर वर्ष यात्रा करते हैं। और इस छूट से उनको लाभ मिलेगा। ...**(व्यवधान)**

माननीय सदस्यों ने केले इत्यादि पर पार्सल रेट बढ़ाने की शिकायत की है।

इसलिए मैंने फैसला लिया है कि अन्य फलों और सब्जियों की तरह केलों और पान के पत्तों पर भी पार्सल भाड़े में वृद्धि नहीं होगी।

अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं 1996-97 की अनुदान की मांगें इस सदन में प्रस्तुत करता हूं।

[अनुवाद]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अवसर दूंगा।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : उन्होंने निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल के बारे में कहा है (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री वाजपेयी को अनुमति दी हैं। मैं आपको भी अवसर दूंगा।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं। बजट पर चर्चा के दौरान अनेक माननीय सदस्यों ने बिलासपुर को एक जोनल हैडक्वार्टर बनाने की मांग की थी वह अभी डिवीजन है, वह सबसे ज्यादा फायदा देने वाला डिवीजन है, महत्वपूर्ण स्थान पर केन्द्रित है। बाहर भी इसके बारे में व्यापक मांग हो रही है। इस समय प्रधान मंत्री जी भी मौजूद हैं और में समझता हूं कि बिलासपुर को एक जोनल हैडक्वार्टर बनाने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय, प्रधान मंत्री महोदय की सलाह से इस संबंध में ऐलान कर दें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य जी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उनके बाद मंत्री महोदय उत्तर देंगे।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : उन्होंने पश्चिम बंगाल की किसी भी परियोजना के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। एक सैक्शन में मार्च 1996 से रेल सेवायें बिल्कुल बंद कर दी गयी है। मंत्री महोदय ने आश्वासन नहीं दिया है कि रेल सेवायें पुनः आरम्भ कर दी जायेंगी। बांकुरा - दामोदर नन्दी रेलवे के बारे में यह नहीं कहां है कि रेलवे कर्मचारियों सहित रेल सेवायें बहाल कर दी जायेंगी। उन्होंने इस बात का आश्वासन नहीं दिया है।

दूसरी बात यह है कि पूर्व रेलवे तथा अन्य रेलवेज में बहुत से सचल कर्मचारी है जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के कारण वर्ष 1981 में सेवा से हटा दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : इसे वाद-विवाद का विषय न बनाये। आप प्रश्न पूछें।

श्री बसुदेव आचार्य : पूर्व रेलवे के संचल कर्मचारियों की सेवायें वर्ष 1981 में समाप्त कर दी गयी हैं और उन्हें अभी अपना दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होंने इस विषय में कुछ भी नहीं कहा है। मंत्री महोदय ने रेलवे सुरक्षा बल की एसोसियेशन की मान्यता बहाल करने के बारे में भी कुछ नहीं कहा है। इस एसोसियशन की बहाली की मांग सदन में की गयी है। रेलवे सुरक्षा बल की अपनी एसोसियेशन थी। सदन को सर्व सम्मति से यह अधिकार बहाल किया जाना चाहिए। उन्होने इस विषय में भी कुछ नहीं कहा है।... (व्यवधान)

(व्यवधान)

श्री पी. उपेन्द्र (विजयवाड़ा) : महोदय, हमने मंत्री महोदय से अनुरोध किया था... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया मंत्री महोदय को न टोकिये

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। जब में खड़ा हुआ हूं आप खड़े नहीं हो सकते। कृपया बैठ जाइये। आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते हैं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं सभी माननीय सदस्यों की चिंता और भावनाओं को भली भांति समझता हूं मैं भी एक संसद सदस्य हूं। मैं इसके महत्व को जानता हूं....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जी हां हर कोई हम में से हर एक...

अध्यक्ष महोदय : सभी मान्य सदस्यों की भावनाओं को समझते हुये हमें यह भी समझना चाहिये कि रेल मंत्री को किन कठिन परिस्थितियों में कार्य करना होता है। इस बात को भी ध्यान में रखा जाना चाहिये। उन्होंने अपना उत्तर दे दिया है। मेरे विचार से माननीय सदस्यों की मागों के प्रति न्यायोचित और ठोस प्रतिक्रिया व्यक्त की है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से आप सन्तुष्ट नहीं हुए हैं। यदि आप...

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री के.डी. सुल्तानपुरी (शिमला) : हम सब लोग यहां देश के किसी न किसी भाग से आए हैं। मंत्री जी को हम सबकी भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए ... (व्यवधान)

मंत्री जी ने रिप्लाई में हिमाचल प्रदेश को बिल्कुल इग्नोर कर दिया है। हम वहा के रिप्रेजेन्टेटिव। हिमालय प्रदेश के किसी भी प्रौजेक्ट के लिये यहां एक पैसा भी एनांउस नहीं किया गया है।... (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरा केवल यही कहना है कि यदी आप मंत्री महोदय से और जानकारी चाहते हैं तो आप को उनसे एक-एक करके प्रश्न पूछने चाहिये और स्पष्टीकरण मांगना चाहिये। यदि आप सभी एक साथ खड़े हो जायेंगे तो आप को कोई उत्तर नहीं मिलेगा। आप

सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं। इस लिए आपको धैर्य रखना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : यदि पश्चिम बंगाल के लिये कुछ नहीं दिया जाता है तो हम सदन से बाहर चले जायेंगे ... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप जो चाहें करें। मैं तो बैठता हूं।...

(व्यवधान)

श्री पी. उपेन्द्रः महोदय, आप ने मुझे कहा है... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य गण आप अधिककारियों से इस प्रकार बात नहीं कर सकते। जेनाजी, अपने सदस्यों को इस बारे में समझा दीजिये।

(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : पश्चिम बंगाल के साथ बहुत अन्याय किया गया है ... **(व्यवधान)**

श्री पी. उपेन्द्र : महोदय, आंध्र प्रदेश के संसद सदस्यों ने अनुरोध किया था... **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप लोग बोलिए सब एक साथ बोलिऐं।

[अनुवाद]

(व्यवधान)

श्री पी.उपेन्द्र : महोदय, आन्ध्र प्रदेश के संसद सदस्य माननीय रेल मंत्री से मिले और उनसे तीन-चार रेलगाडियों के बारे में अनुरोध किया था। परन्तु मंत्री महोदय ने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा है। पहला अनुरोध मद्रास से मुम्बई तक जनता एक्सप्रेस बहाल करने के लिये किया गया था। मंत्री जी ने दिल्ली से कलकता तक जनता एक्सप्रेस को तो पुनः चालू कर दिया परन्तु मद्रास से बम्बई तक जनता एक्सप्रेस को बहाल नहीं किया। उन्होंने इसे छोड़ दिया है। हमने दिल्ली से विशाखापटनम तक एक सुपरफास्ट रेलगाड़ी चलाये जाने की मांग की थी परन्तु इसे भी मंजूर नहीं किया गया। तीसरी मांग हमने मद्रास से बैंगलौर तक उपनगरीय सेवाओं के विस्तार के लिये की थी। इसे भी मंत्री महोदय ने स्वीकृति नहीं दी। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह कम से कम इतना तो कह दे कि इन मांगों पर विचार किया जायेगा

सिकन्दराबाद होकर राजधानी एक्सप्रेस की बारम्बारता बढ़ाने के लिये हम मंत्री महोदय को धन्यवाद देते हैं। हमने एक और राजधानी एक्सप्रेस की मांग की थी परन्तु चलिए उन्होंने हमारी आधी मांग तो मंजूर की।

मेरा अनुरोध है कि उपर्युक्त तीनों मांगों पर मंत्री महोदय विचार करें।

[हिन्दी]

श्रीमती रजनी पाटिल (बीड) : अध्यक्ष महोदय, वैसे भी इस रेल बजट में महाराष्ट्र को पटरी से बाहर कर दिया है। रेल मंत्री जी सिर्फ मुम्बई को ही महाराष्ट्र समझते हैं तो हमारा जो पिछड़ा हुआ एरिया है... **(व्यवधान)** मैं उस क्षेत्र से आती हूं जहां अगर रेल देखनी है तो हमें किताबों में ही देखनी पड़ती है। उस क्षेत्र में रेल बिलकुल ही नहीं है। हमें दूसरे गांव जाकर रेल देखनी पड़ती है। उस एरिया के लिए इस बजट में आपने नाम तक नहीं लिया।

गत वर्ष एक करोड़ रूपये का प्रोविजन किया था। उसके बाद तत्कालीन रेल मंत्री श्री कलमाड़ी जी ने रेलवे स्टेशन का उद्घाटन भी कर दिया। लेकिन अभी तक वहां कुछ भी नहीं है। वहां सर्वेक्षण भी नहीं हुआ है, बजट भी नहीं है।

अहमदनगर बीड-परली रेलवे लाइन के लिए आपको हमारी अपेक्षा की पूर्ति करनी चाहिए। हमारे क्षेत्र के जो स्वतंत्रता सेनानी है उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया है।

उनको स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करना पड़ा और अब रेल लाइन के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से विनती करूंगी कि हमारी रेल लाइन के लिए आप पुनर्विचार करें।

श्री सुरेश आर. जादव (परभनी): हमारे मराठवाड़ा डिवीजन के लिए मैंने रेल बजट पर चर्चा के दौरान मेरे भाषण में रेल मंत्री जी को सब जानकारी दी थी। अमरावती-नरखेड़ रेल लाइन के लिए एस्टीमेटेड कॉस्ट 182 करोड़ है, लेकिन इस साल केवल तीन करोड़ दिया है अहमदनगर-बीड़-पार्ली वैजनाथ की नई रेल लाइन की एस्टीमेटेड कॉस्ट 353 करोड़ है, लेकिन इस साल केवल एक लाख दिया है।

दूसरा, मीरज-लातूर के गैज कन्वर्सन का काम 310 करोड़ का है, लेकिन इस साल केवल 10 करोड़ रूपया दिया है। आमान परिवर्तन के लिए दौड-भिगवन का काम है, उसके लिए दोहरी लाइन बिछाने के लिए कम पैसा दिया गया है। महाराष्ट्र के अंदर मराठवाड़ा क्षेत्र, जो बैकवर्ड डिवीजन है, यह जानते हुए भी इस क्षेत्र पर रेल मंत्री क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं, यह बताने की कृपा करें।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं ऐसी प्रक्रिया रही है कि मंत्री महोदय के उत्तर के पश्चात प्रत्येक वर्ष यही सब कुछ होता है। इसे कोई पक्षपात पूर्ण व्यवहार नहीं समझना चाहिए। पश्चिम बंगाल से आये सदस्य रेलमंत्री महोदय के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं-दिल्ली में बुलाई जाने वाली बैठकों में भाग लेकर-जब वह सदस्यों से मिलने कही अन्यत्र गये हुए थे तथा अन्य दूसरे मामलों में भी। पूर्व तथा पूर्वोतर भारत के लिये मंत्री महोदय की चिन्ता की मैं सराहना करता हूं। हमें आशा थी कि हमारे पश्चिम बंगाल की बहुत सी लम्बित परियोजनाओं को शीघ्र चालू कराने का प्रयास किया जायेगा।

ऐसा प्रतीत होता कि हमारे शांत रहने अथवा चुप रहने को हमारी कमजोरी समझा गया अथवा हमारे मामले को कमजोर माना गया ... **(व्यवधान)** मुझे आशा है कि रेल मंत्री पश्चिम बंगाल की परियोजनाओं के बारे में एक बार फिर ध्यान देंगे। देश के दूसरे राज्यों में रेल लाइन दिये जाने पर हमें कोई क्षोभ नहीं है। हम सदैव अन्य सभी का समर्थन करते हैं। हम किसी राज्य की सुविधाओं को कम कराने का प्रयत्न नहीं करते हैं। परन्तु हम देश के सन्तुलित विकास में विश्वास रखते हैं। रेलवे नेटवर्क बहुत पूर्ण है। हम यह दर्शा रहे हैं कि कितनी परियोजनाये अधूरी छोड़ दी गई है। पश्चिम बंगाल में बहुत से जिले और नगर ऐसे है जहाँ रेल सम्पर्क नहीं है... **(व्यवधान)** उत्तर बंगाल, जो वाणिज्यिक तथा सामरिक दोनों दृष्टिकोणों से हमारे देश का महत्व पूर्ण क्षेत्र है, रेलवे सुवधिाओं के मामले में बहुत पीछे है... **(व्यवधान)** मंत्री महोदय को इन मामलों के बारे में कुछ कहना चाहिए था। उनके प्रति हमारा स्नेह है... **(व्यवधान)** मेरा उनसे अनुरोध है कि वे इसे लोगों के प्रति व्यक्त करें। स्नेह का दुरूपयोग नहीं होना चाहिए। हमारे मूक सहयोग को अधिकार समझा जाए त्याग यदि आवश्यक हो तो उन्हें इसे बदलना होगा। ...**(व्यवधान)**

अतः मैं रेलमंत्री जी से निष्ठा पूर्वक अनुरोध करता हूं कि वह इन मामलों पर ध्यान दें। हम सहयोग के लिये तैयार हैं। उन्हें प्राथमिकतायें निर्धारित करनी चाहिए। जो कुछ भी वह करेंगे हमें स्वीकार्य होगा... **(व्यवधान)**

प्रधानमंत्री जी यहां मौजूद हैं मुझे विश्वास है कि वह उन सदस्यों की भावनाओं को महसूस करेंगे जिन्होंने खड़े होकर अपनी शिकायतों का उल्लेख किया है।... **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री मंगत राम शर्मा (जम्मू) : जनाब स्पीकर साहब, मंत्री जी के साथ जब हमारे जम्मू कश्मीर के सांसदों की मीटिंग हुई थी, तो हमने कुछ बिन्दुओं की ओर मंत्री महोदय का ध्यान दिलाया था। जो दो-तीन पाइंट इम्पोर्टेंट हैं, वे उनके नोटिस में मैं दुबारा लाना चाहता हूं और आशा करता हूं कि वे अपने जवाब में इन पर अवश्य रोशनी डालेंगे।

पहला बिंदु तो यह है कि इन्होंने माना था कि जम्मू से पुंछ और राजोरी तक रेलवे लाइन का सर्वेक्षण करवाया जाएगा। ये दोनों बार्डर डिस्ट्रिक्ट हैं और पाकिस्तान के साथ लगते हैं। सभी सांसदों ने इसकी मांग की थी। इसलिए इसे फौरी तौर पर करवाया जाए।

दूसरा यह है कि जम्मू में रेलवे कोच फैक्ट्री बनाई जाए। इसको एस्टाब्लिश करने का काम शुरू करें ताकि वहां के लोगों को ऐम्प्लायमेंट मिल सके।

तीसरा पाइंट यह है कि जालंधर से लेकर जम्मू तक सिंगल रेलवे लाइन है। इसको डबल किया जाए। डबल ट्रैक करने से आवागमन में शीघ्रता आएगी।

चौथा पाइंट यह है कि जम्मू से लेकर हरिद्वार तक एक पैसेंजर ट्रेन चलाई जाए। इस बारे में सभी नार्थ के सांसदों, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल ने भी आग्रह किया था। इसलिए एक पैसेंजर ट्रेन जम्मू से हरिद्वार तक अवश्य चलाई जाए।

स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूगा कि वे इन पाइंटों पर अपने ख्यालात का इजहार अवश्य करें और मैं इन बिन्दुओं को मंत्री महोदय को लिखकर भी भेज रहा हूं।

[अनुवाद]

श्री एन.एस.वी चित्यन (डिंडीगुल) : अध्यक्ष महोदय, मद्रास और डिंडीगुल के बीच गेज बदलने का कार्य चल रहा है। मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि यह कार्य वर्ष 1997-98 से पूर्व ही पूरा हो जायेगा। यह योजना दो चरणों में है-मद्रास से त्रिची और त्रिची से डिंडीगुल। त्रिचोंची से डिंडीगुल के लिये मंत्री महोदय ने इस वर्ष के लिये केवल दो करोड़ रूपये का प्रावधान किया है... **(व्यवधान)** इस परियोजना को पूरा करने के लिये 80 करोड़ रु. की राशी की आवश्यकता है।... **(व्यवधान)** इस वर्ष में केवल दो करोड़ रू. का प्रावधान है। हम चाहते हैं कि इसे और अधिक धनराशि दी जाये ताकि यह परियोजना वर्ष 1997-98 से पहले पूरी हो सके... **(व्यवधान)** कोई भी नहीं सुन रहा है। हर कोई बात कर रहा है... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप बोलते रहिये। केवल आपका भाषण कार्यवाही वृतांत मे शामिल किया जा रहा है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ आप बोल रहे हैं वही कार्यवाही वृतांत में शामिल किया जा रहा है जो कुछ वे बोल रहे हैं उसे नहीं।

श्री एन.एस.वी चित्यन : महोदय, मंत्री जी ने इस वर्ष के लिये केवल दो करोड़ का प्रावधान किया है।...**(व्यवधान)** मंत्री महोदय ने इस परियोजना को पूरा करने के लिऐ इस वर्ष दो करोड़ रू का प्रावधान किया है। मंत्री जी ने वायदा किया था कि कार्य 1997-98 तक पूरा हो जायेगा। मैं चाहता हूं कि परियोजना के लिये इस वर्ष में 50 करोड़ रूपये की राशि दी जानी चाहिए।... **(व्यवधान)** मंत्री महोदय इसका स्पष्ट उत्तर दे... **(व्यवधान)** महोदय 2 करोड़ रू. की राशि व्यायसंगत नहीं है... **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री रामलखन सिंह (भिंड) : अध्यक्ष महोदय, गुना-इटावा लाइन पर जो पैसा दिया गया है उसमें समय की पाबंदी नहीं लगाई गई कि वह कितने समय में पूरी हो जायेगी दूसरा, सोनागिर जोकि हिन्दुस्तान में जैनियों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है, यहाँ पर पठानकोट एक्सप्रेस और मालवा एक्सप्रेस को रोकने का हमने बजट से पहले निवेदन किया था लेकिन मंत्रीजी ने उसके बारे में कोई जवाब नहीं दिया।

पतिया, बसई और डबरा में जो आन्दोलन चल रहा है, उसपर उन्होंने लश्कर एक्सप्रेस, सदर्न एक्सप्रेस, उज्जैन-देहरादून एक्सप्रेस समता एक्सप्रेस, झेलम एक्सप्रेस, पंजाब मेल, चम्बल एक्सप्रेस आदि का स्टापेज रखने के लिये मंत्री जी ने कोई जवाब नहीं दिया।

दिल्ली ग्वालियर के बीच चलने वाली ताज एक्सप्रेस को झांसी तक बढ़ाकर डबरा तथा दतिया पर स्टापेज रखने के लिए मंत्री जी ने कोई जवाब नहीं दिया है। अतः मेरा आपसे निवेदन है कि आप मंत्री जी को निर्देश दे कि वे इन मांगों को पूरा करें। ...**(व्यवधान)**

श्री शिवराज वी. पाटिल (लातूर) : अध्यक्ष महोदय, में छः साल के बाद इस सदन में प्रश्न पूछने के लिए खड़ा हुआ हूं। रेल मंत्री जी का काम बहुत ही मुश्किल है मगर इन्होंने वह काम अच्छे ढंग से करने का प्रयास किया है, ऐसा मेरा मत है। इन्होंने अपने भाषण में कहा है कि नैरोगेज और मीटरगेज 21 हजार किलोमीटर लंबी है और 8 हजार किलोमीटर का ब्रॉडगेज में कन्वर्शन करने जा रहे है और 13 हजार किलोमीटर का काम वह शायद नहीं कर सकते। इसलिए डिब्बे बनाने का काम, बैगल बनाने का काम वे शुरू करने वाले है। मैं ऐसा समझता हूं कि इन्होंने इस बारे में जो सोचा है, वह अच्छी बात है और अगर ऐसा सोचा है तो यह दूरदृष्टि का सोचना है। मगर इसमें एक बात निकलती आ रही है जिसके बारे में मैं सरकार की तरफ से कुछ खुलासा जानना चाहूंगा। वह यह है कि पहले की सरकार ने नैरोगेज और मीटरगेज को निकालकर पूरी तरह से देश में यूनीगेज करने का फैसला किया था। आज हमारे देश में सिर्फ रेलवे को ही यूनीगेज करने का फैसला लेना अहम है, ऐसी बात नहीं है। मगर ट्रांसपोर्ट के बारे में 25 साल का प्लान बनाकर रोड ट्रांसपोर्ट, रेलवे ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज, एयरवेज के बारे में भी सोचना जरूरी है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि पहले की गवर्नमेंट ने यूनीगेज बनाने का जो फैसला किया था, क्या इन्होंने उसको छोड़कर कोई और बात सोची है? अगर यह सच है तो क्या वह हमारे हित में होगी? मेरी दृष्टि से नहीं होगी। इसके बारे में हम खुलासा चाहेंगे।

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : अध्यक्ष महोदय, मैं भूतपूर्व अध्यक्ष श्री शिवराज पाटिल जी का शुक्रगुजार हूं कि मेरे से जो मिसअंडरस्टेडिंग होती, उसको उन्होंने अपने प्रश्न के माध्यम से मुझे साफ करने का मौका दिया। असल में मैंने यह कहा था कि हमारे पास जो एक्शन प्रोग्राम बने है, इसके अन्तर्गत वे 13 हजार किलोमीटर एक्शन प्लान के बाहर रह जाते हैं।

जब एक्शन प्लान के अंतर्गत तेरह हजार किलोमीटर रह जाते हैं, ब्राडगेज चली गई, मीटरगेज को ब्रॉडगेज कर दिया गया, नेरोगेज को बॉडगेज कर दिया गया और दूर के इलाको में जो मीटरगेज और नेरोगेज बच गई, उनके डैवलपमेंट के लिए कोई प्लानिंग नहीं है। उनका ब्रॉडगेज में कन्वर्ट करने की कोई प्लानिंग नहीं है। प्लानिंग इतनी ही है जो रेल के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। वह तेरह हजार किलोमीटर नहीं है। उस के लिए कह दिया गया कि इसकी धीरे-धीरे नैचुरल डैथ हो जाएगी। वह समाप्त हो जायेगी। ये शब्द हैं। वैसी परिस्थिति में मैं समझता हूं कि हम जिस इलाके से आए है, उस इलाके में मीटरगेज बहुत महत्व रखती है, कहीं नैरोगेज भी महत्व रखती है। यदि मीटरगेज को ब्रॉडगेज में बदलने का प्लान हो तो अति उत्तम है। लेकिन उसे मरने के लिए छोड़ दिया जाए कि फाइव स्टार होटल बने और झोपड़ी उजड़ जाए, मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि या तो तेरह हजार किलोमीटर को भी डैवलप करके ब्रॉडगेज में बदलने की योजना हो, जोकि संभव नहीं है। इसलिए उसके लिए तेरह हजार किलोमीटर चले हैं, पिछले तीन सालों से मीटरगेज के लिए कोई डिब्बा बनाया गया है, न ही आर्डर दिया गया है। नतीजा यह हुआ कि जो पुराने डिब्बे हैं, मांग होने पर उन्हीं का डेन्टिंग, पेन्टिंग करके लगा दिया जाता है। एक बार कुरसैला में बड़ी दुर्घटना घटा थी, आंधी आई और पुराना डिब्बा पानी में चला गया ये उसी तरह के डिब्बे होते हैं। उन डिब्बों की भी एक लाइफ होती है। इसलिए मैंने कहा कि हम उन मीटरगेज को मरने नहीं देंगे और उन्हें सुधारने का काम करेंगे।... **(व्यवधान)**

श्री शरत पटनायक (बोलंगीर) : अध्यक्ष महोदय, उड़ीसा के सारे सांसद धरने पर बैठे थे और मंत्री जी के साथ कुछ सुझाव... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

महोदय मंत्री जी मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। मैं क्या करूं? **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अवसर दूंगा...

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शरत पटनायक : उड़ीसा के 16 संसद सदस्य धरने पर बैठे थे। मंत्री जी ने उन सारे सदस्यों को बुलाया, बैठाया और उनके साथ चर्चा भी हुई। वहां पर जो वादा किया गया, आज रिप्लाई में उसमें से एक भी बात ठीक से नहीं हो पाई है।... **(व्यवधान)** जिसको पिछड़ा जिला कहते हैं, जहां भूतपूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी जा चुके हैं, भूतपूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी जा चुके हैं, इंदिरा जी, राजीव गांधी जी जा चुके हैं, नरसिंह राव जी वहां जाकर के.वी.के. योजना बनाकर आए, कालाहांडी-कोरापुट-बोलांगीर के लिए बोलकर आए, उस इलाके के लिए एक ट्रेन चल रही है। हमने मांग की है कि उसको कोरपुट तक एक्सटेंड कर दीजिए क्योंकि वह सारे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्टस को कवर करेगी। एक ट्रेन चल रही है। उसके एक्सटेंशन के लिए कहा, वह भी नहीं हो पाया। नई ट्रेन के लिए मांग की, वह भी नहीं की गई। डबल लाइन के लिए कहा, वह भी नहीं की गई। बोलांगीर-खुरदा रेलवे लाइन के लिए कहा। मंत्री जी ने जो वादा किया था, वह भी पूरा नहीं किया।... **(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान : बोला तो है।... **(व्यवधान)**

श्री शरत पटनायक : संबलपुर डिवीजन में कम्प्यूटराईजड स्टेशन के लिए चारों तरफ से बोला गया है।...वह भी नहीं हो पाया ...**(व्यवधान)** इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि जो पिछड़ा जिला है, जिसमें पांच-पांच भूतपूर्व प्रधानमंत्री जाकर आ चुके हैं, उस इलाके के लिए ट्रेन एक्सटेंड नहीं होगी तो सारे उड़ीसा के ससंद सदस्य वाक आउट करेंगे, हम यहां पर नहीं रहेंगे।... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

महोदय, मैं मंत्री महोदय से इसका उत्तर चाहता हूं।... **(व्यवधान)**

श्री मधुकर सर्पोतदार (मुम्बई-उत्तर पश्चिम) : महोदय, हमने मराठवाडा विदर्भ एवं समस्त महाराष्ट्र के लिये सुझाव दिये हैं परन्तु रेलमंत्री जी ने एक भी सुझाव के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह जानबूझकर महाराष्ट्र की उपेक्षा कर रहे हैं। हमारी मुख्य समस्या है और इसके लिये चिल्ला रहे हैं। सारी रात बैठकर हमने चर्चा में भाग लिया और अपनी स्थिति बताने के बावजूद भी रेलमंत्री जी ने हमारी समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने विदर्भ मराठवाड़ा तथा समस्त महाराष्ट्र के लिये क्या प्रावधान किये हैं?

जब श्री शिवराज पाटिल जी खड़े हुए थे तब मैंने सोचा था कि वह स्पष्ट रूप से समस्त महाराष्ट्र राज के बारे में प्रश्न पूछेंगे। मैं समझता हूं कि विदर्भ और महाराष्ट्र में छोटी लाइन मौजूद है, परन्तु उन्होंने एक सामान्य प्रश्न पूछा है। मेरा प्रश्न समस्त महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है और मैं यह जानना चाहता हूं कि रेल मंत्री जी ने क्या प्रावधान किये हैं क्योंकि उन्हें मुम्बई शहर से सबसे ज्यादा राजस्व प्राप्त होता है।

समस्त महाराष्ट्र राज्य की उपेक्षा की गई है। उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया है। रेलमंत्री जी खड़े होकर यह कहें कि ऐसा नहीं है और यह बतायें कि उन्होंने हमारे लिये प्रावधान किये हैं। वह सदन के सामने स्थिति स्पष्ट करें ताकि उसी के अनुसार अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकें... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री राम नाईक (मुम्बई - उत्तर) : महोदय, रेलमंत्री जी कृपया इसका उत्तर दें... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी इसका उत्तर देंगे।

[हिन्दी]

श्री विश्वेश्वर भगत (बालाघाट) : इस बजट में मध्य प्रदेश की बहुत बड़ी उपेक्षा हुई है... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी जवाब दे रहे हैं आप जवाब सुन लीजिये न।

(व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष जी...**(व्यवधान)** पहले सुनिये तो सही। हम बोल रहे हैं सुनिये न...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री प्रकाश विश्वनाथ परांजपे (ठाणे) : महोदय, मेरी एक छोटी सी मांग थी। कालवा-तुर्मे-न्यू मुंबई के बीच एक माल गाड़ी चलती है। इस लाइन पर यात्री गाड़ी की भी आवश्यकता है। परन्तु रेलमंत्री जी इस और तनिक भी ध्यान नहीं दिया है... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया मंत्री महोदय का उत्तर सुनें।

(व्यवधान)

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक भी रेलगाड़ी की सेवा उपलब्ध नहीं है।

रेलमंत्री (श्री राम विलास पासवान) : अध्यक्ष महोदय, मैं पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उड़ीसा राज्यों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दूंगा। मैं केवल इन चार राज्यों के बारे में उत्तर दूंगा। ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : हम अब तक 24 घन्टे अथवा इससे भी अधिक समय इसके लिये दे चुके है। कृपया मंत्री महोदय का उत्तर सुनिये। हम फिर से वादविवाद आरम्भ नहीं कर सकते, यह संभव नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि हमें आधा दर्जन रेल बजट और लेने पड़ेंगे क्योंकि प्रत्येक सदस्य अपनी सन्तुष्टि चाहता है। हमें धैर्य रखना चाहिए। जितना भी संभव हो सकेगा मंत्री जी उत्तर देंगे।

(व्यवधान)

श्री समीक लाहिरी (डायमंड हार्बर) : महोदय, रेलमंत्री जी को श्री सोमनाथ चटर्जी के प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए **(व्यवधान)**

श्री रामविलास पासवान : महोदय, मेरे विचार से माननीय सदस्य मेरा उत्तर सुनना नहीं चाहते। वे केवल बोलना चाहते हैं। वे मेरा उत्तर सुनना नहीं चाहते।

[हिन्दी]

आप बैठिये न... **(व्यवधान)** आप सुनते क्यों नहीं हैं? एक मिनट सुन तो लीजिये।

...**(व्यवधान)** आप बोलते जाइये... **(व्यवधान)**

श्री ब्रह्मानन्द मंडल (मुंगेर) : जमालपुर कारखाने में 22 हजार से घटकर 10 हजार का लोड रह गया है, इस कारखाने में लोड बढ़ाने का काम करें और मुंगेर और खगड़िया के बीच में गंगा नदी पर पुल बनाने का बजट में प्रावधान कराएं। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री रामविलास पासवान : आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते हैं ... **(व्यवधान)** केवल बोलना चाहते हैं, सुनना नहीं **(व्यवधान)**...

[हिन्दी]

अध्यक्ष जी, यह बजट आलरेडी सदन में पेश हो चुका है। माननीय सदस्यों ने 23 घंटे तक जिन मुद्दो को उठाया जनरल बजट के बाद मैंने एक समय में जितना मैक्सीमम हमको उसमें जाना था हमने अपने बजट में उसमें जाने का काम किया। उसके अलावा भी. .. **(व्यवधान)** उड़ीसा में क्या नहीं हुआ है, आपका आफिस का हैडक्वार्टर हो गया है। क्या नहीं हुआ है, उड़ीसा में। आपको मैंने उस दिन कहा कि एक-एक स्टेट में एक-एक मेन चीज हमने हर स्टेट में करने की कोशिश की है।

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : हम स्टेटवाइज पूछ रहे हैं। आपने उत्तर प्रदेश की ओर उपेक्षा की है।... **(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान : आप सुन तो लीजिए न। आप सुनते क्यों नहीं हैं। लीजिए, सुन नहीं रहे हैं।

कितना भी रेल बजट को माननीय सदस्य उलटाकर देख लें, सीमित साधन के बावजूद किसी भी रेल बजट से कभी के भी रेल बजट से इसमें कम विकास का काम हुआ हो तो मैं दंडित होने के लिए तैयार हूं। पालियामेंट के हर मैम्बर को मैं जानता हूं, हम लोग एम.पी. रहे हैं। हर मैम्बर ऑफ पालियामेंट की कठिनाइयां हैं, उनके ऊपर पब्लिक की जवाब देही है, उनका फर्ज है कि वह अपनी बातों को वहां रखने का काम करें। लेकिन प्रत्येक स्टेट में हमने कहा है कि जो-जो मुख्य...**(व्यवधान)** सारे मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट बैठे थे, मेरे पास में पहले की भी स्पीच है और अभी की भी स्पीच है। हमने हिमाचल प्रदेश में जोड़ने का काम नहीं किया है क्या? हमने मध्य प्रदेश में जोड़ने का काम नहीं किया है क्या?...**(व्यवधान)** सुनिए। उत्तर प्रदेश में जोड़ने का काम नहीं किया है क्या? उस दिन हमने रेल बजट में कानपुर से मथुरा कासंगज होते हुए...**(व्यवधान)** इसलिए जो हमारे विदर्भ के साथी हैं।...**(व्यवधान)** आ रहे हैं। यह बात सही है कि इस बार जो... **(व्यवधान)** अब तो आप सुनिए न।

यह बात सही है कि इस बार हमने कोशिश जरूर की है कि जो इलाका जितना पिछड़ा हुआ है, उसपर उतना ध्यान दिया जाय। जो हमारे पश्चिम बंगाल के साथी हैं, विदर्भ एरिया के साथी हैं... **(व्यवधान)** सुन तो लीजिए। एक बार में ही सब का तो नहीं बोलेंगे न। आप क्या बात कर रहे हैं। फिर आप लोग ही बोलिए मजाक बनाए हुए हैं।

मैं कह रहा था कि जो हमारे विदर्भ के साथी हैं, मैं उनसे कम नहीं घूमता हूं और हमारा वहां से जितना इमोशनल अफेक्शन है, वह किसी से कम नहीं है। मैं इस बार स्वयं सोच रहा था कि हमारे पास में कोचेज होते तो हम एक दीक्षाभूमि ट्रेन चलाने के लिए विचार कर रहे थे, नागपुर से सीधे बोधगया तक के लिए हम सोचते थे। हमारे पास जिस दिन कोच उपलब्ध हो जाएंगे, हम उस ट्रेन को चलाने का काम करेंगे लेकिन मैंने कहा कि मैं किसी चीज की घोषणा कर दूं तो जैसे आज माननीय सदस्य पकड़ रहे हैं कि पहले घोषणा हो गई, शिलान्यास हो गया, अभी तक हमारा काम नहीं हुआ है। हमने गिरिजा व्यास जी की चित्तौडगढ़ से लेकर उदयपुर की लाइन किस परिस्थिति में जोड़ने का काम किया है... **(व्यवधान)**

जस्टिस गुमान मल लोढा (पाली) : जो आपसे पहले के मंत्री कलमाड़ी जी थे, वह उसका शिलान्यास करके गये थे।

श्री राम विलास पासवान : सुन लीजिए न।

मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता। किस परिस्थिति में हम काम कर रहे हैं, वह बता रहा हूं। इसलिए हम हर-सम्भव कोशिश कर रहे है कि अधिक से अधिक माननीय सदस्यों की भावनाओं का आदर करने का काम करें। इसलिए आपको मैंने कहा कि यदि आप उस दिन पढ़े होंगे, मैंने तमाम मैम्बरों से, हर प्रदेश के मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट से मिलने का काम किया है, अभी हम मिल रहे हैं, मैं आपको इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कुछ दिन के बाद सप्लीमेंटरी बजट आएगा, मैंने शुरू में ही कहा कि मेरे लिए रेलवे मंत्रालय बिल्कुल नया हैं, मैं डेढ़ महीने पहले मंत्री बना डेढ़ महीने के अन्दर जितना हो सका, हर स्टेट के मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट से बजट पेश करने के पहले और बजट पेश होने के बाद मिला हूं। पंजाब के हमारे साथी हैं, हिमाचल प्रदेश के हमारे साथी हैं।

अपराह्न 8.00 बजे

हरियाणा के हमारे साथी हैं, केरल के हमारे साथी हैं, मैं सभी राज्यों के साथियों से मिला था...**(व्यवधान)** में उनको यकीन दिलाना चाहता हूं और खासकर हमारे विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य प्रदेश और बंगाल के साथी हैं, उन्होंने जो मांगे रखी हैं, वे बहुत सारी हैं। हम उन पर गम्भीरतापूर्वक विचार ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस दिशा में कार्यवाही कर रहे हैं। मैं कार्यवाही करने के बाद आपको सूचित करूंगा। यह कोई अंतिम प्रयास नहीं हैं, इसलिए आप इसका समर्थन करें, मैं उस पर कार्यवाही करूगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सदन में अनुदानों की मांगें (रेलवे), 1996-97 पर चर्चा और मतदान होगा।

अब मैं सभी कटौती प्रस्तावों को सदन में मतदान के लिये रखूंगा। यदि कोई सदस्य अपने किसी कटौती प्रस्ताव को अलग से मतदान के लिये रखना चाहता तो ऐसा किया जा सकता है।

श्री संतोष कुमार गंगवार क्या आप चाहते है कि आपने कटौती प्रस्ताव अलग से मतदान के लिये रखे जायें।

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : जी हां।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री संतोषकुमार गंगवार द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव संख्या 61 से 74 तक मतदान के लिए रखता हूं :

कटौती प्रस्ताव सं. 61 से 74 मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय : श्री अमरपाल सिंह, क्या आप भी अपने प्रस्तावों को मदतान के लिये अलग से रखना चाहते हैं।

श्री अमरपाल सिंह (मेरठ) : जी, हां।

अब मैं श्री अमरपाल सिंह द्वारा कटौती प्रस्ताव सं. 160 को मतदान के लिये रखता हूं

कटौती प्रस्ताव सं. 160 मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : श्री राधामोहन सिंह क्या आप भी अपने कटौती प्रस्तावों पर अलग से मदतान कराना चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री राधामोहन सिंह (मोतीहारी) : जी हां।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री राधामोहन सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव संख्या 242 से 247 सभा में मतदान के लिये रखता हूं।

कटौती प्रस्ताव सं. 242 से 247 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय : श्री गिरधारी लाल भार्गव आप भी अपने प्रस्तावों पर अलग से मतदान कराना चाहते है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : जी हां।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री गिरधारी लाल भार्गव द्वारा पेश किये गये कटौती प्रस्ताव संख्या 319 से 336 और 548 से 560 सभा में मतदान के लिये रखता हूं।

कटौती प्रस्ताव संख्या 319 से 336 और 548 से 560 मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए

अध्यक्ष महोदय : डा. लक्ष्मीनारायण पांडेय, क्या आप भी अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते है।

डा. लक्ष्मीनारायण पांडेय (मंदसौर) : जी हाँ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं कटौती प्रस्ताव संख्या 337 से 366 मतदान के लिये रखूंगा।

डा. लक्ष्मीनारायण पांडेय : महोदय, कटौती प्रस्ताव संख्या 367 भी है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं कटौती प्रस्ताव संख्या 367 स्वीकार नहीं किया गया है। अब मैं डा. लक्ष्मीनारायण पांडेय द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव संख्या 337 से 366 सदन में मतदान के लिये रखूंगा।

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : महोदय बिलासपुर के बारे में एक कटौती प्रस्ताव है ...**(व्यवधान)**

डा लक्ष्मीनारायण पांडेय : प्रस्ताव संख्या 367 ...**(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं मतविभाजन की मांग करता हूं। जब मैंने यह प्रश्न उठाया था तब मंत्री महोदय ने एक भी शब्द नहीं कहा ...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्ष महोदय, इस मामले को अटज जी ने उठाया है, इसलिए इस पर मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। मैं सम्मान करते हुए, अपनी बात कहता हूं। दो समितियां रेलवे की बनाई गई थी जो जबलपुर से संबंधित हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हम जबलपुर का जिक्र नहीं कर रहे हैं। जबलपुर में तों रहना चाहिए ...**(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान : इस संबंध में मैंने मध्य प्रदेश के लीडर्स और संसद सदस्यों से बातचीत की है। मुख्य मंत्री जी से भी हमारी बातचीत हुई है। हमने श्री अर्जुन सिंह, श्री माधवराव सिंधिया से भी बातचीत की है। अभी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस मुद्दे को उठाया है और माननीय सदस्य ने इस बात को उठाया है। आदरणीय प्रधान मंत्री जी भी बैठे हुए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी, वहां के लीडर्स और मुख्य मंत्री तथा हम लोग बैठ कर बातचीत करने के लिए तैयार हैं कि इसमें क्या किया जा सकता है। हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं कि कैसे क्या किया जा सकता है। इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वास्तव में प्रस्ताव संख्या 367 विलम्ब से प्राप्त हुआ और मेरे विचार से मंत्री महोदय ने इसका उत्तर दे दिया है।

अब मैं डा. लक्ष्मी नारायाण पांडेय द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव संख्या 337 से 366 सदन में मतदान के लिये रखता हूं।

कटौती प्रस्ताव संख्या 337 से 366 मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय : श्री द्वारकानाथ दास, क्या आप भी अपने प्रस्तावों को अलग से रखना चाहते हैं।

श्री द्वारका नाथ दास (करीमगंज) : जी हां।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री द्वारका नाथ दास द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव संख्या 388 से 393 सदन में मतदान के लिये रखूंगा।

कटौती प्रस्ताव संख्या 388 से 393 मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय : अब, श्री दाऊदयाल जोशी।

[हिन्दी]

वैद्य दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : जी, हां। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। कटौती प्रस्तावों के जवाब माननीय मंत्री जी दिया करते हैं, लेकिन यह परम्परा पिछले तीन सालों से टूट गई है। मेरा निवेदन है कि कटौती प्रस्ताव के जवाब माननीय मंत्री जी दें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री दाऊदयाल जोशी द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव संख्या 412 से 429 सदन में मतदार्न के लिए रखता हूं।

कटौती प्रस्ताव संख्या 412 से 429 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय : श्री रासा सिंह रावत।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : जी हां। ...**(व्यवधान)** मान्यवर पहले यह परम्परा थी कि कटौती प्रस्ताव पर मंत्री महोदय उत्तर देते थे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब मैं प्रो. रासा सिंह रावत द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव संख्या 488 से 546 सदन में मतदान के लिये रखूंगा।

कटौती प्रस्ताव संख्या 488 से 546 मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं प्रस्तुत किये गये अन्य सभी कटौती प्रस्तावों को सदन में मतदान के लिये रखूंगा।

अन्य सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए।

श्री अनिल बसु : कुछ स्पष्ट कारणों से मैंने कोई भी कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है। परन्तु मैं घोषणा करता हूं कि यदि तारदकेश्वर से आराम बाग तक रेल लाइन स्वीकृत नहीं की गई तो मैं आमरण भूख हड़ताल पर बैठूंगा।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं अनुदानों की मांगें (रेलवे), 1996-97 मतदान के लिये रखूंगा।

प्रश्न यह है :

"कि कार्यसूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गयी मांग संख्या 1 से 16 के संबंध में 31 मार्च 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्यसूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अपराह्न 8.12 बजे

विनियोग (रेल) संख्यांक 3 विधेयक, 1996*

[हिन्दी]

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1996-97 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

* राष्ट्रपति की अनुमति से पुरःस्थापित।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1996-97 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।*

श्री राम विलास पासवान : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1996-97 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

[अनुवाद]

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1996-97 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अध्यक्ष महोदय : अब सदन में विधेयक पर खंडवार विचार किया जायेगा।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 तथा खंड 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 तथा खंड 3 विधेयक में जोड़ दिये गए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गयी।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि खंड I अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड II, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गए

*भारत के राजपत्र असाधारण भाग 2 खंड II दिनांक 30.7.96 में प्रकाशित

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि विधेयक पारित किया जाए"

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित (नागपुर) : एप्रोप्रिएशन बिल पर मेरा नोटिस है।

अध्यक्ष महोदय : क्या नोटिस है?

श्री बनवारी लाल पुरोहित : मेरा एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। अध्यक्ष जी, 15 अगस्त, 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। अंग्रेज चले गए परंतु विदर्भ में पुलगांव से एक रेल गाड़ी चल रही है, जिसका ओनरशिप कीलिक निस्टान एंड कम्पनी के पास है। उसको कितने वर्ष हो गए लेकिन अभी भी उसको रेलवे 12 लाख रुपए लीज दे रही है और लीज हर बार रिन्यू होती है।

आज 1996 तक यह अंग्रेजों की निशानी क्यों कायम रखी हुई है? उसको शकुंतला एक्सप्रेस कहते हैं। उसका बड़ा मजाक उड़ रहा है। मेहरबानी करके आप इस पर निर्णय् लें। अंग्रेजों के समय से यह गाड़ी चल रही है। 12 लाख रुपए रेलवे हर साल उस कंपनी को दे रही है। दस साल के बाद उस लीज को रिन्यू करते हैं अभी रिन्यू करने का मौका है।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, इनसे इस बारे में बातचीत भी हुई है। मैंने उसी समय अधिकारियों को बुलाकर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। माननीय सदस्य जानते हैं कि हम कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री बनवारी लाल पुरोहित : यह अंग्रेजों की निशानी है, गुलामी की निशानी है, इसे आप मिटाइये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से मंत्री जी ने इसका उत्तर दे दिया है।

प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कमरा संख्या 70 में रात्रि का भोजन तैयार है। मुझे बताया गया है कि भोजन 10 बजे तक उपलब्ध रहेगा। प्रेसदीर्घा के सदस्यों के लिये भी यह सूचना दी जाती है।

अपराह्न 8.17 बजे .

लोक प्रतिनिधित्व (दूसरा) संशोधन विधेयक, 1996

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 13 पर आते हैं। मेरे विचार से एक और सदस्य बोलने के लिये रहते हैं। श्री लोढा क्या आप बोलना चाहते हैं। यदि आप पांच मिनट में समाप्त कर लें तो बहुत अच्छा है।

[हिन्दी]

जस्टिस गुमान मल लोढा (पाली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, लोक प्रतिनिधित्व विधेयक जिस रूप में लाया गया है वह राष्ट्र के द्वारा चुनाव में सुधार करने की जो भावना और आवश्यकता है उसको पूरा नहीं करता। यह बिल कम मुद्दों पर लाया गया है और जो विशिष्ट मुद्दे हैं जिनके द्वारा राष्ट्र में चुनाव सस्ता हो सकता है, सरल हो सकता है और इसके अंदर जो क्रांतिकारी कदम उठा करके परिवर्तन करने चाहिए वे नहीं किए गए हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें सबसे अधिक आवश्यकता इस बात की थी कि स्टेट-फंडिंग करके सरकार की ओर से कुछ विशिष्ट चुनाव कार्यक्रमों को इसमें लिया जाना चाहिए। उदाहरण के तौर पर सरकार की ओर से सारे उम्मीदवारों के चुनाव भाषण एक प्लेटफार्म से करवाए जाएं। वह इसमें नहीं लिया गया है। यद्यपि इसके बारे में बहुत कुछ कहा गया है। सरकार जितनी भी मान्यता प्राप्त पार्टियां हैं उनको यह मौका दे और सारा खर्च खुद वहन करे। वह भी इसमें नहीं लिया गया है। इसी प्रकार से जो विशिष्ट मुद्दे हैं उनको न लिया जाना इस बात का संकेत है कि यह केवल ट्रेजरी बैंचिज की ओर से प्रचार और प्रसार किया जाना है कि हमने चुनाव में सुधार कर दिया। लेकिन वास्तविक सुधार नहीं किये गए। सारे देश में इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव के अंदर जो राजनीति का अपराधीकरण हो गया है और अपराधी प्रवृत्ति के लोग जिनके ऊपर मुकदमे हैं और हमारे चुनाव का कानून पूर्ण न होने के कारण वे लैजिस्लेटिव असेम्बली से संसद मे आ जाते हैं और समाचार पत्रों के अदंर उनके पृष्ठ पर पृष्ठ इस बात पर रंगे जाते हैं। 40-50-55 लोग जिनके ऊपर 302 के, 307 और 376 के मुकदमे हैं या अन्य प्रकार के मुकदमे हैं उनके लिए हमारे कानूनों में सजा पूर्णतः अपर्याप्त है।

अगर इसमें सजा हो चुकी है तो राज्यपाल या राष्ट्रपति अपने विशेष अधिकारों द्वारा इसको पार्डन कर देते हैं। इसमे उन्हें लोक सभा या अन्य स्थानों में जाने की छूट मिल जाती है। न्यायालय द्वारा जिन को अपराधी करार दिया जाता है और जिनके खिलाफ कत्ल के मुकदमे चलते हैं, उन्होंने जातियों की जातियां और ग्राम के ग्राम समाप्त कर दिए, उनको पार्डन वन के बाद वर्तमान कानून के द्वारा लोक सभा या विधान सभा का चुनाव लड़ने दिया गया। वे चुनाव लड़ कर लोक सभा या विधान सभा में आए भी हैं। सांसदों के बारे में किसी

जमाने में श्रद्धा की जो भावना होती थी, वह अब समाप्त हो गई है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हमारी इमेज जनता के प्रति उज्जवल हो।

जिस किसी को किसी मुकदमे में सजा हुई, वे राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा पार्डन के बाद भी डिसक्वालिफाई कर दिए जाएं, ऐसा कानून में प्रावधान होना चाहिए। चुनाव सुधारों को देखते हुए एक कॉम्प्रीहेंसिव बिल लाया जाए। चुनाव सुधारों का केवल ढिंढोरा ही न पीटा जाए और ढोल पीटकर ही लोगों को गुमराह न किया जाए बल्कि वास्तव में चुनाव सुधार किए जाएं।

आज जन प्रतिनिधि चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले एकाउंट्स फेस करते हैं। यह उनके लिए लाजमी होता है। वे सत्य से परे जाकर असत्य पर अपने हस्ताक्षर करें, यह शर्मनाक बात है। अगर सरकार मुख्य-मुख्य चीजों पर खर्च कर दे तो सत्य तक पहुंचा जा सकता है। मेरा निवेदन है कि चुनाव सुधारों में आमूल-चूल परिवर्तन किया जाए और परिवर्तन करने के लिए कॉम्प्रीहेंसिव बिल लाया जाए। वर्तमान बिल अपूर्ण हैं। इसलिए कानून मंत्री कॉम्प्रीहेंसिव बिल लाने का वायदा करें, यह मेरा निवेदन है।

[अनुवाद]

श्री शिवराज वी. पाटिल (लातूर) : अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक बहुत महत्वपूर्ण है। विभिन्न देशों में लोकतंत्र तथा संसदीय प्रणाली वहां होने वाले चुनावों पर निर्भर है। जब तक स्वतंत्र और दोष रहित चुनाव नहीं होते तब तक संसदीय प्रणाली अच्छा राष्ट्रपति प्रणाली अथवा लोकतंत्र कार्य नहीं कर सकता।

सरकार ने यह विधेयक लाकर और उन दोषों को समाप्त करने का प्रयास करके जो भारतीय निर्वाचन प्रणाली में मौजूद हैं, बहुत अच्छा कार्य किया है। विधेयक में ऐसे प्रावधान हैं जो उन दोषों को दूर करने का प्रयास हैं जो धन शक्ति बाहु बल तथा संकीर्ण राजनैतिक आदर्शों के प्रयोग से निर्वाचन प्रणाली में आ गये हैं। परन्तु केवल ये प्रावधान ही पर्याप्त नहीं हैं। मुझे विश्वास है कि प्रावधानों से वे दोष समाप्त नहीं होंगे। इन प्रावधानों के रहते भी धनशाली, बाहुबल तथा संकीर्ण राजनैतिक आदेशों का प्रयोग होता रहेगा। हो सकता है कि कुछ सीमा तक दोष दूर हो जायें हमें भारत में अपनायी जा रही निर्वाचन प्रणाली पर विस्तृत संदर्भ में व्यापक दृष्टि से विचार करना होगा।

नवीं लोकसभा में इस विषय पर कई घंटे तक विस्तार से चर्चा हुई थी। तत्पश्चात् यह जानने के लिये कि दोष किस प्रकार दूर किये जा सकते हैं एक समिति नियुक्त की गई थी। उस समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और सरकार ने उस रिपोर्ट पर कार्यवाही करने का प्रयास किया है। समिति भी ऐसा कोई समधान नहीं खोज पाई जिससे सारे दोष दूर हो सकें। उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि इस रिपोर्ट में निकाले गये निष्कर्ष एक प्रकार का समझौता है ।

कुछ मुद्दों पर कुछ दलों और कुछ व्यक्तियों द्वारा दिये गए सुझावों को स्वीकार कर लिया गया तथा कुछ आम मुद्दों पर आम दलों और आम व्यक्तियों द्वारा दिये गये सुझावों को स्वीकार कर लिया गया। परन्तु सर्वसम्मति से ऐसा एकमत नहीं बन सका जिससे सभी दोष दूर होते हों।

इस विधेयक में उस रिपोर्ट का भी उपयोग किया गया है। ऐसा करना अनुचित नहीं है क्योंकि इस विधेयक से देश की निर्वाचन प्रक्रिया में और कुछ सीमा तक दोषों को दूर करने में सहायता मिलेगी परन्तु धनशाली बाहुबल और संकीर्ण राजनैतिक आदर्शों के अतिरिक्त भी बहुत सी महत्वपूर्ण ऐसी चीज हैं जिसका हमारे देश के चुनावों में प्रयोग होता है।

वे चीजें क्या हैं? हमने सिद्धान्ततः स्वीकार किया है कि 18 वर्ष की आयु के देश के प्रत्येक नागरिक को मतदान का अधिकार है। उसे यह एक प्रकार का अधिकार दिया गया है। संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि मतदान उसका मूलभूत अधिकार है। इस पर भी यह समझा जाता है कि उसे यह अधिकार है। वह अधिकार मूल भूत अधिकार नहीं है। यह मूलभूत अधिकार के समान है अथवा मूलभूत अधिकार जैसा ही महत्वपूर्ण है। पर यह अधिकार मिलने पर भी हम देखते हैं कि सभी मतदाता चुनावों में मतदान नहीं करते हैं। एक व्यक्ति जिसे केवल 30 प्रतिशत मत प्राप्त हो जाते हैं निर्वाचित हो जाता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि वह देश के अधिसंख्यक मतदाताओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता अधिसंख्यक लोगों की तो बात ही क्या।

इस दोष को दूर किया जाना चाहिये। परन्तु वास्तविक प्रश्न यह है कि इसे किस प्रकार किया जा सकता है? यदि हम अन्य देशों के संविधानों और निर्वाचन विधियों का अध्ययन करें तो पता चलता है कि कुछ देशों में मतदान करना जहां नागरिकों का अधिकार वहां यह कर्तव्य भी है। उन देशों में मतदान करना अनिवार्य है। क्या इस पहलू पर विचार करना हमारे लिये संभव है? यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं मानता हूं। फिर भी, यदि हम इस सिद्धान्त को स्वीकार नहीं करेंगे तो निर्वाचन प्रणाली दोषमुक्त नहीं हो सकती।

कई बार प्रत्याशी 30 प्रतिशत से भी कम मत पाकर विजयी हो जाता है। हम कानून में ऐसा प्रावधान कर सकते हैं जिससे विजयी प्रत्याशी यदि जनसंख्या का भी नहीं तो कम से कम 50 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं का प्रतिनिधि तो है। विश्व में ऐसे संविधान और ऐसे कानून हैं जिनमें यह प्रावधान है कि 50 प्रतिशत से अधिक मत पाने वाला प्रत्याशी ही निर्वाचित घोषित होगा दूसरा नहीं। फ्रांस में यही प्रणाली स्वीकृत है। यहां तक कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिये भी यही प्रणाली स्वीकृत है। बहुत से अन्य देशों में भी यह प्रणाली अपनाई जाती है। आस्ट्रेलिया में मतदान करना अनिवार्य है। फ्रांस तथा बहुत से अन्य देशों में 50 प्रतिशत मत पाना आवश्यक है क्या ऐसा हो सकता है कि किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिये इस पहलू का अध्ययन कर लिया जाये।

भारत बहुत बड़ा देश है। इस देश की जनसंख्या 940 मिलियन है। एक माननीय संसद सदस्य 10 से 15 लाख मतदाताओं का; जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। लोग तो और भी अधिक होंगे वह 15 अथवा 20 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। यह बहुत

बड़ी संख्या है। ब्रिटेन में एक संसद सदस्य 25000 अथवा 30,000 मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रश्न पर हमें विचार करना चाहिए। परन्तु समस्या यह है कि यदि हम 25000 या 30,000 मतदाताओं पर एक प्रतिनिधि वाली प्रणाली अपनायें तो हमारा सदन बहुत बड़ा हो जायेगा। इसका प्रबंध करना बहुत कठिन कार्य हो जायेगा। इसी संख्या से भी पीठासीन अधिकारियों को कभी-कभी व्यवस्था बनाये रखना उनकी परीक्षा बन जाती है। सदन में बोलने के लिये प्रत्येक के लिये समय निकालना भी प्रत्येक की परीक्षा का विषय होता हैं परन्तु मानव का ज्ञान कम नहीं है। इस समस्या का समाधान खोजना भी मानव ज्ञान से परे की बात नहीं है।

विश्व में ऐसे भी संविधान हैं जिनमें इस समस्या का समाधान खोज लिया गया है। वहां बड़ी संख्या में प्रतिनिधि बैठकर राष्ट्रीय नीति, अन्तर्राष्ट्रीय नीति, दीर्घावधि नीति, संदर्शी योजना की रूपरेखा पर हो सकता है विस्तार से विचार करते हैं जिस पर अन्य दूसरे लोग विचार करते हैं। क्या हमारे लिये यह जरूरी है कि हम सदैव ही पश्चिमी देशों का अनुसरण, उनकी नकल करते रहें। क्या हमारे लिये यह संभव नहीं है कि एक ऐसी प्रणाली विकसित करें जिसमें पर्याप्त संख्या में लोगों के प्रतिनिधि बैठकर अपेक्षाकृत बड़े मामलों पर विचार करें। यह भी हमारे लिए एक विचारणीय प्रश्न है।

मैंने थोड़े से सुझाव दिये हैं। जब इस मामले पर विस्तार से चर्चा होगी तब इन पर विचार किया जा सकता है। संभवतया सरकार यह समझती है कि अन्य तत्काल कठिनाइयों को दूर करने के लिए यह विधेयक आवश्यक है इसीलिये वे यह विधेयक लाये हैं। यदि आवश्यक है तो यह विधेयक पारित किया जा सकता है और पारित होना भी चाहिए। परन्तु सदन के प्रत्येक सदस्य को यह बात समझ लेनी चाहिए कि इस विधेयक से देश की निर्वाचन प्रणाली, दोषमुक्त नहीं हो सकती।

अधिक विस्तार से विचार किये जाने की आवश्यकता है और एक व्यापक विधेयक लाना होगा ताकि निर्वाचन प्रणाली को संसदीय और प्रणाली और लोकतंत्र को भी दोष रहित बनाया जा सके। ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : लगभग 4 घंटे चर्चा हो चुकी है।

श्री मधुकर सर्पोतदार (मुम्बई-उत्तरपश्चिम) : परन्तु महोदय, उस दिन मैंने भी अपना नाम दिया था।

अध्यक्ष महोदय : बहुत हो चुका है।

(व्यवधान)

श्री मधुकर सर्पोतदार : नाम देने पर भी मुझे बोलने का अवसर क्यों नहीं दिया जाना चाहिए... **(व्यवधान)**

श्री पी.नामग्याल (लद्दाख) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : किस नियम के अन्तर्गत आप व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं।

श्री पी. नामग्याल : महोदय, भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के अन्तर्गत जम्मू और काश्मीर का अपना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम है। परन्तु जम्मू और काश्मीर के बारे में इस विधेयक के क्षेत्राधिकार के संबंध में कुछ भी नहीं कहा गया है। क्योंकि इस समय जम्मू और काश्मीर में राष्ट्रपति शासन है, मैं समझता हूं कि यह विधेयक जम्मू और काश्मीर के लिये भी लागू किया जाना चाहिए था। मैं इस विषय में जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय आपके प्रश्न का उत्तर देंगे?

श्री पी. नामग्याल : महोदय, आपकी व्यवस्था क्या है?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय अपने प्रश्न का उत्तर देंगे यही मेरी व्यवस्था है।

...(व्यवधान)

विधि कार्य विभाग, विधाय, विभाग और न्याय-विभाग के राज्यमंत्री (श्री रमाकान्त डी. खलप) : अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक को सदन में विचारार्थ प्रस्तुत करने से पूर्व सभी राजनैतिक दलों के नेताओं की एक बैठक आयोजित की गई थी...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : और भी बहुत सी बातें हैं।

श्री मधुकर सर्पोतदार : समय सीमा कोई आपत्ति नहीं है। जब हम विधेयक पर विचार करते हैं तब समय को ध्यान में क्यों रखा जाना चाहिए। आखिरकार, यह एक विधेयक है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, अब आप बोल सकते हैं।

श्री मधुकर सर्पोतदार : अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक जब परिचालित किया गया था तब एक बात पर ध्यान नहीं दिया गया। 540 सदस्यों के इस सदन में 287 सदस्य नये हैं। उन्होंने विधेयक के प्रावधान नहीं देखे हैं। यह विधेयक सदन में इतनी जल्दबाजी में लाया गया कि कोई भी इस पर ठीक प्रकार से विचार नहीं कर पाया। कोई भी इस विधेयक के उपबंधों का अध्ययन नहीं कर पाया। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि समय बहुत ही थोड़ा है। पीछे भी ऐसा हुआ है कि सदस्यों को अध्ययन करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया।

दूसरे जहां तक विधेयक का संबंध है इसमें कुछ प्रावधान दिये गये हैं। अभी श्री शिवराज पाटिल ने दूसरे देशों में अन्तराष्ट्रीय प्रावधानों के बारे में कुछ कहा है। यहां मैं इस बात का विशिष्ट उल्लेख करना चाहूंगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के 50 वर्ष बाद भी इस देश के अधिकांश लोग अशिक्षित हैं। जब हम को चिन्ह नहीं देते तब तक वे मतदान नहीं कर सकते। हमारे देश की यह वर्तमान स्थिति है। इस विशेष स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी स्थिति की अन्य देशों के साथ तुलना करने में क्या लाभ है? विदेशों में 100 प्रतिशत साक्षरता है जबकि हमारे यहां 40 प्रतिशत। हमारे अधिकांश लोग अशिक्षित हैं।

अपराह्न 8.35 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री बीजू पटनायक (आस्का) : परन्तु केरल के बारे में यह सही नहीं है।

श्री मधुकर सर्पोतदार : मैं समस्त देश के बारे में कह रहा हूं केवल केरल के बारे में नहीं। हमारा देश आज इसी स्थिति में है। यदि आप कहते हैं कि हमारे देश में शतप्रतिशत साक्षरता है तब मुझे कुछ नहीं कहना है।

महोदय, विधेयक के विभिन्न प्रावधानों का अध्ययन करने के प्रश्चात में विधेयक में दिये गये एक दों प्रावधानों के बोर में कुछ कहना चाहूंगा। प्रचार अवधि को 20 दिन से कम करके 14 दिन कर दिया गया है। महाराष्ट्र में अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रों में 15 लाख से कम मतदाता नहीं हैं। पूरे निर्वाचन क्षेत्र में 14 दिन में प्रचार कार्य पूरा करना किस प्रकार संभव हो सकेगा? 14 दिन के अन्दर मतदाताओं से सम्पर्क कर पाना किस प्रकार संभव हो सकेगा? यह बहुत महत्वपूर्ण पहलु है। निर्वाचन आयोग की आदर्श आचार संहित की दृष्टि से और इसका दृढता से पालन करते हुए चुनाव प्रचार के लिये एक या दो कारों की अनुमति है। 14 दिन की प्रचार अवधि में कोई प्रत्याशी 10-20 लाख मतदाताओं के पास किस प्रकार पहुँच पायेगा। मेरे विचार से 14 दिन की प्रचार अवधि पर्याप्त नहीं है। विधान सभा चुनाव के लिए तो ठीक है परन्तु संसद के चुनाव के लिये यह अवधि पर्याप्त नहीं है ...**(व्यवधान)**

आम चुनाव अचानक नहीं होते है। एक प्रकार से प्रत्याशी प्रतिदिन प्रचार कार्य कर सकता है। वह अपने निर्वाचन क्षेत्र में पाँचों वर्ष प्रचार कार्य कर सकता है इसमें कोई विवाद नहीं है। परन्तु जब तक चुनावों की घोषणा नहीं हो जाती तब तक चुनाव के लिये प्रचार कार्य नहीं किया जा सकता। मेरा विचार यह है कि चुनावों की घोषणा हो जाने पर संसद के चुनावों के 14 दिन की प्रचार अवधि अपर्याप्त है।

महोदय, दूसरी बात पर्यवेक्षक के प्रावधान के बारे में है। इस प्रावधान के अन्तर्गत समस्या के समाधान की तुलना मुकदमेंबाजी की काफी गुंजाइश है। लोग न्यायालय में जाने और मुकदमा चलाने के लिए कोई न कोई तर्क खोजते रहते है। जो निर्वाचित हो जाता है उसे भी ऐसा ही करना पड़ता है। पर्यवेक्षकों के प्रावधान के मामले में यह विवाद बना रहेगा और चुनाव परिणाम को घोषणा में विलम्ब होगा।

महोदय, विधेयक के विभिन्न प्रावधानों का अध्ययन करने के लिए हमें प्रर्याप्त समय नहीं दिया गया है। जिस प्रावधान में पर्यवेक्षकों का उल्लेख है उसके बारे में मैं इतना कह सकता हूं कि इसके अच्छे परिणाम नहीं निकलेंगे और संभवतय इससें बहुत सी जटिलतायें पैदा हो जायेगी और हो सकता है चुनाव परिणाम प्राप्त करने में बहुत कठिनाइयां सामने आयें।

महोदय, धारा 33 में चुनाव प्रत्याशी के नाम का प्रस्ताव करने वालों के लिये प्रावधान है। मान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों के लिए एक प्रत्याशी के लिये एक प्रस्तावकर्ता का प्रावधान है। इस धारा में यह भी उल्लेख है जो स्वंतत्र या निर्दलीय होगा उसे 10 प्रस्ताव कर्ताओं की आवश्यकता पड़ेगी। मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल के प्रत्याशी और एक निर्दलीय प्रत्याशी के बीच इस प्रकार का अन्तर क्यों होना चाहिए। यदि कोई प्रत्याशी निर्रलीक रूप से चुनाव लड़ना चाहता है तो उसके नाम के प्रस्ताव के लिये 10 व्यक्तियों की आवश्यकता क्यों होनी चाहिए। यह हास्यास्पद है। निर्दलीय प्रत्याशियों के लिये भी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रत्याशियों की समान ही व्यवस्था होनी चाहिए। उन्हें भी चुनाव में खड़े होने का अधिकार है। इसके लिये नहीं कहा जा सकता। अन्यथा आप ऐसी व्यवस्था करेंगे जिसमें निर्दलीय प्रत्याशी को चुनाव लड़ने की अनुमति ही नहीं होगी... **(व्यवधान)** इसके लिये प्रावधान किये जाने चाहिये और विभिन्न मानदंड लागू किए जाने चाहिये। यदि आप 10 प्रस्तावकर्ताओं की व्यवस्था करेंगे तो जहां तक संसदीय चुनावों का प्रश्न है, इससे क्या अन्तर पड़ेगा? प्रत्याशी दस प्रस्तावकर्ता ले आयेगा। यदि आप 100 प्रस्तावकर्ताओं का प्रावधान करेंगे तो भी प्रत्याशी 100 प्रस्तावकर्ता ले आयेंगे। किसी ने नाम का प्रस्ताव करने के लिये मतदाताओं को सहमत कराने में कठिनाई है। मेरा सुझाव यह है कि यह प्रावधान प्रभावी नहीं है इसमें बहुत सी कमिया हैं।

एक प्रावधान और है, धारा 33 (7)(6) में एक प्रत्याशी के दो निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकने का प्रावधान है। मेरा प्रश्न यह है कि यह व्यवस्था क्यों की गई है। एक प्रत्याशी को एक ही निर्वाचन क्षेत्र से लड़ने की व्यवस्था होनी चाहिए। उसे एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ना चाहिये। यही मेरा प्रस्ताव है। स्थिति सुरक्षित करने के लिये एक प्रत्याशी एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ता है। कभी वह एक स्थान से निर्वाचित होता है तो कभी कभी दोनों से। इसके पश्चात वह एक स्थान रिक्त करता है जिसके परिणाम स्वरूप एक स्थान रिक्त हो जाता है। उस स्थान को भरने के लिये फिर से पूरी प्रक्रिया दोहरानी पड़ती है। पूरे देश पर अतिरिक्त व्यय का भार पड़ता है। इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। मेरा सुझाव है कि एक प्रत्याशी को एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं होनी चाहिए।

1951 के अधिनियम की धारा 34 की उपधारा 1में जमानत राशि की व्यवस्था है। यह संसद के लिए चुनाव की बात है। यदि 500 रूपये को बढ़ाकर 5000 रू. भी कर दिया जाये तो कोई खास फर्क नहीं पडने वाला। यह प्रतिष्ठा का चुनाव है। मेरे विचार से यह राशि 5000 से अधिक होनी चाहिए। सामान्य प्रत्याशी के लिये कम से कम 10,000 रूपये की राशि जमा कराने का प्रावधान होना चाहिए ताकि कुछ प्रतिबंध लगाया जा सकें।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करिये।

श्री मधुकर सर्पोतदार : इस विधेयक के प्रावधानों के बारे में बोलने से मुझे नहीं रोका जाना चाहिए। यदि किसी अन्य विषय पर रोका जाये तो बात समझ आती है। यदि आप जोर देंगे तो मैं बैठ जाऊंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है।

श्री मधुकर सर्पोतदार : मैं कह रहा था कि यह राशि 10,000 रूपये या 5000 रूपये होनी चाहिए ताकि नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले उम्मीदवार हजार बार सोचें।

1951 के अधिनियम की धारा 38 के उपधारा 2 में संशोधन किया गया है। संशोधन मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल के लिए है। यह बहुत अच्छा सुझाव है। तीन श्रेणियां रखी गयी हैं। मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल, पंजीकृत राजनैतिक दल तथा अन्य प्रत्याशी।.जहां तक चुनावों का संबंध है यह मेरी समझ में नहीं आता कि इन तीनों श्रेणियों में अन्तर क्यों हो। एक राजनैतिक दल तथा मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल के लिये अलग अलग दो व्यवस्था क्यों होनी चाहिये? इस प्रकार की व्यवस्था से हम अपने लोगों के बीच और विभाजन करेंगे। पता नहीं यह सुझाव किसने दिया है। हम लोगों के बीच भेदभाव करेंगे और विभिन्न वर्गों को जन्म देंगे। मैं समझता हूं कि तीनों वर्गों के लिए एक ही व्यवस्था होनी चाहिए।

1951 के अधिनियम की धारा 127 में अपराधों के लिये दंड का प्रावधान है। इसमें उल्लेख है कि उपधारा 1 के अन्तर्गत दंडनीय अपराध संज्ञेय अपराध होंगे। ये सभी प्रावधान किये गये हैं। अलग अलग स्थानों पर प्रावधान करने के बजाय सदन में एक व्यापक विधेयक लाया जाना चाहिए। यदि व्यापक विधेयक लाया जाता है तो यह अधिक प्रभावी होगा। मैं अनुरोध करता हूं कि मंत्री महोदय इस विषय पर ठीक प्रकार विचार करें और एक व्यापक विधेयक सदन में प्रस्तुत करें। व्यय संबंधी प्रावधानों को भी ध्यान में रखना होगा। हमें कोई न कोई समाधान खोजना होगा। हमें गत 15 वर्षों के अनुभव को ध्यान में रखना चाहिए। इस लोकतंत्र में प्रत्येक प्रत्याशी के लिए बहुत परेशानी पैदा की गई है। चाहे यह वाहनों, पोस्टरों आदि पर व्यय की बात हो या अन्य किसी मद पर। पूरे प्रावधान का गलत प्रयोग हो रहा है। इससे प्रत्शाशियों को बहुत असुविधा हो रही है। जो चर्चा हुई है मैंने उसका अध्ययन नहीं किया है, मैंने इस विधेयक का अध्ययन किया है। यह एक निर्मित सा विधेयक है, यह व्यापक विधेयक नहीं है। मैंने इस विधेयक के निरनुमोदन के लिए पत्र भी लिखा है क्योंकि मेरे जैसे नये सदस्यों को विधेयक का ठीक प्रकार से अध्यन करने के लिये पर्याप्त समय नहीं दिया गया है। दो दिन के अन्दर यह परिचालित भी किया गया और चर्चा तथा पारित किये जाने के लिए सदन में प्रस्तुत भी कर दिया गया। इतनी जल्दबाजी क्यों की गई? जांच पड़ताल करने पर पता चला कि उत्तर प्रदेश तथा जम्मू और काश्मीर में चुनाव के कारण यह विधेयक केवल इन्हीं दो राज्यों के लिये पुरःस्थापित किया जा रहा है। सरकार इस विधेयक को जल्दी से पारित करना चाहती है। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार जब भी कानून में सिशोधन करे तब उसे केवल एक-दो राज्यों को ही ध्यान में नहीं रखना चाहिए। समस्त देश संबंधित दलों तथा सामान्यतया चुनावों को ध्यान में रखते हुए संशोधन किये जाने चाहिए। लोकतंत्र के हित में मैं यह कहना चाहता हूं कि सभी संशोधन एक साथ लाये जाने चाहियें अलग अलग नहीं।

श्री रामाकान्त डी. खलप : अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के सदन में पुरःस्थापित किये जाने से पूर्व हमने सदन में विभिन्न दलों के नेताओं से बात की थी। कुछ प्रावधानों के बारे में जब सर्वसम्मति बनी तभी उन्ही मुद्दों के आधार पर यह विधेयक तैयार किया गया और सदन में पुरःस्थापित किया गया। सदन में हुए वाद-विवाद से हमने पाया है कि पहली बैठक के बाद भी जब विभिन्न मुद्दों पर विचार किया गया कुछ सदस्य यह चाहते थे कि कतिपय प्रावधानों के बारे में उनके दृष्टिकोण पर विचार किया जाए। इसी के परिणामस्वरूप सदस्यों को प्राप्त हुए नये सुझावों पर विचार करने के लिए आज सवेरे भी एक बैठक आयोजित की गई। अब सभी इस बात से सहमत हैं कि संशोधन को छोड़कर जिसमें विधेयक पर खण्डवार विचार के दौरान प्रस्तुत करूंगा अन्य संशोधनों पर इस समय विचार नहीं किया जायेगा।

प्रारम्भ में ही मैंने कहा था कि यह व्यापक चुनाव सुधारों की दिशा में पहला कदम है। यह तो शुरूआत है विभिन्न राजनैतिक दलों के नेताओं के साथ बहुत सी बैठकें होंगी और उनमें जो सर्वसम्मति होगी उसके आधार पर सदन के विचारार्थ एक व्यापक विधेयक लाया जायेगा। वह आश्वासन शेष है। मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि यह तो केवल शुरूआत है। एक और प्रयास निश्चित ही किया जायेगा। हम सभी राजनैतिक दलों और सभा के अधिकतम संभव सदस्यों को ध्यान में रखकर एक व्यापक विधेयक लायेंगे।

वाद-विवाद के दौरान एक बार फिर कुछ मुददे सामने लाये गये हैं। आज, माननीय सदस्य श्री शिवराज पाटिल ने विधि में इस प्रकार सुधार करने के लिये कहा है कि जिस प्रत्याशी को कम से कम 50 प्रतिशत मत प्राप्त न हो उसे निर्वाचित घोषित न किया जाए। यह एक अच्छा सुझाव है परन्तु हम विगत बहुत से वर्षों से एक विशेष प्रणाली अपना कर चल रहे है। उन्होंने ठीक ही कहा है कि भिन्न-भिन्न देशों में भिन्न भिन्न प्रावधान हैं। एक प्रणाली को बहुत मतीय प्रणाली जिसमें किसी प्रत्याशी को कम से कम 50 प्रतिशत मत प्राप्त करने चाहिये और यदि किसी को 50 प्रतिशत मत नहीं मिलते हैं, तो दूसरे चरण का मतदान कराया जाता है। हमने कुछ ही दिन पहले राष्ट्रपति येल्तसिन का चुनाव देखा है। इसके साथ ही एक सूची प्रणाली है जिसमें राजनैतिक दल अपने प्रत्याशियों के नामों की एक सूची देते हैं और उन्हें मिलने वाले मतों की प्रतिशतता के आधार पर उनके कुछ सदस्य निर्वाचित हो जाते हैं। हमें देखना यह है कि क्या हम इन दोनों में कोई प्रणाली अपना सकते हैं अथवा क्या हमें अपनी प्रणाली को इन दोनों प्रणालियों से मिलाकर एक नई प्रणाली बनानी होगी। यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है जिसपर हमें किसी निष्कर्ष पर पहुँचने से पहले गम्भीरता से विचार करना होगा।

कुछ सदस्यों ने दल-बदल के बारे में भी कहा है। इस संबंध में संविधान में प्रावधान उपलब्ध है...**(व्यवधान)**

श्री वी.एम. सुधीरन (अलेप्पी) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि वह एक व्यापक विधेयक लायेंगे। यह बहुत अच्छी बात है। मेरा अनुरोध है कि सदन में व्यापक विधेयक लाने से पूर्व प्रारूप विधेयक सभी राजनैतिक दलों के परामर्श से तैयार किया जाना चाहिए और इसे समाज के सभी वर्गो विशेषज्ञों, प्रेस तथा जनता के बीच परिचालित किया जाना चाहिए।

श्री रमाकान्त डी. खलप : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को उनके सुझाव के लिये धन्यवाद देता हूं। जो उन्होंने सुझाव दिया है हम वह प्रक्रिया पहले ही अपना चुके हैं। हमने विभिन्न समितियों

गोस्वामी समिति, स्थायी समिति तथा निर्वाचन आयोग के सुझावों को एक प्रस्तक के रूप में प्रकाशित कराया है जो सभी सदस्यों को उपलब्ध कराई जायेगी।

महोदय, दलबदल के बारे में भी एक प्रस्ताव रखा गया था एक माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है कि दल विभाजन को परिभाषित नहीं किया गया है जिसके परिणामस्वरूप बहुत सी गलतियां हुई हैं। सभी ने धनशक्ति और बाहुबल के बारे में कहा है। इस दिशा में हमने पहला कदम उठाया है। राज्य की ओर से पैसा दिये जाने का मामला महत्वपूर्ण है जिसपर हमें विचार करके निर्णय लेना है। महिलाओं के लिए आरक्षण के मामले में भी सदस्यों ने कहा है वाद-विवाद के दौरान यही कुछ मुददे उठाये गये हैं इसीलिये मैंने इनका उल्लेख किया है। मैंने कहा है सदन के समुख उपयुक्त समय पर एक विधेयक लाया जायेगा।

जहां तक मतदान को अनिवार्य बनाने का प्रश्न है यह भी एक महत्वपूर्ण मामला है और इसका उत्तर व्यापक नहीं दिया जा सकता। जहाँ तक 14 दिन की समय सीमा और दस प्रस्ताव कर्ताओं का प्रश्न है जिसका माननीय सदस्य श्री सर्पोतदार ने उल्लेख किया है, यह कदम भी इसलिए उठाया गया है कि हम गैरगम्भीर लोगों को चुनाव लड़ने के लिये प्रोत्साहित न करें।

आपको ज्ञात है कि एक एक निर्वाचन क्षेत्र से सैंकेड़ो प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं। तमिलनाडु में एक निर्वाचन क्षेत्र ऐसा था जहां से 1033 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा। इसे आप किस प्रकार रोकेंगे वास्तव में यह एक बुराई है। समस्त निर्वाचन प्रणाली इससे प्रभावित है। इसीलिए कुछ कदम उठाये गए हैं। पहला यह है कि निर्दलीय प्रत्याशी को कम से कम दस प्रस्ताव कर्ता लाने होंगे उसे जमानत के 5000 रूपये जमा कराने होंगे। ये कुछ प्रावधान ऐसे लोगों को चुनाव में उतरने से हतोत्साहित करने के लिये किये गये हैं जो चुनाव के प्रति गम्भीर नहीं है। हमारे जैसे देश में प्रत्याशी के लिए योग्यता... **(व्यवधान)**

श्री सत्यपाल जैन (चंडीगढ़) : एक मतदाता जितने प्रत्याशियों के लिये भी चाहे मतदान कर सकता है। नगर पालिका, पंचायत तथा अन्य दूसरे चुनावों के लिये जितने स्थान कुल भरे जाने हैं उनसे अधिक के लिए नामों के प्रस्ताव नहीं किये जा सकते। परन्तु विद्यमान कानून के अन्तर्गत इन 10 व्यक्तियों से संबंधी खंड से कोई अधिक अन्तर नहीं पड़ेगा। ये दस व्यक्ति आकर निर्वाचन उपायुक्त कार्यालय में खड़े हो जायेंगे जितने भी प्रत्याशी वहाँ आयें वे जितने प्रत्याशियों का भी प्रस्ताव करना चाहे कर सकते हैं। अतः मेरा सुझाव है... **(व्यवधान)**

श्री रमाकान्त डी. खलप : मैंने आपके सुझाव को नोट कर लिया है।

श्री सत्यपाल जैन : आप इसे व्यवहार में लायें ... **(व्यवधान)**

श्री रमाकान्त डी. खलप : यह सब मुद्दों का समाधन नहीं है।

श्री सत्यपाल जैन : यह ठीक है।

श्री रमाकान्त डी. खलप : हम एक व्यापक विधेयक लायेंगे जिसमें आपके दृष्किोण को भी ध्यान में रखा जायेगा।

कुछ माननीय सदस्यों ने सदस्य होने के लिए योग्यतायें निर्धारित करने के बारे में सुझाव दिए हैं। मैं कह रहा था कि हमारे जैसे देश में जैसा कि माननीय सदस्य श्री सर्पोतदार ने ठीक ही कहा है कि हमारे देश में साक्षरता पर बहुत कम है और लोग बिना किसी शेक्षिक योग्यता के कोई भी स्थान दर सकते हैं। क्या यह कदम ठीक होगा? कुछ भी हो, निर्णय माननीय सदस्यों ने ही करना हैं।

निर्वाचन क्षेत्र की सीमा के बारे में भी माननीय सदस्य श्री शिवराज जी पाटिल ने आज कहा है कि 30,000 मतदाताओं के लिए एक स्थान है निर्वाचन क्षेत्रों में 20,000 अथवा 30,000 मतदाता ही हैं जब कि कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में 25 लाख से 28 लाख तक मतदाता हैं। हमें भी यह सब पता है। एक संशोधन विधेयक पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है। निर्वाचन क्षेत्र सीमा निर्धारण की अधिकार प्रदान करने के लिए एक और विधेयक तैयार किया गया है निर्वाचन क्षेत्रों के सीमा निर्धारण का कार्य 21वी शताब्दि आरम्भ होने तक के लिये बंद है। इसलिए गत कई वर्षों से निर्वाचन क्षेत्रों के सीमांकन कार्य नहीं किया जा सका वास्तव में प्रावधानों के अनुसार यह सरकार का दायित्व है कि प्रत्येक जनगणना के बाद सीमांकन कार्य होना चाहिए था। पिछली योजनागण अर्थात 1981 तथा 1991, से यह कार्य नहीं हुआ है। अर्थात इस नये विधेयक सविधान संशोधन विधेयक में जो सदन में पुरःस्थापित किया जा चुका है, यह कदम उठाने का विचार है।

श्री पी.उपेन्द्र (विजयवाड़ा) : बारी बारी से निर्धारण का क्या होगा।

श्री रमाकान्त डी. खलप : संविधान में संशोधन करके जब हम सीमाकंन अधिनियम पारित करेंगे तब बारी बारी से निर्धारण के मामले पर भी विचार किया जायेगा। परन्तु सदन के सदस्यों का एक मत होना आवश्यक है।

जस्टिस लोढा ने अपराधियों के निर्वाचन में भाग लेने पर रोक लगाने के बारे में कहा है। परन्तु किस सीमा तक अथवा इस संबंध में किये जाने वाले प्रावधान का स्वरूप क्या होना चाहिए? निचली अदालत से सजा हो सकती है परन्तु उसके विरूद्ध अपील अनिर्णीत हो सकती है। हम कर क्या सकते हैं? कानूनी प्रक्रिया में कई वर्ष लग जाते है। मुकदमा चलते भी वर्षो हो जाते हैं। इन मुद्दों पर हमें सोचना होगा। तभ फिर बैठक करेंगे और एक व्यापक विधेयक तैयार करेंगे। पीछे बहुत सी समितियों ने बहुत से सुझाव दिए हैं। हमारे पास अनेकों सुझाव और प्रतिवेदन हैं जिनका हमें अध्ययन करना होगा। सभी के सहयोग से एक व्यापक निर्वाचन सुधार विधेयक तैयार हो जिससे हमारे देश में सच्चे लोकतंत्र की स्थापना में सहायता मिल सके।

अतः मैं उन माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं जिन्होंने संशोधन प्रस्ताव दिए हैं कि अपने संशोधन वापस ले लें... **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : इसके बाद सरकार पूरा कम्प्रेहेन्सिव बिल कब तक लायेगी? कई वर्षो के बाद सरकार यह बिल लाई है। आप यह बताये कि पूरा कम्प्रेहेन्सिब बिल कब लायेंगे जिसमें इन सारी बातों को समाहित किया जायेगा।

[अनुवाद]

श्री रमाकान्त डी. खलप : इस बीच अर्थात 2 अगस्त से 27 अगस्त तक हमें कांफी समय मिलेगा। इस अवधि में हमें किसी दिन बैठक करेंगे। जहाँ तक 5000 रू. अथवा 10,000 रूपये की बात है मैं बता चुका हूं कि उसके लिये मैं संशोधन ला रहा हूं। इससे अधूरे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। व्यापक विधेयक के बारे में मैंने कहा है कि हमें एक बैठक और करनी है। 2 अगस्त के बाद और 27 अगस्त से पहले हम एक बैठक करेंगे।

[हिन्दी]

प्रो. रासी सिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, एक सीट पर एक आदमी के लड़ने का संशोधन सहित मंत्री महोदय एक काम्प्रीहेमसिव बिल लेकर सदन में आएं, तो ठीक रहेगा। ... **(व्यवधान)**

श्री रमाकान्त डी. खलप : साहब मैं एक बात कह रहा हूं कि ऐसी बात नहीं है। ... **(व्यवधान)**

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाह रहा हूं कि एक सीट पर लड़ने की सबकी सहमति थी, लेकिन आपके प्रस्ताव में दो सीट पर एक साथ लड़ने की बात कही गई है। यह ऐसी गलती है जिसको सुधारना आवश्यक है। आपने इसमें लिखा है कि एम.एल.सी. और राज्य सभा के चुनाव के लिए, यानी एक व्यक्ति दो जगह के लिए पर्चा दाखिल कर सकता है। सामान्यतः ऐसा नहीं होता है। एक ही स्थान के लिए पर्चा दाखिल होता है। इसलिए मेरा मानना है कि कम से कम इस त्रुटि को तो दूर किया जाए। मुझे लगता है कि इस बारे में आपने ध्यान नहीं दिया है।

श्री रमाकान्त डी. खलप : इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा।

महोदय, प्रावधान यह है। मैं अनुच्छेद 154 को पढ़ता हूं। इसमें कहा गया है कि :

> "राज्य सभा के सदस्यों की पदावधि-उपधारा 2 और 2क के उपबन्धों के अध्यधीन, किसी नैमित्तिक रिक्ति को भरने के लिए चुने गए सदस्य से भिन्न राज्य सभा सदस्य की पदावधि छह वर्ष होगी।
>
> उप अनुच्छेद 2. राज्य सभा के प्रथम बार गठित हो जाने पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से परामर्श करके आदेश द्वारा उस समय चुने गये कुछ सदस्यों की पदावधि कम करने के लिए ऐसा उपबन्ध, जो वह उचित समझे, इसलिए कि प्रत्येक वर्ग के स्थानों को धारण करने वाले यथाशक्य निकटतम एक तिहाई सदस्य तत्पश्चात सेवा निवृत्त होंगे, करेगा।
>
> अनुच्छेद 2क - इसलिए कि यथाशक्य निकटतम एक तिहाई सदस्य 2 अप्रैल 1958 को सेवानिवृत्त हो जाएंगे और तत्पश्चात् प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति संविधान (सातवां) संशोधन अधिनियम, 1956 के आरंभ होने के यथाशक्य शीघ्र निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात आदेश द्वारा ऐसे उपबंध बना सकता है जैसा वह खंड 147 के उपखंड 2 के अन्तर्गत निवाचित सदस्यों की पदाविधि के बारे में उचित समझे"

इस प्रावधान के परिणाम स्वरूप हमारे परिषद के सदस्यों की तीन श्रेणी हो जाती है। इन तीनों श्रेणियों के लिए तीन विभिन्न अधिसूचनायें जारी की जाती हैं। विभिन्न समय देश के विभिन्न भागों में उत्पन्न होने वाली विभिन परिस्थितियों में उदाहरणार्थ विधान सभाओं, परिषदों आदि के विधमान न होने पर इनके निर्वाचनों में कभी कभी अतिक्रमण हुआ है। ऐसे मामले हैं, जैसा कि मुझे बताया गया है, जहाँ तीनों श्रेणियों के सदस्यों के लिये चुनाव हुए। निर्वाचन आयोग द्वारा एक ही तिथि निर्धारित की गई परन्तु अधिसूचनाएं तीन जारी की गयी जिनसे एक सदस्य को तीनों श्रेणियों के लिये चुनाव लड़ने की अनुमति प्राप्त हुई जहाँ तक राज्यसभा का प्रश्न है ऐसी स्थिति चल रही है।

जहाँ तक विधान परिषद, का संबंध है अनुच्छेद 156 में ऐसा ही प्रावधान है। अतः परिषद की दो स्थानों पर व्यवस्था संवैधानिक प्रावधान के कारण ही है।

मैंने जम्मू और काश्मीर के बारे में प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। जम्मू और काश्मीर विधानसभा के चुनाव शीघ्र ही कराये जायेंगे हम राष्ट्रपति के आदेश से ऐसा ही प्रावधान जम्मू और कश्मीर के लिए भी लागू करने के लिए अलग से कदम उठा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार : जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया है ऐसा नहीं होता है। इसकी प्रक्रिया बिलकुल अलग है। बाद में आप इसमें संशोधन ले आएं, तो बात अलग है। ...**(व्यवधान)**

प्रो. ओमपाल सिंह 'निडर' (जलेसर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इसमें से इसको निकाल दिया जाए। ...**(व्यवधान)**

श्री सत्य पाल जैन (चंडीगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि यदि कोई व्यक्ति म्युनिसिपल कमेटी का चुनाव लड़े और उसके साथ स्नातकोत्तर का चुनाव लड़ना चाहे तो उस केस में तो यह संभव है, लेकिन राज्य सभा का जो अभी अमेडमेंट आया है, उसके अनुसार यह संभव नहीं है। भले ही तीन अलग-अलग टर्म हैं, लेकिन उनकी एक साथ शुरूआत होती है। यानी तीनो टर्म की अवधि एक साथ स्टार्ट होती है। इसलिए जो गंगवार जी ने कहा है, यदि उसको मान लिया जाए, तो ठीक रहेगा। नहीं तो यह हास्यास्पद बनकर रह जाएगा क्योंकि यदि कोई व्यक्ति दो जगह से चुनाव लड़ना भी चाहे, तो नहीं लड़ सकता है। यह संभव ही नहीं है। इसलिए इसको दुबारा एग्जामिन करवा लीजिए। अब यह संभव नहीं है।

प्रो. ओमपाल सिंह 'निडर' : उपाध्यक्ष महोदय, इसको इसमें से निकाल क्यों नहीं देते है। यह दिखावा क्यों कर रहे हैं।

श्री रमाकान्त डी. खलप : जब कोई दो जगह से चुनाव लड़ ही नहीं सकता है, तो फिर दो जगह से चुनाव लड़ने का सवाल कहां उठता है।

श्री सत्य पाल जैन : फिर यह क्लाज मजाकिया बन जाता है। ... **(व्यवधान)**

अपराह्न 9.00 बजे

[अनुवाद]

श्री मधुकर सर्पोतदार (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : तब हम इस प्रावधान को क्यों रखें।

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार : हमारा यह कहना है कि अगर आपको उपयुक्त लगे तो आप इसमें सुधार कर लें।... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री रमाकान्त डी. खलप : मैं माननीय सदस्यों को पहले ही आश्वास्त कर चुका हूं कि यह प्रावधान (एक) माननीय सदस्यों के बीच काफी सीमा तक सर्वसम्मति होने तथा (दो) कि यह एक विशेष स्थिति है... **(व्यवधान)** के कारण करना पड़ा है।

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश (हिसार) : उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा और लोक सभा के चुनाव इकट्ठे होते है। हमारे देहात में अभी भी अज्ञानता है, उनकों यह पता नहीं लगता कि कौन सा बैलेट पेपर एम. पीज. का है और कौन सा एम.एल.ए. का है। उनको बताना पड़ता है कि छोटा बैलेट पेपर एम.पीज. के लिए है।... **(व्यवधान)** वहां दोनों बैलेट पेपर इकट्ठे दे देते हैं। आप इसमें सुधार करें कि एम.पीज, का बैलेट अलग हो और एम.एल.ए. का बैलेट पेपर अलग हो।.. .**(व्यवधान)** हरियाणा में दोनों बैलेट पेपर इकट्ठे दिये जाते है।... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : दोनों बैलेट पेपर अलग-अलग होते हैं।

श्री जय प्रकाश : अब की बार जो चुनाव हुए है उसमें दोनों बैलेट पेपर इकट्ठे पकड़ाये गये थे।

उपाध्यक्ष महोदय : इकट्ठे देने की बात समझ में आती है।

श्री जय प्रकाश : उपाध्यक्ष महोदय, ये अलग-अलग दिये जाने चाहिए।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री रमाकान्त डी. खलप : महोदय, मैं माननीय सदस्यों से यह अनुरोध करता हुआ कि हम इस विधेयक पर विचार करके आज ही इसे पारित करके आगे बढ़ते हैं और उस दिन की प्रतीक्षा करते हैं जब हम आपसे अगली बैठक में उपस्थित होने के लिए अनुरोध करेंगे।

श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका (तेजपुर): महोदय, प्रस्तुत हुए कुछ संशोधन इस प्रकार के हैं कि उन्हें अधिनियम में समाविष्ट किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिये मैंने एक संशोधन दिया है जिसमें कहा गया है कि मतदान केन्द्र पर कब्जा करने के बारे में संशोधित विधेयक में किये गये नये प्रावधान को मतदान गणना केन्द्रों के लिए भी लागू किया जाना चाहिए। यह एक ही प्रावधान का न्यायोचित विस्तार है परन्तु इसे समाविष्ट नहीं किया गया है और केवल एक संशोधन दिया गया है।

श्री रमाकान्त डी. खलप : मैने माननीय सदस्य को आश्वासन दिया है कि हम अगले विधेयक में इस पर विचार करेंगे।

श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका : मेरा कहना यह है कि यदि, विधेयक का सीमित प्रयोजन उन लोगों को निर्वाचन क्षेत्र से निकालना है जो गम्भीर नहीं हैं तो विद्यमान नियमों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश और जम्मू तथा काश्मीर में एक और चुनाव कराए जाए। इन नियमों के अन्तर्गत समस्त देश में चुनाव हुए हैं। यदि एक और चुनाव हो जाये तो कोई आसमान नहीं टूट जायेगा। संशोधन रखे गये कुछ प्रावधान दृढता से लागू हो जायेंगे। उदाहरण के लिए, चुनाव प्रचार अवधि को कम करके 14 दिन करना पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एक गम्भीर मामला है, जहाँ अधिकांश दल नामों की घोषणा पर्चे दाखिल करने के अन्तिम दिन ही करते हैं। इसके पश्चात मुश्किल से 14 दिन का समय मिलता है और इसी विस्तृत तथा दुर्गम मार्गों से नौ-दस निर्वाचन क्षेत्रों में प्रचार कार्य करना पड़ता है।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने आपके सुझाव को नोट कर लिया है।

श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका : इनमें से कुछ सुझावों को ध्यान में नहीं रखा गया है। एक बार ये स्वीकार हो जायें तो बाद में इन्हें नहीं बदला जायेगा। अतः प्रस्तुत किये जाने वाले व्यापक विधेयक में ये प्रावधान इसी प्रकार रहेंगे। अतः मेरा सुझाव है कि यह विधेयक ये प्रावधान इसी प्रकार बने रहेंगे। अतः मेरा सुझाव है कि यह विधेयक जो जल्दबाजी में लाया गया है इसी रूप में पारित नहीं होना चाहिए। ये दो चुनाव तो वर्तमान नियमों के आधार पर ही होने दीजिए और ही इसके पश्चात समय बद्ध आधार पर एक दोयातीन मती ने की अवधि में एक व्यापक विधेयक लाने पर विचार करना चाहिए। इससे क्या हानि होगी? यदि उत्तर प्रदेश और जम्मू तथा काश्मीर में वर्तमान नियमों के आधार पर ही चुनाव हो जायेंगे तो कोई हानि नहीं होगी।

श्री आई.डी. स्वामी (करनाल) : दो से अनाधिक को निकालने में क्या कठिनाई है। अपनी चल रही परिस्थिति को देखकर यह निर्णय करते हैं कि एक व्यक्ति दो स्थानों से लड़ सकता है। यह एक से अनधिक क्यों नहीं होना चाहिए? चाहे दौ से अनाधिक की व्यवस्था हो सकती है तो तीन से अनधिक की भी हो सकती है और चार से अनधिक की भी हो सकती है। तब यह व्यवस्था एक से अनधिक क्यों नहीं होनी चाहिए। मूल तर्क यह है कि जिस निर्वाचन क्षेत्र को कोई व्यक्ति छोड़ता है वह निर्वाचन क्षेत्र महीनों और कभी तो एक वर्ष से भी अधिक समय तक खाली पड़ा रहता है। संशोधन बहुत साधारण है दो से अधिक के स्थान पर एक से अनधिक होना चाहिए। प्रावधान के अनुसार एक व्यक्ति दो से अधिक स्थानों से चुनाव नहीं लड़ सकता। मेरा कहना यह है कि इसे आप दो स्थान के बजाय एक स्थान करिए। अन्यथा दो स्थानों की व्यवस्था न रखने के पीछे क्या तर्क है। निर्णय ग्रह स्थिति को देखकर लिया जाता है। निर्णय किसी तर्क

पर आधारित होना चाहिए। तर्क यह है कि कोई भी व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। यदि आप दो निर्वाचन क्षेत्रों से लड़ने की अनुमति की व्यवस्था करते हैं तो तीन या चार निर्वाचन क्षेत्रों से क्यों नहीं? इस संशोधन से अधिक परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं पडेगी। आप केवल दो के स्थान पर एक शब्द प्रतिस्थापित करना पड़ेगा। कृपया आप कम से कम इतना अवश्य करें।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो समझता था कि एक जगह से लड़ने के बारे में आम राय हो गई है। मैं स्वयं दो जगह से लड़ा था। और भी माननीय सदस्य दो जगह से लड़े थे और एक जगह से जीतने के बाद दूसरी जगह से त्यागपत्र देना पड़ा। जहां से त्यागपत्र देना पड़ा था, वहां के लोगों ने बहुत बुरा माना और कहा कि अगर आपको यहां रहना नहीं था तो आप यहां लड़ने के लिए क्यों आए। हमने कहा कि नहीं, नहीं, हम तो देश की एकता के लिए दो जगह से लड़ रहे हैं। मैं समझता हूं कि बीजू बाबू इससे सहमत होंगे। दो जगह से लड़ना जरूरी नहीं होना चाहिए।... **(व्यवधान)**

श्री बीजू पटनायक (कटक) : मियां-बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। हम दोनों राजी है। एक जगह से लड़ना चाहिए। हम अभी भी राजी हैं। हम तो एक जगह छोड़कर रो रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री मधुकर सर्पोतदार : एक से अधिक की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए।... **(व्यवधान)**

श्री बीजू पटनायक : मैं सहमत हूं कि एक से अधिक की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। इसमें तुरन्त संशोधन किया जाना चाहिए ...**(व्यवधान)**

श्री आई.डी. स्वामी : अब यह निर्वाचन आयोग के विवेक पर निर्भर करता है। आयोग कभी कहता है कि मतगणना मतदान केन्द्र वार होगी तो कभी दूसरे चुनाव में इस व्यवस्था को बदल दिया जाता है और कहा जाता है कि पहली गणना सब मतदान केन्द्रों के मत पत्रों को एक साथ मिलाकर होगी इसके पश्चात कुल मतपत्रों की गणना होगी। इस चीज को आप निर्वाचन आयोग के लिए क्यों छोडते हैं। हम विधेयक में दूसरा भी प्रावधान कर सकते हैं...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : कम्प्रीहेन्सिव बिल आयेगा तो उसमें आ जायेगा।

[अनुवाद]

श्री आई.डी. स्वामी : इसका न तो अधिनियम में ही उल्लेख है और न ही नियमों में मैंने इसे पढ़ा है।... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

> "कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1961 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन में विधेयक पर खंडवार विचार किया जाएगा। श्री जार्ज फर्नान्डीज क्या अपना संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (नालन्दा): एक सदस्य वाली बात पर मेरा आग्रह था। सुबह से ऐसा बताया जा रहा है कि इसको अगले कम्प्रीहैनसिव बिल में लाया जाएगा। क्या हम यह मानकर चलें कि इसको अगले बिल में लाया जाएगा?

[अनुवाद]

श्री रमाकान्त डी. खलप : इस पर विचार किया जाएगा **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : कन्सीडर वगैरह नहीं

[अनुवाद]

संसदीय कार्य तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : सरकार इस मामले को सभी दलों की बैठक में दूसरे चरण की चर्चा में रखने के लिये सहमत है। सरकार को इसमें कोई अपत्ति नहीं है ...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : यह तो नहीं कहा जायेगा कि बिल पास हो चुका है। अब दुबारा इस पर कैसे विचार हो सकता है ...**(व्यवधान)** यह शब्द तो इसमें नहीं आयेगा।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी कहते हैं कि इसमें सरकार को कोई आपति नहीं है।

(व्यवधान)

श्री मधुकर सर्पोतदार : इसमें क्या कठिनाइयां हैं?...**(व्यवधान)**

श्री श्रीकान्त जेना : हमें इसमें कोई आपति नहीं है। प्रातः काल हुई बैठक में हमने आश्वासन दिया है कि हम इसे सभी दलों की बैठक के दूसरेचरण की चर्चा में विचारार्थ रखेंगे क्योंकि यह सभी दलों का निर्णय था। परन्तु इस समय हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। ... **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : यह चार्ज साहब का अमेडमेंट हैं इसलिए और कोई नहीं बोलेगा जार्ज साहब, क्या आप मूव कर रहे हैं?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : उपाध्यक्ष जी, जब इनकी तरफ से यह आश्वासन है कि यह माना जाएगा।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : वह अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं प्रश्न यह है

'कि खंड 2 विधेयक का अंग बने'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 2 विधेयक में जोड दिया गया।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अब तो एक ही एमेंडमेंट है, जिसपर उन लोगों ने कबूल किया है। वह छोड़कर बाकी एमेडमेंट पर बाद में वैरीफाई करेंगे। 10,000 का उन्होंने कबूल किया है, उसको छोड़कर और किसी एमेडमेंट पर अभी कोई बात नहीं है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि आप अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं।

प्रश्न यह है

'कि खंड 3 विधेयक का अंग बने'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया

श्री प्रदीप भट्टाचार्य (सीरमपुर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं। पृष्ठ 2

> पंक्ति 36 **के पश्चात** निम्नलिखित **अंतःस्थापित किया जाये :**
>
> "(4) प्रेक्षकों को निर्वाचन का संचालन करने के लिये मतदान कार्मिकों के पुनर्नियतन की शक्ति होगी।
>
> (5) समुचित जांच के बाद मतदाता सूची से फर्जी मतदानाओं के नाम हटा दिये जायेंगे। (41)

मेरा विचार था कि इन पर्यवेक्षकों को और अधिक शक्यिां प्रदान की जायेंगी। मैंने देखा है कि विधेयक में पर्यवेक्षकों को सीमित शक्तियां प्रदान की गयी हैं। परन्तु व्यापक विचार इस प्रकार होना चाहिए। निर्वाचन प्रक्रिया आरम्भ होते ही पर्यवेक्षकों को अधिकार दिया जाना चाहिए। इसीलिए मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया है और क्योंकि मंत्री महोदय ने कहा है कि एक व्यापक विधेयक लाया जाएगा और उस समय इस पर उचित रूप से विचार किया जाएगा, मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसे वापस ले रहे हैं। क्या श्री प्रदीप भट्टाचार्य द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधन को वापस लिये जाने की सभा अनुमति देती है।

संशोधन, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया।

श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं पृष्ठ 2 पर ले 30 के पश्चात निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये :

> परन्तु प्रेक्षर की एक में यदि एक या एकाधिक मतगणना केन्द्रों में किसी के पक्ष में जबरदस्ती कब्जा करने या प्रतीपडन की कार्यवाही की गई हो तो उस निर्वाचन क्षेत्र अथवा निर्वाचन क्षेत्रों में से किसी निर्वाचन क्षेत्र जिसके लिए वह निर्दोश किया गया है रिटर्निंग आफिसर को चुनाव परिणाम की घोषणा से पूर्व किसी भी समय मतगणना रोकने और नये सिरे से पुन मतगणना कराने अथवा परिणाम की घोषणा करने का निर्देश देने की शक्ति होगी।(55)

मेरा संशोधन मतगणना होते समय किसी प्रत्याशी के पक्ष में मतगणना के लिए नियत स्थानों का बलात् ग्रहण करने के लिये भी पर्यवेक्षक को ऐसी ही शक्ति प्रदान करने से संबंधित है जैसा कि उसे किसी प्रत्याशी के पक्ष में किसी मतदान केन्द्र के बलात् ग्रहण के संबंध में प्राप्त है। इस आश्वासन पर कि सदन में आगे प्रस्तुत किये जाने वाले व्यापक विधेयक में इस प्रकार का प्रावधान किया जाएगा मैं अपना संशोधन वापस लेने के लिए सहमत हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधन को वापस लेने की सदन अनुमति देता है।

संशोधन, सदन की अनुमति से वापस लिया गया।

डा. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं

पृष्ठ 2, पंक्ति 17 -

> "सरकार का एक अधिकारी होगा," **के पश्चात** निम्नलिखित **अतंः स्थापित किया जाए** -
>
> "जिसकी तेनाती तथा नियुक्ति का स्थान उस स्थान से अलग होगा जहां वह प्रेक्षक के रूप में तैनात है," (65)

[हिन्दी]

सजा का जो प्रावधान है, हम उस बात को करना चाहते हैं, लेकिन यदि भय नहीं होगा तो कुल मिलाकर जो गलत पद्धति, परम्परा चली आ रही है, उस परम्परा को करने का प्रोत्साहन होगा और इसलिए छह महीने के बजाय दो वर्ष किया जाना चाहिए, ऐसा मेरी अपेक्षा है। ... **(व्यवधान)**

श्री रमाकांत डी. खलप : मैंने तो काम्प्रीहेंसिव आश्वासन दे रखा है।

डा. सत्यनारायण जटिया : हम चुनाव सुधार करना ही चाहते हैं तो फिर इसमें कहीं पुख्ता इंतजाम होना चाहिए। मिनिस्टर साहब ने यह कहा है कि हम इसपर करने के लिए आश्वस्त करते हैं तो निश्चित रूप से इसको विधड्रा करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : क्या श्री सत्यनारायण जटिया द्वारा प्रस्तुत संशोधन को वापस लिये जाने की सभा अनुमति देती है?

संशोधन, सभा की अनुमति से वापस लिया गया

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि खंड 4 विधेयक का अंग बने

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

श्री पी.उपेन्द्र (विजयवाड़ा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :- पृष्ठ 2,

खण्ड 5 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाये:

"5.1951 के अधिनियम की धारा 30 में खण्ड (घ) में "बीसवें दिन" के पश्चात "लोक सभा निर्वाचन के मामले में और विधान सभा निर्वाचन के मामले में "चौदहवें दिन" शब्द अन्तः स्थापित किये जायेंगे।" (42)

महोदय, मैंने यह संशोधन इसलिए प्रस्तुत किया है क्योंकि मैं महसूस करता हूं कि संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिये 14 दिन की प्रचार अवधि अपर्याप्त है। हम स्थिति को व्यय की दृष्टि से देख रहे हैं कि जितने दिन कम होंगे व्ययभी उतना ही कम होगा। परन्तु इसमें व्यावहारिक कठिनाईया हैं। जहां तक वर्तमान सदस्यों की बात है वहां तक तो यह ठीक है। परन्तु यदि किसी नये सदस्य को चुनाव लड़ना है तो दलों के द्वारा प्रत्याशियों के नामों की घोषणा होने पर प्रत्याशी के अपना पर्चा दाखिल करने के समय अपने चुनाव कार्यालय आदि स्थापित करने में सात-आठ दिन का समय लग जाता है।

दूसरी कठिनाई मत पत्रों के मुद्रण आदि के मामले में आयेगी। व्यवस्था यह है कि मतपत्र सरकारी प्रेस में ही मुद्रित होंगे। इन पर क्रमांक डाला जाना है, इनकी जॉच करके बंडल बनाये जाने होते हैं। इन मत पत्रों को निर्वाचन क्षेत्रों के जो सभी जगह काफी विस्तृत हैं, के दूरस्थ क्षेत्रों में भेजना पड़ता है। इसमें त्रुटियॉ हो सकती हैं। अतः मेरे विचार से 14 दिन में सभी औपचारिकताओं को पूरा करना प्रशासनिक तंत्र के लिए भी संभव नहीं है। क्योंकि निर्वाचन कर्मचरियों को भी कम से कम दो-तीन पहले जाना पड़ता है। तात्पर्य यह हुआ कि 12वे दिन मतपत्र भेज देने होंगे। क्या यह संभव है? क्या मंत्री महोदय ने इस पहलू पर ध्यान दिया है? उन्हें इस मामले पर निर्वाचन आयोग तथा अधिकारियों के साथ बात करनी चाहिए। मुझे पता नहीं कि सर्वदलीय बैठक में क्या हुआ। मेरा व्यक्तिगत विचार यह है कि 14 दिन में चुनाव प्रचार कार्य पूरा करना और प्रशासनिक प्रबंध कर पाना असंभव है।

मेरा संशोधन यह है कि 14 दिन की सीमा विधान सभा चुनावों के लिये होनी चाहिए और संसद के निर्वाचन के लिए यह अवधि 21 दिन होनी चाहिए।

श्री रमाकान्त डी. खलप : 14 दिन की न्यूनतम अवधि निर्धारित की गई है। निर्वाचन आयोग अतिक्ति समय देखता है।

श्री पी.उपेन्द्र : यह कहां लिखा है।

श्री रमाकान्त डी. खलप : विधेयक में इसकी व्यवस्था है। यह न्यूनतम अवधि है यदि आप मुख्य धारा को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा।

श्री पी. उपेन्द्र : बाद में आप दिनों के बारे में किस प्रकार निर्णय लेंगे।

श्री रमाकान्त डी. खलप : हमें एक शिकायत मिली है कि निर्वाचनों के कई चरणों में सम्पर्क होने के कारण कुछ प्रत्याशियों को 2 दिन अथवा इससे भी अधिक समय मिल जाता है। परन्तु यह न्यनतम अवधि है और इस विषय में सभी एकमत हैं।

श्री पी.उपेन्द्र : क्या यह न्यूनतम है?

श्री रमाकान्त डी. खलप : जी हॉ। इस विषय में सभी एक मत हैं कि निर्वाचन व्यय को कम करने की दृष्टि से यही-उचित है।

श्री पी. उपेन्द्र : ठीक है। मैं अन्य कठिनाइयों के बारे में पहले ही बता चुका हूं।

श्री रमाकान्त डी. खलप : आपके दल ने भी इसका समर्थन दिया है।... **(व्यवधान)**

श्री पी. उपेन्द्र : कहां लिखा है कि यह न्यूनतम अवधि है ...**(व्यवधान)**

श्री रमाकान्त डी.खलप : कृपया अपना संशोधन वापस ले लें।

श्री पी.उपेन्द्र : क्या आप उस वाक्य को पढकर सुना सकते हैं जहां न्यूनतम शब्द लिखा है? मेरे पास इस समय विधेयक की प्रति नहीं है।

श्री रमाकान्त डी. खलप : यदि आप धारा 30 को पढ़ें तो पता चलेगा :

"जैसे ही सदस्य या सदस्यों को निर्वाचित करने के लिए निर्वाचन क्षेत्र से अपेक्षा करने वाला अधिसूचना निकाली जाए वैसे ही निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा-

(घ) वह तारीख या वे तारीखें जिसको या जिनको यदि आवश्यक हो तो मतदान होगा और जो तारीख या जिन तारीखों में से पहली तारीख 20 वें दिन से पूर्वतर न होने वाली तारीख होगी जो अब 14वे दिन से पूर्वतर न होने वाली तारीख होगी। अब संशोधित को पढ़ें, अभ्यर्थिताएं वापस लेने के लिये नियत आन्तिम तारीख के पश्चात 14 वें दिन से पूर्वतर न होने वाली तारीख होगी।

अतः न्यूनतम निर्धारित अवधि 14 दिन है, और यह 14वें दिन से पूर्वतर नहीं होगी।

श्री पी.उपेन्द्र : इस लिए माननीय मंत्री जी द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए, मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या श्री पी.उपेन्द्र द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधन को वापस लेने की सभा द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है?

संशोधन सभा की अनुमति से, वापस लिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

'कि खंड 5 विधेयक का अंग बनें'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जार्ज फर्नान्डीज पहले ही कह चुके हैं कि वह अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहे है।

प्रश्न यह है

'कि खंड 6 विधेयक का अंग बनें'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय अपना संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं।

संशोधन किया गया

पृष्ठ 4

पंक्ति 16 से 20 के स्थान पर निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए :

(एक) जब तक कि अभ्यार्थी–

(क) किसी संसदीय क्षेत्र से निर्वाचन की दशा में दस हजार रूपए की राशि या जहाँ कि अभ्यार्थी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है वहां पाँच हजार रूपये की राशि; तथा

(ख) किसी सभा या परिषद निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन की दशा में पाँच हजार रूपये की राशि या जहां कि अभ्यार्थी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है वहां ढाई हजार रुपए की राशि,

निक्षिप्त न कर दे या निक्षिप्त न करा दे, वह किसी निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन के लिए सम्यक रूप से नाम निर्दिष्ट हुआ न समझा जाएगा। (82)

(श्री रमाकान्त डी. खलप)

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय (मंदसौर) : अध्यक्ष महोदय जो प्रस्ताव माननीय मंत्री जी ने दिया है, मैने भी ऐसा ही संशोधन दिया है 5000, रूपये के स्थान पर 10,000 रूपए और अनुसूचित व अनुसूचित जन जाति के लोगों के लिए 5000 रूपये के स्थान पर दो हजार पाच सौ रूपए का प्रस्ताव मैने भी दिया है। अतः समानान्तर होने से वापस लेता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि खंड 7 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 7, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जार्ज फर्नान्डीज पहले ही कह चुके है कि वह अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं करेंगे

प्रश्न यह है :

"कि खंड 8 विधेयक का अंग बने

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जी.एम. बनातवाला– उपस्थित नहीं है।

श्री एन के. प्रेमचन्द्रन (क्विलोन) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

पृष्ट 4, पंक्ति 38,

"मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल" **के पश्चात**

"अथवा पंजीकृत राजनैतिक दल" **अतःस्थापित किया जाए। (39)**

महोदय, मेरा संशोधन पंजीकृत राजनैतिक दलों के बारे में है। यह विधेयक पंजीकृत राजनैतिक दलों के हितों के प्रतिकूल है। क्योंकि सरकार ने आश्वासन दिया है कि इन सभी मामलों को लेकर एक व्यापक विधेयक लाया जाएगा, मैं सदन की अनुमति से अपना संशोधन वापस ले रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा माननीय सदस्य को अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति प्रदान करती है।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री तरित वरण तोपदार – अनुपस्थित नहीं है श्री हन्नान मोल्लाह अनुपस्थित नहीं हैं।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, क्यों कि सरकार ने आश्वासन दिया है कि सरकार सभी राजनैतिक दलों से परामर्श करके एक व्यापक संशोधन विधेयक लायेगी, मंत्री महोदय के इस आश्वासन को देखते हुए, मैं अपना संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

संशोधन किया गया

पृष्ट 5 पंक्ति.

"और धारा 38 के स्थान पर धारा 33 और धारा 38 अन्तःस्थापित किया जाए। (83)

(श्री रमाकान्त डी. खलप)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि खंड संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 9 संशोधित रूम में, विधेयक में जोड़ दिया गया

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राजीव प्रताप रूडी-उपस्थित नहीं है प्रश्न यह है:

'कि खंड 10 विधेयक का अंग बने'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 10 विधेयक में जोड़ दिया गया

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि खंड 11 से 17 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 11 से 17 विधेयक में जोड दिए गए

संशोधन किया गया

पृष्ठ 1 पंक्ति 5 में से

"दूसरा" शब्द का लोप करें (80)

(श्री रमाकान्त डी. खलप)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री रमाकान्त डी. खलप

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक यथा संशोधित रूप में पारित किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

'कि विधेयक यथा संशोधित रूप में पारित किया जाए।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा 31 जुलाई, 1996 को पूर्वाहन 11.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 9.30 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 31 जुलाई, 1996/9 श्रावण, 1918 शक के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।